(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्टम् सत्र का बाइसवां दिवस [संख्या 16

बृहस्पतिवार

दिनांक 10 मार्च, 1983

(विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री बालचन्द्र आर्यवीर। श्री अनंग कुमार जैन।

श्रम न्यायालय की संख्या में वृद्धि

396. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) व श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितने श्रम न्यायालय किन-किन स्थानों पर हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें श्रमिकों के कितने मामले किस-किस स्तर के चल रहे हैं और उनमें कुल कितने-कितने मामले पेन्डिग हैं ?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने राज्य सरकार को श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने कितनी क्रियान्विति की ?

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी) : (1) राज्य में निम्न 5 स्थानों पर श्रम न्यायालय हैं :

1. जयपुर,
2. जोधपुर,
3. बीकानेर,
4. उदयपुर व
5. कोटा।

(2) उक्त पांचों न्यायालयों में श्रमिकों के निम्न स्तर के मामले विचाराधीन हैं :-

1.	श्रम विवाद रेफरेन्स	772
2.	श्रम प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33 (सी) 2	1341
3.	श्रम प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33 ए	5
4.	श्रम प्रार्थना-पत्र मुतफरिक	5
5.	औद्योगिक विवाद रेफरेन्स	204
6.	औद्योगिक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33 (2) बी	43
7.	औद्योगिक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33 ए	54
8.	औद्योगिक प्रार्थना-पत्र मुतफरिक	8
	कुल योग :	2432

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

(3) जी हां। विचाराधीन प्रकरणों की संख्या को देखते हुए वर्तमान में न्यायालयों की संख्या बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने के कितने केस बनाये गये और कितने लोगों को न्यूनतम मजदूरी दिलायी गयी ? दूसरा, राज्य सरकार के अन्तर्गत चलने वाले जिन विभागों में न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता, उदाहरण के लिए अकाल राहत कार्य विभाग, खनिज विभाग व सिंचाई विभाग, उनके विरुद्ध न्यायालय में कितने मुकदमे बनाये गये ? क्या यह सच है कि कई श्रम न्यायालयों में सम्बन्धित अधिकारी नहीं होने से लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो कितने समय से श्रम न्यायालयों में कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक न्यूनतम मजदूरी का सवाल है यह इस विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता, यह लेबर डिपार्टमेन्ट से सम्बन्ध रखता है। आपने दूसरा सवाल यह किया कि क्या राजकीय विभागों में न्यूनतम मजदूरी मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो कितने मुकदमे बनाये हैं ? यह सवाल लेबर डिपार्टमेन्ट से सम्बन्ध रखता है, मेरे से नहीं रखता।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न यह पूछ रहा हूं माननीय मन्त्री महोदय से कि श्रम न्यायालयों में न्यूनतम मजदूरी नहीं देने के कितने केसेज पैण्डिग हैं ? दूसरा, कुछ ऐसे केसेज भी हैं जो 8–8, 10–10 वर्षों से पैण्डिग हैं ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय से क्यों पैण्डिग है ? इसका क्या कारण है ?

श्री अहमद बक्स सिंधी : अध्यक्ष महोदय, Computation of rights of claims of labour के मामले, जो 33 सी के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र हैं, 1341 हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : मैंने पुराने केसेज के बारे में पूछा है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : वह सवाल भी इसमें शामिल है जो आप फर्मा रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : मेरा मतलब है ऐसे कई केसेज हैं जो 8–10 वर्ष पुराने हैं और अभी भी चल रहे हैं। उनका इतना लम्बा चलने का क्या कारण है ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : दोबारा कहिए।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : सम्बन्धित अधिकारियों के पास कितने केसेज पैण्डिग हैं ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप दोबारा फर्मायें।

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। शांत रहें।

श्री अनंग कुमार जैन : कुछ केसेज ऐसे हैं जो 8–10 वर्ष पुराने हैं और न्यायालय में अभी तक पैन्डिग हैं। उन केसेज का इतने लम्बे समय तक न्यायालय में पैण्डिग रखने का क्या कारण है ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय सदस्य, यदि मुझे कुछ डिटेल्स दें ऐसे मामलों की तो मैं जांच करा सकता हूं। ऐसी कोई डिटेल नहीं हैं, न सवाल के अन्दर हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : भाग संख्या (2) के अन्दर मैंने पूछा है, उनमें श्रमिकों के कितने मामले किस-किस स्तर के चल रहे हैं और उनमें कुल कितने-कितने मामले पेंडिंग हैं ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : इसकी डिटेल दे दें।

श्री अध्यक्ष : कितने समय से या अधिक समय से चल रहे हैं, उसके बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा।

श्री अनंग कुमार जैन : किस स्तर के चल रहे हैं, यह पूछा है।

श्री अध्यक्ष : अस्पष्ट है।

श्री अनंग कुमार जैन : केसेज 8-10 साल से चल रहे हैं तो क्या राज्य सरकार श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य मुझे उन केसेज की लिस्ट देंगे तो मैं उनको सक्रियता से निपटवाने का प्रयास करूंगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि श्रम न्यायालयों में कितने पद रिक्त पड़े हैं जिनकी पूर्ति नहीं की ? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर दिया गया कि मिनिमम वेजेज के कितने केसेज हैं, इसकी जानकारी नहीं है। यह लेबर डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है। मैं कहना चाहता हूं कि श्रमिकों के मामले में राजस्थान सरकार ही नीति बनाती है उस नीति के अनुसार उनको मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है तो नीति को लागू करवाने के लिए क्या आप अपने डिपार्टमेंट को निर्देश देंगे ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आप जरा दोबारा कहें। मुझे तो आपकी आवाज में लगता है कि कुछ...

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा कि कितने पद रिक्त हैं श्रम न्यायालयों में, और वह पद कब तक भर दिये जायेंगे ? क्या आप इसकी कमी महसूस करते हैं ? दूसरा है, मिनिमम वेजेज श्रमिकों को नहीं मिलती हैं। आपने कहा कि उसका सम्बन्ध मेरे विभाग से नहीं है श्रम डिपार्टमेंट से है। तो मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार नीति बनाती है तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि जहां मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है वहां उसको लागू कराने के लिए कोई आदेश दे।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, श्रम न्यायालयों में कोई पद खाली नहीं है। सब भरे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछूंगा। साढ़े तीन हजार केसेज 8–8 साल से पेंडिंग हैं। केन्द्रीय सरकार सुझाव दे रही है कि श्रम न्यायालय बढ़ाये जाय। तो, अध्यक्ष महोदय, यह दोनों बातें क्या इसके लिए मजबूर नहीं कर रही हैं कि श्रम न्यायालय बढ़ाये जायं ?

(५)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2432 केसेज पैण्डिंग हैं, इनके लिए 5 न्यायालय खुले हुए हैं। इससे ज्यादा न्यायालय खोलने की सम्भावना नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 8 साल से जो केस पैण्डिंग हैं उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर दे दिया।

अगला प्रश्न। श्री मेघराज तावड़।

गोगुन्दा तहसील को ट्राइबल सब प्लान में लेना

397. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): क्या जन जातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील में आदिवासी आबादी कितने प्रतिशत है ?

(2) क्या राज्य सरकार गोगुन्दा तहसील की आदिवासी आबादी को देखते हुए इसे ट्राइबल सब-प्लान में लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, जन जातीय क्षेत्रीय विकास (श्री गोविन्द आमलिया) : (1) 1981 की जनगणना के अनुसार गोगुन्दा तहसील में आदिवासी वहां की कुल आबादी के 39.69 प्रतिशत हैं।

(2) जी नहीं, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जन जाति उपयोजना में सम्मिलित करना संभव नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि गोगुन्दा तहसील को, पहले जो ट्राइबल सब-प्लान बना उस प्लान के नक्शे में लाया गया। वहां आदिवासियों की आबादी 50.10 पर्सेन्ट है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों और किन कारणों से आबादी कम कर दी गयी। ट्राइबल सब-प्लान को जान बूझकर वहां नहीं ले जा रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि सलूम्बर में आदिवासियों की आबादी गोगुन्दा से कम है फिर भी सलूम्बर को ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत लिया गया है। तो क्या आप गोगुन्दा के लोगों को ट्राइबल सब-प्लान में लेने का प्रयास करेंगे ?

श्री गोविन्द आमलिया : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार किसी भी तहसील की आबादी में जब तक जन-जाति की आबादी पचास प्रतिशत या उससे अधिक नहीं हो तब तक उसको ट्राइबल सब प्लान में नहीं लिया जा सकता है। गोगुन्दा की आबादी पिछली 1981 की जनगणना के अनुसार भी कुल आबादी की 37% प्रतिशत है। इसलिए जो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि गोगुन्दा की आबादी में पचास प्रतिशत से अधिक है यह गलत है। सलूम्बर की जनजाति की आबादी कुल आबादी की पचास प्रतिशत से अधिक है इसलिए उसको लिया गया है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो नक्शा प्रकाशित किया है उसके अनुसार गोगुन्दा के आदिवासियों की संख्या 51.10 प्रतिशत है। इसी तरह से नाथद्वारा और कुम्भलगढ़ व आसपास के क्षेत्र

(श्री मेघराज तावड़)

हैं उनको मिला कर आदिवासियों की आबादी पचास प्रतिशत से अधिक है। इन सब को मिला कर गोगुन्दा तहसील को ट्राइबल सब-प्लान में लिया जा सकता है ?

जन जातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री दुलाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा तहसील के 20 ग्राम और कुम्भलगढ़ के 28 गांव हैं। उसको जनजाति बहुल होने की वजह से मांडा योजना के अन्तर्गत लिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य जनसंख्या की बात करते हैं 1971 की जनगणना के अनुसार वहां की कुल जनसंख्या 83175 थी जो कि 1981 में बढ़कर 105282 हो गई। उसमें एस. टी. की जनसंख्या 41746 है जो कि 39.69 पर्सेन्ट आती है। तो जब तक पचास पर्सेन्ट तक आबादी नहीं बढ़ेगी तब तक गोगुन्दा को इस प्लान, इस योजना के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि जब भारत सरकार ने यह आधार बना रखा है कि ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत उसी एरिया को लिया जा सकता है जिसमें जनजाति की आबादी पचास पर्सेन्ट से अधिक है ? यदि हां, तो आसपास के क्षेत्र नाथद्वारा, गोगुन्दा और कुम्भलगढ़ को मिला कर जनजाति की आबादी पचास पर्सेन्ट से अधिक हो जाती है। क्या राज्य सरकार भारत सरकार को यह स्पेशल रिकमण्डेशन करने का विचार रखती है कि चूंकि उस एरिया में जन जाति के लोग स्केटर्ड बसे हुए है, उनको इस प्लान का फायदा नहीं मिल रहा है इसलिए उन सब को मिला कर ट्राइबल सब-प्लान में इन्क्लूड किया जाय ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जैसा मैंने निवेदन किया कि एरिया को इन्क्लूड करने के लिए पचास प्रतिशत से अधिक आबादी होने का प्रावधान है। जब तक पचास प्रतिशत से अधिक आबादी नहीं हो उसको ट्राइबल सब-प्लान में शामिल नहीं किया जा सकता। जहां तक आदिवासियों को व्यक्तिगत फायदा मिलने की बात है, उसके लिए राज्य सरकार भारत सरकार को चिट्ठी लिखेगी।

श्री सी. पी. जोशी : ट्राइबल सब-प्लान के दो उद्देश्य हैं, एक एरिया और दूसरा इण्डिविजुअल बेनिफिट। अभी तक नाथद्वारा, वल्लभनगर और मावली के इलाकों में भी ट्राइबल सब-प्लान का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा प्रश्न यह था कि क्या राज्य सरकार भारत सरकार को यह स्पेशल रिकमंडेशन करने का विचार रखती है कि इन इलाकों के आदिवासियों को फायदा मिलना चाहिए ? इण्डिविजुअल बेनिफिट तो मिल जाएगा लेकिन जब तक एरिया डवलप नहीं होता तब तक आदिवासियों को पूरा फायदा नहीं मिल सकता। इसके लिए राज्य सरकार की क्या मंशा है ?

श्री दुलाराम : राज्य सरकार की यह नीति है कि आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। हमारे देश की प्रधान मंत्री भी यह चाहती हैं कि आदिवासियों को अधिक से अधिक फायदा मिले। हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति भी यही है कि जनजाति के व्यक्तियों

(6)

(श्री दुलाराम)

और आदिवासियों का अधिक से अधिक भला हो। इसीलिए यह ट्राइबल सब-प्लान लागू किया गया है। आज ही नहीं पूर्व में भी हमारी यही नीति रही है। जनता पार्टी के शासन से पहले भी यही नीति रही है और अभी भी हमारी यही नीति है कि आदिवासियों को फायदा मिले। इस बारे में···

श्री सी. पी. जोशी : मेरा प्रश्न यह नहीं है। जब राज्य सरकार यह मानती है कि आदिवासियों को अधिक से अधिक फायदा मिले तो जो पचास प्रतिशत आबादी का आधार बना रखा है उससे उस एरिया का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ी जनसंख्या ट्राइबल सब-प्लान के फायदे से वंचित है। इसलिए जो आबादी स्कैटर्ड है, आस पास के क्षेत्र में बसी हुई है उसको फायदा मिल सके इसलिए नाथद्वारा, कुम्भलगढ़, मावली आदि एरिया को इन्क्लूड करने के लिए क्या राज्य सरकार भारत सरकार को रिकमण्ड करने का विचार रखती है ?

श्री दुलाराम : आप एरिया बढ़ा दीजिए··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं आप मंशा रख रहे हैं लेकिन वास्तव में आदिवासियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। कल ही मुझे जो सूची दी गई है उसके अनुसार नाथद्वारा और कुम्भलगढ़ क्षेत्र में 81 गांवों में आदिवासी स्कैटर्ड बसे हुए हैं। उनको मांडा योजना में लिया गया है। उसके अनुसार वहां पर तीन हैंड पम्प लगाने थे लेकिन एक हैंड पम्प लगा है। मेरा निवेदन करना यह है कि जब तक आसपास के एरिया को इन्क्लूड करके ट्राइबल सब-प्लान में एरिया डवलपमेंट के अन्तर्गत नहीं लिया जाएगा तब तक आदिवासियों को इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल सकता है। इसलिए आप क्या यह मंशा रखते हैं कि भारत सरकार को यह स्पेशल रिकमण्डेशन की जावे कि इस आसपास के एरिया को मिलाकर गोगुन्दा को ट्राइबल सब-प्लान में लिया जावे ताकि उस एरिया को बेनिफिट मिल सके और आदिवासियों को फायदा मिल सके।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब और प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा। अगर मंत्री महोदय चाहें तो इसका उत्तर दे दें।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पहले ही निवेदन कर दिया है कि नियमों की प्रक्रिया में जो भी आयेंगे हम उसके लिए भारत सरकार को लिखेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है मंत्री महोदय ने।

अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक नीतिगत सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

ग्राम अंगनेऊ (बीकानेर) की अवाप्त भूमि

398. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर, सड़क व भट्टों के निर्माण के दौरान ग्राम अंगनेऊ जिला बीकानेर के निम्नलिखित किसानों को उनकी भूमि की अवाप्ति से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया:–

1. चैनसिंह पुत्र माधोसिंह आर. डी. 832
2. जोगसिंह पुत्र हीरसिंह, आर. डी. 837
3. डूंगरसिंह पुत्र हीरसिंह, आर. डी. 837
4. पोलाराम कुमार पुत्र भभूताराम, आर. डी. 837
5. भोपालसिंह पुत्र अलसीदानसिंह, आर. डी. 824
6. गोविन्दसिंह पुत्र अमरसिंह, आर. डी. 820
7. जैससिंह पुत्र सुल्तानसिंह, आर. डी. 820
8. बनेसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, आर. डी. 815 व 840
9. सुगनसिंह पुत्र नवलसिंह, आर. डी. 827

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त काश्तकारों को अभी तक भूमि का मुआवजा या बदले में अन्य भूमि नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) राज्य सरकार का अवाप्त भूमि के बदले में उक्त किसानों को कब तक मुआवजा अथवा भू-आवंटन करने का विचार है?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा के 1982 के बजट सत्र में तत्कालीन राजस्थान नहर मंत्री द्वारा 26 जून, 1982 तक सारे मामले निबटाने के घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अभी तक कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। परन्तु भूमि की अवाप्ति राजस्थान नहर के आवश्यक कार्यों के लिए जहां तक सम्भव हो किसानों को जमीन के बदले जमीन देने की कार्यवाही सहमति से की गई है।

(2) ग्राम अंगनेऊ जिला बीकानेर के श्री जलसीदान सिंह पुत्र बोडदसिंह, राजपूत, जालसिंह पुत्र हरिसिंह चैनसिंह वगैरह राजपूत, जोगसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत, उदय सिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत, सुल्तानसिंह पुत्र बाडेदसिंह राजपूत को उनकी 34 बीघा 6 बिस्वा, 38 बीघा 10 बिस्वा, 7 बीघा 10 बिस्वा, 2 बीघा 8 बिस्वा, 5 बीघा 7 बिस्वा अवाप्त की गई जमीन के बदले जमीन क्रमशः 31 बीघा, 28 बीघा, 7 बीघा 10 बिस्वा, 2 बीघा 8 बिस्वा व 5 बीघा 7 बिस्वा 31-8-82 को दे दी गई है। इसके अतिरिक्त श्री चैनसिंह व जोगसिंह को एक एक कुण्ड के मुआवजे की रकम 1800 रुपये व 1700 रुपये क्रमशः दिनांक 11-10-77 व 5-4-78 को चुका दी गई है। बाकी के मामलों में जमीन के बदले जमीन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(8)

(श्री चन्दनमल बैद)

(3) शीघ्र ही।

(4) जी हां। 30 जून तक का आश्वासन था। भूमि अवाप्ति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रकाशित करने, उनके अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने व नियमानुसार भूमि के बदले भूमि देने की कार्यवाही करने में समय लगने के कारण सारे मामले निपटाये नहीं जा सके है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन करना यह है..

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: यह आपने गले में क्या बांध रखा है?

श्री देवीसिंह भाटी :....कि इस सदन के अन्दर पिछले बजट सैशन में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि 30 जून तक सब मामलों को निपटा दिया जाएगा और भूमि के बदले भूमि दे दी जाएगी। एक वर्ष हो गया परन्तु अभी तक किसानों को न तो भूमि के बदले भूमि दी गई है और न उनको मुआवजा ही दिया गया है। यह तो मैंने कुछ व्यक्ति की लिस्ट दी है, ऐसे सैकड़ों केसेज हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीन अवाप्त कर ली लेकिन उसके बदले में न तो भूमि दी है और न ही मुआवजा। मैं फिर मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि अब आप इनको किस तारीख तक मुआवजा या भूमि दे देंगे?

श्री चन्दनमल बैद: मैं निवेदन कर चुका हूं, यह बात सही है कि उनको जितनी भूमि देनी चाहिये थी उतनी नहीं दे सके। यह भी सही है कि जो आश्वासन दिया था कि 30 जून तक पूरा कर देंगे वह नहीं कर सके। इसका मुझे दुःख है। परन्तु इसमें कई दिक्कतें हैं। उसके बावजूद बराबर कोशिश कर रहे हैं कि यह मामले जितने जल्दी निपटाये जा सकें, निपटाये जावें।

श्री देवीसिंह भाटी: माननीय अध्यक्ष महोदय, गत बजट सैशन में मंत्री महोदय, ने यह आश्वासन दिया था कि 30 जून तक निपटा देंगे। इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया था कि जो भी भूमि नहरों के लिए या भट्टों के लिये अवाप्त की जायेगी उस भूमि का मुआवजा या भूमि के बदले भूमि देने के बाद ही वह भूमि अवाप्त की जायेगी। क्या यह आश्वासन नहीं दिया गया था?

श्री चन्दनमल बैद: मैंने यह निवेदन किया, यह आश्वासन दिया गया था कि 26 जून तक सारे मामले निबटा दिये जायेंगे। बाकी बातें जो आप कह रहे हैं मेरे ध्यान में नहीं हैं।

श्री देवीसिंह भाटी: मैंने सप्लीमेंट्री किया था, प्रश्न के भाग (4) में मैंने पूछा है, 26 जून, 1982 तक सारे मामले निबटा देने का क्या आश्वासन दिया गया था जान बूझ कर इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। हाउस में आश्वासन दिया था कि जो भूमि अवाप्त की जायगी उसके पूर्व काश्तकारों को भूमि या मुआवजा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय कह रहे हैं कि आश्वासन दिया था वह कार्यवाही करेंगे। हमको मान कर चलना चाहिये उनके साथ न्याय होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कहा था कि आइन्दा भूमि अवाप्त करेंगे उसके पहले काश्तकारों को भूमि या मुआवजा देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कई बार कठिनाई हो जाती है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है तो विश्वास करके चलना चाहिये, ठीक होगा, न्याय होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : एक मंत्री तो इतने सालों में कर नहीं सके।

श्री अध्यक्ष : उसके कारण थोड़ी देर हो गई।

अगला प्रश्न।

बिडला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त रॉयल्टी

399. **श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) व श्री रंगजी मीणा (सपोटरा)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़ द्वारा सन् 1964 से सन् 1977 तक 1-4-1977 से 31-3-1978 तक उनके द्वारा खनन् किये गये खनिज सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन पर रॉयल्टी चुकाने का आधार उनके द्वारा खनन् ढोने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले डम्पर्स को माना गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उनके द्वारा मेक कम्पनी के डम्पर प्रयोग में लाना बताया जाता रहा जिनकी कैपेसिटी 10 टन की बताई गई और उसी के अनुसार उन्होंने रॉयल्टी चुकाई?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा इस मेक के डम्पर्स की कैपेसिटी 15 टन की होने के बारे में शंका होने पर वर्क्स से इन डम्पर्स का उत्पादन करने वाली फर्म का लिटरेचर मांगा गया था? यदि हां, तो क्या वह लिटरेचर विभाग को प्राप्त हो गया? कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) 1-4-1977 से 31-3-1978 तक इन डम्पर्स के कितने-कितने ट्रिप किस-किस माह में किये गये और उन पर कितनी रॉयल्टी प्रति माह चुकाई गई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है कि उनके द्वारा मेक कम्पनी के डम्पर प्रयोग में लाना बताया गया लेकिन उनकी कैपेसिटी 10 टन नहीं बता कर उन्होंने यह बताया कि वे डम्पर में औसतन 10 टन खनिज ही ले जाते हैं और उसी के अनुसार रॉयल्टी चुकाई।

(3) जी हां, लिटरेचर मांगा गया था पर उपलब्ध न होने पर प्रति ट्रिप 12 टन के हिसाब से रॉयल्टी लगाने के आदेश दिये। पार्टी ने भारत सरकार में अपील कर इन आदेशों को निरस्त करवा दिया। भारत सरकार के आदेशानुसार जांच जारी है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :–

बिड़ला सीमेंट वर्क्स द्वारा खनन् के निष्क्रमण की मात्रा क्या है? कितनी मात्रा

(श्री राम किशोर मीणा)

जारी की जाती है ? इस बारे में विभाग ने क्या क्या मापदण्ड निर्धारित किये जिसके हिसाब से पता लग सके कि इतनी मात्रा में खनन् किया जाता है ? क्या विभाग को शंका हुई ? क्या विभाग ने डम्पर्स का लिटरेचर मांगा था तथा पार्टी ने यह कहा कि कम्पनी जो डम्पर्स बनाती है, उसका इस तरह का कोई लिटरेचर नहीं होता है ? आपने उन डम्पर्स की कैपेसिटी 12 टन औसतन मानी है। क्या इस तरह के केसेज पकड़े गये हैं जिनके आधार पर 12 टन कैपेसिटी तय की गई ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं, मैंने खुद उत्तर में कहा है, ऐसा कहीं नहीं माना है। उन्होंने यह माना था, दस टन औसतन ले जाते हैं। उसके आधार पर हमारे विभाग ने पूछा था और खनन् में 12 टन के हिसाब से रॉयल्टी लगाई थी। इस पर पार्टी भारत सरकार के पास गयी, उसने अपील की। भारत सरकार ने इस बात में कोई वजन पाया होगा इसलिए भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब इस पर जांच चल रही है। जो सीमेंट पैदा की है, जो सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ है और जितना उन्होंने खनिज निकाला है, इन दोनों का तालमेल निकाला जाता है। यदि 16 टन लाइम स्टोन ले गये तो 10 टन सीमेंट बैठनी चाहिए। उसके आधार पर जांच चालू है। यदि जांच में यह सही पाया गया तो रॉयल्टी नियमानुसार वसूल कर ली जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। कम्पनी मेक डम्पर्स की कैपेसिटी 15 टन से कम की नहीं है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, क्या विभाग ने मेक कम्पनी से सीधी यह जानकारी की या नहीं कि आपके डम्पर्स, जो बिड़ला वर्क्स को सप्लाई किये हैं, की कैपेसिटी क्या है ? एक बात। दूसरा, यह जो पार्टी का कहना है कि हम 10 टन औसतन ले जाते हैं जब कि वह डम्पर्स इस तरह के हैं कि करीब 15 टन ले जा सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 15 टन के आधार पर अगर यह मान लिया जाय कि इतनी कैपेसिटी होती है तो जो सूची दी है उसके आधार पर एक साल में 7,38 412 रुपये कम मिले हैं विभाग को। इसी आधार पर पिछले सालों का देखा जाय तो उसमें 31,97,946 रुपये कम मिले हैं विभाग को। क्या इसकी जांच की है ?

केन्द्रीय सरकार के पास मामला गया जब पार्टी ने अपील की तो राजस्थान की सरकार ने अपना क्या पक्ष प्रस्तुत किया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा है कि 15 टन की उसकी कैपेसिटी होती है। मेक कम्पनी से हमने नहीं पूछा कि उसकी कितनी कैपेसिटी होती है। डम्पर्स अलग-अलग तरीके के बनते हैं, उनकी कैपेसिटी इस प्रकार अलग होती है। पार्टी ने बताया कि एवरेज लाइम स्टोन 10 टन ले जाते हैं जब कि विभाग ने 12 टन का लगाया। मैं कह चुका हूं, बिड़ला सीमेंट वर्क्स जो सीमेंट बनाती है उसका वहां रिकार्ड है। जो रिकार्ड है वह प्रति वर्ष का, प्रतिदिन का है। जो भी उसका हिसाब है,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जितनी सीमेंट बनी और जितना खनिज निकाला है, उन दोनों में तालमेल होने की बात होती है। यदि खनन् करके 16 टन लाइम स्टोन ले गये, तो उसकी 10 टन सीमेंट निकलेगी। उसके हिसाब से अगर ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ है तो अपने आप जानकारी हो जायेगी कि ज्यादा खनन् किया है और जो रॉयल्टी होगी वह नियमानुसार वसूल की जायगी। इसलिये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि किसी प्रकार की बात हो। अगर कोई ट्रक है उसके टायर खराब हैं तो कम खनिज ले जाते हैं, अगर अच्छे हैं तो ज्यादा ले जाते हैं। अब कोई कहे, 15 टन, 14 टन, 12 टन, 13 टन ले जाते हैं, तो उसका कोई मापदण्ड नहीं हो सकता है। यह बात तो इसी से जानी जा सकती है कि सीमेंट का कितना प्रोडक्शन हुआ और लाइम स्टोन कितना गया। अगर उसमें तालमेल नहीं बैठता है तो उसके हिसाब से रॉयल्टी ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : उत्तर विस्तृत हो गया।

श्री कैलाश मेघवाल : इतनी गंभीर बात कही है। खनन् किया जाता है उसके आधार पर रॉयल्टी नहीं लेकर के···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने कह दिया···

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार को, माननीय अध्यक्ष महोदय, लाखों का घाटा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह जो आप फर्मा रहे हैं...

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप 1978 में खुद थे, यह बात करनी होती, शर्म होती, तो 1978 में करवायी जानी थी। उस वक्त की नहीं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : उसकी कैपेसिटी क्या है? क्या निर्देश दिये हैं?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बैठ जायं। ऐसा है, माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने कह दिया कि भारत सरकार ने यदि दस टन की बात मान ली तो सीमेंट का उत्पादन कितना होता है और उसमें कितना रॉ मेटीरियल लगेगा, वह बात उन्होंने कह दी, उसकी जांच हो रही है। मैं समझता हूं अब कोई विवाद का विषय नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : केन्द्रीय सरकार के सामने राजस्थान सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा?

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री कैलाश मेघवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया समय न लें। माननीय सदस्य, प्रश्न का उत्तर आ गया।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न। श्री फतेसिंह !

कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) में महाविद्यालय खोलना

400. श्री फतेसिंह (कुशलगढ) : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के आदिवासी बहुल क्षेत्र कुलशगढ़ में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री सुरेन्द्र व्यास) : जी नहीं। राज्य सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में कहीं पर भी नया राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं रखा है।

श्री फतेसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, क्या महाविद्यालय खोलने के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? दूसरे, क्या श्री गोविन्द आमलिया जब कुशलगढ़ राजकीय प्रोग्राम में दौरे पर गये थे उस समय उन्होने वहां की जनता को आश्वासन दिया था कि कुशलगढ़ में महाविद्यालय खोला जायेगा ? क्या यह भी सही है कि कुशलगढ़ की जनता ने उस आश्वासन के आधार पर वहां महाविद्यालय का भवन बनाया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : छठी पंचवर्षीय योजना में महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या जन जातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत ट्राइबल इलाके में महाविद्यालय खोलना चाहते हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, श्री गोविन्द आमलिया, उप मंत्री जब वहां दौरे पर गये तो उन्होंने ग्राम सभा में घोषणा की थी कि महाविद्यालय खोला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कब खोला जायेगा, यह कहा था क्या ? खोला जायेगा, यह कहा है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया में आदिवासियों को शिक्षित करने की दृष्टि से क्या राज्य सरकार ट्राइबल सब-प्लान में आज नहीं तो आगे आने वाले समय में प्रायोरिटी के आधार पर कॉलेज खोलना चाहती है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे आने वाले समय में राज्य सरकार क्या निर्णय ले, यह आज कैसे निवेदन कर सकता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : विद्यालय खोलने के लिये भी नहीं कह सकते . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जाइये। उत्तर आ गया। अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ : लाखों करोड़ों रुपये ट्राइबल सब-प्लान में होते हुए भी शिक्षा के लिये नहीं कह सकते, डूब मरना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री बहादुर सिंह !

श्री बहादुर सिंह : आदिवासी क्षेत्र में कुशलगढ़ सलूम्बर की बात हुई है इस संबंध में जन जातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत कॉलेज खोलने का प्रावधान है या नहीं ? और है तो कब तक खोला जायेगा ? जब इसमें भारत सरकार राजस्थान सरकार को पैसा दे रही है तो आपको क्या दिक्कत है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जन जाति कल्याण विभाग से संबंधित है । शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री चुन्नी लाल !

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मुंह में अंगूठा रखकर भाषण दे आते हैं. . .

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । 401.

सवाई माधोपुर-बून्दी वाया इन्द्रगढ़ बस सेवा

401. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर बून्दी वाया इन्द्रगढ़ के लिये राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसों की स्वीकृति इस समय है ? इनमें से कितनी बसें रोजाना आती जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर, बूंदी वाया इन्द्रगढ़ रूट की बसें केवल बूंदी, इन्द्रगढ़ के बीच ही चल रही हैं ? यदि हां, को सवाई माधोपुर तक क्यों नहीं जा रही है ?

(3) क्या सरकार अब इस रूट पर चलने वाली बसों को सवाई माधोपुर, बूंदी वाया इन्द्रगढ़ नियमित रूप से चलाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) सवाई माधोपुर–बूंदी वाया इन्द्रगढ़ मार्ग पर परिवहन निगम की 2 अप व 2 डाउन बसें स्वीकृत हैं और ये बसें ही नियमित आती जाती हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) इस मार्ग पर वाहन नियमित रूप से चल रहे हैं ।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्द्रगढ़ 25–30 हजार की आबादी का महत्वपूर्ण कस्बा है । बसें वहां तक न जाकर वापस रिटर्न हो जाती हैं । क्या इतने बड़े रूट पर दो बसें ही पर्याप्त हैं ? क्या सरकार और बसें बढ़ाने का विचार रखती है ? क्या आप रोडवेज कर्मचारियों को बाध्य करेंगे कि शहर तक बसें ले जावें ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : सवाई माधोपुर से इन्द्रगढ़ मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है । अगर यह मार्ग राष्ट्रीयकरण में आया तो इसके ऊपर बसें चलाने की व्यवस्था करने की अपने नियमों से कोशिश करेंगे ।

श्री चुन्नीलाल : इस मार्ग पर कोई प्राइवेट बस भी नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आश्वासन दिया है । वहां तक चलाने की व्यवस्था के लिए मैंने आपको आश्वासन दिया है ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, वहां प्राइवेट बसें भी नहीं

(14)

(श्री हीरालाल आर्य)

चलती है। केवल दो बसें चलाई जा रही हैं जो बहुत कम हैं। इसको देखते हुए क्या बसों की संख्या बढ़ाने का आदेश देंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अगर वहां पैसेन्जर्स की संख्या ज्यादा है तो बसों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामनारायण डूडी।

पीपाड़ कस्बे के मिट्टी के तेल के डीलर

402. श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जिले में पीपाड़ शहर के केरोसीन डीलर्स को कितना-कितना मिट्टी का तेल मार्च, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक दिया गया ? कृपया पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पीपाड़ सिटी के किस केरोसीन डीलर का लाइसेंस निलम्बित किया और उन्हें किस आधार पर पुनः स्थापित किया गया ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जिन जिन केरोसीन डीलर्स के लाइसेन्स निलम्बित किये गये तथा उन्हें किस आधार पर पुनः स्थापित किया गया, का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह सूची तो रखी है, लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि पीपाड़ सिटी का निर्धारित कोटा कुल कितना केरोसीन का है, और उसके अगेंस्ट मन्थली कितना मिला ? अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में कितना डीजल मिला और जून, जुलाई में कितना मिला ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा प्रश्न है। मूल प्रश्न के अनुसार तीन आदमियों को सस्पेन्ड किया गया उसका जवाब दे दिया गया है। और जो सूची मांगी है वह भी मैंने दे दी है।

श्री रामनारायण डूडी : सवाल यह है कि सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के अन्दर इन लोगों ने डी. सी. ओ. से मिल कर जोधपुर में केरोसीन सस्ते भाव पर लेकर उसे डीजल में मिला कर दुगुने रेट में बेचा है। केरोसीन डीजल में मिलाया गया है। इसलिये जून, जुलाई, अगस्त के बाद में ज्यादा मिला है। लाखों लीटर केरोसीन वहां लाकर, डी. सी. ओ. और दुकानदारों की मिली भगत से बेचा गया। इस मिलावट से लोगों के इन्जन खराब हुए। इसकी शिकायत मंत्री महोदय को की गयी। जांच होने के बाद शिकायत सही पाये जाने पर भी कुछ नहीं हुआ है। गांवों में त्राहि-त्राहि मच रही है। केरोसीन नहीं मिल रहा है।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : यह सब जगह हो रहा है।

श्री घासीराम यादव : आपने डीजल में केरोसीन की मिलावट का प्रश्न नहीं पूछा,

(श्री घासीराम यादव)

है। आपने तो यह प्रश्न किया है कि क्यों निलम्बित किये गये और क्यों बहाल किये गये। आप जो कह रहे हैं, उसकी सूचना, जानकारी लिख कर भेजें, मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री सूरजपाल सिंह : अमूमन केरोसीन की शार्टेज इसलिए है कि होलसेल डीलर्स डीजल में केरोसीन मिलाकर बेचते हैं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : ट्रैक्टर चलने का सीजन शुरू होता है उस वक्त यह मिलावट होती है। इससे काश्तकारों का भारी नुकसान होता है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कम्पलेन्ट बड़े पैमाने पर हैं। डीजल में केरोसीन मिलाकर बेचने से लोगों के ट्रैक्टर खराब होते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नहीं पूछा गया है।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, हमारे कहने का मतलब यह है कि डी.सी.ओ. से मिलकर यह हो रहा है। 50 हजार लीटर, डेढ़ लाख लीटर केरोसीन सीजन में लेकर डीजल में मिलाकर बेचा जाता है। इसलिए वहां के ट्रैक्टरों को नुकसान हुआ है, यह प्रूफ हो चुका है। डी.सी.ओ. जांच के लिए आया भी परन्तु वह इनसे पैसा लेकर वापस चला गया और कोई केस नहीं बनाया। यह मन्त्री महोदय को भी मालूम है। इन्होंने विश्वास दिलाया था कि जांच करेंगे, लेकिन तीन चार महीने के बाद इसकी जांच की गयी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ जांच की गयी है और मिलावट प्रूव हो गई है उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है? अब मन्त्री महोदय यह दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं? अब केरोसिन का वितरण मार्केटिंग सोसायटी को दे दिया है और जब सीजन आयेगा तो वापस इन प्राइवेट डीलर्स को दे देंगे।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न है। माननीय सदस्य ने एक दरख्वास्त दी थी। उसकी जांच करायी गयी है। माननीय सदस्य ने यहां यह आरोप लगाया कि हमारे अधिकारियों ने पैसा खाकर इन्क्वारी को खतम कर दिया, मुझे मालूम है, यह गलत है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : यह अमूमन बात है। आप ऐसे व्यक्तियों को बचाइये मत।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आॅर्डर प्लीज। यह जो मिलावट की शिकायत है, ऐसी शिकायत कई बार आती रहती है। इस प्रश्न को आप अन्य किसी तराके से उठावें तो अवसर दे सकता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायें आपको काफी मौका मिलेगा। आपको भी सदन में काफी मौका मिलता है। यदि आप रचनात्मक सुझाव से लाभान्वित करें तो शायद अच्छा परिणाम निकल आयेगा। इस प्रश्न की परिधि में यह पूरक प्रश्न नहीं आता है।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें।

अगला प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी। प्रश्न संख्या 403

(व्यवधान)

अन्य किसी अवसर पर इस विषय को उठावें। मैंने निवेदन किया, यह शिकायत आती है। इसको अन्य किसी तरीके से उठावें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! अंकित न हो !

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री रामसिंह विश्नोई : इस प्रश्न से कौन सी रिलीफ मिल गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न पूछने का ढंग है। यदि मिलावट का मामला लाते तो उसका जवाब भी आता। प्रश्न को किस परिप्रेक्ष में करना है, यह माननीय सदस्यों के ऊपर है। यहां उत्तर उसी का दिलाया जा सकता है जो आपने प्रश्न पूछा है। इस प्रकार की शिकायत काफी आती हैं। दूसरे लोगों की भी आती हैं कि मिलावट के कारण डीजल से चलने वाले इन्जिन खराब हो जाते हैं, यह सब होता है। इसको अन्य किसी तरीके से उठावें। यह मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

आप इस प्रश्न को इसी तरह से प्रारूपित करते तो उस पर भी विचार हो सकता था।

श्री जाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न। श्री हेमाराम चौधरी !

बाड़मेर में सत्र न्यायालय का मुख्यालय रखना

403. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर एवं बालोतरा उपखण्ड के पुलिस स्टेशनों के कितने-कितने मुकदमे सत्र न्यायालय, बालोतरा में विचाराधीन हैं ?

(2) बाड़मेर एवं बालोतरा उपखण्ड के कितने दीवानी एवं अन्य प्रकार के दावे सत्र न्यायालय बालोतरा में विचाराधीन हैं ? कृपया पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

विधि मंत्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी): (1) बाड़मेर उप खण्ड के पुलिस स्टेशनों के विभिन्न प्रकार के फौजदारी मुकदमों की कुल संख्या 213 तथा बालोतरा उप-खण्ड के पुलिस स्टेशनों के विभिन्न प्रकार के फौजदारी मुकदमों की कुल संख्या 182 है जो सत्र न्यायालय, बालोतरा में विचाराधीन हैं।

(2) सत्र न्यायालय बालोतरा में दीवानी एवं अन्य प्रकार के मुकदमे, जो बाड़मेर एवं बालोतरा उपखण्ड के हैं, की संख्या इस प्रकार हैं :-

बाड़मेर उपखण्ड दीवानी, 149, अन्य प्रकार के 43, बालोतरा उपखण्ड दीवानी 80 और अन्य प्रकार के 33।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

(3) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी अपेक्षित है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो मुकदमों की संख्या बतायी है उसके अनुसार बाड़मेर उपखण्ड के मुकदमों की संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में क्या आप स्वयं यह उचित समझते हैं कि जहां मुकदमों की संख्या अधिक है वहां पर मुख्यालय हो और मुकदमों की कम संख्या है वहां पर कैम्प रखे कर अगर उनका फैसला किया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को लाभ मिलेगा और जल्दी मुकदमे निपट सकते हैं।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : राज्य सरकार यह जानती है कि बालोतरा में सैशन जजी उस समय खोली गयी थी जब जालौर में सैशन जजी नहीं थी। बालोतरा जालौर और बाड़मेर के बीच में पड़ता है इसलिये वहां पर सैशन जजी रखी गयी। अब चूंकि जालौर में सैशन जजी कायम हो चुकी है इसलिए राज्य सरकार विचार कर रही है कि सैशन जजी बाड़मेर हैड क्वार्टर पर खोली जाये और कैम्प बालोतरा हो या वहां पर ए. डी. जे. का कोर्ट खोल दें। जब तक राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं कर लेती उस वक्त तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आप 1982 के दिसम्बर के महीने में जब बालोतरा पधारे थे और बालोतरा में जब यह विवाद खड़ा हुआ था तो आपने यह कहा था कि आप बाड़मेर का कैम्प सात दिन के बजाय 10 दिन कर देंगे लेकिन इस कोर्ट को कहीं ले जाने का विचार नहीं है। ऐसा कोई विचार नहीं है कि इसको बाड़मेर ले जाया जायेगा। सैशन कोर्ट बालोतरा में 40 साल से है और गुढ़ामालानी के हिसाब से आज भी बालोतरा नजदीक है।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद मंत्री महोदय, बाड़मेर जाकर कोई और बात कह आये होंगे।

श्री अमराराम चौधरी : उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जब आये थे उस समय भी यह बात चली थी कि वहां पर सैशन कोर्ट 20 दिन ही रहता है और बाकी के 10 या 7 दिन बाड़मेर में जाता है। तो यह बात हुई थी कि यह हैड क्वार्टर यहीं पर रहेगा बाड़मेर में नहीं जायेगा। यह उनकी भी घोषणा थी कि यहां पर यह इतने सालों से है इसलिए यह यहां पर ही रहेगा। जब इसको वहां से हटाने की बात चल रही थी तब हमने यह कहा था तो मंत्री महोदय ने कहा कि बाड़मेर में कैम्प 10 दिन का हो सकता है लेकिन हैड क्वार्टर बालोतरा में ही रहेगा। इन मंत्रीजी और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट दोनों ने यह घोषणा की थी कि हैड क्वार्टर बालोतरा में रहेगा, 40 साल से जो कोर्ट वहां पर है उसको कहीं और ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर पाकिस्तान की सीमा के नजदीक है। सीमा के इतना नजदीक है कि वहां पर हर समय लड़ाई की सम्भावना है तो ऐसी जगह पर ऐसे महत्वपूर्ण कोर्ट को ले जाना ठीक नहीं

(श्री ग्रमराराम चौधरी)
रहेगा। इस ग्राधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की बैंच बीकानेर रखी जाय या जैसलमेर में रखी जाय। इसलिये कोर्ट बालोतरा में ही रखी जाय। वहां की जनता इसको कहीं ग्रौर ले जाना बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री ग्रमीन खां।

श्री ग्रमीन खां (शिव) : ग्रध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को पता है कि बाड़मेर जिले की 70 प्रतिशत ग्राबादी बाड़मेर उपखण्ड में रहती है, सब-डिविजन हैड क्वार्टर बाड़मेर में है, जिलाधीश का हैड क्वार्टर बाड़मेर में है तो क्या एक सैशन जज की ही सुरक्षा नहीं हो सकेगी ग्रौर बाकी सब बच जायेंगे ? ग्रध्यक्ष महोदय, अगर बाड़मेर पर खतरा ग्राया तो बालोतरा भी बच नहीं सकता है। ग्रध्यक्ष महोदय, 28 हजार वर्ग किलोमीटर कुल बाड़मेर जिले का क्षेत्र है जिसमें से 20 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया बाड़मेर सब-डिविजन में है। यह भी ग्राप जानते हैं कि सैशन कोर्ट के ज्यादा मुकदमे बाड़मेर के ही हैं। सीमा के नजदीक होने के कारण वहां पर एक्साइज के केस ज्यादा होते हैं, पासपोर्ट एक्ट के केस ज्यादा होते हैं, कस्टम एक्ट के केस ज्यादा होते हैं। इसलिये सीमा का कोई सवाल नहीं है बल्कि बाड़मेर जिला हैड क्वार्टर है इसलिये सैशन कोर्ट वहीं पर ही होना चाहिए। पुलिस वालों की सहूलियत के लिये ग्रौर ग्राम जनता के फायदे के लिये, ग्राराम के लिये बाड़मेर जिला हैड क्वार्टर पर ही सैशन कोर्ट होना चाहिए।

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 1982 के ग्रन्त में मैं बालोतरा गया था। वहां पर वकीलों का एक शिष्ट मंडल मुझ से मिला था। उन्हीं के सामने यह दलील पेश की गई थी जो कि ग्रभी पेश की है कि बाड़मेर इतना बड़ा उप खण्ड है, भाखासर तक के लोगों को बालोतरा ग्राने में तकलीफ होती है, ग्रसुविधा होती है। चूंकि बाड़मेर में हमारे पास कोर्ट का कोई ऐसा भवन बना हुग्रा नहीं है जहां पर कि सैशन जजी को कायम किया जा सके इसलिये जब तक कि ग्रावास समस्या का हल नहीं हो उस वक्त तक के लिये यह तजवीज पेश की गयी थी कि वहां पर कैम्प खोल दिया जाय 10 दिन या 15 दिन के लिये। यह मैंने कहा था। यह हमेशा के लिये बालोतरा में रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका ग्रौचित्य यह है ग्रौर राज्य सरकार की पालिसी यह है कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर हो वहीं पर सैशन जज का कोर्ट होना चाहिए। ग्रब केवल तीन जगह पर ही ऐसा नहीं है–बालोतरा, नागौर ग्रौर चित्तौड़गढ़ में। तीनों के लिये ही राज्य सरकार ने यह तय किया है कि उच्च न्यायालय से परामर्श करके निर्णय लिया जायेगा।

श्री ग्रमराराम चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, जब यह विवाद खड़ा हुग्रा था उस समय हमने कहा था कि बालोतरा वालों को बाड़मेर वालों के लिये कैम्प खोलने पर एतराज नहीं है। मंत्रीजी ने कहा था कि कोर्ट यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जायेगा। तब बालोतरा वालों ने यह बात रखी थी कि वहां पर कैम्प रख दें तो हमको एतराज नहीं है। हमारे यहां पर ए.डी.एम. कोर्ट नहीं है। हम यह तो नहीं कहते कि हमारे यहां पर यह कोर्ट होना चाहिए, यह भी नहीं कहते हैं कि उच्च न्यायालय की बैंच

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

बीकानेर में होनी चाहिए। यह सवाल बालोतरा के जीवन-मरण का सवाल है। हमारे वकीलों ने कैम्प रखने की बात मान ली थी। उसके बाद भी कोर्ट वहां जाता है तो यह नहीं होना चाहिए, कोर्ट बालोतरा में ही रहना चाहिए। अगर आप कैम्प रखते हैं 10 दिन का; तो हमको निश्चित तौर पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम इस प्रकार आपको कोर्ट नहीं ले जाने देंगे••

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : भरतपुर में भी हाई-कोर्ट की बेंच भेज दें।

श्री अहमद बक्श सिंधी : राज्य सरकार वकीलों की सुविधा-असुविधा के ऊपर अपना ध्यान नहीं रखती है, न रखेगी। राज्य सरकार सिर्फ जनता की तकलीफों का ध्यान रखेगी। लोगों का आने-जाने में कम खर्चा हो और लोगों को सस्ता न्याय मिले, यह आवश्यक है; इसी पर विचार करेंगे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने सुना है कि आप हाई कोर्ट की बेंच पाली में ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 404।

हरिजनों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण की योजना

404. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हरिजनों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण के लिये विशेष रूप से बनाई गई समन्वित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में कितना प्रावधान था और अब तक कितनी राशि व्यय की गई ? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों वर्षों में हरिजनों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिये किन-किन कार्यों पर राशि खर्च की गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" में दे दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय मंत्री जी, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री दुलाराम : (2) सूचना परिशिष्ट (क) में दे दी गई है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं•••

श्री दुलाराम : अब मुझको सुनाई नहीं आ रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : अब आपके कानों में तेल डालना पड़ेगा सरसों का।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, हरिजन की परिभाषा क्या है ?

श्री दुलाराम : उसके लिये तो मैं खुद खड़ा हूं, परिभाषा की क्या जरूरत है।

(20)

श्री नन्दलाल मीणा : आप सबको हरिजन मानते हैं तो फिर सफाई करने वाला हरिजन क्या है ? हरिजन कौन है ? ×××

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ×××

श्री दुलाराम : हरिजन दो ही हैं, एक तो आप हैं, एक मैं हूं । एस. टी. के आप हैं और एस.सी. का मैं हूं ।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री नन्दलाल मीणा : दूसरा सवाल यह है कि उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिये समन्वित विकास योजना बनायी गयी है उसके लिए भारत सरकार से 1981-82 और 1982-83 में कितना रुपया प्राप्त हुआ है और उसमें से कितना खर्च किया गया ?

जो सूची दी गई है उसके अनुसार 1982-83 के लिये जितना पैसा आवंटित किया गया था उसमें से दिसम्बर, 1982 तक केवल 50 प्रतिशत ही खर्च हुआ है बाकी पचास प्रतिशत पैसा किस आधार पर खर्च किया जायेगा ?

क्या यह सही है कि छठी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा के दौरान भारत सरकार ने माना है कि हरिजनों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए जो राशि भारत सरकार द्वारा दी जा रही है उसमें से अभी तक यही खर्च हो पाया है ? इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति उसमें क्या है ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय 1980-81 में 97 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ । सन् 1982-83 में दिसम्बर तक 56 प्रतिशत खर्च हुआ । तीन महीने और बाकी पड़े हैं । 31 मार्च को पता लगेगा कि कुल कितना पैसा खर्च हुआ है । आप कह रहे हैं, 50 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, यह बिल्कुल गलत है । दिसम्बर तक 56 प्रतिशत खर्च हुआ है ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कुल आवंटन 927.10 लाख का है, जिसमें 475.70 लाख खर्च हुआ । आपने बताया है 51 प्रतिशत, यह 51 प्रतिशत नहीं बनता । गणित सीख कर आओ दूसरी जगह ।

श्री दुलाराम : कौनसी बात कर रहे हैं?

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : गणित का ज्ञान आपको नहीं है, यह कह रहे हैं ।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन है कि कम्पोनेन्ट प्लान में अलग-अलग पैसा अलग-अलग मदों में जाता है ।

श्री नन्दलाल मीणा : भारत सरकार से जो पैसा मिला···

श्री दुलाराम : मेरी बात सुन लीजिये, डिपार्टमेंट अपना-अपना पैसा खर्च करते हैं । जब 1978 में यह कम्पोनेण्ट प्लान लागू हुआ उसमें, जनता पार्टी के शासन में सबसे बड़ी

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री दुलाराम)

कमजोरी यह रही, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने डिपार्टमेण्ट्स को यह हिदायत नहीं दी कि प्लान का एस.टी. के कौन कौन से व्यक्तियों को फायदा दे रहे हैं, यह सारे डिपार्टमेंट्स आपको सूचना दें। अब मैंने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि कोई भी डिपार्टमेंट, जिसको कम्पोनेन्ट प्लान का पैसा मिलेगा, हमारे डिपार्टमेंट को सूचना भेजेगा कि एग्रीकल्चर में कुल कितने व्यक्तियों को, कौन-कौन से व्यक्तियों को फायदा मिला, है, इण्डस्ट्री में कौन-कौन से व्यक्तियों को फायदा मिला, एक जिले में कितने व्यक्तियों को फायदा दिया। यह मैं घोषणा कर रहा हूं। आपने व्यवस्था नहीं की, उसका दण्ड मुझे नहीं मिलेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत जागरूक हैं। आप तो यह बताइये कि 1982-83 में भारत सरकार से कितना रुपया आपको मिला, उसमें से कितना खर्च हुआ?

श्री दुलाराम : भारत सरकार का एक भी पैसा बचने नहीं देंगे, सब खर्च कर देंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है। आज भी यह साबित कर सकता हूं कि भारत सरकार को स्कीम बनाकर प्रस्तुत नहीं की। उसका परिणाम यह हुआ कि जो पैसा भारत सरकार ने कृपा करके राजस्थान सरकार को दिया था, वह भी खर्च नहीं हुआ। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हरिजनों के सामाजिक उत्थान की, आर्थिक उत्थान की लेकिन आपने कुछ नहीं किया। जो बसें दी गयी थीं, उनकी क्या हालत हो रही है? वह बाहर घरने पर बैठे हैं। सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता निवारण के बारे में मैं, मंत्री महोदय, जानना चाहता हूं कि कितना आवंटन किया था और कितना खर्च किया? उसके लिए क्या क्या स्कीम्स बनायीं? आज हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है जब कि असमानताओं को हम दूर करना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए। उसके पश्चात् समाप्त होगा प्रश्नकाल।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रों को प्रवेश देने में 5 स्थान मेहतर जाति के लिए रिजर्व रखे हैं, क्या यह सही है?

श्री दुलाराम : यह तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की समस्या के आधार पर भारत सरकार ने यह कहा कि...

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आने दीजिये। तत्पश्चात् प्रश्न-काल समाप्त हो जायेगा।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

(22)

(श्री अध्यक्ष)
मैंने आपको अवसर दे दिया, आपने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। कृपया समय की बचत करें। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

पहले प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर··

श्री दुलाराम: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बसें ऑपरेट करने वाले एस.टी., एस.सी. की हालत की बात है, इसका मुझे पता नहीं कि वह हड़ताल पर बैठे हैं। यह तो मानिये, जनता पार्टी के शासन ने पैसा भी नहीं दिया। कांग्रेस शासन ने एस.टी., एस. सी. को बसें खरीदने के लिए पैसा तो दिया है।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : जनता राज की दलील आप कब तक देते रहेंगे ?

(व्यवधान)

जनता को गुमराह कब तक करेंगे ?

श्री नन्दलाल मीणा : भारत सरकार के सामने योजना प्रस्तुत नहीं की। भारत सरकार ने पैसा दिया, फिर भी हरिजनों की उन्नति नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। कृपया। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब किसी पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, समय अधिक हो गया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : पैसा हरिजनों के लिए खर्च नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : हरिजनों के साथ छुआछूत हो रहा है। वे गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है··

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है··

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें।

श्री हीरालाल आर्य : हरिजनों पर पैसा खर्च नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : नाम हरिजनों का लेते हैं···

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। भाषण नहीं होगा। कोई लाभ नहीं इससे। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री हीरालाल आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा। माननीय सदस्य, अनधिकृत भाषण नहीं होंगे।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : भारत सरकार ने जितना पैसा दिया है, वह सारा लैप्स हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस सरकार हरिजन विरोधी सरकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान नहर में भू-आवंटन

448. श्री कनकराज मेहता (सांचौर):

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या भूतपूर्व सैनिकों व सीमा सुरक्षा दल के भू. पू. कर्मचारियों को राजस्थान नहर में कमाण्ड भूमि आवंटन करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो उनको किस प्रक्रिया से किस क्षेत्र में कितनी भूमि कब तक आवंटन की जाएगी ? कृपया विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भू. पू. सैनिकों व सीमा सुरक्षा दल के भूतपूर्व कर्मचारियों के कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं तथा राज्य सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने रक्षा सेवा से निवृत तथा रक्षा सेवा के विकलांग कर्मियों एवं संघर्ष में मारे गये रक्षा कर्मियों के आश्रितों, जो राजस्थान के निवासी हों, के लिये राजस्थान नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण के उपनिवेशन क्षेत्र में 50,000 बीघा भूमि आरक्षित करने का राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित नियम 67 के उपनियम (3) के खण्ड का एवं छ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रावधान किया है। इस प्रक्रिया के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन-पत्र आमंत्रित कर आवंटन शीघ्र किया जावेगा। इस संबंध में जारी अधिसूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) भूतपूर्व सैनिकों से अभी तक प्रार्थना-पत्र ही आमंत्रित नहीं किये गये, अब विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सीमा सुरक्षा दल के भूतपूर्व कर्मचारी इस श्रेणी में आवंटन के पात्र नहीं है। (अधिसूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(२५)

तहसील कोलायत में सिंचित व असिंचित भूमि

449. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा बीकानेर जिले की तहसील कोलायत नं. 1 से 4 कुल आवंटित रकबा कितना है ?

(2) तहसील कोलायत के उपनिवेशन क्षेत्र में सिंचित व असिंचित भूमि कितनी है ? कृपया ग्रामवार सिंचित व असिंचित भूमि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त उपनिवेशन क्षेत्र में कितनी सिंचित व असिंचित राजकीय भूमि बिना आवंटन के पड़ी है ? उसका आवंटन कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 से 4 में कुल आवंटित क्षेत्रफल 43382 बीघा है जिसमें से कमाण्ड 37328 बीघा तथा अनकमाण्ड 6054 बीघा है।

(2) तहसील कोलायत के उपनिवेशन क्षेत्र में सिंचित 172000 बीघा व असिंचित 141819 बीघा भूमि है। भू-अभिलेख ग्रामवार तैयार न होकर चकवार तैयार किये जाते हैं, इसलिए चकवार सिंचित व असिंचित भूमि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) तहसील कोलायत नं. 1 से 4 तक के क्षेत्र में अब तक चक प्लान प्राप्त होकर भू-अभिलेख तैयार हुए क्षेत्र में 154829 बीघा सिंचित व 145195 बीघा असिंचित राजकीय भूमि आवंटन से शेष है। इस भूमि के आवंटन करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम पंचायतों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भू-आवंटन

450. श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :
श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायतों को 25 बीघा सिंचित भूमि राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटन करने का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो अब ऐसा आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऐसे आवंटन करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र में ग्राम पंचायत को भू-खण्ड आवंटन का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को पुरानी आबादी में आवासीय भू-खण्ड आवंटन करने का अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अब आवंटन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(उपनिवेशन मंत्री)

(2) यह मामला अभी विचाराधीन है।

(3) ग्राम पंचायतों को उपनिवेशन क्षेत्र में पुरानी आबादी, जिसे चक आबादी घोषित नहीं किया है, को आवासीय भू-खण्ड आवंटन करने का अधिकार है, लेकिन नई आबादी, जो चक आबादी घोषित कर दी गई है, के लिए यह अधिकारी नहीं है। यह अधिकार ग्राम पंचायतों को देने का उस समय विचार सम्भव होगा जबकि संबंधित आबादी चक पर्याप्त रूप से विकसित हो जायेगा।

चम्बल परियोजना में सिंचित भूमि

451. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चम्बल की नहरों से कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है?

(2) चम्बल परियोजना में कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित होने योग्य पानी की उपलब्धता दर्शायी गयी है?

(3) क्या इन नहरों के पानी का समुचित उपयोग किया जा रहा है?

(4) अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

उत्तर

(1) चम्बल सिंचित क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई होती है।

(2) राजस्थान के चम्बल परियोजना क्षेत्र में 2.834 लाख हैक्टेयर में पानी देने की क्षमता है।

(3) जी, हां।

(4) चम्बल की नहरों में राजस्थान के भाग के अतिरिक्त पानी के उपयोग हेतु 40,000 हैक्टेयर भूमि में लिफ्ट से सिंचाई करने की योजना बनाई गई है, जो स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग में विचाराधीन है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा 6 ब्लॉकों की 16901 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिये दो पॉयलट स्कीमों की स्वीकृति दी गई है जिसमें से 4 ब्लॉकों का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है अन्य दो पर कार्य प्रगति पर है।

सिंचित एवं असिंचित भूमि का वितरण

452. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल कितनी भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध हुई?

(2) प्रथम एवं द्वितीय चरण में सिंचित और असिंचित भूमि कितनी वितरित की जायेगी? प्रथम चरण में कितनी भूमि आवंटित की गई?

(3) भूमि आवंटन के लिए कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए? द्वितीय चरण के लिये कितनी भूमि आवंटित की गई? भूमि आवंटन के अन्दर किन किन लोगों के लिए भूमि का आवंटन सुरक्षित है?

(4) अब कितनी भूमि आवंटित करनी शेष है और कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं?

(26)

(उपनिवेशन मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में 0.61 लाख एकड़ तथा द्वितीय चरण में 2.19 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध है।

(2) प्रथम चरण में 0.37 लाख एकड़ सिंचित तथा 0.24 लाख एकड़ असिंचित भूमि का तथा द्वितीय चरण में अब तक चक प्लान प्राप्त होकर भू-अभिलेख तैयार हुए। 1.01 लाख एकड़ सिंचित भूमि तथा 1.18 लाख एकड़ असिंचित भूमि एवं आगे जैसे जैसे चक प्लान प्राप्त होंगे वैसे वैसे भू-अभिलेख तैयार कर उपलब्ध भूमि का आवंटन किया जावेगा। प्रथम चरण में 7.77 लाख एकड़ सिंचित 6.09 लाख एकड़ असिंचित अर्थात् कुल 13.86 लाख एकड़ भूमि का आवंटन दिया जा चुका है।

(3) प्रथम चरण में भूमि आवंटन के लिए कुल 240362 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। द्वितीय चरण में 0.60 लाख एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है। द्वितीय चरण में कुल भूमि का 50 प्रतिशत भूमि विशेष आवंटन हेतु, 50,000 बीघा भूमि सेवा निवृत्त रक्षा कर्मियों, विभिन्न युद्धों के शहीदों के आश्रितों एवं विकलांग प्रतिरक्षा कर्मियों के लिए आरक्षित है।

प्रथम चरण में 0.61 लाख एकड़ तथा द्वितीय चरण में 2.19 लाख एकड़ भूमि आवंटन से शेष है। प्रथम चरण में 8236 प्रार्थना-पत्र निर्णय से शेष हैं और 18967 पात्र घोषित प्रार्थना-पत्र आवंटन से शेष हैं।

बारां (कोटा) में हरे वृक्षों की कटाई

453. श्री रघुवीर सिंह कोशल (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बारां, जिला कोटा में अनधिकृत रूप से हरे वृक्ष काटने के कितने मामले अब तक विचाराधीन हैं?

(2) "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान में इनमें से कितने मामलों का निस्तारण किया गया?

उत्तर

(1) तहसील बारां में अनधिकृत रूप से हरे भरे वृक्ष काटने के 17 मामले विचाराधीन हैं।

(2) इन मामलों में नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन होने से राजस्व अभियान के दौरान किसी मामले का निस्तारण नहीं किया गया है।

मिश्रोती हल्का पटवारी (झालावाड़) द्वारा राजस्व वसूली

454. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ के मिश्रोती हल्का पटवारी श्री मथुरालाल ने फर्जी रसीद बुक छपवाकर वर्ष 1981-82 में किसानों से राजस्व वसूली की? यदि हां, तो कितनी धनराशि की वसूली किन-किन किसानों से की गई? कृपया नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गई ? यदि हां, तो क्या जांच में उक्त पटवारी दोषी पाया गया ?

(3) क्या सरकार ने दोषी पटवारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, 7121,46 रु. वसूल किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। मामला प्रथम दृष्ट्या (Prima facie) सम्भाव्य पाया गया है। परगना अधिकारी झालावाड़ द्वारा जांच की जा रही है।

(3) जी हां। सम्बन्धित पटवारी को निलम्बित करने के आदेश प्रसारित कर दिये गए हैं। पटवारी हल्का का समस्त सम्बन्धित रिकोर्ड सीज कर दिया गया है। उक्त पटवारी के विरुद्ध अन्य सभी सम्बन्धित तथ्य एकत्रित कर फौजदारी कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार पचपहाड़ को कर दिये गये हैं। पटवारी द्वारा सम्भाव्य गबन शुदा राशि में से 6189.84 रुपये राजकोष में जमा करवा दिये गए हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला बूंदी में भू-आवंटन

456. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 1983 से चालू राजस्व अभियान के दौरान जिला बूंदी के सामान्य क्षेत्र तथा उपनिवेशन क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों को राजकीय भूमि आवंटित की गई है ? क्या उन आवंटियों को नियमानुसार खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। आवंटियों को खातेदारी अधिकार आवंटन की शर्तें पूरी करने पर सामान्य क्षेत्र में 10 वर्ष पश्चात् तथा कमाण्ड क्षेत्र में 7 वर्ष पश्चात् खातेदारी अधिकार देय होंगे। राजस्व अभियान के दौरान किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये, अतः सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील बसवा (जयपुर) में भू-आवंटन

457. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के अन्तर्गत तहसील बसवा जयपुर में कितनी-कितनी जमीन किन-किन व्यक्तियों को कहां-कहां आवंटित की गई तथा किन-किन को कहां-कहां कितनी-कितनी जमीन नियमित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ लोगों को चरागाहों में से भी भूमि आवंटित या नियमित की गई है ? यदि हां, तो कहां व

(२८)

(श्री नाथूसिंह)

किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी जमीन आवंटित या नियमित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकारी भूमि को आबादी में भी परिवर्तित किया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी भूमि को ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अजयराजपुरा (सांगानेर) के स्कूल को भू-आवंटन

458. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इस वर्ष हुए राजस्व अभियान में राज्य सरकार ने सांगानेर तहसील के ग्राम अजयराजपुरा के स्कूल के लिए खेल के मैदान के लिए भूमि उपलब्ध कराई है ? यदि हां, तो कब और कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या स्कूल की यह मांग बहुत समय से है ? यदि हां, तो जमीन अलाट नहीं कराने का क्या कारण है तथा अब कब तक अलाट करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जिस भूमि की मांग की जा रही है वह दिनांक 30-10-77 से व्यक्तिगत खाते की है।

(2) जी हां, स्कूल के खेल मैदान के लिए भूमि ख. नं. 128 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं ख. नं. 129 रकबा 3 बिस्वा को आवंटित करने के लिए ग्राम सभा ने दिनांक 6-7-78 को प्रस्ताव पारित किया था लेकिन यह भूमि एक काश्तकार के नाम इससे पूर्व ही नियमन कर दी गई थी। नियमन के विरुद्ध मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता इस भूमि का आवंटन सम्भव नहीं है।

प्रतापगढ़ में राजस्व अभियान

459. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1982 में प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के उप जिलाधीश ने कितनी बार राजस्व अभियान चलाये ? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने भू-आवंटन के लिए एक समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो आवंटन के पूर्व इस समिति की बैठक कब कब की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि समिति के कोरम के अभाव में भी भू-आवंटन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) वर्ष 1982 में कितने कृषकों को भू-आवंटन किया गया जिसमें से मौका कब्जा कितने को नहीं दिया ? आवंटियों में अनु-

(श्री नन्दलाल मीणा)
सूचित जाति एवं जन जाति का कितना प्रतिशत रहा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982 में उप जिलाधीश प्रतापगढ़ ने उप खण्ड प्रतापगढ़ में कोई राजस्व अभियान नहीं चलाया।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में भू-आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया हुआ है। समिति की बैठक में भूमि आवंटन किया जाता है, इससे पूर्व समिति की बैठक आयोजित करने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(3) भू-आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कोरम के अभाव में एडजोर्न होने पर दो सदस्यों से कोरम पूर्ण माना जाकर आवंटन किया जा सकता है। ऐसा नियमों में प्रावधान है। उप खण्ड अधिकारी द्वारा दो सदस्यों की उपस्थिति में आवंटन किया गया है।

(4) वर्ष 1982 में 414 व्यक्तियों को भू-आवंटन किया गया है इनमें से 27 व्यक्तियों को मौके पर कब्जे नहीं दिये गये हैं। कब्जे नहीं देने का कारण कतिपय मामलों में जमीन मौके पर काश्त योग्य न होना तथा आवंटी खेतीहर का मजदूरी, रोजगार हेतु अन्यत्र चले जाना है। इस आवंटन में अनुसूचित जाति का 12 एवं जनजाति का 31 प्रतिशत रहा है।

उदयपुर में पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना

460. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जन जाति क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत उदयपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट आरम्भ किया गया है ? यदि हां, तो इस प्रोजेक्ट द्वारा अब तक कितने जन जाति के आशार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, स्वनियोजन एवं नियोजन उपलब्ध करवाया गया ? कृपया तहसीलदार ब्यौरा वर्ष 1981-82 एवं दिसम्बर, 82 तक का सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। ब्यौरा संलग्न है। यह ब्यौरा जिलेवार दिया गया है क्योंकि तहसीलवार सूचना विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

तहसील बौंली (सवाई माधोपुर) में राजस्व अभियान

461. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वर्ष 1983 के राजस्व अभियान के दौरान सरकार द्वारा मौके पर कैम्प लगाकर इन्द्राज दुरुस्ती तथा बंटवारा संबंधी कार्यों को निपटाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो तहसील बौंली में 31-1-1983 तक होने वाले उक्त कैम्पों में इस प्रकार के कुल कितने केस निपटाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(30)

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

जी हां, तहसील बोंली से प्राप्त सूचना के अनुसार सह-खातेदारान की रजामंदी से तहसील बोंली में राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 31-1-83 तक बंटवारा संबंधी 20 मामलों का निस्तारण किया गया है व इन्द्राज दुरुस्ती के 50 मामले निपटाये गये ।

सुल्ताना (जैसलमेर) का डावर पार पेयजल स्रोत

462. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के ग्राम सुल्ताना का डावर पार सार्वजनिक पेयजल स्रोत है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पेयजल स्रोत को बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स की चौकी हेतु हस्तानान्तरित किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि माह अगस्त 1982 में जिले के मन्त्रि-मण्डल के दौरे के समय मौके पर मुख्य मंत्री महोदय ने यह निर्देश दिये थे कि बी.एस. एफ. की चौकी हेतु अलग से भूमि आवंटित कर दी जाय। यदि हां, तो क्या उक्त सार्वजनिक पेयजल स्रोत से बी.एस. एफ. चौकी हटा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक हटा दी जायेगी ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं। उक्त स्रोत के समीप स्थित धोरे पर बी.एस. एफ. एवं इससे पूर्व आर. ए.सी. की पिछले 36 वर्षों से चौकी स्थापित है ।

(3) जी हां। मुख्य मंत्री महोदय ने समस्या के निवारण हेतु अपने दौरे के समय निर्देश दिये थे। ग्राम सुल्ताना डावर में भूतपूर्व आर. ए. सी. के समय से खसरा नं. 1141 की 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि 36 वर्षों से चौकी हेतु उनके अधिकार में है। बाद में बी. एस. एफ. को खसरा नं. 11484 में 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि चौकी हेतु और आवंटित कर कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। खसरा नं. 1141 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, जो कि बेरियों के खसरों के समीप धोरे पर स्थित है, के स्थान पर उतनी ही भूमि समीप के दूसरे खसरे में देने हेतु ग्रामवासियों की मांग है। इस सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प. 4 (45) राज (ग्रुप-4) 82, दि. 23-8-82 के अनुसरण में उप खण्ड अधिकारी, जैसलमेर व समादेष्टा, बी. एस. एफ., 50 वीं बटालियन को स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर अन्यत्र भूमि देने की संभावना हेतु प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया है। स्थल निरीक्षण हेतु दिनांक 9-3-83 तय की गई है। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

तहसील सोजत में नामान्तरण संबंधी इन्द्राज

464. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को नामान्तरण के अधिकार राज्य सरकार ने दे रखे हैं ?

(श्री माधव सिंह दीवान)

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील सोजत में तहसीलदार ने पंचायतों द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के इन्द्राज को रोक दिया है? यदि हां; तो सन् 1982 में तहसीलदार सोजत ने किस किस नामान्तरकरण के इन्द्राज को रोका है व इन्द्राज रोकने का क्या कारण है ? नामान्तरकरण एवं उस पर पंचायत के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त तहसीलदार ने पंचायत के आदेश पर अनुप्रमाणन अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या जिन-जिन मामलों में तहसीलदार ने नामान्तरकरण के इन्द्राज को रोका उनमें से कुछ में पटवारी ने जमाबन्दी में इन्द्राज कर लिया ? यदि हां, तो क्या इन्द्राज करने के बावजूद भी इन्द्राज न करने का नोट जमाबन्दी में लगाया गया व क्या इस तरह का नोट नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो क्या इस तरह के मामलों का 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्य में निपटारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब इनका इन्द्राज शीघ्र करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु राज्य सरकार के आदेश एफ. (21) राज/ग्रुप-4/8:/35 दिनांक 4-9-82 के अनुसार न्यायालयों से पारित आदेश एवं भू-आवंटन के आदेशों से नामान्तरकरण फैसल करने के अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं हैं।

(2) जी हां। तहसीलदार, सोजत द्वारा पटवार मण्डल खारिया सोड़ा के ग्राम वासनी मदावता के नामान्तरकरण संख्या 32, 33, 34, 35 ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से परे होते हुए भी पंचायत द्वारा फैसले किये जाने के कारण उनका अमलदरामद रोक दिया गया है। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) तहसीलदार द्वारा अनुप्रमाणित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि अनुप्रमाणित अधिकारी द्वारा नाक पर जो तथ्य अंकित किये गये हैं, वे बाद जांच सही अंकित किये गये हैं।

(4) जी हां। नामान्तरकरण संख्या 32 का इन्द्राज पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी में कर दिया गया था परन्तु तहसील कार्यालय के आदेश भू. अ. 1383 दि. 31-7-82 द्वारा इन्द्राज रोकने पर उक्त आदेश का भी नोट जमाबन्दी में लगाया गया है, जो नियमानुसार है। उक्त मामले का निस्तारण 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान में करने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। मामले में नियमानुसार उचित निर्णय ले लिया जावेगा।

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

खान एवं भू-गर्भ विभाग की कार्यशाला

465. श्री रंगजी मीणा : (सपोटरा)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :
क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खान एवं भू-गर्भ विभाग में यांत्रिकी कार्य एवं मशीनों की दुरुस्ती के लिए एक कर्मशाला कार्यरत है ?

(श्री रंगजी मीणा)

(2) इस कर्मशाला में कौन प्रभारी अधिकारी, कितने यांत्रिक अभियन्ता, सहायक यांत्रिक अभियन्ता, मैकेनिक व अन्य स्टाफ है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस कर्मशाला हेतु विभाग में पर्याप्त कार्य है और मशीनरी इत्यादि की दुरुस्ती की जाती है ?

(4) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में दिनांक 31-1-83 तक क्या क्या मशीनरी इत्यादि दुरुस्त की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) इस कर्मशाला का वार्षिक संस्थापन खर्च कितना है ? कृपया 1981-82 एवं 1982-83 का बजट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग में यांत्रिकी कार्य एवं मशीनों की दुरुस्ती के लिए एक कर्मशाला कार्यरत है।

(2) इस कर्मशाला में प्रभारी अधिकारी, यांत्रिक अभियन्ता है। सहायक यांत्रिक अभियन्ता एवं अन्य स्टाफ का विवरण निम्नानुसार है:--

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	यांत्रिक अभियन्ता	1
2.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	2
3.	यांत्रिक कार्यदेशक	3
4.	वरिष्ठ यांत्रिक	3
5.	कनिष्ठ यांत्रिक	5
6.	कारपेन्टर	1
7.	लेथमेन	2
8.	टर्नर	1
9.	फिटर	4
10.	वेल्डर	1
11.	इलेक्ट्रिशियन	2
12.	जनरेटर चालक	1
13.	ब्लेकस्मिथ	2
14.	सहायक	12
15.	चालक	1
16.	क्लीनर	1
17.	वरिष्ठ लिपिक	1
18.	कनिष्ठ लिपिक	2
19.	आशुटंकण	1
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3
21.	कम्प्युटर वर्कचार्ज	1
22.	पेन्टर वर्कचार्ज	1
23.	सहायक वर्कचार्ज	8
24.	चौकीदार वर्कचार्ज	1
25.	गेटकीपर दैनिक वेतनभोगी	1
	कुल योग	62

(3) जी, हां। इस कर्मशाला में पर्याप्त कार्य है और इसमें मशीनरी इत्यादि की दुरुस्ती की जाती है।

(4) विभागीय कर्मशाला में अभिलेखानुसार वर्ष 1981-82 में 654 एवं वर्ष 1982-83 में दिनांक 31-1-83 तक 405 रिपेयर कार्य किये गये। जिन मशीनों को रिपेयरिंग का कार्य किया गया उनकी सूची निम्नानुसार है :--

1. डायमण्ड ड्रिलिंग मशीन
2. पम्पस
3. कम्प्रेसर
4. ट्रक
5. ट्रेक्टर्स

(खनिज मंत्री)

6. जीप व कार
7. मोटर साइकिल
8. जेक हेमर्स
9. डीजल इन्जिन
10. टेंकर व ट्राली
11. तुलायंत्र
12. विभाग की अन्य कई छोटी बड़ी मशीनें

13. छिद्रए मशीनों के उपसाधन व अन्य सम्बन्धित कार्य। इस कर्मशाला का वार्षिक संस्थापन खर्च अभिलेखानुसार निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1981–82 में रुपया 5,17,700.00 व वर्ष 1982–83 में रुपया 7,98,600.00 रहा है। (जनवरी, 83 तक)

जयपुर स्थित मानसिक पीड़ित महिला गृह का आडिट

466. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि गत 3 वर्षों में जयपुर स्थित मानसिक पीड़ित महिला गृह का स्पेशल आडिट हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आडिट में उक्त गृह का बहुत सा सामान गायब पाया गया और लगभग 80,000/- (अस्सी हजार रुपया) की अनियमितता भी पाई गई ?

(3) यदि हां, तो उक्त दोनों अनियमितताओं के लिए राज्य सरकार ने किसको दोषी पाया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अनियमितताओं के लिए मूल रूप से दोषी गृह की अधीक्षिका श्रीमती कमला भार्गव को पाया गया जिसको स्पेशल आडिट की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दोषारोपण पत्र जारी किये जा चुके हैं। सम्बन्धित अधिकारी से आरोप/दोषारोपण पत्रों का प्रति उत्तर प्राप्त हो गया है और इस प्रकरण में जांच अधिकारी को नियुक्त भी किया जा चुका है। जांच की कार्यवाही जारी है।

भंगी कष्ट मुक्ति सूत्र के तहत कार्य

467. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम में भंगी कष्ट मुक्ति भी कोई सूत्र है ? यदि हां, तो इस सूत्र के तहत जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक किन-किन नगरपालिका क्षेत्रों में इस योजना की क्रियान्विति की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में भंगी कष्ट मुक्ति के अन्तर्गत कई कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे ? यदि हां, तो वह क्या-क्या तथा अब तक उनमें कितना प्रतिशत कार्य किया जा चुका है ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उपरोक्त कार्य हेतु अलग से कोई बजट निर्धारित किया हुआ था ? यदि हां, तो कितना और उसमें से किस-किस जिले में कितना-कितना खर्चा किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा भंगी कष्ट मुक्ति के अन्तर्गत मेहतरों एवं अन्य अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के छात्र-छात्राओं हेतु 30 छात्रावास स्थापित करने के लक्ष्य रखे गये थे जिसके मुकाबले 40 छात्रावास स्थापित किये जा चुके हैं।

(3) यह कार्यक्रम केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सहायता की तथा शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाती है। वर्ष 82-83 में इसके लिए राज्य की योजना में 7.80 लाख रुपये का तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 7.80 लाख रुपये का प्रावधान है। व्यय की सूचना वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध हो सकेगी।

चौमू में आवासन मण्डल की योजना

468. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या चौमू कस्बे में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकान निर्माण किये जाने हेतु योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो 31 जनवरी, 1983 तक कितने प्रार्थना-पत्र जमा हो चुके हैं ? क्या मकान निर्माण के लिये भूमि का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो मकान निर्माण कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। मकान निर्माण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 1983 है। दिनांक 15-2-83 तक कुल 144 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। अभी भूमि का चयन नहीं किया गया है। कम से कम 200 प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ही मकान निर्माण हेतु भूमि का चयन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

रामगंज मंडी (कोटा) में पोषाहार केन्द्र

469. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी जिला कोटा में पोषाहार केन्द्र चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कुल कितने ?

(2) क्या सरकार पोषाहार केन्द्र को संचालित करने वाले व्यक्ति को प्रति माह वेतन या मानदेय देती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या अनेक केन्द्र बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रामगंज मंडी में कुल पांच पोषाहार केन्द्र चलाये जाते हैं।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) केन्द्र संचालन करने वाले व्यक्ति, जो बच्चों की उपस्थिति, खाद्यान्न की आवक-जावक आदि का इन्द्राज करता है, को 20/ रुपये प्रतिमाह तथा खाद्यान्न बनाने वाले को 40/-रु. प्रतिमाह अलाउन्स दिया जाता है।

(3) माह फरवरी, 83 से पांचों केन्द्र ट्रांसपोर्टर द्वारा सामान नहीं पहुंचाने के कारण बंद है। इन्हें अति शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति व जन जाति के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति

470. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति व जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए राज्य के किस किस पब्लिक स्कूल में कितने-कितने स्थान सुरक्षित हैं ?

(2) वर्ष 1982-83 में कितने छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति देकर प्रवेश दिलाया गया? कृपया छात्र-छात्राओं के स्थायी पतों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति व जन जातियों के छात्रों के लिए किसी पब्लिक स्कूल में कोई स्थान सुरक्षित नहीं कराये गये हैं। प्रवेश आवश्यकतानुसार करा दिया जाता है।

(2) वर्ष 1982-83 में 212 छात्रों का चयन छात्रवृत्ति पर प्रवेश दिलाने के लिए किया गया जिनमें से 174 छात्रों ने प्रवेश लिया। उनकी सूची स्थायी पतों सहित संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

समाज कल्याण के अन्तर्गत बाल विकास केन्द्र

471. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या समाज कल्याण विभाग बाल विकास केन्द्र की कोई योजना चलाता है ? यदि हां, तो राज्य में यह योजना कहां कहां चालू है ?

(2) कोटा जिले की कितनी व किन किन पंचायत समितियों में यह योजना कहां कहां व कितने केन्द्रों पर चालू है ? इस योजना पर जिले में गत एक वर्ष में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया व इस राशि में से कितना व्यय किस-किस मद में हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "1")

(2) कोटा जिले की निम्न 3 पंचायत समितियों में यह योजना चालू है:—

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	चालू केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	छबड़ा	64
2.	किशनगंज	50
3.	शाहबाद	50

(36)

(समाज कल्याण मंत्री)

इस योजना पर गत वर्ष में किये गये धनराशि का प्रावधान एवं वास्तविक व्यय मदवार निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	परियोजना	वर्ष	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5
1.	प्रशासन एवं चिकित्सा			
1.	किशनगंज	82–83	60,500	21,302
2.	शाहबाद	82–83	60,500	23,648
3.	छबड़ा	78–79 से 82–83	8,84,570	9,98,445
2.	प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता योजना			
1.	किशनगंज	82–83	23,500	03,779
2.	शाहबाद	82–83	23,500	13,192
3.	छबड़ा	78–79 से 82–83	2,39,700	1,45,406
3.	पोषाहार (स्थानीय खाद्यान्न)			
1.	किशनगंज	82–83	50,000	—
2.	शाहबाद	82–83	50,000	36,851
3.	छबड़ा	78–79 से 82–83	15,15,000	5,25,670

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

तहसील सांगानेर व चाकसू में मांडा योजना के तहत कार्य

472. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जयपुर जिले की तहसील सांगानेर व चाकसू में मांडा योजना के अन्तर्गत किस-किस को कहां-कहां व क्या-क्या लाभ गत 3 वर्षों में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना के अन्तर्गत उक्त तहसीलों में किये गये सार्वजनिक विकास कार्यों की सूची भी सदन की मेज पर रखें।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री):

उत्तर

(1) मांडा योजना के अन्तर्गत सांगानेर व चाकसू तहसील में गत तीन वर्षों में लाभान्वित परिवारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

न्यायिक सेवा में स्वीकृत पद

473. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान न्यायिक सेवा में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त चल रहे हैं व किन कारणों से?

(2) सरकार इनकी पूर्ति के बारे में क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान न्यायिक सेवा के कुल 299 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 23 पद रिक्त हैं। ये पद वरिष्ठ अधिकारियों के राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के कारण रिक्त हुए हैं।

(2) रिक्त पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। लोक सेवा आयोग से चयन कर सिफारिश करने का अनुरोध किया जा चुका है और ये नियुक्तियां इस वर्ष में होने की सम्भावना है।

झुन्झुनू नगर में बगड़ के रास्ते पर स्थित जमीन पर अवैध कब्जा

475. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू नगर में बगड़ के रास्ते पर स्थित कुआ मरीदान व उस के पास की जमीन वक्फ बोर्ड की है?

(2) क्या यह सही है कि इस वक्फ बोर्ड की जमीन पर इस समय किसी व्यक्ति का कब्जा है? यदि हां, तो वह कौन है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस जायदाद पर श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री पुष्करलाल जांगिड़ का कब्जा है। इसको वक्फ बोर्ड की पूर्वानुमति बिना श्री मोहम्मद अली मोलाबक्ष, श्री मुनीर पुत्र श्री रहमान, श्री बशीर पुत्र श्री मोला, श्री हनीफ पुत्र श्री मोलाबक्ष द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार जांगिड़ को जरिये बेचान पत्र दिनांक 30-7-81 से विक्रय किया गया है। वक्फ बोर्ड ने इस अवैध बेचान के लिये वक्फ अधिनियम की धारा 36 (बी) के अन्तर्गत वापस कब्जे दिलाने हेतु रिक्वीजीशन जिलाधीश झुंझुनू को प्रस्तुत किया है। सरकार का वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति हस्तान्तरण में वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगानगर शुगर मिल में चीनी का उत्पादन

476. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले तीन वर्षों में गंगानगर शुगर मिल के शुगर यूनिट में चीनी का कितना उत्पादन हुआ ?

(2) वहां के शुगर बीट प्लान्ट को पूरी क्षमता पर चलाने के लिये कितना कितना गन्ना और चुकन्दर की आवश्यकता प्रति माह होती है ?

(3) क्या उक्त चुकन्दर की आवश्यकता वहां के फार्म उत्पादन से हो जाती है ? वहां चुकन्दर क्या क्या और कितना कितना उत्पन्न होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इसे केवल कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये चलाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) पिछले 3 वर्षों में गंगानगर शुगर मिल्स की शुगर यूनिट में चीनी का उत्पादन निम्नानुसार हुआ:—

वर्ष	चीनी उत्पादन (क्वि.)
1979–80	49000
1980–81	31000
1981–82	53000

(2) शुगर बीट प्लान्ट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए प्रतिदिन 6000 क्वि. चुकन्दर की आवश्यकता होती है। चुकन्दर से चीनी के उत्पादन का सत्र अप्रेल के प्रथम सप्ताह से मई के अन्तिम सप्ताह तक होता है जो 50 दिवस चलता है जिसके लिये 3 लाख क्वि. चुकन्दर की आवश्यकता होती है। गन्ना शुगर बीट प्लान्ट के काम में नहीं लिया जाता है।

(3) जी नहीं।

गंगानगर शुगर मिल्स के प्रायोगिक फार्म के उत्पादन से चुकन्दर की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। गत 3 वर्षों में इस फार्म में चुकन्दर उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त चुकन्दर की मात्रा (क्वि.)
1979–80	729.480
1980–81	873.350
1981–82	481.330

(4) जी नहीं।

गंगानगर शुगर मिल्स को चलाने का मुख्य कारण क्षेत्र के गन्ना एवं चुकन्दर उत्पादकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है।

राज्य परिवहन निगम की बसें

478. श्री कनकराज मेहता (सांचौर) श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अन्तर्गत कुल कितनी बसें स्वीकृत हैं ? कुल कितनी बसें कार्यरत हैं ? कृपया आगारवार सूची सदन के पटल पर रखें ?

(श्री कनकराज मेहता)

(2) निगम द्वारा स्वीकृत बसों की कमी की पूर्ति हेतु क्या योजना है ?

(3) राज्य में कुल कितनी डीलक्स अथवा वातानुकूलित बसें किस किस रूट पर चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन निगम के अन्तर्गत 1991 अनुसूचित सेवाओं के संचालन हेतु कुल 2190 बसें (1991 तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त-199 सहित) स्वीकृत हैं तथा 2190 बसें ही संचालन हेतु विभिन्न आगारों को आवन्टित हैं। उनमें से 2042 वाहन कार्यरत हैं। आगारवार बसों की सूची संलग्न है।

(2) स्वीकृत अनुसूचित सेवाओं के संचालन हेतु वान्छित संख्या में वाहन आगारों को आवन्टित हैं तथा आफ रोड वाहनों की संख्या भी 148 ही है जो 10 प्रतिशत सामान्य रख रखाव के विरुद्ध आवंटित बसों से कम है। अतः बसों की कमी की पूर्ति का प्रश्न ही नहीं है।

(3) परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही डीलक्स व वातानुकूलित बस सेवाओं की मार्ग सहित सूची संलग्न है।

(सूचि के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राज्य परिवहन निगम में मेहतर महा-सम्मेलन द्वारा बसों का जमा किराया

479: श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या यातायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि 9 व 10 मई, 1981 को राजस्थान मेहतर महा सम्मेलन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें किराये पर आवंटित की गई थीं ? यदि हां, तो कितनी और उनका कितना किराया बना ?

(2) उक्त महा सम्मेलन की संयोजन समिति द्वारा निगम में कितनी राशि अग्रिम रूप से जमा कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि मेहतर महा सम्मेलन द्वारा जमा कराई गई अग्रिम राशि में से किराया वसूल करने के बाद कुछ राशि शेष बची ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या शेष राशि मेहतर महा सम्मेलन को लौटा दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 2 बसें अनुबन्ध पर दी गई थीं जिनकी कुल किराया राशि 1215.00 रुपये बनी।

(2) महा सम्मेलन की संयोजन समिति द्वारा 2030.00 रुपये अग्रिम जमा कराये गये थे।

(3) उक्त दोनों वाहनों के किराये की राशि वसूल करने के बाद 815.00 रुपये शेष बचे थे।

(4) जी नहीं। शेष जमा राशि पार्टी द्वारा अभी तक नहीं उठाई गई है। जब कि उक्त शेष राशि की वापसी की स्वीकृति के

(40)

(यातायात मंत्री)
आदेश दिनांक 29-6-81 को ही जारी कर दिये गये हैं तथा श्री बन्शी लाल, प्रान्तीय संयोजक, राजस्थान प्रदेश मेहतर महा सम्मेलन को पत्र क्रमांक 323 दिनांक 29-6-81 द्वारा भुगतान लेने हेतु निवेदन कर दिया गया था।

राज्य में बसों के फिटनेस मापदण्ड

480. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राजस्थान में बसों के फिटनेस सम्बन्धी नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त बसें निर्धारित माप दण्डों को पूर्ण करती हैं ? यदि नहीं, तो माप दण्डों की पालना की अवेहलना में वर्ष 1981 व 1982 में कितनी बसों का चालान हुआ है एवं निगम ने कितना रुपया दण्ड स्वरूप दिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) फिटनेस प्रमाण-पत्र निर्धारित माप दण्ड पूरा करने पर ही दिया जाता है, लेकिन वाहन के साथ फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने तथा कुछ छोटी मोटी कमियां होने के कारण वर्ष 1981 व 1982 में कुल 407 बसों का चालान हुआ है एवं निगम ने कुल 29,097.00 रुपया दण्ड स्वरूप दिया है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(नियमों की प्रति व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

झालावाड़ जिले में खाद्य सामग्री की आपूर्ति

481. श्री बालचन्द आर्य वीर (डग)
श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

झालावाड़ जिले में सन् 1980 से फरवरी 1983 तक के लिये मिट्टी का तेल, कपड़ा, सीमेंट व चावल कितनी कितनी मात्रा में आवंटित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

झालावाड़ जिले को वर्ष 80 से 83 तक मिट्टी का तेल, कपडा, सीमेंट व चावल के किये गये आवंटन की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

मुगांणा (धरियावद) सहकारी समिति द्वारा नियंत्रित कपड़े का लाइसेन्स

482. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि मुंगाणा त. धरियावद, जिला उदयपुर की सहकारी समिति ने नियंत्रित मूल्य के कपड़े का लाइसेन्स ले रखा है ? यदि हां, तो उसने जनवरी, 1981 से जनवरी, 1983 तक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कितना कपड़ा उठाया ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुंगाणा के लोगों से जिलाधीश उदयपुर एवं सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, उदयपुर को शिकायत-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या उक्त शिकायतों की जांच करवा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, मुंगाणा, तहसील धरियावद, जिला उदयपुर की सहकारी समिति ने प्राधिकार पत्र ले रखा है। जनवरी, 1981 से फरवरी, 1982 तक निम्नांकित मात्रा में नियन्त्रित कपड़ा उठाया गया :—

1. जनवरी, 81	2691 मीटर
2. फरवरी, 81	1080 मीटर
3. मार्च, 81	1040 मीटर
4. अप्रेल, 81	750 मीटर
5. जून, 81	1404 मीटर
6. अक्टूबर, 81	1000 मीटर
7. फरवरी, 82	1400 मीटर

मार्च, 82 से जनवरी, 83 तक समिति द्वारा नियन्त्रित कपड़ा नहीं उठाया गया।

(2) जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जांच करवाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला जैसलमेर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

483. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कितनी दुकानें हैं व किन-किन स्थानों पर खुली हुई हैं ? इनमें से कितनी दुकानें सहकारी समितियों के पास हैं ?

(2) वर्ष 1981-82 व 1982-83 में जैसलमेर जिले को कितना कितना गेहूं, चीनी, कपड़ा, चावल व सीमेंट का कोटा आवंटित किया गया ? कृपया पंचायत समितिवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की 111 दुकानें जहां-जहां खुली हुई हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। इन दुकानों में से 36 दुकानें सहकारी समितियों द्वारा संचालित हैं।

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य के कारागारों में बन्दी

484. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कौन-कौन सी जेलों में कितने-कितने विचाराधीन बंदी हैं और कब कब से ? जेलवार महिला व पुरुष बंदियों की संख्या सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४२)

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) विचाराधीन महिला बन्दियों के साथ किस-किस आयु के कितने बच्चे कब-कब से हैं ?

(3) उनमें कितने-कितने पुरुष व महिलाएं बंदी मानसिक रोग से पीड़ित हैं व कब कब से ? जेलवार संख्या सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जेलवार महिला व पुरुष बन्दियों की दिनांक 31-12-82 की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 31-12-82 को 10 विचाराधीन महिला बन्दियों के 17 बच्चे थे जिनमें एक माह से कम, 3 से 6 माह, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 और 6 वर्ष की आयु के सम्मिलित हैं। इन बच्चों के कारागृह में व्यतीत की गई अवधि का विवरण निम्न भांति है :–

बच्चों द्वारा कारागृह में व्यतीत की गई अवधि	विचाराधीन महिला बंदियों के साथ कारागृह में प्रविष्ट हुए बच्चों की आयु समूह					
	1 माह से कम	3 से 6 माह	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	6 वर्ष	योग
1 से 3 माह	1	–	1	–	–	2
3 से 6 माह	–	1	3	–	–	4
6 से 12 माह	–	–	2	5	1	8
12 से 18 माह	–	–	1	2	–	3
योग :—	1	1	7	7	1	17

दिनांक 31-12-82 को राज्य के कारागृहों में 3,315 पुरुष और 45 महिलाएं विचाराधीन बन्दी के रूप में थीं। इनमें 37 पुरुष और 1 महिला विचाराधीन बन्दी मानसिक रूप से पीड़ित थी जिनका जेलवार व जेल में व्यतीत की गई अवधि की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

राजस्थानी भाषा में फिल्में

485. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अभी तक राज्य में राजस्थानी भाषा में कितनी फिल्में बन चुकी हैं व राजस्थानी भाषा में बनने वाली फिल्मों पर सरकार ने कितना टैक्स माफ किया व अन्य क्या सहयोग दिये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाल चन्द्र आर्यवीर)

(2) क्या यह सही है कि पिछले सत्र में आमेर को फिल्म नगरी बनाने की घोषणा सरकार ने की थी ? यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई ?

उत्तर

(1) राज्य में कोई फिल्म स्टूडियो नहीं है, अतः राज्य में राजस्थानी भाषा में फिल्में बनने का प्रश्न नहीं उठता। अभी तक राजस्थानी भाषा में बनने वाली किसी फिल्म को राज्य सरकार ने मनोरंजन कर से मुक्त नहीं किया है। शूटिंग स्थलों पर शांति व व्यवस्था का प्रबन्ध आवश्यकतानुसार किया जाता है।

(2) जी नहीं। गत विधान सभा सत्र में यह कहा गया था कि आमेर के पास के स्थान को फिल्म नगर के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के उपकुलपति के विरुद्ध शिकायतें

486. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सच है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के उपकुलपति डा. राजनाथ सिंह को जो आरोप-पत्र दिया गया उसमें एक यह भी था कि सिंह कमीशन की सिफारिशों के अनुसार सर्व श्री के. जी. माथुर तथा सेवेस्टीन को असिस्टेन्ट इन्जिनियर के पद से क्यों नहीं हटाया गया ? जब कि उक्त दोनों ही व्यक्तियों के पास न्यूनतम मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं है ?

(2) क्या दोनों को नौकरी से तुरन्त हटाने की कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सहायक अभियन्ताओं के पदों को स्थायी रूप से भरने के लिए विज्ञापन सं. 1/83 दिनांक 3-1-83 जारी किया गया है। चयन की प्रक्रिया जारी है। नियमित चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्ति को उक्त पदों पर लगाया जावेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अनंग कुमार जैन- ग्राम अर्जुनपुरा व देवरी तहसील अजमेरा की सरकारी जंगलात की भूमि पर पंचायत समिति, छीपाबड़ोद के प्रधान द्वारा पेड़ कटवाकर बेच दिये जाने के सम्बन्ध में,

(2) श्री मालाराम-खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने के विषय में,

(3) सर्वश्री राजबहादुर, चाव खां, यदुनाथसिंह-भरतपुर जिले की पंचायत समितियों के पशुधन सहायकों के पदों को समाप्त कर अन्य जिलों की पंचायत समिति में विलय करने के सम्बन्ध में,

(५५)

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया – सवाई माधोपुर के गोदाम में सड़ा गला गल्ला व्यापारियों को देने के विषय में,

(5) श्री हरीश शर्मा – कोटा जिले की अन्ता पंचायत समिति की काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना के कार्य हेतु 1981 में टेण्डर प्राप्त होने पर भी अब तक वर्क आर्डर न देने के विषय में,

(6) श्री भगवान दास शास्त्री – अजमेर नगर की पेयजल व्यवस्था ठप्प हो जाने के विषय में,

(7) श्री देवीसिंह भाटी– राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा के आर.डी. 142 से 145 तक नहर निर्माण में मिट्टी का दाब सही न होने व आर.डी. 20 से 22 1/2 तक मिट्टी का कार्य स्वीकृत मात्रा से कम होने के विषय में,

(8) श्री बंशीलाल पटवा – राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत डिप्लोमा होल्डर, कनिष्ठ अभियन्ता व डिग्री होल्डर वरिष्ठ अभियन्ताओं के पदोन्नति के मामले पिछले 10 वर्षों से अटके होने के विषय में;

(9) श्री हीरालाल आर्य – पीपल्दा क्षेत्र के भूतपूर्व महाराज द्वारा कुछ स्थानों पर बनाये गये चैक डेम्स के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(10) श्री छीतरलाल आर्य – गत 24 जनवरी को अटरू क्षेत्र में एस.डी.ओ. द्वारा कुछ हरिजनों को जमीन के आवंटन से वंचित करने के विषय में,

(11) श्री कमलेन्द्रसिंह – गत 3 मार्च को ग्राम इब्राहिमपुर, थाना रूपवास, जिला भरतपुर के सरपंच द्वारा गोली चलाने से 4 आदमियों के घायल होने के विषय में,

(12) श्रीमती विद्या पाठक– सांगानेर कस्बे में जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आई भूमि में खसरा नम्बर 548 व 550 पर पुलिस की कार्यवाही के बावजूद अनधिकृत निर्माण कार्य करवाये जाने के विषय में,

(13) श्री मेघराज तावड़ –एस.डी.आई. पंचायत समिति अलसीसर जिला झुन्झुनू का पद लम्बे अर्से से रिक्त होने के विषय में,

(14) श्री रामकिशोर मीणा –पिछले दिनों करौली के निकट लौंगटपुर गांव में एक डकैती की घटना के विषय में,

(15) श्री दाऊदयाल जोशी – रावत भाटा एवं जवाहर सागर के डेम क्षेत्र में पानी में से ठूंठ निकालने के मामले में हुई अनियमितताओं पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के विषय में,

(16) श्री कैलाश मेघवाल व श्री ललित किशोर चतुर्वेदी – पीपाड़ क्षेत्र के नगरपालिका अध्यक्ष श्री बदनाराम को गत 8 मार्च को पुलिस द्वारा गिरफ्तार, हथकड़ी लगाकर पुलिस द्वारा बाजार में घुमाने के विषय में,

(17) सुश्री पुष्पा जैन –ग्राम मोरोली डाग तहसील रूपवास, जिला भरतपुर के एक निवासी द्वारा माया पुत्री हट्टी जाटव को उठाकर ले जाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

इन स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं हैं :–

(18) श्रीमती उजला अरोड़ा – भरतपुर सहकारी बैंक के प्रशासक के पद पर एक सेवा निवृत्त संयुक्त रजिस्ट्रार की नियुक्ति।

यह एक व्यक्तिगत मामला है और इसमें जो आरोप लगाये गये हैं वह अस्पष्ट हैं।

(19) श्री बालचन्द्र आर्यवीर-झालावाड़ जिले के मिसरोली स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग।

इस विषय पर माननीय सदस्य आज शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा कर सकते हैं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है:–

(1) श्री घनश्याम तिवाड़ी – इण्डस्ट्रियल अर्बन को-आपरेटिव बैंक, सीकर के संचालक मण्डल द्वारा अनियमितताएं।

इस विषय पर सरकार की ओर से कल दिनांक 11–3–1983 को सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

(2) सुश्री पुष्पा जैन–जयपुर विकास प्राधिकरण फायरिंग रेंज के लिए जमीन अवाप्ति।

इस बारे में सदन में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जायेगा, जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

(3) श्री समर्थ लाल-सीरावास रोध तहसील अलवर के अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन अन्य लोगों द्वारा छीने जाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि इसमें से कुछ भाग पर किये गये आवंटन का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और 3 अतिक्रमी काश्तकारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जो जमीन वन विभाग द्वारा प्राप्त की गई वह नियमानुसार है।

(4) श्री छीतर लाल आर्य-अटरू क्षेत्र में पार्वती नहर के गत 18 फरवरी को बन्द कर देने से किसानों को हुई कठिनाइयों के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि विभिन्न नहरों से पानी चलाने व बंद करने की तारीखें निश्चित की गई थीं। इनमें से रजवाह शाखा में पिलाई पूरी हो जाने के कारण पानी बंद किया गया। इससे पूर्व कहीं भी सिंचाई के अभाव में फसल का सूखना नहीं पाया गया तथा 10 मार्च को यह शाखा पुनः खोल दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः मैं इन स्थगन-प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

मुझे कुछ अन्य स्थगन-प्रस्तावों पर भी राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। उन पर मैं बाद में व्यवस्था दूंगा।

(46)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय डा. उजला अरोड़ा–भरतपुर सहकारी बैंक के बारे में कहेंगी।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री देवीसिंह भाटी के गले में लटकती हुई तख्ती

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर हमारे सदन के नेता हैं, उनकी गरिमा के खिलाफ यदि विपक्ष के कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की प्लेट गले में लटका कर आयेंगे तो कदापि वर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कृपया आप इन्हें प्रताड़ित करें और सदन के बाहर इस प्लेट को भेजने की व्यवस्था करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को शर्म आनी चाहिये। आप तो बात करते हैं मुख्य मंत्री की गरिमा की···

(व्यवधान)

सदन की गरिमा की बात···

(व्यवधान)

पिछले महीने सेना के जवानों ने सामूहिक बलात्कार किया···

(व्यवधान)

7 तारीख को, अध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान)

बलात्कार किया है। उसके ऊपर भी सरकार कार्यवाही नहीं करती है। केन्द्रीय सरकार से क्या उन्होंने सम्पर्क किया ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हम कदापि इसको वर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसकी लैंग्वेज को पढ़िये। इसकी भाषा को तो पढ़िये···

श्री देवीसिंह भाटी : 7 तारीख को मास रेप हुआ है बीकानेर के अन्दर...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : भाषा तो पढ़ो। यह भाषा सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इनको शर्म आती नहीं और माथुर की बेटी मंजू···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इस पर क्या लिखा हुआ है। मैं यहां से पढ़ नहीं सकता।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस पर यह लिखा है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री माथुर की बेटी मंजू का सामूहिक बलात्कार। सेना के जवानों द्वारा 7 मार्च को सामूहिक बलात्कार व हत्या···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बात कदापि शोभा नहीं देती···

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हम इसको कदापि वर्दाश्त नहीं करेंगे। यह

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)
प्लेट इस सदन के बाहर फिंकवाई जाय।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) : इससे बढ़ कर और शर्मनाक बात क्या हो सकती हैं, अध्यक्ष महोदय ? सदन में इस तरह का नाटक करना बिल्कुल गलत है।

श्री देवीसिंह भाटी : सही बात को नाटक कहना...

श्री सुजान सिंह यादव : यह सदन की गरिमा के विरुद्ध है...

(व्यवधान)

सदन के...

(व्यवधान)

जिम्मेदार होने के बाद भी इस तरह का नाटक करते हैं, यह सही नहीं है....

(व्यवधान

यह सदन की गरिमा के विरुद्ध है...

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : XXX

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है। क्या हत्यायें नहीं हो रही हैं ? बलात्कार नहीं हो रहे हैं, यह कह दो,

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : या मंजूर करो कि XXX सरकार में हत्या नहीं हो रही है। बलात्कार नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनको ताड़ना दी जाय।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : इस प्रकार की स्थिति होती है और इसके बारे में सरकार कतई चिन्तित नहीं है। अगर इनको चिन्ता होती तो पिछले महीने के अन्दर मज्जा देवी के साथ रेप हुआ था...

(व्यवधान)

उस के ऊपर आपकी सरकार ने क्या किया....

(व्यवधान)

आपको शर्म नहीं आती।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : XXX कांग्रेस (आई) की शक्ति को कमजोर मत समझो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक [illegible]र) : अध्यक्ष महोदय, [illegible]र है।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित [illegible] गई।

एक माननीय सदस्य : इस तरह की बात कहना किसी माननीय सदस्य के लिए कि×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : ये शब्द सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किये जायं ।

श्री सुजानसिंह यादव : यह सदन की मानहानि है सीधी ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अंकित नहीं हो ।

अनेक माननीय सदस्यः +++

श्री सुजानसिंह यादव : इनको दण्डित किया जाय, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है । इस सरकार को डूब मरना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

××

[illegible] र्यवाही आधे घण्टे के [illegible]

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 12.17 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 12.48 बजे प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही पुनः आधे घन्टे के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 12.48 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म.प. 1.18 बजे प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये हैं उनमें से जिन माननीय सदस्यों के नाम अब मैं पुकारूं, वे अपनी बात दो-दो मिनट में कहने का कष्ट करें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय; मेरा व्यवस्था का प्रश्न था उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है । आप कोई व्यवस्था दीजिये । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 291 के तहत ऐसे माननीय सदस्य, जो सदन की गरिमा के खिलाफ, किसी माननीय सदस्य के खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही करते हैं, के बारे में पूर्व में भी व्यवस्था दी गई है इसलिये ऐसी व्यवस्था दी जाकर यह जो

[illegible] ननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

+++मान[illegible] के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री भैरूंसिह गुर्जर)
सत्र चल रहा है, इस सत्र के दौरान, इस सत्र के काल तक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सदन की गरिमा के खिलाफ कार्य किया है, निलम्बित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : यह कोई तरीका है आवाज रखने का।

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अगर बात वाजिब तरीके से रखी जाती तो हम मानते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। बैठ जायं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे आदमी को तो पूरे सत्र के समय के लिये निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों में जिस प्रकार का रोष है, मैं समझता हूं, यह बहुत ही स्वाभाविक है। इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को इस प्रकार की घटना के बाद में रोष निश्चित रूप से होगा। उस रोष का निराकरण भी बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, जो घटना हुई उस की कोई प्रशंसा नहीं करूंगा। आप लोगों को जितनी वेदना है उससे ज्यादा मुझे भी है। आज कोई शिवचरण जी माथुर की लड़की की तख्ती लगा लें तो मैं समझता हूं, कल मेरी लड़की की भी तख्ती लगाई जा सकती है और किसी मैम्बर की लड़की की तख्ती लगाई जा सकती है। किसी भी रूप में...

(व्यवधान)

मैं आपसे कोई दुहाई मांगने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। आप कोई कृपा करें मुझ पर, इसकी भी आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने सदन की कार्यवाही जैसे ही स्थगित की, उस तख्ती को मैंने भी पढ़ा। उस समय तक मैं इस इम्प्रेशन में था कि माननीय सदस्य ने राजस्थान कैनाल के मंत्री श्री चन्दनमल बैद जी के बारे में प्रश्न पूछा है, हो सकता है कि सी.ए.डी. के संबंध में किसी प्रकार की कोई तख्ती लगा रखी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो। उस वक्त उस तख्ती को मैंने ध्यान से नहीं देखा था और न मैं इतनी दूर से पढ सकता हूं। लेकिन जब तख्ती को पढ़ा, मुझे निश्चित रूप से वेदना हुई है। मुझे इस बात का दुःख है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य ने इस प्रकार का व्यवहार किया। उसको किसी भी रूप में मैं डिफेन्ड करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस सदन की गरिमा केवल इसी बात मे नहीं बढ़ती है कि सदन में किस प्रकार का सुन्दर आचरण किया जाय, सदस्यों के व्यवहार का असर सदन की गरिमा के संबंध में भी होता है और सदन की बैठकों में किसी माननीय सदस्य का सदन मे किस प्रकार से व्यवहार है, इसका भी रिफ्लेक्शन टोटल डैमोक्रेटिक सैट-अप से संबंधित है। आज हम यदि इस सदन में ठीक प्रकार से आचरण नहीं करते तो जनता केवल यहां 200 विधायक, यहां बैठे हैं उनका मजाक उड़ायेगी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि लोकतन्त्र के प्रति लोगों की आस्था निश्चित रूप से कम होगी। लोकतन्त्र में जन-सामान्य की आस्था बनी रहे और उसको बनाये रखने के लिए हम किस प्रकार से व्यवहार करें यह सामूहिक रूप से हमारी जिम्मेदारी है, व्यक्तिशः भी हर मेम्बर की जिम्मेदारी है। इस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कुछ किया वह अच्छा नहीं है। विरोधी पक्ष के नेता की जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है उस नाते मैं इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं कि विरोधी दल के एक सदस्य की तरफ से इस प्रकार का व्यवहार हुआ और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी इसके ऊपर खेद प्रकट करेंगे। मैं ही नहीं मेरे अन्य साथियों, जो विभिन्न दलों के नेता हैं, ने बैठ कर भी इस प्रश्न पर विचार किया। गम्भीरता से इस सारी स्थिति को देखा। स्थिति देखने के बाद हमारी सबकी यह मान्यता है कि इस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिये। जो आचरण माननीय सदस्य ने किया है उसकी तो मैं निन्दा करता हूं और जो घटना घटी उसके लिए मैं सदन से खेद प्रकट करता हूं। साथ ही मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल शिवचरण माथुरजी का ही अपमान नहीं है यह मेरा भी उतना ही अपमान है और जिन माननीय सदस्य ने इस प्रकार की तख्ती लटकाई है उनका भी इसी मात्रा में अपमान है।

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न आता है कि माननीय सदस्य को इस सदन से इस सैशन के खतम होने तक के लिए निकाला जाय या नहीं निकाला जाय। यह तो मैं अपनी तरफ से कोई निवेदन नहीं करना चाहता। इसे तो मैं आपके विवेक और बड़प्पन पर छोड़ना चाहता हूं। आप फैसला करें। यदि आप निकाल कर सदन की गरिमा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ायें, यदि सस्पेन्ड करके आपके सदन की गरिमा बढ़ाना चाहें और बढ़ती हो तो आप बढ़ायें, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है . . .

(व्यवधान)

मेरा अपना अनुभव है कि सदन जो बड़प्पन दिखाता है, जो प्रेस दिखाता है उससे सदन की गरिमा बढ़ती है। यह सदन अपने आप में सुप्रिम कोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सुप्रिम कोर्ट जो चाहे जो फैसला कर सकता है। यह मेम्बर को इस सदन से ही नहीं, मेम्बरशिप से भी हटा सकते हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
जिस संगठन को या जिस संस्थान को इतने बड़े पावर्स मिले हुए हों, वह पावर्स जल्दी में यूज करें तो इससे कोई सदन की शोभा बढ़ेगी इस प्रकार की बात मुझे नहीं लगती····

(व्यवधान)

ऐसा मैं समझता हूं कि बार-बार रिपीट करने की कोई बात, आवश्यकता नहीं है। मैं खुद कह चुका हूं कि शोभा नहीं बढ़ती है इस प्रकार की घटना से। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि बहुमत में जो पार्टी बैठी है उस पार्टी की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। ज्यादा जिम्मेदारी इस बात की हो जाती है कि वह किस प्रकार की परम्परा निभायेंगे। यह परम्परा न चले चूंकि एक मैम्बर ने ठीक प्रकार का व्यवहार नहीं किया तो उनको सत्र से बाहर निकाल दिया जाय, सदन की मैम्बरशिप उनकी समाप्त कर दी जाय। परम्परायें तो हम ऐसी बनाकर चलें कि इन परम्पराओं के आधार पर···

एक माननीय सदस्य : श्रीमती गांधी को सदन से निकाला था तब क्या परम्परायें डाली थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह परम्परा आपने निभाई है। अगर उसी परम्परा से आप इन्दिरा गांधी की तुलना में इनको लाना चाहते हैं, तो इनको निकाल दीजिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस समय वह सदन की नेता थी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

एक माननीय सदस्य : वह भी उस समय सदन की नेता थीं। यह भी सदन के नेता हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घटनायें अलग अलग हैं। इन्दिरा गांधी का संदर्भ यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। इन्दिरा गांधी के साथ जो हुआ या उनको सदन से पहले निकाला उस उदाहरण के आधार पर यदि आप देवीसिंह जी को निकालना चाहें, उस परम्परा को निभाना चाहें··

(व्यवधान)

हमें कोई आपत्ति नहीं है।

यदि इन्दिरा गांधी को आज के तीन वर्ष पहले निकाला उसका बदला देवीसिंह जी को सदन से बाहर निकाल कर लिया जाय··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री देवीसिंह भाटी के गले में लटकी हुई तख्ती व उस पर अंकित इबारत के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले आसन की अनुमति चाहिए। मुझे एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और प्रस्तुतकर्ता यह चाहते हैं कि उस प्रस्ताव को इस सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय। नियम 157 और 158 के तहत इस प्रस्ताव को मैंने देखा। नियम 157 और 158 के

52

(श्री अध्यक्ष)

तहत उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रस्तावकर्ता को अनुमति देता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 10-3-83 को सदन में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी अपने गले में एक तख्ती लटका कर आये थे जिसमें सदन के नेता के परिवार के विषय में निम्नलिखित अंकित किया गया था–

"राजस्थान के मुख्य मंत्री, माथुर की बेटी मंजू के साथ सामूहिक बलात्कार सेना के जवानों के द्वारा"।

यह बातें अत्यधिक अशोभनीय एवम् सदन की गरिमा को गिराने वाली हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी को सप्तम विधान सभा की सदस्यता से शेष अवधि के लिए निष्कासित किया जाय।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (विधि मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा इससे गिरती है इसमें दो राय नहीं हैं। यह कहना कि खेद प्रकट करते है काफी नहीं है। एक आदमी कत्ल करके आता है और वह माफी मांग लेता है, क्या उसको माफी दे दी जायेगी····

(व्यवधान)

ठहरिये, सुनिये····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य आवेश में न आयें।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा झूठा और अशोभनीय इल्जाम लगाया गया है जिसमें माफी नहीं दी जा सकती। जो प्रस्ताव माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं सोचता हूं कि इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी। आयन्दा किसी को हिम्मत नहीं होगी इस किस्म की जलील हरकत करने की।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रिविलेज मोशन मूव किया है प्रिविलेज के हिसाब से तो मैं समझता हूं कि इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो घटना घटी है, जैसा प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, देवीसिंह जी मेरे दल के मेम्बर होने के कारण माननीय देवीसिंह जी की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। उनको यह नहीं करना चाहिये था। अगर मुझे पता होता कि वे ऐसा करने वाले हैं या करेंगे, ऐसी तख्ती लटकायेंगे, इस तख्ती को पहले देख लेता तो मैं कहता कि भाई ऐसी तख्ती····

(व्यवधान)

सुन लीजिये।

तो मैं उनको रोकता। किन्तु उन्होंने लटका दी। जो कुछ भी उन्होंने उस पर लिखा है उसमें चीफ मिनिस्टर की लड़की के ऊपर कोई तरह का रिफ्लेक्शन नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : चीफ मिनिस्टर की बेटी लिखा है। कैसे नहीं है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : वह तो प्रोसीडिंग्स में है। आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उनको आप अपनी बात कहने दीजिए।

श्री कमलेन्द्र सिंह : कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर को राजस्थान के एक फादर के रूप में, बाप के रूप में मानकर क्योंकि यह घटना एक हरिजन लड़की के साथ घटी थी उसको पाइन्ट आउट करने के लिए किया था। मेथड उन्होंने जो काम में लिया वह गलत है।

(व्यवधान)

जो मेथड काम में लिया था वह गलत है, मैं मानता हूं।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अच्छा गलत मान कर बहाने बनाने की कोशिश मत कीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री कमलेन्द्र सिंह : उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। किन्तु जैसा अभी लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कत्ल कर दिया है, कोई कत्ल जैसी बात नहीं है। इतना सीरियस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिविलेज मोशन मूव करके उनको पूरे टर्म के लिए सातवीं विधान सभा से सस्पेंड करना मैं समझता हूं कि बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं। आप थोड़ा सा ठण्डे दिमाग से सोचेंगे तो कोई न कोई रास्ता ऐसा मिलेगा जिसमें वह रिग्रेट भी शो कर सकते हैं। इससे हाउस की गरिमा भी बढ़ेगी। जो मेजोरिटी पार्टी इस पर इंसिस्ट कर रही है कि इनको यहां से निकाल देना चाहिये, इस सदन से सस्पेंड कर देना चाहिये, पनिश करना चाहिये, उस चीज के लिये मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनको रिग्रेट करने दें। वह यहां सदन के सामने क्षमा मांग लें। उसके बाद उनको छोड़ देना चाहिये।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द निवेदन करना चाहती हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष। मैं इजाजत दे दूंगा सभी माननीय सदस्यों को।

श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जिस सफाई के साथ में इस इतने शर्मनाक वाकिये को सिर्फ खेद प्रगट करके टालने की कोशिश की है और यह कहा है कि अगर हम कम सजा देंगे तो सदन में एक बहुत भारी गरिमा की हम अनुपालना करेंगे। मैं समझती हूं कि यह गरिमा शब्द का खुद का अपमान है। सदन के जिस जिम्मेदार सदस्य ने अपनी बहिनों और बेटियों की इस तरह की बेइज्जती की है उनको माफ करने का विचार भी करें तो किस प्रकार से वह समाज में निकलेंगे और किस प्रकार से वह सड़कों पर जायेंगे और किस प्रकार से अपने घरों में जायेंगे। यह अपने आप में सोचने की बात है कि गरिमा बढ़ाने के नाम पर इस प्रकार के कुकृत्य को, इस प्रकार के अशोभनीय, जिससे नीच कृत्य कोई भी हो नहीं सकता

(54)

(श्रीमती कमला)

महिला समाज के लिये, हमारे समाज के लिये नहीं हो सकता, इस प्रकार का कृत्य हमारे सदस्य ने किया है उनको माफ करने की बात की जाय, मैं तो इनको माननीय कहने में भी सकुचाती हूं लेकिन आपकी परम्परा है इसलिये मैं कहती हूं। लेकिन आज का दिन इस विधान सभा और राजस्थान के इतिहास में, इस प्रजातांत्रिक ढांचे के इतिहास में अपने आप में सबसे काला दिन है। आज के दिन माननीय सदस्य ने इतनी जुर्रत की, वह सबसे ज्यादा काला दिन इसलिये भी है कि सामने बैठे हुए भाई, जिनके बहिने भी हैं, भाई भी हैं, बेटियां हैं, सभी हैं, आज इस कुकृत्य को छुपाने के लिये राजनैतिक पर्दे के पीछे इस तरह की दलीलें देते हैं। मैं समझती हूं कि उनको कुछ भी नहीं कहना चाहिये था। उनको साफ यह कहना चाहिए था कि यह हमारे लिये बहुत गलत काम हुआ है, बहुत गलत परम्परा पड़ रही है। इसमें जितनी सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सकती है उसके लिये विरोधी पक्ष तैयार है। लेकिन इनको बचाने के लिये इस तरह की दलीलें दे करके इसको कम सजा देने का, सजा कम करने का मतलब यह है कि इस हाउस के अन्दर ऐसा कोई भी व्यक्ति रहने के लायक नहीं है जो इसके बाद भी इसका समर्थन करे कि इनको कम सजा दी जानी चाहिये। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अगर राजस्थान के समाज में बहिनों और बेटियों की इज्जत के ऊपर इस तरह के हमले किये और राजनीति के नाम पर किसी को, क्योंकि वह किसी पर्टीक्यूलर राजनैतिक पार्टी का सदस्य है, बचाने के लिये माननीय सदस्यों का यही स्तर बना रहा तो यह प्रजातंत्र और समाज की मर्यादा, यह नैतिक और सामाजिक मूल्य टूट टूट करके बिखर जायेंगे। मैं नहीं मानती कि मेरी पार्टी के माननीय सदस्य किसी भी प्रकार के कम एक्शन को मंजूर करेंगे क्योंकि वह हम स्वयं पर रिफ्लेक्ट करेगा कि हम इस प्रकार किसी भी हरकत का हम निराकरण करने की क्षमता में नहीं थे और मन में नहीं थे। इसलिये इससे कम कोई भी एक्शन होना मैं समझती हूं कि इस हाउस की गरिमा के विपरीत होगा, अनुकूल नहीं होगा। इसलिये इस हाउस की गरिमा को रखने के लिये और इस प्रकार हरकतों को सदा सदा के लिये दफनाने के लिये यह जरूरी है कि जो माननीय मुख्य सचेतक जी ने प्रस्ताव रखा है उसको हाउस पूरी एक राय से मंजूर करे। जो मंजूर नहीं करेंगे वह समाज में अपनी स्थिति को बचाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, किसी प्रकार से भी अपना मुंह इस समाज में दिखाने के लायक नही रहेंगे। मैं समझती हूं कि यह होगा आपने अगर इस प्रकार की बात पर गौर की।

श्री अध्यक्ष : श्री पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री खेतसिंहजी साहब ने कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य के निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, निष्कासन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं सदन में लेट आया था। वह मैंने माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय के पास देखा था। मुझे इस बात का तो अफसोस है, माननीय देवीसिंहजी को इस तरह नहीं करना चाहिये था। प्रस्ताव के पक्ष में माननीय कमलाजी, माननीय हमारे

(श्री गोपाल पचेरवाल)

विधि मंत्री महोदय, अन्य माननीय सदस्य भी हैं, वह उसकी पुष्टि में या पक्ष में माननीय सदस्य के निष्कासन के लिये अपनी जोरदार पैरवी करेंगे। मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि माननीय देवीसिंहजी का निष्कासन किया जावे। मेरे कहने का मतलब यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को बड़ी पीड़ा महसूस हो रही है। उसको सदन की बड़ी गरिमा का देश की मां बहिनों की इज्जत का सवाल समझा जा रहा है। उन्होंने यह अच्छा काम नहीं किया कि सदन के नेता के लिये इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। मैं भी उसकी आलोचना करता हूं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सारे माननीय सदस्य अपने बहुमत के आधार पर फैसला करेंगे.....

(व्यवधान)

पॉलिटिक्स नहीं है यह।

श्रीमती कमला : आप कह दीजिये कि मां बहिनों की इज्जत का सवाल नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : इस देश की नारियों के लिये माननीय सदस्यों को बड़ी पीड़ा हो रही है, माननीय नेता महोदय के नाम पर अप-शब्दों का प्रयोग करते हुए एक तख्ती अपने गले में डाल कर यहां आये, यह निश्चित रूप से दुखद बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुखद बात इसमें है कि जिन वर्गों को दलित वर्ग, पिछड़ा हुआ वर्ग, शोषित वर्ग सामाजिक आधार पर माना जाता है, जिसको राजनैतिक आधार पर भी...

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, शांत रहे। कृपया बाधा नहीं पहुंचायें। अपनी बात कहने का सभी माननीय सदस्यों को अधिकार है। कृपया इन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी कितनी सुरक्षा कांग्रेस कर रही है, मुझे पता है ...

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप बहिनों और बेटियों की इज्जत के सवाल को इस तरह से मत करो ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी कृपया कृपया।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बड़े उत्तेजित हो रहे हैं, होना स्वाभाविक है। क्योंकि वह घटना ऐसे वर्ग की लड़की के साथ घटी है जिसको सदियों से सामाजिक आधार पर, राजनैतिक आधार पर उपेक्षित रखा गया है, धार्मिक स्तर पर उपेक्षित रखा गया है। यही घटना यदि आज किसी और वर्ग की लड़की के साथ घटती वह अगर हरिजन की लड़की होने के बजाय वह ब्राह्मण की लड़की होती, किसी जागीरदार की लड़की होती और उसके लिए माननीय देवीसिंहजी सदन में यह बात उठाते तो मैं

56

(श्री गोपाल पचेरवाल)

समझता हूं कि इस तरह का सवाल पैदा नहीं किया जाता। मैं कहता हूं कि यह बहुत अशोभनीय बात है कि माननीय देवीसिंहजी ने इस तरह का पट्टा अपने गले में डाला लेकिन उससे भी ज्यादा नीचता का सवाल यह है, ज्यादा निन्दनीय सवाल यह है कि एक गरीब परिवार की, एक अछूत परिवार की लड़की के साथ, सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित परिवार की लड़की के साथ बलात्कार हो, इस तरह की घटना घटे, बजाय इसके कि उन दोषियों को दण्डित किया जाता कांग्रेस के सदस्य ऐसा रुख अपना रहे हैं। मैं कहता हूं कि माननीय देवीसिंह जी को फांसी की सजा दे दीजिए लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

आज मुख्य मन्त्री राजस्थान का पिता है। आप समाजवाद की दुहाई देते हैं तो राजस्थान का हर दलित आदमी, पिछड़ा हुआ व्यक्ति इन्दिरा गांधी को अपने देश की नेता मानता है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री को भी हरिजन अपना संरक्षक मानता है। श्री देवीसिंह ने यह कहा है, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री की लड़की है। यह बात नहीं है। मुझे दुख इस बात का है, राजस्थान के मुख्य मंत्री एक भंगी की लड़की को अपनी लड़की मानने के लिये तैयार नहीं हैं, मुझे इस बात का दुःख है। मुझे माननीय मुख्य मंत्री का..

श्री अहमद बख्श सिंधी (विधि मंत्री): आप हाउस में सवाल पेश करते फिर कहते।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विधि मंत्री जी, कृपया।

श्री गोपाल पचेरवाल : वक्तव्य यह होता कि मेरे प्रदेश की लड़की के साथ, उस सारे शहर की लड़की के साथ एक गरीब लड़की के साथ अन्याय हुआ है तो माननीय मुख्य मंत्री का बड़प्पन होता। माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों का बड़प्पन होता, अगर वे कहते, राजस्थान की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, समाज के उपेक्षित वर्ग की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, राजस्थान के मुख्य मंत्री की बेटी है, मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय करने वाले और ज्यादती करने वाले को दण्ड दिया जायगा, तो माननीय मुख्य मंत्री का बड़प्पन होता और आप लोगों का बड़प्पन होता। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री शब्द को जोड़ दिया गया तो आपको पीड़ा हो गई। आपके घर में आग लगेगी तब आपको पता चलेगा। यह उस बेटी का बाप जानता है, जिसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। यह उस बेटी का भाई जानता है, वह लड़की जानती है जिसके साथ बलात्कार हुआ है। आपके घर में आग लगती है तो आपको पता चलता है। आपको पता नहीं है। क्योंकि आपके लोग यह जुर्म करने वाले हैं, आपके समाज के लोग हैं, वह सवर्ण समाज के लोग हैं। जब सवर्ण समाज के लोग गरीबों के साथ अन्याय करेंगे, देवीसिंह जी भाटी ने जो काम किया श्रीमन् वह काम तो गोपाल पचेरवाल को, मांगीलाल आर्य को, दुलारामजी को, छीतरलाल जी को करना चाहिये था। मुझे तो इस बात की खुशी है, फिर चाहे माननीय देवीसिंह जी को आप

(श्री गोपाल पचेरवाल)
निष्कासित कीजिये, फांसी की सजा दीजिये,

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री गोपाल पचेरवाल : मुझे खुशी होगी इस बात पर कि माननीय देवीसिंह जी, जो जनता पार्टी के विधायक हैं, को एक भंगी की बेटी का सवाल उठाने पर सदन से निष्कासित किया जा रहा है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि जनता पार्टी का विधायक इस प्रकार की बात करे तो यहां जय प्रकाश नारायण की नीतियों में विश्वास रखने वाले, गांधीजी के सिद्धान्तों में आस्था रखने वाले आदमी को भंगी की आवाज उठाने पर आज सदन से निलम्बित किया जाता है। मुझे इस बात की खुशी है। मैं देवीसिंह जी भाटी का अभिनन्दन करूंगा कि उनको गरीब हरिजन की बेटी की बात को लेकर सदन से निष्कासित किया गया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो समाज की रचना है उसमें हरिजन वर्ग की लड़की के साथ ऐसा हुआ...

(व्यवधान)

आप कहें, यह आपके साथ हो तब आपको पता चलता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक दल के नेता ने जो प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। उसके बावजूद जो देवीसिंह जी ने किया, अशोभनीय तरीके से किया मैं उसकी निन्दा करना चाहूंगा, फिर भी हमारे विधायक दल के नेता ने जो कहा, उनको आप पूरे सदन से निष्कासित नहीं करें। दोषियों को दंडित किया जाना चाहिये। माननीय देवीसिंह जी के लिये हमारे दल के नेता ने जो प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आप उत्तेजित हो रहे हैं, उत्तेजित आप इसमें होइये। आपकी जिम्मेदारी है, आप राज चला रहे हो। आप आये दिन बीस सूत्री कार्यक्रम का नारा देते हो, आप गरीबों और हरिजनों के उत्थान की बात करते हो, आप हरिजन उत्थान और उनकी रक्षा की बात करते हो, अल्प संख्यक समुदाय की रक्षा की बात करते हो लेकिन आप उनकी रक्षा तो कीजिये। आये दिन बहिन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, माननीय कमला जी को उसमें कोई परेशानी नहीं है। माननीय कमला जी को सिर्फ परेशानी इसलिये है कि उनके नेता के नाम से उसको जोड़ दिया गया है। आये दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आये दिन महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य

श्री गोपाल पचेरवाल : इसमें पीड़ा नहीं है, समाज में उनको लेकर कोई आपत्ति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं। मैं आपसे ज्यादा जोर से बोलना जानता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जितनी चिन्ता उस दोषी को दंडित करने के लिये आपको होनी चाहिये थी, माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया शांत रहें।

58

श्री गोपाल पचेरवाल : आप देखेंगे, आपका सर्वोच्च पद है, आपके आदेश की पालना सदन करेगा। आपका आदेश क्या होगा, हम तो उसके लिये कुछ नहीं कह सकते हैं, वह तो आपके बड़प्पन के ऊपर निर्भर है। फिर भी इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। रहा सवाल आप इन्दिरा गांधी से देवीसिंह जी की तुलना करते हो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बी. डी. कल्ला। आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि विरोधी दल के लोग सदन की गरिमा को ताक में रख कर..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : क्या होता है 'लोग' ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि सदन के समक्ष एक बहुत ही गंभीर मसला विचाराधीन है। कृपया इसमें धैर्य वरतें दोनों पक्ष की ओर से जो बातें कही जा रही हैं, उनको ध्यान से सुनें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : राजनीतिक उपयोग न करें। जिस तरीके से माननीय देवीसिंह भाटी जी ने यहां सदन को गुमराह किया, सदन के सामने जो गलत तथ्य रखे उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। माननीय पचेरवाल जी ने अभी जो बातें कही, उस संदर्भ में पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की। इससे संबंधित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिये इस संबंध में इस तरह की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ख्वाहमख्वाह इन्होंने हमारे सदन के नेता के बारे में गलत तरीके से जो तथ्य रखे वह इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। जिस घटना का जिक्र अभी पचेर-वाल जी ने किया उसके ऊपर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की। 6 घंटे के अन्दर अन्दर अपराधी को गिरफ्तार करके शिकंजे में ले लिया, इसलिये इसकी कोई बात ही नहीं थी। जिस प्रकार से उस घटना के बारे में अभी बढ़ा चढ़ा करके कह कर सामूहिक रूप से रक्षा कर्मचारियों के बारे में आरोप लगाये गये हैं वह भी गलत हैं। एक व्यक्ति इस घटना से संबंधित था। मेजर, चूंकि उस जगह नहीं था, वह छुट्टी पर गया हुआ था उसकी अनुपस्थिति के समय में किसी व्यक्ति द्वारा यदि अपने व्यक्तिगत कारणों से कोई घटना की गई है तो उसकी हम भर्त्सना करते हैं। उसके खिलाफ कार्य-वाही की गई है। फिर इस घटना से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने गलत तरीके से सदन को जो सूचना दी है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छू राम।

श्री लच्छू राम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने यह जो मसला है, यह न कोई बहस का है, न कोई कानून दिखाने का है। वास्तव में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सदन में किसी भी प्रकार की कोई घटना, समस्याएं या बातें रखने के बहुत से माध्यम हैं, उन माध्यमों के द्वारा घटनाएं और बातें रखी जा सकती

(श्री लच्छूराम)

हैं। लेकिन विरोध पक्ष के हमारी जनता पार्टी के माननीय विधायक देवीसिंह जी ने जिस तरीके से अपने विचारों को उजागर किया वह तरीका उपयुक्त नहीं था। उनकी मंशा एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार को उजागर करने की थी लेकिन उसके माध्यम और बहुत हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : वह हाउस में लाते।

श्री लच्छू राम : इसके दूसरे दूसरे कई साधन हैं। मेरा इस सदन से यह अनुरोध है कि देवीसिंह जी ने जो कुछ किया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अन्दर, प्रजातंत्र के अन्दर सदन की गरिमा के लिये कोई उपयुक्त बात नहीं है, न अच्छी है, इसका सदन के अन्दर और बाहर प्रतिकूल ही असर पड़ेगा। परन्तु सम्माननीय सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घटना हुई है, हमें ज्यादा बहस में, कानून में नहीं जा कर के सहृदयता के साथ, बहुत ही लिबरल तरीके से इस घटना पर विचार करना चहिये। जैसे हमारे विरोध पक्ष के माननीय नेता ने कहा, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। खेद प्रकट करने वाली बात हां है। खेद न प्रकट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन इसके साथ-साथ मेरा सदन से यह अनुरोध है, जैसा कि प्रस्ताव रखा गया है पूरी सातवीं विधान सभा के सत्र के अन्त तक, 85 तक सदन से निष्कासित किया जाय, उसके सम्बन्ध में पुन: विचार करें। इस प्रकार से अगर उन्होंने यह कर दिया सदन के सामने तो कोई सदन की गरिमा का सवाल नहीं है, अब क्या इसीलिए एक सदस्य को पूरे सत्र के लिए निकालें ? यह हो सकता है, हमारे माननीय सदस्य खेद प्रकट कर सकते हैं। खेद तो प्रकट करेंगे ही। इस प्रकार का कठोर स्टेप सम्माननीय सदन लेता है तो सदन के लिये भी गरिमापूर्ण नहीं होगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से इस सदन से अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो आचरण इस सदन में किया वह उपयुक्त नहीं है, उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं, मेरा दल भी खेद प्रकट करता है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय, सदस्य से विधान सभा के सामने खेद प्रकट करवा लिया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आज जो घटना घटी उस घटना घटने के बाद मुझे "मे" की पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस की किताब और संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार, शकधर और कौल की किताब, दोनों पढ़ने का अवसर मिला। संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार, जो महेश्वर नाथ कौल तथा श्यामलाल शकधर ने लिखी है, में यह लिखा है "सदस्यों द्वारा सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई अवांछनीय, गरिमा रहित और अशोभनीय आचरण या अपने कर्तव्य की अवहेलना या उल्लंघन और उससे संबंधित अपराध सभा द्वारा कदाचार समझे जा सकते हैं। 18 फरवरी, 1963 को संसद में जब राष्ट्रपति जी संयुक्त सदन को एड्रेस कर रहे थे तो पांच संसद सदस्यों का जो व्यवहार था उसके ऊपर इसमें कोट किया गया है। उनके आचरण को संसद ने गलत समझा और उनका एक्सपल्शन किया। ठीक इसी प्रकार इस "मे" की पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में · · ·

श्री राजबहादुर : Expulsion for life of the House.

श्री सी.पी.जोशी : No. I am not telling that I am quoting that.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Expulsion is expulsion.

श्री सी.पी. जोशी : "The purpose of expulsion is not so much disciplinary as remedial not so much to punish members as to rid the House of persons who are unfit for membership."

यह जो माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा इसमें एक्सपल्शन का क्लाज रखा है इसकी मंशा यही है कि माननीय सदस्य का व्यवहार इस सदन की गरिमा के अनुरूप तो नहीं है लेकिन यदि इनको एक्स-पेल नहीं करेंगे तो यह व्यवहार भविष्य में री-इन्फोर्स और होगा। ऐसा न हो, इसके प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम यह मानते हैं कि भविष्य में जो सदस्य चुन कर आयें उनके सामने यार्डस्टिक और स्टेण्डर्ड होना चाहिये। इस तरह के व्यवहार पर केवल मात्र कह दें कि भर्त्सना करते हैं तो ऐसा व्यवहार वापस री-इन्फोर्स होगा, री-आकरेन्स ज्यादा होगा। मैं समझता हूं कि मेज की पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में भी माननीय सदस्यों के व्यवहार के बारे में एक्स-पल्शन का क्लाज है। ऐसे व्यवहार और आचरण के लिए समय-समय पर सदन ने ऐसे सदस्यों को प्रताड़ित किया है, बाहर निकाला है। इसलिए आज जो आचरण किया है इसके लिए इनको सदन से बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में कोई आदमी सार्वजनिक जीवन में काम करना ही बन्द कर देगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस है और जो कोल एण्ड शकधर की लिखी हुई है, और जो राजस्थान विधान सभा में राम प्रसाद जी लढ्ढा और मथुरा दास जी माथुर के सम्बन्ध में रूलिंग दी हुई है उन सब को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव रखा है उसको इस रूप में न लेकर कि विरोधी दल के किसी सदस्य ने यह व्यवहार कर दिया है, बल्कि चाहे सत्ता पक्ष का ही कोई सदस्य हो यदि ऐसे व्यवहार को किसी तरीके से कण्डेम नहीं करेंगे तो यह री-इन्फोर्स होगा। यह सब समझते हुए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि हमें कोई न कोई यार्ड-स्टिक और मापदण्ड निर्धारित करने के लिए कहीं न कहीं से प्रारम्भ करना पड़ेगा। इसलिए हम निश्चित तौर पर जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के समक्ष: . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री यदुनाथ सिंह। मैं एक एक माननीय सदस्य को समय दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : अध्यक्ष महोदय, जो घटना सदन में घटी वह न सिर्फ बुरी थी, अशोभनीय भी थी। विधान सभा या लोक सभा में जो सदस्य जाते हैं उनका कर्तव्य होता है कि जनता की तकलीफों को सदन के समक्ष रखें और यह सदन उन पर कार्यवाही करे। लेकिन उसका तरीका हमारे रूल्स एण्ड प्रोसीजर में दर्शाया गया है। जो तरीका देवीसिंह जी ने अपनाया वह निश्चित

(श्री यदुनाथ सिंह)

रूप से गलत था लेकिन जिस बात को लेकर उन्होंने बात उठाई वह किसी दूसरे माध्यम से उठाई जा सकती थी। इसका मुझे भी खेद है और सारे सदन को भी इसके बारे में खेद है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हम प्रिविलेज मोशन पर इस समय बहस कर रहे है। इस समय सदन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। जब सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में सदन बैठा हुआ है तो हम किसी राजनीतिक भावना से, राजनीतिक बहुमत को आधार बना कर कोई फैसला कर लेंगे तो निश्चित रूप से आगे के समय के लिये गलत परिपाटी हो जायेगी, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को मजाक का विषय बना दिया जायेगा। निश्चित रूप से उनका जिस प्रकार का कर्म है, जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया, वह निंदनीय है। उसको न हमारी ओर से, न आपकी ओर से कोई उचित बता रहा है। उनका कर्म निंदनीय है लेकिन फिर भी इस पर विचार करते समय सदन राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर बात न करे। सदन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा है जो इस समय बैठा हुआ है इसलिये इस जगह पर न्यायाधीश होता तो क्या फैसला करता, उनकी भावना का क्या मतलब निकालता उस हिसाब से सोचने का काम करें। पूरे विधान सभा सत्र, पूरे टर्म के लिये एक्सपल्शन करने का जो प्रस्ताव सरकार की ओर से माननीय मुख्य सचेतक जी ने रखा है वह बहुत कड़ा कदम होगा। कल को मैं कोई भी पट्टी लगा कर आ जाऊंगा तो इसका रेफरेन्स देकर, इसको आधार बना कर न सिर्फ राजस्थान विधान सभा में बल्कि और राज्यों की विधान सभाओं में भी कार्यवाहियां करना शुरू किया जा सकेगा। इसको आधार बना कर सदन से बाहर निकाल देना बड़ी कड़ी सजा होगी। इसलिये सदन इस पर फिर से विचार करे। मैं रूलिंग पार्टी से निवेदन करूंगा, आपके पास तो बहुमत है, बहुमत के आधार पर फैसला कर सकते हैं। लेकिन वह हमारी परंपरा के अनुसार अच्छी शुरुआत नहीं होगी। इसलिये सदन इस पर पुनर्विचार करे और इस सजा को कम करने का काम करे। यह निश्चित रूप से बुरा काम किया है। उनको इसके लिये ताड़ना भी मिलनी चाहिये और मामूली से मामूली सजा हो इस व्यवहार के बारे में, यह मैं चाहूंगा। माननीय सदस्य भी अपने बारे में कुछ कहें अपनी तरफ से, यह भी चाहूंगा। इतना ही कह कर सदन से निवेदन करूंगा कि एक जज की हैसियत से सदन अपने आपको समझे और उसी हिसाब से सोचे, किस तरह का फैसला एक जज करता है। एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको प्रोटेस्ट करने का तरीका था विधान सभा के बाहर इस प्रश्न को उठाया जाता। वह तरीका उचित था लेकिन हाउस में जिस प्रकार का आचरण किया इसकी कोई सराहना नहीं करता। इसका आपसे ज्यादा हमे खेद है क्योंकि यह हमारी बैंच की तरफ से हुआ है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन इसमें नरमी का रुख अपनाये। कोई गलत परंपरा संसदीय प्रणाली में न पड़े, इसका ख्याल रखते हुए पुनः विचार करके इस प्रस्ताव को परिवर्तित करने का काम करे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह -

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन, राजस्थान विधान सभा की निर्णय लेने की शक्ति;

(श्री हरिसिंह)

सूझ-बूझ और तर्क कसोटी पर है। आज राजस्थान की जनता ही नहीं, समस्त भारत वर्ष की विधान सभाएं देखेंगी कि राजस्थान विधान सभा की गरिमा की धज्जियां उड़ाई जा रही थी उस समय राजस्थान की विधान सभा ने क्या कदम उठाया। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि राजस्थान विधान सभा की गरिमा पर आंच आई या नहीं, उसकी धज्जियां उड़ी या नहीं, कंटेम्प्ट हुआ या नहीं, इस सम्बन्ध में तो इस सदन में दो राय अभी आई नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पर सहमत हैं कि राजस्थान की विधान सभा में जो कृत्य हुआ है वह इसकी गरिमा के प्रतिकूल है, प्रजातन्त्र के नियमों के और डेमोक्रेसी के बिल्कुल प्रतिकूल है और इस सम्बन्ध में सजा राजस्थान की विधान सभा को देनी चाहिये। प्रश्न इस बात का है कि वह सजा क्या हो? वैसे विपक्षी दल की ओर से कहा गया, निश्चित रूप से हम कोई रोषपूर्ण कदम नहीं उठा रहे हैं, संयम से काम ले रहे हैं। विधान सभा माफ भी कर सकती है। जब उसकी गरिमा पर आंच आती है, कोई कृत्य ऐसा हो जाता है तो माफ भी कर देते हैं। लेकिन देखना यह पड़ता है कि जो कृत्य किया गया वह अनायास, अचानक ही हो गया। अगर ऐसा काम हो जाता है तो माफ कर भी देते हैं, टच ही नहीं करते लेकिन यह जो कृत्य किया गया यह कोई अनायास नहीं हुआ है। यह तो जान बूझ कर, प्लान करके, सोच समझ कर किया गया है। यदि ऐसा कदम उठाया गया है तो विधान सभा को भी मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। ऐसी सजा देनी पड़ेगी ताकि आइन्दा ऐसा करने की कोई हिम्मत न कर सके। हम सजा ऐसी देना चाहते हैं जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई नतीजा निकले। यह एक माननीय सदस्य ने किया है। इस सदन के जितने भी सदस्य बैठे हैं वे इस सदन के जिम्मेदार सदस्य हैं, जिम्मेदार सदस्य को ही यहां रहने का अधिकार है। जो व्यक्ति अपने को गैर-जिम्मेदार करार दे देता है अपने एक्शन से उस व्यक्ति को इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये ऐसे व्यक्ति के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो एक्सपल्शन की सजा विधान सभा दे रही है यह कोई ज्यादा सजा नहीं है, मुनासिब सजा है। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज के हाउस में जो घटना हुई उसके लिये ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आपस में बातें न करें।

श्री चतुर्भुज : उस घटना की मैं भर्त्सना करता हूं। मेरी राय यह है कि विरोधी दल के नेता का हम सम्मान करते हैं, करते आये हैं और यह हमारा कर्तव्य भी है। हमारे नेता से अधिक सम्मान करते हैं प्रति-पक्ष के नेता का, यह हमारा फर्ज और कर्तव्य भी है। आज ही नहीं आज से पहले भी मैंने सुझाव दिये हैं, कहा है और कहता रहा हूं कि आसन और हाउस की परम्परा के विपरीत भाषा का आये दिन उपयोग किया जा रहा है। हमारा जो कर्तव्य है, राजस्थान की 3 करोड़ जनता की समस्याओं का समाधान

(श्री चतुर्भुज) —
करने के लिये यहां बैठे हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं। तेरी-मेरी की नुक्ताचीनी में पूरा दंगा होता रहता है। इसलिये पहले भी मैंने सुझाव दिये थे। जो घटना आज हुई वह हमारे राजस्थान की ही नहीं हिन्दुस्तान की परम्परा और प्रजातन्त्र के खिलाफ हुई। विरोधी दल के माननीय सदस्य भी इसे अच्छा नहीं बता रहे हैं, उनके नेता भी अच्छा नहीं बता रहे हैं। यदुनाथसिंह जी ने जो कुछ कहा कि आप बहुमत के आधार पर जो चाहते है, कर सकते हैं। मैं यदुनाथसिंह जी से कहना चाहता हूं कि आपका बहुमत होगा तो क्या ऐसा कर्म करेंगे आप ? ऐसे ही राज चलायेंगे आप ? इससे क्या देश और राजस्थान की जनता का भला हो सकता है ? क्या यह हमारी परम्परा है ? क्या भारत-वर्ष के इतिहास में ऐसा है। यह सबके लिये निंदनीय बात है। हमें तो ऐसे को विधान सभा में रखने में भी तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा के मायने विधायक अपने-अपने क्षेत्र की बात लेकर आते हैं। इस विधान सभा के मायने देश का विधान बनता है। जो देश की कार्यवाही होवे वह इस विधान सभा के अन्तर्गत होवे। आज इस विधान सभा के मायने श्री देवेन्द्र सिंह भाटी एक तख्ती लटका कर आये...

(व्यवधान

एक थोड़ा नाग का बदला हो गया...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवीलाल : श्री देवीसिंह जी भाटी एक तख्ती लटका कर आये। तो यह बड़े दुःख की बात है। वे तख्ती को लटका कर हाउस के मायने बैठा है। बड़ा-बड़ा ने बांचा होगा और जो छोटी बैठा वे उसको बांच नहीं सका। यह बड़े दुःख की बात है कि उन्होंने खड़े होकर के भाषण दिया इस विधान सभा के मायने कि 'राजस्थान' के मुख्य मंत्री की लड़की मंजू है उसके साथ में बलात्कार हुआ। यह बड़े दुःख की बात है। मुख्य मंत्री पद के कोई छाप नहीं होती। मुख्य मंत्री, जो यहां बैठे हैं उनमें से कोई भी बन सकता है। मुख्य मंत्री के नाम से ऐसी बुरी बात कोई कहता है, ऐसी बुरी घटना करता है, लाछन लगाता है तो बड़े दुःख की बात है। यह दुःख की बात है कि कोई आदमी गलत वचन, गलत शब्दों का प्रयोग करता है। मैं समझता हूं कि जो वचन है जो रत्न है, ये वचन तीन भव तक खण्डित नहीं होते हैं। जब तक यह विधान सभा है, यह धरती रहेगी, जठा तक यह आवाज रहती है, वह खण्डित न होवे है। मैं आपको अर्ज करूं कि उठे भी कम से कम 50 कोस के ऊपर वायरलेस है। उस वायरलेस का स्टेशन अगले 50 कोस पर है। यह वचन अगला वायरलेस का स्टेशन पकड़ता है। वहां भी यह बात बोलते हैं। न तो गेला में तार लगा हुआ है और गेला में ही पकड़ कर ले जा रहे हैं। कोई बात कभी गलत निकली, सही निकली वह खण्डित न होगी, कई उम्र तक, यह धरती और यह आसमान जब तक है तब तक वचन खण्डित न होगा। तो आज यह वचन गलत निकले, यह गलत वचनों का इस सदन के मायने प्रयोग किया गया है यह बड़े दुःख की बात है। आज इस सदन में कम से कम 8-10 हमारी माता-बहिनें महिला हैं। दो-दो मन्त्री—

(84)

(श्री देवीलाल)

भी हैं और सदस्या हैं। वे भी आज इस हाउस में बैठी हैं। ऐसी बात का प्रयोग होश में किया हैं तो बड़े दुःख की बात है। हम लोग गांवों से चुन-चुन कर यहां पर आये हैं और एक लाख आदमियों ने चुन कर यहां भेजा है। यहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो हमें धिक्कार है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी चाहे इस पार्टी का हो, चाहे विरोधी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, को ऐसी गलती पर सजा जरूर देनी चाहिये। मैं यही निवेदन करूं, ज्यादा समय न लेऊंगा। यह बड़े दुःख की बात हैं। मेरे तो दिल में खटक रही है कि मैं तो ई हाउस से इस्तीफा देकर घर चलो जाऊं।

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, परम्परा तो नहीं है। ×××

श्री अध्यक्ष : Expunged.

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सदन के नेता ने और हमारे माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं...

श्री अध्यक्ष : शान्त रहे, माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री चाव खां : और जो कुछ यह हुआ है हर माननीय सदस्य यह मानता है कि वाकई में बहुत बुरा है। कोई आदमी यह नहीं कह सकता है कि यह गलत नहीं है। वाकई में यह गलत है। सदन इस वक्त इस पर विचार कर रहा है और सदन का वक्त हर आदमी अपनी बात कहने में ले रहा है इससे सदन का वक्त खराब होगा। मेरी मान्यता है और मेरा यह कहना है कि मुल्जिम जो होता है, उस मुल्जिम की नीयत को हमेशा अदालत देखती है। आदमी कत्ल होता है 302 में चालान होता है और आखिरकार अदालत देखती है और 304 में भी सजा दे सकती है। मतलब इसका यह है, देखना सदन को यह है कि किसी आदमी ने गलती की है तो उसको क्या सजा दे। हमेशा सजा नीयत पर दी जाती है। नीयत को हमें देखना पड़ेगा। हमारे विपक्ष के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है, मेरी भी यह राय है, मैं विपक्ष के सभी साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि वे न बोलें और हमारा जो सदन है, जिसके हाथ में सरकार है वह जो भी फैसला करे वह हमें मंजूर हो।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष, जनता के नुमाइन्दगान, जो आज सदन के सामने मसला आया है वह हमारी परम्परा, हमारी गरिमा के लिये अच्छा नहीं है। इस पर हम सब लोग, भले ही हम किसी लाबी में बैठे हों, सरकारी लाबी में बैठें हों या विरोधी लाबी में बैठे हों, संजीदगी से गौर कर लें। संजीदगी से हम शब्दों का इस्तेमाल करें। यह सब कुछ है। पर सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय को कहना चाहूंगा, यह दुखद है कि जो ××× और फलां बात कही गई, वह हम नहीं सुनना चाहते हैं। यह बात कतई ऐसी है जो सदन के लायक नहीं है। जो कांड हुआ है वह

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोक सिंह)

सदन की इज्जत के खिलाफ हुआ है। कोई भी ऐसा यहां सदस्य नहीं होगा जो इसकी ताईद करेगा। हम सख्त मुखालफत करेंगे। जो हम लोग हैं, राजस्थान के दूर दूर क्षेत्रों से लोगों ने हमको यहां भेजा है। उनके प्रति हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। न तो यहां धमकियों से काम चलेगा और न कोई मारपीट से काम चलेगा। यहां तो संजीदगी से गौर करना चाहिये। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका हम सब एक होकर फैसला करते हैं। बहुत बार ऐसा वक्त आया है। कल रावी-व्यास के पानी का सवाल आया था। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे में कोई डिविजन था क्या? हम सबने एक राय से कहा कि यह हमारे प्रदेश की जिन्दगी और मौत का सवाल है। आज भी मैं आप से बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि यह हमारे प्रदेश की जो विधान सभा है, सदन है, इसकी इज्जत का सवाल है। जिस साथी ने इस तरह का प्रदर्शन किया, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। इन बातों के साथ इस पर जिस तरह का भी सदन फैसला करे वह एक राय से होना चाहिये। उसमें यह नहीं होना चाहिये। हमारी बात बाहर जायेगी और कई तरह से फैलेगी। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इस तरह की हालत है आज, कल हो सकता है हम यहां न बैठ कर कहीं और फैसला करें, जैसा दुनियां के मैदान में हुआ है। पर इस तरह की ओछी हरकत के साथ नहीं करेंगे। शानदार तरीके से हम फैसला करेंगे। तो मैं यह बहुत ही संजीदगी से कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ वह एक बहुत बड़े खेद की चीज है। उसके लिये मैं खेद जाहिर करता हूं और सदन से बहुत जोर से अपील करता हूं कि कोई भी दुनियां का कितना भी बड़ा अपराध होता है वह इरीदतन हुआ या नहीं, उसके इरादे में जाना होता है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : अब किस अधिकार से आप बोल रहे हैं? तब क्या हुआ था?

श्री त्रिलोक सिंह : उसकी इन्टेन्शन क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो अपराध करता है, उसको सजा दी जाय। उसके लिए सदन जो फैसला करे, वह एक राय से करे, सदन की गरिमा के साथ करे, इसमें कोई एतराज नहीं है पर सबसे बड़ा जो मुझे ऐतराज है वह धमकियों से है। अगर धमकियां कोई यह कह कर देता है कि हम बहुमत में हैं और सदन से उनको निष्कासित कर देंगे तो मैं कहना चाहता हूं हम ऐसे कोई सदन के शौकीन नहीं होंगे...

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर! माननीय सदस्य!

श्री त्रिलोक सिंह : सुनिये। अगर सदन आप लोगों की जागीर है, अगर सदन किसी पार्टी की जागीर है तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस तरह के करतब की, इस तरह के एक्शन की ताईद नहीं करता हूं, समर्थन नहीं करता हूं, निन्दा करता हूं। पर उसके साथ इन बातों की भी मैं निन्दा करता हूं जो ताकत इस्तेमाल करने की बात कहते हैं। सदन किसी पार्टी की जागीर है तो याद रखिए इस बात के खिलाफ सदन हम आज ही छोड़

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

66

(श्री त्रिलोक सिंह)

देंगे। और याद रखिये, मैं कहना चाहता हूं, दुनियां का कोई फैसला सदन में नहीं हुआ है, अवाम में हुआ है। इसलिए मैं दुबारा सदन के तमाम जिम्मेदार मेम्बरान से अपील करता हूं कि जो कोई फैसला हो वह सदन की एक राय से होना चाहिए। इसके साथ ही जो कुछ हुआ उसकी मैं निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण !

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, श्री देवीसिंह भाटी ने इस सदन के अन्दर तख्ती लटकाकर उस पर जो अशोभनीय शब्द लिखे, यह केवल सदन का ही अपमान नहीं पूरे राजस्थान का अपमान है। हम सदन के अन्दर आते हैं, हमारे अधिकार हैं हमारे कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए हम हमारे अधिकारों और कर्तव्य की परिधि में रहकर यदि किसी बात का यहां विरोध करना चाहें तो उसके तौर तरीके हैं। माननीय देवीसिंह जी को यदि यह वेदना होती कि हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ या कोई दूसरी बात की किसी प्रकार की उनको वेदना होती और वह उनका प्रोटेक्शन करने को कोई धरना देते, मुख्य मंत्री की कोठी पर जाकर बैठ जाते या आपके यहां आकर बैठ जाते तो मैं समझता कि वह उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मगर इस प्रकार की तख्ती लटकाकर उन्होंने इस सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है। अध्यक्ष महोदय, आज तक इस प्रकार की अशोभनीय बात इस सदन में और हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा में शायद ही हुई होगी। हमारे नियम हैं और नियमों के अनुसार नियमों की परिधि में रहकर कार्यवाही करनी चाहिए। सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए इस प्रकार का जो माननीय सदस्य ने आचरण किया है, मैं चाहूंगा कि माननीय चीफ व्हिप महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव को पारित करके जो इस प्रकार की अशोभनीय कार्यवाही करते हैं, उनको निकाला जाय। इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री खेत सिंह राठौड़ : मेरा खयाल है, काफी विचार विमर्श हो चुका है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं।

मास्टर जी दीपचन्द जी !

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ व्हिप महोदय ने कहा है कि बहुत समय हो गया। यह इस तरह का प्रश्न है जिस पर मैं समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष के कोई भी माननीय सदस्य बोलें, माननीय सदस्यों को धैर्य के साथ सुनना चाहिए। आखिर हम सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बैठे हैं, किसी को सजा भी देंगे। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुननी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य सचेतक महोदय इसमें समय की पाबन्दी लगाने के लिये अध्यक्ष महोदय से निवेदन न करें। जो विचार मेम्बर एक्सप्रेस करना चाहें, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहें, जो अपनी बात कहना चाहें उनको कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऐसा ही होगा।

मास्टर दीपचन्द !

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने समाज में बहन और बेटी की इज्जत का ज्यादा महत्व है। बाप बेटे का अपमान, भाई भाई का अपमान बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बाप बेटी का और भाई बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह की घटना घटी, जो तख्ती पर लिखा था माननीय श्री भाटी साहब ने उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो भी फैसला करेंगे वह लोकतांत्रिक प्रणाली, नियम और कानून के अनुसार होगा। अगर बाहर हरिजन हो, कोई हो, देवी सिंह किसी बहन बेटी के लिए लिखें तो लोग गोली मार दें-फड़ाक। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई होगी। मैं तो यह बात भी कहूंगा कि भाटी साहब ने जो कुछ भी लिखा, यह राजस्थान की सरकार की कमजोरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकण्ड बात कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कैबिनेट की कमजोरी है कि विरोधी लोग इस तरह की बेतुकी और बेढंगी बात राजस्थान विधान सभा भवन में लिखकर आते हैं। यह बिल्कुल कमजोरी मन्त्री महोदयों की है नहीं तो इनकी हिम्मत ही नहीं पड़े इस तरह की बातें लिखने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पवित्र स्थान है। भैरों सिंह शेखावत साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ विचार रखें वह उनके अपने विचार हैं। यह बहुत दिनों से यहां माननीय सदस्य हैं, इनकी अपनी परम्पराएं, इनकी अपनी भाषा, इनकी अपनी बोली है उसके हिसाब की बात करते हैं लेकिन मैं सदस्य नया हूं। मैं यह कहता हूं सख्ती से इस आदमी को सजा देनी चाहिए। एक महीने की सजा देनी चाहिए ताकि आइन्दा तक सदस्यों को इस बात की जानकारी मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़ !

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस तरह की घटना घटी इसके सम्बन्ध में सदन के चीफ व्हिप ने सदन के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में हम लोग चुन कर आते हैं। इस सदन में हमारा सब का एक दायित्व है, जहां से हम चुन कर आते हैं वहां के हम प्रतिनिधि हैं वैसे राजस्थान के हम प्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र की घटना हो या राजस्थान में किसी भी जगह कोई घटना घटित हो रही हो, तो जनता की आवाज को हम यहां पर लायें। माननीय देवी सिंह जी ने जो तख्ती लटकायी, यह उनकी एक भावना थी। उन्होंने इसके पहले स्थगन प्रस्ताव के जरिये जो घटना घटी उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। वह चाहते थे इस पर कुछ उत्तर मिले। माननीय कल्ला जी ने यह बात कही कि हमने इसका जबाब मंगवा लिया है। लेकिन सदन में मन्त्री जी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। इसका उनके दिल में दर्द था उस दर्द की वजह से उन्होंने इस तरह की बात की

(2.20 म. प.)

(श्री माधव सिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

क्योंकि मुख्य मंत्री को राजस्थान का पिता तुल्य माना। हरिजनों की बेटियों के साथ जिस तरह बलात्कार हुआ है, सामूहिक तौर पर वह भी प्रजातंत्र में अशोभनीय है। प्रजातन्त्र में इस सदन में उन्होंने तख्ती

(68)

(श्री मेघराज तावड़)

लगा कर जो प्रदर्शन किया उससे ज्यादा कहीं कलंकित वह है मौके पर, जिस तरीके से बलात्कार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई सरकार भी आयी हो, मैं इस समय भी यह बात कहने में भी नहीं चूकना चाहता कि सरकार उधर की रही हो, चाहे वह सरकार इधर बैठने वालों की रही हो लेकिन, सभापति महोदय, हरिजनों के अधिकारों, जिसके लिये संविधान में लिखा है, की रक्षा नहीं हुई। चाहे कोई भी सरकार आयी हो और जो सत्ताधारी पार्टी है या जो सत्ता में पार्टी है उसे आज हरिजनों और आदिवासियों के नाम पर अधिक वोट मिलते हैं। वह उन को इस धोखे में रख कर वोट लेते हैं कि उनकी रक्षा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में 34 विधायक तो ऐसे माननीय सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति क्षेत्र से चुनकर आते हैं। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं वह उन पर विश्वास करते हैं कि ये लोग जायेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं आज तक आदिवासियों और हरिजनों के साथ जिस तरह की घटना हुयी है उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें धीरे धीरे कर लें।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण देना चाहूंगा, फलासिया थाने में एक आदिवासी सिपाही, जो खेरवाड़ा का रहने वाला था, की डेथ हो गयी..

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जिस पर मामला चल रहा है उसी पर बुलवायें।

श्री मेघराज तावड़ : उसी पर आ रहा हूं।

मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि वह आदिवासी सिपाही था जिसकी डेथ हो गयी.....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य सुने जरा।

उसकी डेथ होने पर पुलिस इन्सपेक्टर ने एस. पी. उदयपुर को वायरलेस किया, उसको पहुंचाने के लिये गाड़ी भिजवायी जाय। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, गाड़ी नहीं भेजी और कहा कि किसी तरह से उसको गांव पहुंचा दो। फिर ट्रक के 400 रु. किराया लगाकर उसको उसके गांव पहुंचा दिया। अगर उसकी जगह पर कोई सवर्ण होता या कोई और दूसरा होता और वह मर जाता तो उसके साथ गार्ड जाता, गाड़ी जाती, ड्रेस लगाकर लोग जाते परन्तु यह नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों से और सदन से कि हरिजनों और आदिवासियों के नाम पर सुरक्षा का जो अधिकार संविधान में मिला हुआ है प्रजातंत्र में मिला हुआ है आज एस सी और एस टी कमिश्नर की रिपोर्ट है उसके अन्दर कहा गया है, उन्होंने भी यह माना है, कि हरिजन और आदिवासियों की रक्षा नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के पास इस बात को रखने का और कोई तरीका नहीं था। कोई हंसी खेल नहीं है, सदन सर्वोच्च है परन्तु माननीय देवीसिंह जी ने किसी को गाली नहीं दी, किसी को

(श्री मेघराज तावड़):

गोली नहीं मारी। माननीय कमला जी कह रही थीं कि यह बर्दाश्त करने काबिल बात नहीं है। तो 302 का भी जो मुजरिम होता है उसको भी 302 को 304 में कन्वर्ट करके फांसी की सजा से बचाया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। XXX हिन्दुस्तान में बहुत सी जगह देखा जायेगा, प्रजातंत्र से चुनकर आने वाले लोग, प्रजातंत्र के नाम पर चुनकर आने वाले लोग, वोटों से चुनकर आने वाले सदस्य जनता के अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते हैं। जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है और जन प्रतिनिधि को यहां पर सुना नहीं जाता है तो फिर क्या होगा? सभापति महोदय, कोई तरीका, कोई माध्यम है; जिससे कि बात कह सकें? माननीय सदस्य को अपना गुस्सा जाहिर करना था तो माननीय सदस्य ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य को सुना जाय, उनको सुनकर ही कोई फैसला किया जाय। उनकी कोई इंटेशन नहीं थी। किसी की बच्ची, मुख्य मंत्री की बच्ची का नाम लेकर कोई बात कहें; उनका नाम कलंकित करें। जनता को न्याय नहीं मिलता है तो माथुर साहब राजस्थान के हैड हैं; हैड होने के नाते सब उनके पुत्र हैं, लड़के और लड़कियां हैं। किस तरह से उनके साथ बलात्कार किया जाता है, किस तरह से उनके ऊपर गोलियां चलायी जाती हैं, किस तरह से आदिवासियों का अपमान किया जाता है, किस तरह से उनको जाने से रोका जाता है इस पर विचार हमको करना चाहिए। हम चाहे जिस क्षेत्र से जीतकर आते हों हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा के लिये यहां पर बोलें। हम यहां पर केवल हाथ खड़ा करने के लिये नहीं आते हैं। क्या हम अपने मुंह पर ताले लगा लें? सदन की गरिमा है इसलिये हमको बोलने का अधिकार नहीं हो सकता है? तो देवीसिंह जी भाटी के सम्बन्ध में फैसला लेने से पहले मैं यह चाहूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जाय। आप उनको सदन से निकाल सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप उनको राजस्थान से नहीं निकाल सकते हैं, उनको यहां से बाहर निकाल कर राजस्थान से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उनके जीने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। उनको हिन्दुस्तान से नहीं निकाला जा सकता है। हम इस देश के नागरिक हैं। हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। यह बात कहेंगे तो सत्ता पक्ष के लोगों को गुस्सा आयेगा, वे आवेश में आयेंगे परन्तु अगर वह किसी सवर्ण जाति की होती तो क्या होता? किसी बड़े आदमी की बच्ची के साथ यह घटना होती तो क्या आपका खून नहीं उबलता? आप उनको यहां से निकाल देंगे क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है, बहुमत है। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं सदन से और सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि सदन की गरिमा की बात तो यहां पर ही रह गयी है पर अगर सदन इस तरह का फैसला लेता है प्रजातंत्र में बोलने वाले को, प्रजातंत्र में अपनी बात रखने वाले को यदि इस तरह निकाला जाता है, तो मैं एक बात कहता हूं कि यह डिक्टेटरशिप है जो किसी

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

70

(श्री मेघराज तावड़)
की सुनना नहीं चाहते हैं। कोई बात उनको नहीं कहनी चाहिए, यह कह कर उनके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि सातवीं विधान सभा की शेष अवधि के लिये निकाल दें तो मैं यह मानूंगा कि प्रजातन्त्र की हत्या हम इस सदन में बैठ कर करेंगे। हम चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं होंगे तो प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा। प्रजातन्त्र के नाम पर कोई चीज नहीं रहेगी। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाय। उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है, किसी की बहन बेटी को पकड़ा नहीं है। उन्होंने तो अपनी भावना जाहिर की है और न्याय की आशा की है। जिन लोगों ने यह किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, उन्हें जेल के सींकचों में बंद करना चाहिए, यह भावना थी माननीय सदस्य की। इसी के तहत उन्होंने यह तख्ती लटकायी थी। मैं यह मानता हूं कि सदन की जो गरिमा है, यहां पर बोलने का जो तौर तरीका है वह अलग है लेकिन वह सदस्य अभी चुनकर आये हैं। मेरे को भी इस सदन के जितने कानून कायदे हैं उनका अभी तक पूरा ज्ञान नहीं है। संविधान की जितनी बातें हैं हम नहीं समझते हैं। हम तो जनता की बात कहना चाहते हैं। धीरे धीरे सीख जायेंगे। इसलिये मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा सदन से कि सदस्य इस पर पुनः विचार करें और विचार करके इस तरह का जो मामला है उसको समाप्त किया जाय। परन्तु अगर इस तरह का फैसला सदन करता है तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र की हत्या इसी सदन में करेंगे। मैं पुनः विनम्र अपील करूंगा कि इस पर पुनः विचार करें, इस पर सोचा जाय और इनकी भावना को समझा जाय। माननीय सदस्य को सुना जाय। यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल आर्य।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) : माननीय सभापति महोदय, यहां पर जिस घिनोनी घटना का जिक्र चल रहा है पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसको निदनीय मानते हैं। वास्तविक रूप में यह निन्दनीय है, और निंदनीय ही नहीं असहनीय है। इसको मानवता से देखा जाय। इस पर विचार कर जो निर्णय देना है वह तो आसन देगा...

श्री राजबहादुर : हाउस देगा।

श्री मांगीलाल आर्य : हां जी, आसन के माध्यम से निर्णय तो सदन ही करेगा। परन्तु इसके साथ ही साथ जिस प्रकार किसी कुरूप मुखड़े को घूंघट खींचकर छुपाने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार यहां पर भी किया जा रहा है साथ ही जो परिभाषा और इसकी जो भूमिका का वर्णन किया जा रहा है मैं समझता हूं कि इसके अन्दर सरासर एक राजनैतिक पक्षपात है। सभापति महोदय, जिस घटना को हरिजनों की बात कहकर हरिजनों की इज्जत और उनके साथ खिलवाड़ बताकर बदलने का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि हरिजनों के नाम पर इस तरह मखौल किया जा रहा है। सभापति महोदय, जिस घटना को इस तख्ती से जोड़ा जा रहा है, वह कोई आज की नहीं है। सदन काफी समय से चल रहा है अगर उसी घटना को ही लेकर इस तरह की बात कही जाती तो सदन

(श्री मांगीलाल आर्य)

में उस वक्त लायी जा सकती थी परन्तु ऐसा नहीं किया है। मेरे साथी केशोरायपाटन से आने वाले पचेरवाल जी यहां नहीं है, उन्होंने एक बात कही थी कि इस प्रकार का तो मांगीलाल आर्य, दुलाराम, पचेरवाल को करना चाहिए। यह मेरे साथी ने बड़ी चतुराई से बात कही परन्तु मांगीलाल आर्य इतना विवेकहीन नहीं है कि इस प्रकार का एक निन्दनीय काम करे। मैं समझता हूँ कि कोई भी माननीय सदस्य जो एक लाख जनता का मत लेकर इस सदन में आता है उनके विचारों को जनता का मत माना जाता है व जनता की सहमति उसके साथ होती है। इसलिए इस प्रकार का कोई घिनौना कार्य सदस्य करे यह उनकी गरिमा, मानवता के विपरीत बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर ऐसी कार्यवाही की जाये जो भविष्य के अन्दर कोई इस तरह हाउस को मखौल न बनावे। वरना यह जो घटना है इसका प्रचार प्रसार तो पूरे हिन्दुस्तान में होगा और हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान की विधान सभा का निर्णय उदाहरण बनेगा इसलिये इसके अन्दर विशेषता हो ताकि हर जगह हिन्दुस्तान के अन्दर एक उदाहरण के तौर पर राजस्थान की इस घटना को, इस निर्णय को पेश किया जा सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

श्री सभापति : श्री रतन लाल जी ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में जिस प्रकार की घटना का प्रदर्शन हुआ है, मैं समझता हूं, राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता का हम जहां प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें राजस्थान की जनता और संसदीय प्रणाली में विश्वास रखने वाला कोई व्यक्ति किसी भी मूल्य पर इसे पसन्द नहीं कर सकता। प्रजातन्त्र का एक तौर तरीका होता है, किसी भी घटना को प्रस्तुत करने की सीमायें होती हैं। जहां तक घटना का सवाल है, चाहे हरिजन महिला हो, चाहे दूसरे वर्ग की महिला हो, बलात्कार कोई भी करे, किसी भी प्रकार की घटना हो उस मामले में सरकार की ओर से अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिये। इस प्रकार की जानकारी मिली कि बलात्कार करने वाला अपराधी गिरफ्तार किया जा चुका है। यह माननीय सदस्य को भी ज्ञात होगा क्योंकि वह उसी क्षेत्र से, उसी जिले से चुन कर आते हैं। किन्तु उस घटना को लेकर जिस घृणित तौर तरीके से, संसदीय गरिमा को एक तरफ रख कर जो प्रदर्शन की पराकाष्ठा सामने आयी, उसकी निश्चित रूप से, मैं समझता हूं, सभी व्यक्तियों ने, विरोधी दलों के लोगों ने भी आलोचना और निन्दा की है। उसके साथ-साथ बिल्कुल निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित इस घटना को जिस प्रकार समर्थन देकर इस बात का प्रयास किया जाता है, दूसरे शब्दों में इस महान और दुखद कृत्य को किसी प्रकार मामूली सी सजा देकर एक सदन की गरिमा को, महत्व को, मैं समझता हूं, घटाया जाता है, यह एक अच्छी बात नहीं। आज राजस्थान विधान सभा सर्वोच्च न्यायालय की हैसियत में ली जा सकती है। सारा देश इस घटना को देखेगा, सारे देश के समाचार पत्रों में यह घटना छपेगी इसलिये आज हम सब का विवेक, हम सब की दूरदर्शिता, हम सब का विचार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इस सम्बन्ध में इस तरह का निर्णय

(72)

(श्री रतन लाल तांबी)

करके दिखायें जिस से सारे देश में एक अच्छी परम्परा डालें। अभी कुछ बंधुओं ने इस बात की दुहाई दी कि हरिजन महिलाओं पर अत्याचार होने की घटनाओं के पीछे यह सब बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं, इतिहास इस बात का साक्षी है, बहुत नयी बात नहीं है, ढाई-तीन, साढ़े तीन साल पहले की घटनायें, बेलछी, नारायणपुर की घटनायें हैं। इस प्रकार की घटनायें हमारे सामने हैं कि हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार सामूहिक रूप से हुए हैं। उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका इतिहास सामने है। हरिजन महिला की दुहाई देकर इस प्रकार बात को जोड़ लेना निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता, घृणित से घृणित हो सकता है। राजस्थान का आम जन जीवन विशेष तौर से महिला समाज इस बात को घृणा की दृष्टि से देखता है। मैं समझ कर चलता हूं कि माननीय सदस्य की यह घटना नयी नहीं है। विधान सभा में यह किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ घटनायें प्रस्तुत करते रहे हैं, उनकी सबसे महान्, अत्यन्त घृणित पराकाष्ठा की बात सामने आयी है। मैं समझता हूं कि जिस घटना को जिस रूप से प्रदर्शित करके आज राजस्थान की जनता का जो अपमान किया है, उसके सम्बन्ध में मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है, उसके औचित्य को मैं भी अपनी ओर से समर्थन देता हुआ यह मांग करना चाहता हूं कि इस सदन में प्रस्ताव रखा है वह सर्वसम्मति से स्वीकार होना चाहिए। अलग अलग दल के लोग, अलग अलग विचार के लोग उसको अलग अलग ढंग से रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं यह एक ऐसी घटना है जिस पर सर्व सम्मति से निर्णय होना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय होना चाहिए जिससे संसदीय इतिहास में राजस्थान का अपना महत्वपूर्ण स्थान बने। मैं चाहूंगा, इस घटना को बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। जिस रूप में यह घटना प्रस्तुत की गयी है, यह कोई अचानक या यकायक नहीं है, इसके पीछे नीयत का सवाल है; नीयत बहुत दूषित, घृणित है। घृणित नीयत के साथ आज यह तख्ती प्रदर्शित की गयी है। बिल्कुल साफ तौर पर बात सामने आ चुकी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव रखा है उस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाना चाहिए।

(2.38 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी,

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं):माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा कि माननीय देवीसिंह जी तख्ती लगाकर आये, उसमें जो कुछ लिखा हुआ था उससे सारे सदस्यों को ठेस लगी। माननीय माथुर साहब की लड़की मेरी भी बहन है। किसी भी परिवार के सदस्य के नाते अगर आप देखें तो सबको समान रूप से दुःख होगा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दुःख के साथ-साथ हमको यह भी साथ में देखना पड़ेगा कि उसके पीछे इन्टेंशन क्या थी। माथुर साहब के परिवार में किसी भी लड़की का नाम मंजू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर माथुर साहब के स्वाभिमान को, व्यक्तित्व को, या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का मन में दुराग्रह होता, दुर्भावना होती तो यह उस से मेल खाता। माथुर साहब के परिवार से उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब इससे है कि उनके क्षेत्र में लगातार इस प्रकार से घटनायें घटती रहीं हैं। उस से व्यथित होकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया उस तरीके से प्रदर्शन करना सही नहीं, गलत था, पार्लियामेण्ट्री डेमोक्रेसी में जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए उसके खिलाफ रहा है। इस प्रकार के कृत्य की हर व्यक्ति निन्दा करेगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब न्यायालय के रूप में हम बैठें, जब हम ये फैसला करें, उन माननीय सदस्यों की सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाये, जब हम यह फैसला करने के लिए बैठें और उनको 85 तक, जो 7 वीं विधान सभा का पूरा का पूरा कार्यकाल है, हटाने की बात करें, उस समय गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार की बात हम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मै नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, जिस समय बहस चल रही थी, उस बहस के अन्दर जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार की भावनायें प्रकट की गयीं, माननीय विपक्ष के नेता ने यह कहा था कि माथुर साहब की बेटी मेरी भी बेटी है, लेकिन जिस प्रकार की भावनायें प्रकट की गयीं कि×××

श्री अध्यक्ष : वह एक्सपंज कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके जाने के बाद××शब्द आया था, अध्यक्ष महोदय, वह एक्सपंज नहीं किया। सेणचा जी ने कहा था अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की भावनायें प्रकट करके धमकियां दीं, अगर इस बात पर यह तलवार लटकायें कि अगर आप सरकार के कृत्यों को, जो गलती करती है उनको सदन में रखोगे, अपने क्षेत्र की भावनाओं को अगर आप सदन में रखोगे तो हम बहुमत के आधार पर या अन्य किसी आधार पर आपको सदन की सदस्यता से निलम्बित कर देंगे तो इस धमकी के आधार पर हमको यहां नहीं सोचना चाहिए। अगर यह धमकी की मंशा है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय देवी सिंह जी को निकालें, घनश्याम तिवाड़ी को निकालें, किसी को भी निकाल सकते हैं, निकालने की आज इनके पास शक्ति है। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस प्रकार निकालने से पार्लियामेण्ट्री डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं बढ़ने वाली है। सबको ध्यान है कि हमको 19 महीने बंद कर दिया गया था, बंद करने के बाद जनता ने हमे चुना है। चुनने का फैसला जनता को करना है। इतने बड़े बहुमत के बावजूद अगर देवीसिंह जी जीतकर आये हैं तो अपने बलबूते पर, अपने काम के आधार पर जीतकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां से निकालने के पश्चात् क्या दुबारा जीतकर नहीं आ सकते। तो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमको कोई अधिकार नहीं है। अगर वह इस प्रकार का कृत्य करते हैं जिससे पार्लियामेण्ट्री डेमोक्रेसी लज्जित हो, जबकि उनकी भावनायें ऐसी नहीं थी, उनके मन में जो भावना थी उस भावना का जिस प्रकार प्रगटीकरण किया उसके लिये इतना बड़ा कदम जो उठाया जा रहा है उसका हम तहेदिल से समर्थन करते लेकिन

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(७४)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो भावना व्यक्त की इसमें, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी की लड़की के प्रति या उनके परिवार के प्रति उनके मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी। उनके परिवार के व्यक्ति हमारे परिवार के व्यक्तियों के समान हैं लेकिन उन्होंने तरीका गलत चुना जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। सवाल तरीके का है।

दूसरी बात मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह परम्परा बहुत ही गलत परम्परा पड़ेगी। यह एक तरह से डराने की परम्परा हो गयी है। कोई भी व्यक्ति अपनी भावना, अपनी बात सदन में रखना चाहेगा, उसमें कुछ उत्तेजना आ जायेगी, उसमें कुछ ऐसी बात आ जायेगी जो आ भी जाती है क्योंकि व्यक्ति अपनी बात कुछ निर्भयतापूर्वक करना चाहता है, जिस दिन ऐसा हो जायेगा कि बहुमत इस बात के लिये कटिबद्ध है कि कोई भी बात सदन में निर्भयतापूर्वक कोई भी आदमी अपनी नहीं कह सके तो उस समय पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, भय पैदा करने के लिये, कोई व्यक्ति स्वाभिमानपूर्वक या निर्भयतापूर्वक कोई बात कह सके, उसको समाप्त करने के लिये बहुमत का उपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, श्री देवीसिंह अपने क्षेत्र की भावनाओं को ठीक प्रकार से रख सके लेकिन रखने का तरीका गलत हो गया। क्षेत्र की भावना को ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो यह पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी पर देवीसिंहजी के कृत्य को कलंक बता रहे हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमने हीन भावना से ग्रसित होकर कोई कदम उठाया तो वह हमारे लिये, इस विधान सभा के लिये और संसद के लिये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा और इतिहास हमें इस कदम के लिये कभी माफ नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। यहां श्री देवेन्द्रसिंहजी ने यह तर्क दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को लोक सभा से निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, वैसे इसकी कोई तुलना उससे नहीं फिर भी अगर वह इसकी तुलना उससे करना चाहते हैं तो करें। आज हमें तो बैठ कर इस परिप्रेक्ष में सोचना होगा कि किस प्रकार की घटना हुई और उस घटना के बारे में किस तरह से उन्होंने यह बात कही। जहां तक तरीके का सवाल है मेरा मानना यह है कि उनकी भावनाओं के प्रकटीकरण का तरीका गलत था। किन्तु उस तरीके से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने या माननीय माथुर साहब की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा उनका नहीं था। इसलिये उनके इन्टेन्शन को न देखते हुए इस प्रकार की गम्भीर सजा उनको देना मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं है। अगर यह परम्परा बनाई गई तो किसी भी व्यक्ति को निकाला जा सकता है। उसके केवल हम ही भुक्त भोगी होंगे, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी परम्परा बन गई तो आगे आने वाले समय में, अध्यक्ष महोदय, आज चाहे हम इधर बैठें और वह उधर बैठें किन्तु अब हमको निकाल कर कल जनता के सामने वोट के लिये जायेंगे तो ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
सकता है कल वह इधर आ सकते हैं। अगर निकालने का सिलसिला हमने चालू कर दिया तो एक प्रस्ताव पास करके किसी भी माननीय सदस्य को निकाल सकते हैं तो निकालने का जो प्रस्ताव पास करने का अधिकार है उसका कहीं पर दुरुपयोग नहीं होने लग जाय।

श्री रेवतराम चौधरी (रानीवाड़ा): यह किसी माननीय सदस्य की गरिमा को ठेस पहुंचायें। यह किसी माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाये।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गरिमा के बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्री रेवतराम चौधरी: माननीय सदस्य सफाई पेश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय न तो मैं सफाई दे रहा हूं और न ही उदारता की भीख ही मांग रहा हूं। मुझे इनकी उदारता की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि फैसला करते समय हमारी न्यायिक बुद्धि से इसका विश्लेषण करना चाहिये और न्यायिक बुद्धि के आधार पर हमको फैसला करना चाहिये। उत्तेजित होकर, अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में कई बार जजेज को अपराधी गाली दे देते हैं। गाली निकालने के बाद भी जज फैसला करता है तो वह उसको बरी कर देता है। जज को गाली निकाल दी। उससे उत्तेजित होकर किसी जज ने अपराधी को फांसी पर लटकाने का फैसला दिया हो, यह आज तक मैंने नहीं देखा, यह आज तक मेरे देखने में कहीं पर भी नहीं आया। इसलिए जज की कुर्सी पर जब हम बैठे हैं तो उत्तेजित होकर उत्तेजना की भावना से हमको काम नहीं करना चाहिये। हमको उनकी भावना को देखना चाहिये। उनके इन्टेन्शन को देखना चाहिये। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैंने उदाहरण देकर बताया कि अगर माथुर साहब की लड़की का नाम मन्जू होता या माथुर साहब के परिवार में किसी लड़की का नाम मन्जू होता तो मैं मान सकता था कि उनके मन में भावना वह थी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा पाइन्ट और है। बलात्कार की इतनी छोटी सी बात से यह इतना उत्तेजित हो गये हैं। हमें भी दुःख हुआ क्योंकि माथुर साहब के परिवार की लड़की मेरे परिवार की बहन है किन्तु जब इस बात पर हम उत्तेजित होकर कोई फैसला करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कान्स्टीट्यूएन्सी में जब ऐसी दो तीन घटनायें लगातार घट जायें तो कितनी उत्तेजना हो सकती है। पट्टी पर केवल बलात्कार लिख देने से हम उत्तेजित हो गये लेकिन जिस कान्स्टीट्यूएन्सी में बलात्कार किया जा चुका है उस कान्स्टीट्यूएन्सी में रहने वाले जिस एम.एल.ए. का वह निर्वाचन क्षेत्र है, जहां का वह प्रतिनिधि है, उनकी भावना क्या हुई होगी, इसको भी हमें देखना चाहिये। तरीका जो उन्होंने अपनाया वह गलत तरीका था, निन्दनीय था। विपक्ष के माननीय नेता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महोदय ने सर्वप्रथम यह कहा कि मुख्य मन्त्री जी की लड़की मेरी लड़की है और मेरी भी बहिन है। उनका जो भावना के प्रकटीकरण का तरीका था वह गलत था। उसकी सजा उनको दें वहां तक तो ठीक है लेकिन भावना के प्रकटीकरण के तरीके को अगर हम मोटिवेट करके, हीन भावना से ग्रसित होकर और बदले की भावना से ग्रसित होकर कोई भी कार्यवाही करना चाहें तो इस आधार पर कि आप कुछ बोलें या आप कोई भी बात उठायें तो आप लोगों के लिये यह हो सकता है, यह अपनी बात है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात है तो उसके लिये हम तैयार हैं। इस प्रकार की धमकी के आधार पर चुनौतियों के आधार पर, हीन भावना के आधार पर, बदले की भावना से कोई कार्यवाही की गई तो न्यायिक बुद्धि पर आधारित नहीं होगी। इसलिये विनम्रतापूर्वक आपसे और सदन से मेरा निवेदन है कि न्यायिक दृष्टि से उनके इन्टेन्शन को देखते हुए इसमें कदम उठाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्री मुख्य सचेतक जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर पुर्नविचार करें और कठोर सजा के लिये जो प्रावधान किया है वह सजा न दी जावे। इसी के साथ आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, आज हम एक बहुत ही गम्भीर मामले पर विचार कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि इसकी गम्भीरता को केवल सत्ता पक्ष ही समझता हो वह बात नहीं है। ऐसा मामला सदन में आता है तो सदन के प्रत्येक सदस्य को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार होता है लेकिन उन भावनाओं को सदन में प्रकट करने के लिए सदन के नियम बने हुए हैं, उसके अन्दर कुछ पाबन्दियां भी लगाई गई हैं सदन में माननीय सदस्य किसी बात पर भी बोलें उसके लिये नियम बने हुए हैं और नियमों में प्रोविजन्स दिये हुये हैं ताकि बहुत ही आसानी से हो सके और जनता के मुद्दों पर सदन में बिना समय गंवाये विचार हो सके। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जनता की भावनाओं को प्रकट करने के लिये सदन में कई बार उत्तेजना का वातावरण स्वतः ही बन जाता है। इसके लिये कोई एक व्यक्ति दोषी हो, वह बात नहीं है। एक माहोल ऐसा बन जाता है; जनता के अन्दर जो घटनायें होती हैं उनको लेकर सदन का वातावरण गर्म हो जाता है और कई ऐसे मौके आते हैं, अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य उत्तेजित होकर, उत्तेजना में आकर, भावनाओं में आकर कुछ बातें कह डालते हैं उसके पश्चात् सदन में उन मामलों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करते हैं, जैसा कि पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा, उन माननीय सदस्य को भावना क्या थी उसके पीछे, उस पर विचार करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जब कोई बड़ा फैसला करना होता है तो उस समय सदस्य की गरिमा का सवाल होता है उससे भी बड़ा सवाल सदन की गरिमा का होता है। प्रत्येक सदस्य की गरिमा का सवाल होता है उससे और सदन की गरिमा से भी बड़ा सवाल होता है जनता का। आज जनता बड़ी है। हम जनता

(श्री नाथू सिंह)

की भावनाओं को देखते हैं, जनता की गरिमा सबसे बड़ी होती है।

(व्यवधान)

श्री रेवतराम चौधरी : इसका मतलब,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर।

श्री नाथूसिंह : आप बोलना चाहते हैं तो बोल लें। आप बोल लीजिये। आप बोलना चाहें तो बोल लें मैं बैठ जाता हूं।

श्री रेवतराम चौधरी : तख्ती लगा कर बैठने के लिये विधान सभा में भेजा गया था उनको ? उनको कहा था कि वहां जाकर इस प्रकार के काम कराइये? आपको इसलिये चुनकर भेजा था ? इस प्रकार की तख्ती लगाकर बैठने के लिये जनता ने सदन में नहीं भेजा था। क्या जनता ने यह कहा था कि सदन में आप इस तरह का तमाशा करें ? इसलिये थोड़े ही भेजा था।

(व्यवधान)

उसका तो निर्णय 85 में हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने पहले कहा था कि ऐसे जब विषय आते हैं तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, भावनाओं से ऊपर उठना होगा, उग्र भावनाओं को हमें जीतना होगा, हमें दलगत राजनीति की भावनाओं की दीवार को तोड़ना होगा। यह पहले की बात है। आपको जो निर्णय लेना है वह सदन की गरिमा के अनुसार लेना होगा। यह सदन कैसा निर्णय लेता है उससे सदन की गरिमा बनेगी। मैं यह पहले ही कह देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप आज जब यहां पर विराजमान थे उस समय एक माननीय सदस्य ने उत्तेजना में कुछ शब्द कहे और आपने उनको एक्सपन्ज करने के आदेश दिये। मैं समझता हूं कि यह मोरेलिटी का तकाजा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कोई ऐसे शब्द कहें जो शब्द कानून की किताब, जो किताब बनाई हुई है, तो उनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन बनाता है। लेकिन हमने इनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन नहीं बनाया। यह सदन उग्र भावना से ग्रसित था उस वक्त। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं बोल रहा था तब एक माननीय सदस्य, जो कि आज भी सदन में बैठे हुए हैं, ने आवेश में आकर बार बार हाथ से कागज़ छीन लिये पर मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं भी चाहता तो उनका गिरेबान पकड़ सकता था लेकिन मैंने वह नहीं किया। मैं भी प्रिविलेज का मोशन उनके खिलाफ में ला सकता था पर मैंने वह नहीं किया, कारण मैंने उनकी भावनाओं को देखा। उनकी भावना मेरी बेइज्जती करने की नहीं थी। उनका इरादा मेरी बेइज्जती करने का नहीं था। मैंने उस भावना के कारण प्रिविलेज मोशन नहीं दिया। माननीय सदस्य अभी भी यहीं हैं आप पूछ सकते हैं उनसे मैंने उस वक्त एक भी शब्द नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक लाइन ही कही कि आप को इतना उत्तेजित नहं होना चाहिये। यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है।

78

(श्री नाथू सिंह)

भारतीय संस्कृति का उदाहरण लेंगे तो उस संस्कृति में सबसे बड़ा लोकतन्त्र मिलेगा आपको, उस संस्कृति में सबसे बड़ी गरिमा मिलेगी। वह गरिमा क्या है, अध्यक्ष महोदय, क्षमा बड़न को चाहिये, जो बड़ा आदमी हुए, जिनका हम रोज नाम लेते हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनका नाम लेकर के हम सदन में बैठे हैं, जिनके नाम के और जिनके प्रयास के कारण भारत में लोकतन्त्र आया, भारत को आजादी मिली है, इस सदन का निर्माण हुआ, उन महात्मा गांधी ने क्या उपदेश दिया? अध्यक्ष महोदय, कोड आफ कण्डक्ट से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मेरे पास समय नहीं है, विधान सभाओं के अन्दर इस तरह के मामले पहले भी सामने आये हैं, जब कि कागज फाड़े गये, कागज छीने गये, धक्का मुक्की की गई, हाथा पाई हुई है, धरणे दिये गये हैं, इस तरह के हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कई छोटे छोटे समाचार पत्रों में कई माननीय सदस्यों के बारे में, सरकारी पक्ष के माननीय मन्त्रियों के बारे में और सदन के बारे में कई कमेन्टस ऐसे किये जाते हैं जो कमेन्ट्स इस से भी भयंकर होते हैं। कई बार ऐसा किया जाता है, अध्यक्ष महोदय, किसी को सदन में कोट कर दिया कई बार माननीय सदस्यों ने तो वह कोट करने से सदन की प्राप्रटी बनता है लेकिन फिर भी उस चीज को लेकर के सदन में या तो प्रिविलेज मोशन मूव नहीं किया गया और मूव किया गया तो सदन ने एक मत से कह दिया कि सदन कोई छुई-मुई का पोधा नहीं, माननीय सदस्य कोई छुई-मुई नहीं हैं, जो अंगुली छुआते ही मुरझा जायं। हम जनता के द्वारा चुन कर आये हैं, हम छुई मुई नहीं कि किसी ने हमारी तरफ अंगुली कर दी और हम मुरझा गए। हम खड़े रहते हैं उस समय और कह देते हैं कि माफ किया, छोड़ दिया और कई बार हम इग्नोर करते हैं। तीन तरीके होते है, एक आप माफ कर दें, एक आप इग्नोर करें, एक आप सजा दें, तो सजा कितनी दे। माफ करें, इग्नोर कर दे और सजा दे, जितने भी प्रिविलेज के सवाल आते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं जानते हैं, जितने भी प्रिविलेज के सवाल मूव होते हैं उनके तीन परिणाम सामने आते हैं, कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, पहली स्टेज, मोशन मूव कर दिया तो कई बार माफ कर दिया जाता है, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज आती है, कोई ऐसा भयंकर अपराध हो गया हो जिसके कारण सदन चलना असम्भव हो जाय, सदन के अन्दर से बाहर निकलते ही सदस्य को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाय, या कोई बहुत बड़ा भयंकर अपराध किया गया हो तो, अध्यक्ष महोदय, उसके लिये दण्ड का प्रोविजन है। दण्ड यह सदन तय करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज माननीय सदस्य जो कमेन्ट्स किये, यह कोई ऐसा अपराध नहीं हैं। मैं यह मानता हूं वैसे उनको मैंने स्वयं यह कहा था कि यह उचित नहीं है, मैंने स्वयं आपसे पहले कहा था कि उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अब मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन क्या रहे हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय······

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आर. एस. एस. वालों की तकदीर उनको लाई थी।

श्री नाथू सिंह : मैंने स्वयं उनसे कहा था, यह बात उचित नहीं है लेकिन उनकी भावना थी। अध्यक्ष महोदय, वह जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं नहीं कहता कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनको यह अधिकार दे दिया गया हो कि वह किसी की बेइज्जती करें जिससे इस सदन की गरिमा घटे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह जनता के प्रतिनिधि हैं, जब जनता का आक्रोश बढ़ता है तब स्वतः ही उस आक्रोश का प्रभाव इस सदन के सदस्य, जो जनता को रिप्रजेन्ट करते हैं, के मस्तिष्क पर पड़ना स्वाभाविक है। आज मैं जानता हूं माननीय सदस्यों का कान्स्टीट्यूएन्सी में घेराव होता है तो उस घेराव से परेशान हो करके कोई माननीय सदस्य जेल जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, अपने जीवन की बलि देने के लिये तैयार हो जाते हैं, ऐसे उदाहरण सामने आये हैं। तो जो उत्तेजना पैदा हुई उसका कारण है एक हरिजन की लड़की थी उसके साथ बलात्कार हुआ, माननीय सदस्य आवेश में आ गये और आवेश में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया।

अध्यक्ष महोदय मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं यह रूल्स की बुक है, वैसे मैं कानून में, रूल्स में ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य का यह कर्तव्य है कि रूल्स की पुस्तक को पढ़े। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक माननीय सदस्य को इसके एक एक रूल, एक एक नियम और एक एक नियम की पेचीदगियों का पता है? अध्यक्ष महोदय, कुछ ही लोग एक्सपर्ट होंगे, कुछ ही माननीय सदस्य को इन नियमों की पेचीदगियों की जानकारी होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य अभी बोल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था रूल्स की पेचीदगियों के बारे में। माननीय सदस्यों को कई बार भावना में बह कर यह पता ही नहीं रहता कि वह जो कृत्य करने जा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, रूल्स में इसका प्रोविजन क्या है। कई बार ऐसा होता है, कई बार नोटिस आपको देते हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे दो-ढाई साल का समय हो गया लेकिन फिर भी नोटिस में गलती रह जाती है। माननीय सदस्य हर नियम की पेचीदगियों में अन्दर तक नहीं जाते इसलिये गलती रह जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं पालियामेन्ट में भी रहा हूं, यहां भी रहा हूं, लेकिन अभी तक भी सारे नियमों की पेचीदगियां मुझे मालूम हों, मैं इसका दावा नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, रूल्स में भी लिख रखा है, कन्डक्ट आफ दी मेम्बर्स, कण्डक्ट ऑफ दी मेम्बर्स ऑफ दी हाउस। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर लिखा है-

Rules to be observed—it is fifth—

"A member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority....

Person of high authority में माननीय सदस्य आते हैं, आनरेबल स्पीकर आते हैं, आनरेबल राज्यपाल महोदय आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं। रूल्स में यह है :

(80)

(श्री गंगू सिंह)

"conduct of persons in high-authority...."

रूल को भी पढ़े तो भी यह बात क्लियर नहीं हो सकती, हायर ग्रांथोरिटीज का रूल्स में प्रोविजन है, इन पर कोई रिफ्लेक्शन हाउस के अन्दर, सदन में कर दे, अध्यक्ष महोदय, उस स्थिति में प्रिविलेज मोशन आ सकता है। मैं यह मानता हूं, इन्होंने जो एक रिफ्लेक्शन किया वह गलत है। अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं पहले कह चुका हूं वह उचित नहीं था लेकिन रूल्स के अन्दर प्रोविजन के हिसाब से देखें, अध्यक्ष महोदय, तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी के कण्डक्ट पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं किया। एक हरिजन की लड़की थी उसके साथ वहां पर बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ उसको केवल मुख्य मन्त्रीजी के साथ जोड़ने का प्रयास किया लेकिन कण्डक्ट पर रिफ्लेक्शन नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य यदि इस तरह का व्यवहार करे अपने क्षेत्र की परेशानियों का रिफ्लेक्शन करे....

(व्यवधान)

मैं तरीका नहीं बता रहा हूं। फिर कह रहा हूं जो तरीका है उसको बता करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को और सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उत्तेजना में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिये जो राजस्थान विधान सभा की गरिमा को नीचा करे। अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अन्दर कई बार ऐसे-ऐसे मुद्दे आये, इस तरह के प्रश्न आये है तो लोक सभा के माननीय सदस्यों ने और उस महान सदन ने, अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए या तो इग्नोर किया या माफ किया लेकिन कोई बहुत बड़ी सजा इस तरह की नहीं दी, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष, सदस्य कई बार हमारी आनरेबल प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि उस समय जनता पार्टी के शासन में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को लोकसभा से बाहर निकाला तो क्या आप लोगों ने उसको गलत नहीं ठहराया? इन्होंने स्वयं उसको गलत ठहराया। अगर आपने स्वयं उसको गलत ठहराया तो आप उसी तरह से माननीय सदस्य का निष्कासन करेंगे तो आपके ही तर्क को आप नकार देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो पहले बात कह दी उस पर कायम रहें और इस तरह का कोई भी कृत्य न कर जो उस समय गलत था और आज भी गलत है ताकि आपकी शान बढ़े, सदन की शान बढ़े, सदस्यों की शान बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस समय हम एक निर्णय करने जा रहे हैं, हम जज की हैसियत से बैठे हैं यहां। जज का मस्तिष्क निर्णय लेते समय बहुत कूल होता है, बहुत ठंडा होता है। मैं समझता हूं कि सदन उत्तेजना में आकर के, इतनी सजा का प्रावधान न करे कि लोग यह कहें कि नहीं, यह तो ऐसा हो गया कि सारा सदन मुरझा गया, छुईमुई है सदन, सदन के बाहर निकल कर हम यह नहीं कह सकें कि सदन से कोई ऐसी बात हो गई है।

(श्री नाथूसिंह)
अगर माननीय सदस्य ने जान बूझ कर किया होता तो मैं सबसे पहले कहता कि इससे भी ज्यादा कठोर कदम उठाइये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने अनजाने के अन्दर एक तरीका जो अपनाया अपनी प्रोब्लम को रिफ्लेक्ट करने का वह तरीका गलत अवश्य था लेकिन इसके पीछे माननीय सदस्य की भावना ऐसी नहीं थी। कानून और नियम भावना को आधार मान कर बनते हैं। जितने भी माननीय सदस्य वकील हैं वह जानते हैं कि लॉ बनता है वह भावना को आधार मानकर बनता है। नियमों को लागू करते समय देखते हैं कि आदमी की इन्टेन्शन क्या है। अध्यक्ष महोदय, इन्टेन्शन माननीय सदस्य की ऐसी नहीं थी कि वह सदन की गरिमा को नीचा करना चाहते थे। सदन की गरिमा गिराने में माननीय सदस्य की गरिमा गिरती है। ऐसी कोई भावना उनकी नहीं थी इसलिए परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, हमारे लोकतन्त्र को ध्यान में रखते हुए, इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और महात्मा गांधी के उपदेशों को ध्यान में रखते, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इस मामले पर उत्तेजना में आकर इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जाय। जो भी कदम उठाया जाय इससे पहले माननीय सदस्य को पूछें तो वह भी उस कदम की प्रशंसा नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य अपने कदम को गलत बता दें तो इससे बड़ी सजा मैं समझता हूं कि कोई नहीं होती है इससे बड़ी कोई सजा हो तो आप बता दें। स्वयं व्यक्ति अपने कदम को गलत बता दें, रिग्रेट कर ले, तो मैं कहता हूं कि माफी से बड़ी कोई दुनिया में सजा नहीं है। आप चाहें तो कोर्टस के निर्णय देख लीजिये, सदन के जितने भी निर्णय हैं उनको देख लीजिये, आदमी माफी मांग ले, रिग्रेट कर ले या खुद के निर्णय को आदमी गलत समझने लग जाय या अपने आप में सुधार कर ले, तो, अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सदन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये उत्तेजना में आकर के कोई निर्णय नहीं ले।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधान सभा का सदन अनप्रिसीडेन्टेड घटना के ऊपर चर्चा कर रहा है। मामला इसलिये गम्भीर बन गया है कि एक माननीय सदस्य ने अपने गले में पट्टी लटकाई उस पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जो कुछ अंकित किया हुआ था, मुझे तो यह कहते हुए शर्म आ रही है, माननीय अध्यक्ष जी, यहां प्रश्न यह है कि विरोध पक्ष के हमारे कुछ माननीय सदस्य इसको उत्तेजना का मुद्दा बतला रहे हैं। अपराध जो उत्तेजना के वशीभूत होकर किया गया हो वह निश्चित् रूप से क्वान्टम आफ पनिशमेंन्ट को कम कर देता है लेकिन जो अपराध सोच-समझकर किया गया हो वह क्वान्टम आफ पनिशमेंट को बढ़ा देता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह कई दिन पूर्व की घटना है। इसके

(श्री हरिसिंह)

लिये लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की सरकार की जिम्मेदारी है। सवाल इस बात का था कि माननीय सदस्य को उत्तेजना क्यों हुई ? क्या अपराधियों के खिलाफ कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई, या किसी थानेदार ने एफ. आई. आर. दर्ज करने से मना कर दिया, या एफ. आई. आर दर्ज करने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कानूनी एक्शन नहीं हुआ ? अगर ऐसा होता तो माननीय सदस्य इतने उत्तेजित होते लेकिन उत्तेजना के प्रगटीकरण का जो माध्यम उन्होंने अपनाया है वह निश्चित रूप से निन्दनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, यह मसला मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य, श्री भैरूंसिंह जी गुर्जर ने यहां उठाया। मैं उनको धन्यवाद पेश करता हूं, आप कल्पना करिये यह सदन इस सारी बात को चुपचाप देख लेता लेकिन प्रेस हमारी ऊपर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान भर के अखबारों में यह घटना मोटे-मोटे अक्षरों में छप जाती, यह सदन बिल्कुल कुछ नहीं करे तो प्रेस अंधी नहीं है, प्रेस के माध्यम से हिन्दुस्तान की 70 करोड़ जनता के पास यह घटना पहुंच जाती तो क्या उस समय सदन के माननीय नेता एक एक व्यक्ति को जाकर अपनी सफाई देते कि यह घटना मेरी बेटी से सम्बन्धित नहीं है। मैं माननीय सदस्य श्री भैरूंसिंह जी को धन्यवाद पेश करता हूं कि सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह अपनी किसी प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति का कोई अच्छा माध्यम नहीं है, मैं तो कम से कम यह नहीं मानता मुझे माफ कर दे सदन, और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी माफी चाहता हूं, यह अकेले श्री देवीसिंह जी भाटी का कृत्य नहीं है, इसके पीछे विरोध पक्ष के मुख्य नेताओं की साजिश है···

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बिल्कुल आपत्ति है, यह अपने शब्द वापिस लें। जिस समय महादेवसिंह के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की थी तो महादेवसिंह को बचाने के लिये आप नहीं आये। उनको बचाया हमारे नेता श्री भैरोंसिंह जी ने। उस समय आप कहां गये थे···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दूंगा उस समय···

(व्यवधान)

आप कह दें···

श्री भगवानदास शास्त्री : उस समय आप कहां गये थे···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : हम लोगों ने बचाया उनको···

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैं इस प्रकार से जोर जोर से बोलने से अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता। स्पष्ट रूप

(श्री हरिसिंह)

से मैं यह तो सदन के सामने पेश नहीं कर सकता कि किन-किन सदस्यों का इसमें हाथ है लेकिन जिस ढंग से अपराध और अपराधियों की वकालत की जा रही है उससे आपको स्पष्ट हो जायगा कि इस अपराध के पीछे कुछ बड़े नेताओं का हाथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साजिश के पीछे और कुछ नहीं है। इन्होंने देखा कि कोई ऐसा सदस्य तलाश करें जो विचार शून्य हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके मस्तिष्क में विचार नहीं हो · · ·

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आशंका है कि आज यह तख्ती लटकी। अगर आपने माफ कर दिया तो कल श्री भैंरोसिंह जी, श्री देवीसिंह जी माननीय सदस्य को विरोध में नंगा करके इस सदन में खड़ा कर देंगे और वह कहेंगे कि कोई अपराध नहीं है · ·

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भैंरोसिंह जी का नाम क्यों लिया जा रहा है ? उनका कोई हाथ नहीं है · ·

(व्यवधान)

श्री हरीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने नहीं कहा · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायं। उत्तेजना न फैलायें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को उत्तेजना हुई है, मेरे मुंह से भैंरोसिंह जी का नाम स्लिप हो गया। मैं उनका नाम नहीं ले रहा था इसलिए आपको उत्तेजना की कोई बात नहीं है, मैं खुद उसकी आगे सफाई दे रहा था। श्री देवीसिंह जी भाटी का नाम लेते लेते श्री भैंरोसिंह जी का नाम निकल गया · · ·

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह शब्द वापस लिये जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, श्री हरिसिंह जी ने जो शब्द कहे वह कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य का प्रेस में छपाने के लिये, कालम बनाने का एक प्रकार से दुष्कृत्य है। माननीय सदस्य ने प्रेस में अपना स्थान बनाने के लिए, अखबारों में नाम छपाने के लिए इस प्रकार का दुष्कृत्य किया है

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अवांछनीय घटनाओं को सदन में शक्ति से नहीं रोका तो कल किसी भी प्रकार की वेश-भूषा में माननीय सदस्य आ सकते हैं, किसी भी प्रकार का आचरण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कृत्य इस सदन में कर सकते हैं। स्पेशली मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस (आई) के सदस्यों द्वारा नहीं होता है कांग्रेस विरोध में बैठी थी तो भी इस तरह के आचरण

(84)

(श्री हरिसिंह)

नहीं हुए। विरोधी पक्ष का इस तरह के आचरण करने का परम्परागत स्वभाव है···

श्री गोपाल पचेरवाल : महादेवसिंहजी को पुलिस ने मारा···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पचेरवाल, कृपया बाधा नहीं डालें।

श्री त्रिलोकसिंह : ···सदन का मामला है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य श्री त्रिलोकसिंह जी।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री पचेरवाल जी की भावना से सम्पूर्ण सहमति प्रकट करता हूं, वह इसलिए कि चाहे बेटी एक गरीब की हो चाहे किसी धनाढ्य की हो, चाहे किसी सवर्ण की हो या किसी हरिजन की हो वह निश्चित रूप से हमारी बेटी है। हम कानून के निर्माता हैं। यह सदन और इसके बनाये हुए कानूनों की पालना कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस राजस्थान की चार करोड़ आबादी में जितनी भी नारी हैं, बेटी हैं निश्चित रूप से हम सब की बेटी हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि राजस्थान में कल कोई हत्या का अगर मामला दर्ज होता है और विरोधी पक्ष से कोई माननीय सदस्य अपने गले में ऐसी पट्टी बांध कर आ जायं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर के बेटे ने हत्या कर दी। अगर किसी जेब कतरे को पकड़ा जाय और कोई माननीय सदस्य अपने गले में पट्टी बांध कर चले आयें कि राजस्थान के मुख्य मंत्री का बेटा जेब काटते हुए पकड़ा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बातों का कोई अंत नहीं है। मैं मानता हूं और माननीय पचेरवाल जी की भावनाओं की कद्र करता हूं, हरिजन की बेटी हमारी बेटी है, आपकी भी बेटी है और भी निश्चित रूप से शिवचरण जी माथुर की भी बेटी है। श्री शिवचरणजी माथुर का फर्ज है कि कानून की सख्ती से पालना करायें। शिवचरण जी माथुर और उनकी सरकार ने कानून की सख्ती से पालना करवाई है। अपराधी पकड़ा गया है उसके बावजूद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य ने यह नाटक क्यों किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष समय सदन का नहीं लूंगा। मैं केवल एक बात आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा कि चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों सभी माननीय सदस्यगण इस बात को महसूस करते हैं अन्तरात्मा से from the heart of their heart वह यह महसूस कर रहे हैं कि यह अपराध हुआ है और यह अशोभनीय घटना हुई है। सवाल इस बात का है, मतभेद इस बात पर है कांग्रेस और विरोध के बीच में कि क्वान्टम आफ पनिशमेन्ट ..,

श्री अध्यक्ष : इसमें आपका सुझाव क्या है ?

श्री हरिसिंह : मैं उसी पर आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से इस बात का हामीदार हूं कि अभी

(श्री हरि सिंह)

हिन्दुस्तान के कानून से फांसी की सजा को नहीं हटाया गया है। वह सिर्फ इसलिए रखा गया है, हत्या करने वाले अपराधी को फांसी की सजा सिर्फ इसलिए मिलती है कि दूसरे लोग उससे सबक सीखें। इसी लिए यह डेटरेन्ट पनिशमेन्ट है। इस तरह की हरकत बाद में नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिये निश्चित रूप से मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि सदन के पास जो कठोर से कठोर सजा है वह निश्चित रूप से दे देनी चाहिए। हमारे माननीय सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर!

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, निस्सन्देह जो हरकत देवीसिंह जी ने पट्टिका अपनी गरदन में लटका कर की, वह निन्दनीय है। उसकी भर्त्सना करने से कोई चूका नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें।

श्री राजबहादुर : और किसी के नहीं चूकने के साथ में किसी का कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फर्क इतना है कि उस हरकत के पीछे एक जो दूसरी घटना है उससे वह कितने प्रभावित थे। मुझे कम से कम नहीं मालूम था...

श्री अध्यक्ष : यह किस ने कहा कि दूसरी घटना से प्रभावित हुए हैं वह।

श्री राजबहादुर : यह सब ने कहा है।

श्री अध्यक्ष : सुनी सुनाई बात है यह।

श्री राजबहादुर : कम से कम मेरे ख्याल से तो यहां पर जरूर यह कहा गया...

श्री अध्यक्ष : वह सुनी सुनाई है। आप तो स्वयं वकील रह चुके हैं। सुनी सुनाई बात का आधार क्या है?

श्री राजबहादुर : मैंने यह बात नहीं कही। मैं यह बात साफ साफ कह रहा हूं जो उन्होंने हरकत की वह निन्दनीय थी। उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है। दूसरी बात यह है उसके पीछे जो घटना घटी थी उससे प्रभावित होकर उन्होंने काम किया, वह भी स्पष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं खुद मानता हूं, इसमें माननीय कल्ला साहब ने और मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा कि जो रेपिस्ट था मंजू का उसे पकड़ लिया गया है। मुझे नहीं मालूम था कि पकड़ लिया गया है। यह हम जानते हैं कि जहां रेप की घटना होती है, खास तौर परगना जाति, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, शोषित हैं उनके साथ यदि होती है तो और भी उसके साथ सहानुभूति होती है। इसमें भी सन्देह नहीं हो सकता। मैं देवीसिंह जी की वकालत करने या समर्थन के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : आपको किसी न किसी पक्ष में कोई बात कहनी है। दण्ड दें, तो क्या दें? आप तो बहुत अनुभवी हैं।

श्री राजबहादुर : मैं उसी पर आऊंगा लेकिन उसके पहले कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आप वयोवृद्ध इस सदन के सदस्य हैं। हमारे सामने एक

(86)

(श्री राजबहादुर)

प्रस्ताव है दण्डित करने का किसी माननीय सदस्य को। आप दोनों तरफ की बात कह दें उससे तो काम चलेगा नहीं। दण्ड हो तो कितना हो, या नहीं हो, इसके बारे में, माननीय सदस्य, काफी लम्बी डिबेट चल चुकी है और करीब करीब निर्णय की स्थिति में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई लाग लपेट की बात नहीं करूंगा। जो मुझे न्यायोचित लगेगा वही कहूंगा। लेकिन इतना कहता हूं कि मुझे अपने विचार रखने की स्वतन्त्रता है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है। इसलिए मैं कुछ बातों पर कहना चाहता हूं।

यहां सबसे पहले मोशन लाया गया है श्री भैरूंसिंह गुर्जर ने कहा कि नियम 291 के तहत इनके खिलाफ एक्शन लिया जाये। उस पर बोलने के बाद यह बात आई कि प्रिविलेज मोशन नहीं है। प्रिविलेज मोशन दिया गया इसमें कहा गया कि इनको निष्कासित किया जाए। आपने नियम 157 का हवाला देकर तुरन्त कहा कि मैं प्रिविलेज मोशन को रखने की इजाजत देता हूं। उस प्रिविलेज मोशन के रखने के बाद जो भी बोलना है या नहीं बोलना है उसके बाद नियम 161 आता है। अगर कोई आब्जेक्शन होता है तो नियम 160 आता है और आब्जेक्शन नहीं होता है तो 161 आता है। 161 में साफ लिखा हुआ है :

"If leave under rule 160 is granted, the House may consider the question and come to a decision or refer it to the Committee of Privileges on a motion made either by the member who has raised the question of privileges or by any other member.

मतलब यह है कि डिसीजन कब होगा। जब पहले क्वेश्चन डिस्कस हो जायेगा। मैं समझता हूं कि क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। इसके बाद जो डिसीजन लेंगे वह डिसीजन होगा। इन्होंने जो प्रस्ताव रख दिया It is little before time क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर होगा। फिर एक बात है कि आप किस एक्शन से उसकी परिभाषा को, उसकी आन्तरिक परिभाषा को, वेल्यू देंगे। उसे मिस-कन्डक्ट मानेंगे या क्या मानेंगे ? इससे ज्यादा क्या है नियम 291 में साफ है। जो नियम 291 का हवाला दिया है भैरूंसिंह जी गुर्जर ने वह इसलिए दिया था कि उसमें था :

"The speaker may direct any member, whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly ....

तो इस कन्डक्ट को आसली डिस्आर्डरली मानेंगे या कि इसको डिस्क्वालिफिकेशन की एक और परिभाषा मानते हुए डिस्क्वालिफाई कर देंगे ? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी एक प्राविजन है कान्सटीट्यूशन में, डिस्क्वालिफाइड मैम्बर कब हो सकता है : A member is entitled to sit in the House until he is disqualified. अब डिस्क्वालिफिकेशन की परिभाषा पांच है, कौन कौन सी दशा में अवस्थाओं में कोई मैम्बर डिस्क्वालिफाई हो सकता है, मैम्बरशिप से वंचित किया जा सकता है...

श्री अध्यक्ष : वह तो कान्सटीट्यूशन के प्राविजन हैं कि वह कब डिस्क्वालिफाई हो जाता है। यह नहीं। लेकिन विशेषाधिकार के हनन के तहत जो कार्यवाही की जाये,

(श्री अध्यक्ष)

उसका यह प्रस्ताव है। उसमें कई तरह के दिये हुए हैं। आप जो डिस्आर्डरली बिहेवियर का कहते हैं, वह तो सदन में अव्यवस्था फैला रहे हों तो तत्काल आसन को अधिकार है कि उस बैठक से उनको निष्कासित कर दे। तत्काल यदि डिस्आर्डरली बिहेवियर की बात होती है वह उसका है। यह डिसआर्डरली बिहेवियर का ही नहीं है। ब्रीच आफ प्रिविलेज के तौर पर उन्होंने प्रस्ताव दिया है। अशोभनीय और जिस तरह का उनका व्यवहार था इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया है। डिसआर्डरली की बात नहीं है।

श्री राजबहादुर : इसका मतलब यह है...

श्री अध्यक्ष : डिस्क्वालिफिकेशन का आप जो फर्मा रहे हैं, योग्यता और अयोग्यता किन किन कारणों से हो सकती है, कौन व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड हो सकता है, कौन सदन का सदस्य हो सकता है इसके लिये कुछ क्वालिफिकेशन्स हैं। वह विषय अलग है।

श्री राजबहादुर : जी हां, वह नियम 191 में है। मैं सुनाना चाहता था...

श्री अध्यक्ष : आप सुना दीजिए, कोई एतराज नहीं।

श्री राजबहादुर : मैं इसलिये सुनाना चाहता था कि यदि आप किसी मेम्बर को मेम्बरशिप से वंचित करते हैं, वह मेम्बरशिप से हट जाये, उसको हटा दिया गया, 5 साल की अवधि में से 3 साल मेम्बर के रूप में बैठा रहे, दो साल के लिये निकाला जाये तो वह प्रिविलेज आफ दी हाउस के ब्रीच के लिये ही किया जा सकता है। उसके लिये कोई प्रामाणिक कानून का हवाला नहीं है, रूल्स का हवाला नहीं है, किसी का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अशोभनीय व्यवहार। आपको तो मालुम ही है, तुलमोहनराम को निकाला था, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी को निकाला था उसमें यह क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाला प्रश्न नहीं आया...

श्री राजबहादुर : श्री तुलमोहनराम का केस वर्षों तक प्रिविलेज कमेटी में रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया एक मिनट बिराजें।

प्रिविलेज मोशन का जहां तक प्रश्न है, सदन के सामने दो विकल्प होते हैं, उस मामले को तत्काल सुन सकता है, निर्णय दे सकता है। यदि वह घटना सदन के समक्ष हुई हो, उसमें अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता न हो उस अवस्था में सदन उस प्रश्न पर या इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। यदि सदन के समक्ष घटना नहीं घटती है उस स्थिति में सदन को एक तरह से अदालत की तरह से बैठना होता है, साक्ष्य एकत्रित करनी होती है उसका जवाब लेना होता है। क्योंकि सदन के सामने घटना नहीं घटी है उस अवस्था में आम तौर से विशेषाधिकार समिति को उसका मामला सुपुर्द किया जाता है। अगर सदन के समक्ष घटना हुई हो तो सदन या तो खुद तत्काल निर्णय दे सकता है या फिर आवश्यक समझे तो विशेषाधिकार समिति को सदन दे सकता है। यदि सदन के सामने घटना हुई हो तो इसमें कोई असंवैधानिक बात नहीं होगी कि

(श्री अध्यक्ष)

तत्काल इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय क्योंकि साक्ष्य सदन के सभी माननीय सदस्य हैं। यह हैं इसमें।

श्री राजबहादुर : हर हालत में आपको एनेलेसिस करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो ग्राफेन्स किया गया है उसका मूल्यांकन क्या है? इसको किये बिना न सुप्रिम कोर्ट के फैसले की तरह हाउस फैसला कर सकेगा, न हम कर सकेंगे। यह निश्चित बात है जो भी अपराध हुआ है, अपराध तो हुआ है उसका मूल्यांकन करने के बाद, the punishment should be commensurate with the gravity of the offence. जो पनिशमेंट देना है आपको वह कम में कम समानान्तर तो हो उस आफेंस के। इस केस में यह निश्चित बात है कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं, जो तरीका इस्तेमाल किया है वह घोर निन्दनीय है, भर्त्सना के योग्य है, सारी कुछ बात हैं इसीलिये उनके खिलाफ मोशन आया है लेकिन क्या यह अच्छा उदाहरण बनेगा? क्या पर्पज है पनिशमेंट का। पनिशमेंट का आप जानते हैं, punishment should be commensurate with the gravity of the offence.

श्री अध्यक्ष : पनिशमेंट की कोई सीमा नहीं है इस सदन के सामने।

श्री राजबहादुर : जी नहीं, सीमा सदन के सामने तो नहीं है लेकिन यहां तो सीमा है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह का वाद-विवाद इसीलिये होता है कि अपराध है तो किस-किस श्रेणी में उसे दण्ड दिया जाये, क्या दण्ड दिया जाये। उसी के लिये सब चर्चा हो रही है।

श्री राजबहादुर : उसी संदर्भ में मैं निवेदन कर रहा हूं। यही मेरी अपील है।

जैसा सब मानते हैं हाइएस्ट कोर्ट आफ जस्टिस है, जहां तक मैम्बर्स के राइट का सवाल है इसमें ग्रेविटी आफ दी आफेंस का मूल्यांकन करना पड़ेगा। ईश्वर न करे अगर बुद्धि और खराब हुई होती देवी सिंह जी की, मन्जू का नाम भी नहीं लिखा होता तो शायद और भी ग्रेव हो जाता आफेंस लेकिन मन्जू का नाम लिख कर उन्होंने अपने माइण्ड का इन्क्लीनेशन जरूर दिया है कि he never meant the Chief Minister's daught.r. He wanted to highlight an offence that has been committed. इससे तो इन्कार नहीं हो सकता कि मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। इसके अन्दर पनिशमेंट जो हो उसके लिये चीफ व्हिप ने खुद कहा है कि ऐसे इर्रेस्पांसिबल एक्शन न हों। यह वर्ड्स तो इनके हैं कि डिसिप्लीनरी एक्शन होना चाहिये और रेमेडियल होना चाहिये। यह शब्द मेरे नहीं हैं, यह शब्द तो चीफ व्हिप के हैं जो प्रस्तावक हैं। मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक है, पनिशमेंट के के तीन पर्पजेज होते हैं। रेमेडियल होता है, जिसके साथ आफेंस हुआ है उसको रेमेडी मिल जाये। दूसरा पीनेटिव होता है, ऐसा पनिशमेंट मिल जाये। तीसरा होता है प्रिवेन्टिव। इन तीनों पर आप सोच लें इस दृष्टि से कि क्या ऐसा अपराध है जिसमें मैक्सीमम पनिशमेंट मिलना चाहिये। आप न्यायोचित फैसला करेंगे तो निश्चित बात है आपका मूल्यांकन कुछ और होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आफेन्स की

(श्री राजबहादुर)

पराकाष्ठा हो गई है। इस केस में ? एक आफेन्स का मूल्यांकन यह होता है। extreme penalty for extreme offence, एक्सट्रीम आफेंस है क्या यह ? आफेंस तो मानते हैं हम लोग, ग्रेव आफेंस मानते हैं। बहुत क्रूड बिहेवियर है, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हवाला अब तो यह भी दिया जा रहा है कि बड़े अधिकार हैं हाउस के। हाउस के अधिकार तो हैं लेकिन जितने बड़े अधिकार होते हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, जितने भी अधिकार होते हैं उनके आधार पर जिम्मेदारी के हिसाब से एक्शन लिये जाते हैं।

कई मैम्बरों ने और आपने स्वयं भी कहा, वैसे मैं नहीं कहना चाहता था, इन्दिरा जी को लोक सभा से निकाला गया, ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामले में निकाला गया। मैरिट्स में नहीं जाना चाहता but that made her a hero and a martyre. अगर वह गलती नहीं होती तो शायद दुबारा नहीं आती। अगर आप हीरो बनाना चाहते हैं देवीसिंह जी को, मैंने पहले कहा था पैमाने से ज्यादा सजा देते हैं, जो आफेंस है उससे कहीं ज्यादा सजा देते हैं तो ठीक है दो। लेकिन मेरी निश्चित राय यह है ग्रेविटी आफ दी आफेंस को देखते हुए मैक्सीमम पैनल्टी नहीं होनी चाहिये।

शुरू में एक माननीय सदस्य ने कहा था, कहने को तो आपने एक्सपंज कर दिया, आपने ठीक किया, उन्होंने जो शब्द कहे उनको मैं दोहराना चाहता था, यह किया जाये, वह किया जाये, मैं उन शब्दों को नहीं दोहराऊंगा किन्तु वह भी एक आफेंस था। आपने एक्सपंज कर दिया, ठीक है। हम सब मानते हैं आपका राइट है एक्सपंज करने का, पर जो उन्हें कहना था वह कह चुके। इसलिये आफेंस के आधार पर पनिशमेंट को देख लीजिये। यह सही है इनडारेक्टली ऐसा एक्शन, इस प्रकार का बिहेवियर नहीं करना चाहिये था। आप इसके बाद···

श्री अध्यक्ष : उन्होंने पनिशमेंट ऐसा सजेस्ट किया था जिसको यह सदन अडाप्ट करने को तैयार नहीं था।

श्री राजबहादुर : मगर पनिशमेंट सजेस्ट करने का था, अपमान भी तो था, इन्सल्ट भी तो थी, घोर अपमान था··

श्री अध्यक्ष : इसलिये एक्सपंज कर दिया उसको।

श्री राजबहादुर : प्रिविलेज मोशन होना चाहिये था। क्या उन्होंने जिम्मेदारी से बात की ? कहां जा रही है जिम्मेदारी ?

अभी हरिसिंह जी को सुना, मुझे अफसोस है वह यहां पर नहीं है। उन्होंने यह कहा था कि इस सारी घटना के पीछे जितने अपोजीशन के लीडर्स हैं उन सब का हाथ है···

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा··

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल यही कहा।

एक माननीय सदस्य : कुछ ने कहा··

श्री राजबहादुर : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये। किसी ने भी कहा, किसी एक आदमी का नाम लेना क्या उचित था?

(९१)

(श्री राजबहादुर)
क्या रेस्पांसिबिलिटी है यह ? क्या इर्रेस्पांसिबल बात नहीं है। देवी सिंह जी का बिहेवियर निहायत इर्रेस्पांसिबल था। अध्यक्ष महोदय, आप हम सब के अधिकारों की रक्षा करते हुए और हमारे सब के हितों को देखते हुए इस पर निर्णय करें। जैसा उन्होंने कहा, तोतली भाषा है, अनुभव नहीं है, नये नये आये हैं, पहली बार आये हैं इसलिये ऐसी बात कर दी। पहला अपराध है इसके लिये क्या इतना गम्भीर दण्ड देंगे कि उनको यहां से निष्कासित कर दें, हटा दें उनकी मैम्बरशिप खतम कर दें ? मैं तो यह समझता हूं कि न तो यह कान्स्टीट्यूशन की मन्शा है, न रूल्स की स्प्रिट है। इनका ग्रास डिस्आर्डरली मिस बिहेवियर हो सकता है। यह मैं मान सकता हूं। इसके लिये आप जो सजा उचित समझें दें। लेकिन यह कहें कि इनकी मैम्बरशिप खतम कर दी जाये, यह न हमारे साथ न्याय होगा, न उनके साथ न्याय होगा, न इस सदन के साथ न्याय होगा, न परम्पराओं के साथ न्याय होगा, न जनतन्त्र के साथ न्याय होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ यह बहुत बुरा उदाहरण होगा। केवल बहुमत के आधार पर आप फैसला करना चाहें, करें, हम लोग उस फैसले में शामिल नहीं हो सकते। हम पैनल्टी के खिलाफ नहीं हैं। पैनल्टी दी जाये, पैनल्टी जो उचित हो वह दी जाये। उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है तो कोई इसको विन्डीकेट नहीं कर सकता।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप कहां तक पनिशमेंट दिये जाने के लिये तैयार हैं ?

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : आप विचार कर लीजिये। प्रस्ताव करेंगे आप। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं the punishment should be commensurate with the gravity of the offence. अगर कानून के इस सिद्धांत से हमारे मिनिस्टर साहब सहमत हैं तो मुझसे कह दें। अगर नहीं है तो निश्चित बात है ग्रेवेटी आफ दी आफेंस हम सब मानते हैं लेकिन ग्रेविटी एक्सट्रीम डिग्री की नहीं है, एक्सट्रीम लेवल की नहीं है। यह देखने का है। मैं तो यह कहना चाहता हूं लीडर ऑफ दी हाउस को यहां होना चाहिये था, प्रिविलेज के मामले में लीडर आफ दी हाउस को डाइरेक्शन देने चाहिये, गाइडेंस देनी चाहिये सारी बात के लिये। उनकी क्या राय है, अध्यक्ष महोदय, वह भी तो हम सुन लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय देवी सिंह जी की भी राय तो सुन ले सदन..

श्री राजबहादुर : उनकी राय भी सुन लें। मैं तो उनकी राय भी आवश्यक मानता हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उनकी क्या राय है। मैंने सुना है जैसा पूर्व में निवेदन किया कई माननीय सदस्यों ने कि कोई दूसरी घटना थी उससे वह प्रभावित थे। लेकिन जब तक वे स्वयं कुछ नहीं कहते हैं तब तक दूसरे माननीय सदस्यों की कही हुई बात को केवल कयास ही माना जा सकता है।

श्री राजबहादुर : ठीक है, मैं मानता हूं उनको बुलायें। उनकी बात को भी सु ना।

(श्री राजबहादुर)

(व्यवधान)

उस नाते जिसने अपराध किया है..

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

गंभीर विषय है। सुनें।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं पहला आदमी था जो यहां से उठा, वहां गया और उनसे कहा। स्वयं मैंने उनके मुंह दर मुंह कहा है। इस बात पर मुझ से एक-दो माननीय सदस्य तो नाराज भी हुए। उन्होंने जो मुझे बताया, वह यह है कि एक कन्या के साथ बलात्कार हुआ है। मैंने कहा, जो कुछ भी हरकत है सदन की गरिमा के खिलाफ है, बहुत गलत है और उनको नहीं करना चाहिये था। उनको माफी मांगनी चाहिये..

(व्यवधान)

मेरी विनती सुन लें। तो मैं कहना चाहता हूं, एक्स्ट्रीम पनिशमेंट नहीं होना चाहिये। जब मेरी राय लेंगे तो मैं भी प्रपोज कर दूंगा कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिये लेकिन यह मेरा मानना है बिना किसी लिहाज से कि जो आफेन्स हुआ है वह ग्रेव है किन्तु इतना ग्रेव नहीं है कि...

(व्यवधान)

मै यह कहूंगा, क्षमा मांगें। अपराध तो उन्होंने किया है लेकिन क्षमा मांगने से...

(व्यवधान)

जो अपराध किया है वह माफ हो जाय। यह सदन का अधिकार है इसलिये ला की हैसियत से कहना चाहता हूं कि अगर क्षमा मांग लेते हैं तो कम पनिशमेंट के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन यहां जो इर्रेस्पान्सिबल शब्द कहे गये हैं उसके लिये भी हरिसिंहजी को खेद प्रकट करना चाहिये। उन्होंने कहा हमारा सब का हाथ था, उसमें तो हमारी भी आपत्ति है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं किसी प्रकार का खेद प्रकट करने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं और मैंने आपका थैला उठाकर राजनीति में प्रवेश किया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि××× आप चाहे जो कुछ कह दें।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, ×××बोल रहे हैं। यह कौनसा शब्द है। बोलना भी नहीं आता है माननीय सदस्य को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बातें नहीं करें।

श्री राजबहादुर : भाई, ठहरिये न दो मिनट।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री जी आ जायें, उनकी गाइडेन्स मिलना भी अनिवार्य है। इसको ऐसा उदाहरण न बनायें जिसको कोट किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो यहां पर जो वोट की गिनती होती है...

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(92)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

श्री भालू खां ।

श्री भालू खां (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर सदन में चर्चा चल रही है वह बहुत ही घटिया स्तर की बात है कि. .

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : यह तो सदन का अपमान है, घटिया स्तर की चर्चा बताना. .

श्री भालू खां : इस पर काफी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके मार्फत सदन को बताना चाहता हूं . .

श्री नाथू सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री भालू खां : . . जब देवीसिंह जी अपने घर से चले . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर आ गया । शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

बातें नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन इतने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा है, सदन में बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जिस महत्वपूर्ण मसले पर सदन विचार कर रहा है उसके लिये यह कहना कि घटिया चर्चा है, अध्यक्ष महोदय, यह तो सदन का अपमान है..

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं कहा है••।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें, यही कहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप धैर्य रखें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । श्री भालू खां ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, आसन के माध्यम से कहें । मैं आपके पाइन्ट आफ आर्डर को समझ गया हूं ।

श्री नाथूसिंह ; आप प्रोसिडिंग्स उठाकर देख लें, घटिया स्तर की चर्चा कहा है । क्या यह सदन का अपमान नहीं है ?

श्री राजबहादुर : सारे हाउस का कन्टेम्प्ट है ।

श्री अध्यक्ष : कोई कन्टेम्प्ट नहीं है ।

श्री भालू खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, देवी सिंह जी जिस वक्त हाउस में आये तो उनके गले में तख्ती लटकी हुई थी। हमारे विरोधी दल के भाई सब यहां बैठे हुए थे, देख रहे थे उसकी तरफ और हंस रहे थे। हम लोगों ने पूछा, बतावो भाई, क्या बात है, काहे की तख्ती है...

(व्यवधान)

लाल-लाल खून सा क्या लग रहा है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री भालू खां : तो लोगों ने कहा, यह हमेशा ही करता है ऐसा, इसकी आदत है...

श्री अध्यक्ष : इनकी आदत है।

श्री भालू खां : फिर, यह मेरा कहना है कि देवीसिंह जी जब अपने घर से चले तब वह तख्ती उनके गले में थी। वहां से प्रदर्शन करते हुए यहां आये। तो इस आदमी ने सोच समझ कर अपने अकेले की राय से तो ऐसा किया नहीं है। इनके साथी है, उनको मालूम है, ऐसा करना है। ऐसी बात नहीं है कि उनको मालूम ही नहीं हो। कहते हैं, मालूम नहीं है तो यह सफाई देने की जरूरत नहीं है। सदन में जान-बूझकर ऐसा किया है यह सबको मालूम है।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ भी कह दें।

(व्यवधान)

श्री भालू खां : ढाई घंटे से चला, रहे हैं इस चर्चा को। यह बात गलत है।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रिविलेज बनता है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया भाषा में संयम बरतें। काफी गंभीर कानूनी मसला है, संसदीय परम्पराओं का है।

श्री भालू खां : एक घंटे तक किसी ने यह नहीं कहा कि यह क्या कर रखा है। हम तब भी मानते जब विरोधी दल के सदस्यों ने कहा हो, भाई, आपने क्या कर रखा है, बहुत बुरी बात है। तो हम मान लेते। उन्होंने किसी ने नहीं कहा। इसलिये हम तो यह मानते हैं कि उन सबको मालूम था और जान-बूझकर ऐसा किया गया है। इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, मेरी तो यही राय है।

एक माननीय सदस्य : फांसी की सजा दे दो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, कोलायत से जीत कर आने वाले माननीय सदस्य...

(९५)

(सुश्री पुष्पा जैन)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि बहुमत के आधार पर फैसला तो करेंगे ही लेकिन आप बहुमत के आधार पर क्या हमारी जबान पर भी ताला लगाना चाहते हैं? अगर ऐसा शासन का आदेश है तो हमें कुछ नहीं कहना है। आप चाहे जो कुछ कर दीजिये, फांसी लगा दीजिये..

श्री अध्यक्ष : गंभीर विषय है, सदन के सामने। कृपया इसको मखौल में नहीं लें।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय देवीसिंह जी, जो कोलायत से जीतकर आये हैं···

(व्यवधान)

उन्होंने अपनी भावना की अभिव्यक्ति का एक तरीका अख्तियार किया उसको लेकर सदन में एक सनसनी पैदा हो गई। उस पर इस सदन को विचार करना पड़ा।

(3.40 म. प.)

(श्री मार्गवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

मुझे खुशी है, सभापति महोदय, यह प्रस्ताव इस सत्ता दल की तरफ से आया जिस सत्ता दल की सरकार ने हिन्दुस्तान में डाकू माखनसिंह और फूलनदेवी, जो दुनियां में सबसे बड़े गुनहगार थे, को सारे गुनाहों की माफी दी। हिन्दुस्तान में न सिर्फ उनको माफी दी बल्कि हीरो और हीरोइन बना दिया। उसी सत्ता दल की तरफ से जो माननीय देवीसिंह जी ने जब भावना अभिव्यक्ति का यह साधन अख्तियार किया उस पर बहुत बड़ी आपत्ति प्रकट की और उसको संगीन मानते हुए बड़ी से बड़ी सजा देने की तजवीज की। अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने यह माना कि हर बाप की इज्जत बेटे की अपनी इज्जत होती है, हर बेटे की इज्जत बाप की अपनी इज्जत होती है। सभापति महोदय, एक मिनट के लिए यदि मान लिया जाय कि मुख्य मंत्री की बेटी कहने से आपको आपत्ति हुई, आपको पीड़ा हुई, मुख्य मंत्री जी को पीड़ा हुई, तो जरा अन्दाज लगाइये उन मां बाप की पीड़ा का जिसकी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और न सिर्फ बलात्कार हुआ, उसका कत्ल हो गया। उनकी पीड़ा का अन्दाज लगाइये।

सभापति महोदय, यह सदन सर्वोच्च है, यह सब कहते हैं लेकिन मैं जानती हूं यहां बहुमत के आधार पर फैसला होगा, हम कितनी भी दलील दें, कितने भी तर्क दें, चाहे हमारी बात वाजिब हो या नहीं हो फैसला वही होगा जो आप चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र में बहुमत के आधार पर फैसला होता है, किन्तु लोकतन्त्र में बहुमत आते हैं, चले जाते हैं, जनता इन्साफ की मोहताज नहीं होती, अच्छी परम्पराओं की मोहताज होती है। यदि आज इस सदन में बैठकर हमने अच्छी परम्पराओं का निर्वहन नहीं किया, यदि जल्दबाजी में, ज्यादा उग्रता से कोई ऐसी परम्परा कायम कर दी तो हिन्दुस्तान का भावी इतिहास इसे दोहरायेगा। मालूम नहीं, कल बहुमत किसके हाथ में आयेगा। सभापति महोदय, जैसा कि

(सुश्री पुष्पा जैन)

मैं पहले ही कह चुकी हूं यहां मैरिट डिमैरिट के हिसाब से निर्णय नहीं होगा, यहां कोई लॉ पाइन्ट के हिसाब से फैसला नहीं होगा, यहां जो फैसला होगा, बहुमत के आधार पर होगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी बात कहने का जो अधिकार है आसन के माध्यम से उसके तहत ही मैं कहना चाहूंगी कि माननीय देवीसिंह जी ने गुनाह क्या किया। सभापति महोदय, 14-2-83 को बीकानेर में गिरजादेवी के साथ रेप हुआ, किन्तु, सभापति महोदय, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद 7-3-83 को मंजूदेवी के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। सभापति महोदय, जो कांग्रेस (आई) सदन में आज बहुमत की दुहाई दे रही है कि उनके मुख्य मंत्री का अपमान हुआ, उनका अपमान हुआ, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या उस समय आपका अपमान नहीं हुआ था जब 14-2-83 को एक घटना हुई और 7-3-83 को दूसरी घटना हुई? उस समय सदन चुप रहा और सदन के मुख्य मंत्री की यह हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होकर कह देते, यह जो घटना हुई है उसके लिए उनको खेद है, उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं और मुलजिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया सरकार की तरफ से। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, आज जब घटना हुई तो सवाल आया, उसके पहले आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई, कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सभापति महोदय, यही नहीं अब अपोजीशन ने अपनी ड्यूटी अन्जाम दी, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया, स्थगन प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष महोदय ने सरकार के पास जानकारी देने के लिए भेजा लेकिन सरकार की तरफ से बराबर उसको टाला गया। बार-बार चैम्बर में जाकर यह पूछा गया कि हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था बीकानेर की दुर्घटनाओं पर उसमें क्या हुआ तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने बेबसी से कहा कि सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। सभापति महोदय, उनकी पीड़ा का कोई आपको अन्दाज नहीं, आपको अन्दाज अपनी पीड़ा का है। आपने बहुत बड़े आरोप लगाये कि विपक्ष के माननीय नेताओं का हाथ है। सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ, पर कहना चाहूंगी एक मिनट के लिए कि सत्ता दल के कुछ विधायकों का इसमें हाथ है, देवीसिंह जी को मोहरा बनाया गया है, आप शायद यह दिखला कर मुख्य मंत्री के करीब आना चाहते हैं और आप सरकार में शामिल होना चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य बोलें। आप बोलिये।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि आप बहुमत के आधार पर फैसला करेंगे। आप सारे तर्क और दलीलों को नहीं सुनेंगे और न उन्हें एक्सेप्ट करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पाइण्ट आफ आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : हां हां कहिये।

श्री अहमदबक्श सिंधी : शास्त्री जी को थोड़ा इधर भेज दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, पूरा सदन यहां पर विचार कर रहा है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप लोग किसी के गाल पर थप्पड़ मार दें तो क्या उसकी आजादी है ?

श्री सभापति : आप कृपया, माननीय सदस्य ...

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? आपने किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न रखा है ? किताब आपके सामने रखी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका कानून से कोई वास्ता नहीं रहा। मैंने कानून पढ़ा है इसलिए पाइन्ट आफ आर्डर उठा सकता हूं। क्यों रूल बताऊं, आप लॉ की क्लास जोइन करिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने लॉ किया है, चेलेन्ज करती हूं।XXX

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सदस्य हरीसिंह जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर व्यवस्था दें।

श्री भगवान दास शास्त्री : ....सुनायी देता है, कभी कभी गोद में बच्चे को लेने से बच्चा बाप की मूंछ को भी पकड़ लेता है। उसका कहना बेकार है। ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं ?

(3.47 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। बैठ जायें। माननीय सदस्यगण, जैसा मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था, सदन के सामने बहुत ही गम्भीर विषय विचारणीय है। तत्काल इस विषय को इसलिए लिया गया है कि इसमें ..

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें। आसन पैरों पर है। बैठ जायें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने घटना को देखा ही नहीं इसलिए जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं यही निवेदन करने खड़ा हुआ हूं।

श्री दीपचन्द : अध्यक्ष महोदय, सदन में एक घटना और घटी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायें। आज जो विचारणीय विषय है, उसको तत्काल इसलिए लिया गया कि इसमें अपने सदन की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, गरिमा ..

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

यह सब निहित है इसलिए इस प्रश्न को ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

इस प्रश्न को साधारण कार्य सूची को छोड़ करके इसलिए लिया गया,

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)
जैसा मैंने पहले बताया, यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। बहुत से माननीय सदस्य आवेश में आ गये। जब मैं अभी वेश्म में गया, उसके बाद में कुछ शब्द ऐसे XXX

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्यगण अपने 4 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, हम जो कुछ कहते हैं, जनता गैलेरीज में से देखती है, प्रेस देखता है, रेडियो टेलीविजन सब में आता है। जो कुछ भी हम करते हैं प्रेस के माध्यम से प्रसारित होता है। इसलिए हमें खास तौर से इस तरह के अवसरों पर बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए और जो भाषा प्रयुक्त करें, वह शिष्ट भाषा होनी चाहिए। मुझे बहुत खेद है कि माननीय सदस्यों का ध्यान मैं बार-बार इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। लेकिन यह मामला जैसे बहुत ही तुच्छ मामला हो और तुच्छ विषय हो विचारणीय, इस तरह से हम ले रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई कैसे ही बैठा है, कोई कैसे इशारा कर रहा है, यह हमारे लिए शोभनीय बात नहीं है, माननीय सदस्यगण। इसलिए हमको चाहिए कि जो हमारे नियम हैं सभा के उनका पालन करें। इस सभा में उठने-बैठने, आने-जाने बोलने सब के नियम और परम्परायें बनी हुई हैं। हमारे देश में ही नहीं संसार भर में बहुत से देशों ने संसदीय प्रणाली, बहुत कुछ सोच समझकर प्रक्रिया और नियम बनाये गये हैं इसलिए मैं माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करूंगा कि विषय की गम्भीरता को देखें। ऐसे क्षण आ जाते हैं कई दफा जब कि कुछ हंसी-मजाक की बात कही जा सकती है। इसके लिए भी उपयुक्त अवसर चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारी प्रक्रिया के नियम हैं उनका पालन करें। आज विषय ऐसा है कि सहज ही माननीय सदस्य उत्तेजना में आ सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझ कर कार्य करें।

तो अब कौन माननीय सदस्य बोल रहे हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष। व्यवस्था का प्रश्न वास्तव में व्यवस्था का ही होना चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : व्यवस्था का ही प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो मार्ग दर्शन दिया है उस प्रक्रिया के तहत ही हम निश्चित तौर से कार्यवाही करना चाहेंगे। लेकिन एक तथ्य पर हम आपका मार्ग दर्शन चाहेंगे कि क्या इस विधान सभा का कोई माननीय सदस्य दूसरे सदस्य की अनुमति से उसे पीट सकता है। इस पर व्यवस्था आप जरा दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसे ही कुछ शब्द सुन कर · · ·

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

मैं कुछ ऐसे ही शब्द सुन कर सदन में वापस उपस्थित हुआ। मैं माननीय सदस्य

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

और सदस्याओं से खास तौर से निवेदन करूंगा कि उनको संयम से काम लेना चाहिए। संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए और विषय की गम्भीरता को देखते हुए विषय पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से वाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहिए।

सुश्री पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर बात को सोचने का अलग-अलग तरीका होता है, अभिव्यक्ति का अलग-अलग अन्दाज होता है। दूसरा व्यक्ति उसको किस रूप में ले उसका भी अपना एक तरीका होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय देवीसिंहजी ने जो आज पट्टी लगाई, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें लिखा था मुख्य मंत्री की लड़की मंजू के साथ सामूहिक बलात्कार। अध्यक्ष महोदय, इस बात से तो सत्ता दल के माननीय सदस्य भी इत्तफाक करते है कि मंजू के साथ बीकानेर में सामूहिक बलात्कार हुआ। उस पर सरकार द्वारा कुछ एक्शन लेने की कार्यवाही भी की गई। अध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ इतना आता है, "मुख्य मंत्री की लड़की" इन शब्दों पर मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है। उसका जो दूसरा पार्ट है, "मंजू के साथ सामूहिक बलात्कार" उस पर किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती। वह कटु सत्य है। "मुख्य मंत्री की लड़की" क्यों लिख दिया, इस पर माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ी आपत्ति उठाई है। न सिर्फ आपत्ति उठाई, इस हद तक चले गये कि एक प्रस्ताव रख दिया कि माननीय देवीसिंह जी को आगे के लिए हमेशा-हमेशा के

(3.53 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

लिए इस सदन से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाय। सभापति महोदय, 'मुख्य मंत्री की लड़की' यदि मंजू कह दिया तो मैं समझती हूं कि कौन सा बहुत बड़ा अत्याचार हो गया? कौन सा गुनाह हो गया? एक हरिजन की लड़की को यदि एक मुख्य मंत्री की लड़की कहने पर आपको एतराज है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यह निश्चित बात है, यह सर्वविदित बात है कि मंजू एक हरिजन की लड़की है, एक हरिजन की बेटी है। अगर आप यह मानते हैं कि उस हरिजन की लड़की को मुख्य मंत्री की लड़की कह कर माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ा मुख्य मंत्री का अपमान किया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभापति महोदय, बात को अभिव्यक्ति जिस तरह से माननीय देवीसिंह जी ने की उसके लिए भी यह सदन अपने आप में विचार कर ले, क्या देवीसिंह जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? उस अभिव्यक्ति को हमने दूसरे नजरिये से अख्तियार किया। कम से कम इतना तो सोचते माननीय सदस्य प्रस्ताव लाने से पहले, माननीय सदस्य, जो कोलायत से आये हैं, को सदन में बुलाया जाता। उनसे पूछा जाता कि इस तरह की पट्टी लगाने के पीछे उनका मंतव्य क्या है? किस बात से वशीभूत होकर, किन विवशताओं से मजबूर होकर उनको इस पट्टी को लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सभापति महोदय, माननीय सदस्य आज इतनी सी बात पर बहुत बड़ा प्रस्ताव लाये। मैं पूछना चाहती हूं कि आज राज्य में जिस तरह की दुर्घटनायें हो रही हैं उनके लिए भी कभी इस सदन ने चिन्ता प्रगट की? हमारे इस

(सुश्री पुष्पा जैन)

सदन के माननीय सदस्य रंगजी मीणा को पार्लियामेंट के सदस्य ने मारा। न सिर्फ मारा बल्कि उनके हाथ की हड्डी तोड़ दी, उनके दूसरे हाथ में फ्रेक्चर कर दिया। सदन में किसी ने इस पर चिन्ता व्यक्त नहीं की। इन सारी बातों की चिन्ता नहीं है। कई स्थगन प्रस्ताव आए, कई स्थगन प्रस्ताव यहां पर रखे गए, भरतपुर के बारे में मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा था कि वहां मारापट्टी के साथ बलात्कर हुआ, सरकार ने उस बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की। माननीय सदस्यों ने कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की। महज चिन्ता इस बात पर व्यक्त की कि मंजू, जो हरिजन की पुत्री है, को मुख्य मंत्री की पुत्री क्यों बना दिया। बड़ी अजीबो-गरीब बात है। सभापति महोदय, मैं यह तजवीज करूंगी और यह निवेदन करूंगी कि सदन कोई तर्क के आधार पर या कानून के आधार पर फैसला नहीं करेगा, इसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं, आप बहुमत के आधार पर फैसला करेंगे पर याद रखिये, बहुमत के आधार पर यदि आज हमने किसी गलत परम्परा को यहां कायम कर दिया तो वह हमेशा-हमेशा के लिए कानून के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। राजस्थान की जनता उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखेगी बल्कि याद करेगी कि इस विधान सभा में सत्ता दल ने एक काला कानून पास किया था।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव पर बाकी की बहस हो, तर्क और वितर्क यहां प्रस्तुत किये जावें उससे पहले माननीय सदस्य, जो कोलायत से जीत कर आये हैं, को बुला कर कम से कम इतना तो पूछा जाय कि इस पट्टी को लगाने के पीछे वे कौन सी भावनायें थीं जिनके वशीभूत होकर उन्होंने यह पट्टी लगाई? अध्यक्ष महोदय, उत्तेजना में आकर यदि कोई कातिल कत्ल कर देता है तो अदालत फैसला करते समय इस बात को मद्‌नजर रखती है कि कातिल ने जब कत्ल किया उस समय उसकी दशा क्या थी। सडन प्रवोकेशन में आकर अगर कर दिया कत्ल तो माननीय सदस्य, जो कोई वकालत करते हैं, जानते हैं कि अदालत उसके लिए सजा नहीं देती...

श्री भैरूसिंह गुर्जर : पागलों को नहीं देती।

सुश्री पुष्पा जैन : पागलों को भी नहीं देती। आपकी जानकारी के लिए आपके पास वकील बैठे हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : पागल हाउस का मैम्बर भी नहीं होता है। चुनाव भी नहीं लड़ सकता है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पागल तो सदस्य होते हैं लेकिन सर्टीफाइड पागल सदस्य नहीं होते।

सुश्री पुष्पा जैन : तो, सभापति महोदय, जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने भावना प्रगट की है, मां बेटी की इज्जत सब की इज्जत होती है। बेटी सबकी बेटी है, मां सबकी मां है, पिता सबका पिता है। मुख्य मंत्री सबके पिता है, राजस्थान के पिता हैं, अगर एक हरिजन की बच्ची

(सुश्री पुष्पा जैन)

को मुख्य मंत्री की बेटी कह कर एक पट्टी लगा दी गई तो इतना बड़ा गुनाह नहीं हो गया कि जिसके लिए आप उन्हें सदस्यता से निलम्बित कर दें। माननीय सभापति महोदय, माननीय देवी सिंह जी को बुलाया जावे, उनसे पूछा जावे, अगर भावना वही है, उनकी पीड़ा वही है उसी पीड़ा के वशीभूत होकर वह पट्टी लगाने पर मजबूर हो गए तो वह कोई गुनाह नहीं बल्कि उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अन्दाज गलत हो सकता है। इसके लिए सदन उन्हें आगाह कर सकता है भविष्य के लिए कि भविष्य में कभी भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें तो कम से कम ऐसा तरीका अख्तियार न करें।

इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं सदन से निवेदन करूंगी कि बहुमत का फायदा उठा कर किन्हीं गलत परम्परा को इस सदन में कायम न करें वरना जनता के समक्ष हमें लज्जित होना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्रीमती मल्होत्रा।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : सभापति महोदय जी, यह आज जो मैटर चल रहा है यह कोई हंसी मजाक का मैटर नहीं है। यह बड़ा सीरियस मैटर है। हम लोग इसको बहुत हंसी मजाक का माध्यम समझकर हंस रहे हैं। बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम सारे सदस्य इस बात को मानते हैं कि जो श्री म.टीजी ने कहा है यह गलत कहा है। सदन एक मत है और सदन ने माना भी है कि यह बात गलत है लेकिन अभी कई बातें ऐसी आई हैं, जैसे कहा गया उनकी भावना का, अर्थात् यह भावना के साथ उन्होंने पट्टी लगाई है। तो, सभापति जी, आप यह बताइये कि जब पट्टी लगाई तो मुख्य मंत्री की बेटी का नाम ही क्यों लिखा? क्या वह अपनी बेटी का नाम नहीं लिख सकते थे, अपनी बहिन का नाम नहीं लिख सकते थे और जिस मां की कोख से पैदा हुए हैं उनका भी नाम लिख कर नहीं आ सकते थे। उनके नाम से वह अपनी भावना बता सकते थे। आखिर क्या कारण था कि मुख्य मंत्री की बेटी का नाम लिखा? वे अपनी भावना जताने के लिए अपने घर की बेटी और बहू का भी नाम लिख सकते थे। उन्होंने पट्टी बांध कर मुख्य मंत्री की बेटी का नाम लिखा। अपनी बेटी का नाम लिखकर आते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। उनके क्षेत्र की बात जल्दी सुनी जाती। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने बार-बार यह कहा है कि यहां पर जो फैसला होगा बहुमत के आधार पर होगा, यह बात उनकी गलत है। क्योंकि अगर बहुमत के आधार पर फैसला होना होता तो आपकी और हमारी बात यहां पर क्यों सुनी जाती? हमारी बात यहां इसलिये सुनी जाती है ताकि हम जो ठीक है उसको ठीक बतायें और जो गलत है उसको गलत बतायें। फैसला करना अपने अध्यक्ष जी के ऊपर है। जो भी चीज होगी, जो सदन का फैसला होगा वह माना जायगा। आज इस सदन में जो घटना हुई है, मेरे ख्याल से राजस्थान विधान सभा में आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई होगी। यहां पर बहू-बेटियों की इज्जत की बात बराबर विपक्ष के सदस्य रेप केसेज को लेकर उठाते हैं। वे यदि यहां पर मुख्य मंत्री की बेटी के लिये पट्टी बांध कर ऐसी शर्मना

(श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा)

बात करें, यह कोई विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। देवीसिंह, विपक्ष के सदस्य को भी शोभा नहीं देता। यहां पर सजा की बात कही है कि इनको सजा दी जाय या नहीं दी जाय। यह तो विधान सभा का जो नियम है, जो उसका कायदा है उसके अनुसार ही देखा जायगा। मेरा तो आपको यह कहना है; अपने क्षेत्र में क्या बतायेंगे कि हम अपनी बहू-बेटियों की इज्जत यहां बचाते हैं, हम सदन में उनके लिये क्या प्रोपेगंडा करते हैं। दूसरा, मेरी सदन से दरख्वास्त है, इनको ऐसी सजा दी जाय जिससे कि राजस्थान के इतिहास में दुबारा कोई माननीय सदस्य यह हरकत नहीं करे। इस प्रकार से उन्होंने राजस्थान विधान सभा में हमारे राजस्थान का नाम, विधान सभा का नाम खराब कर दिया। लोग ऐसा कहेंगे, हमारे सदस्य इतने गिरे हुए हैं जिस तरह की यह हरकतें करते हैं और बहू-बेटियों की इज्जत नहीं बचाते। मुझे तो यही कहना था, इनको ऐसी सजा दी जाय जिससे कि राजस्थान के इतिहास में आगे कभी यह हरकत नहीं हो।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, इस घटना के तीन पहलू मेरी नजर में आते हैं। जो माननीय देवीसिंह जी ने तरीका अपनाया उस तरीके को अच्छा नहीं समझती हूं। विधान सभा में मुद्दे उठाये जाते रहे हैं दुःख के, दर्द के, अभाव के, अन्याय के और अत्याचार के, लेकिन तरीके उठाने के दूसरे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आज की इस घटना के परिप्रेक्ष में हम तीन विषय ले सकते हैं। एक तो यह कि घटना जो सात तारीख को घटी, जिसमें मंजू, जो कि एक हरिजन की बेटी थी, को सफाई के बहाने घर में बुलाकर उससे बलात्कार किया गया और मार करके बाहर फेंक दिया गया। इस सारी घटना के पीछे सरकार की अकर्मण्यता भी है। मैला ढोने की व्यवस्था आज भी है। सरकार की नीति में था कि मैला ढोना बंद किया जायेगा। आज तक मैला ढोना बंद नहीं किया गया। सन् 1975 में 15 अगस्त के दिन माननीय छंगानीजी, जब यहां मिनिस्टर हुआ करते थे, ने कहा था कि 15 अगस्त से मैला ढोना बंद हो जायगा। अगर मैला ढोने के लिये महिला औरों के घरों में जाती नहीं होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। मैं कहना चाहूंगी; वह घटना घटी उसमें सरकार की अकर्मण्यता एक ओर, वह घटना घटी दूसरी ओर। तीसरी ओर उसकी अभिव्यक्ति की बात कही गई। माननीय ललितजी ने परसों के दिन इस बात पर स्थगन प्रस्ताव रखा। यह जानकारी चाही कि इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया। सरकार ने कोई कदम उठाया, इस बात की सूचना सदन को नहीं दी गई। सदन को यह सूचना दे दी जाती तो आज देवीसिंहजी इतने उत्तेजित होकर इस तरह की घटना नहीं करते। मान्यवर, यह एक पुरुष की पाशविक प्रवृत्तियों की कहानी है। जिसके ऊपर सरकार की ओर से नियन्त्रण लगाने की बात नहीं की गई। मुझे दुःख है कि यहां पर दो महिला सदस्या सत्ता पक्ष की बोली हैं लेकिन उन्होंने राजस्थान की महिलाओं के संरक्षण के बारे में नहीं कहा. उनकी अत्याचार की कहानी नहीं कही बल्कि उन्होंने केवल अपनी सरकार को बचाने

102

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के लिये बात कही है : मैं कहना चाहूंगी कि महिलायें अभी भी दूसरी श्रेणी में गिनी जायं, आजादी हरिजनों के लिए नहीं आये, यह इस सरकार की अकर्मण्यता है जिसने 35 साल राज किया उनको आजादी नहीं मिली। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी सूरज देवीजी मल्होत्रा यहां पर कह रही थीं, उन्होंने मुख्य मंत्री का नाम क्यों लिखा। मुख्य मंत्री का नाम यों लिखा कि मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह समाज को सुरक्षा दें, समाज की रक्षा करें और उस वर्ग के साथ न्याय करें जिस वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मान्यवर, शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था करना, दोनों सरकार का कर्तव्य है। हम लोगों ने कई बार इन मामलों को यहां पर उठाया है। बलात्कार के मामले में अगर किसी को कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाती तो आज पुरुष की पाशविक प्रवृत्ति जागृत नहीं होती। आज जगह जगह बलात्कार की घटनायें, स्त्रियों के अपमान की घटनाएं बराबर घट रही हैं। यह सरकार कुर्सी बचाने के चक्कर में जो वास्तविक रूप से काम करने चाहिये उसको नहीं कर रही है, यह मेरा आरोप है। देवीसिंहजी की घटना, जो उन्होंने मैथड अपनाया यह तो एक उसका प्रतीकारात्मक स्वरूप है। लेकिन इसके पीछे सजा उनको दी जानी चाहिये जिन्होंने मैला ढोने के लिये आज भी हरिजनों को बाध्य किया है। दूसरों के घर में जाकर मैला ढोयें। दोषी तो वह सरकार है जिसमें एक महिला बैठी है सर्वोच्च पद पर, जिसने आने के बाद महिलाओं को संरक्षण देने के लिये, महिलाओं पर होते हुए अन्याय को समाप्त करने के लिये कुछ नहीं सोचा। मैं कहना चाहती हूं, सारी व्यवस्था दोषी है पुरुष समाज की। यह पुरुष समाज की व्यवस्था है जो यहां पर की जा रही है। हम तो यहां पर अल्पमत में हैं हम जितनी भी बहिनें यहां पर बोल रही हैं, पुरुष समाज अपनी व्यवस्था में महिलाओं के प्रति अत्याचार को आज यहां दोहराना चाहेगा तो मैं समझती हूं, समाज कभी माफ नहीं करेगा। आज मंजू हरिजन की बेटी थी, कल किसी कांग्रेसी की बेटी होगी तो? यह कहा गया, यहां पर देवीसिंहजी भाटी ने तख्ती क्यों लटकायी। माननीय सभापति महोदय, ऐसी घटनाएं, निरन्तर बलात्कार की घटनाएं किसी की कांस्टीट्यूएंसी में हो जायं तो अपना आपा खो बैठता है। तीन दिन तक सरकार जवाब नहीं दे। मैंने तीन चार स्थगन प्रस्ताव रखे जिसमें एक कत्ल का मामला है, एक को अनावश्यक रूप से थाने में पीटा गया उसका मामला है, सरकार उसे जवाब के लिए बार-बार टाल रही है। 18 तारीख से आज तक मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था नहीं हुई। सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिए गये। सरकार बचना चाहती है। पिछले दिनों मैंने प्रश्न के माध्यम से पूछा था, 617 मामले हरिजनों की पिटाई के थे जिसमें 107 मृत्यु के मामले थे। जिन्हें मारा गया यहां पर गये साल। हरिजनों के मामले में जब हरिजन अपनी समस्याओं को लेकर आये तो तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने उन पर घोड़े दौड़ा दिये, 14 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जो अपनी मांगों को लेकर आयी थीं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी, इस सरकार से न्याय की क्या अपेक्षा की जा सकती है। माननीय श्री भाटी साहब ने न्याय की अपेक्षा की थी, तीन दिन तक इन्तजार किया, उसके बाद उन्होंने

(श्रीमती उज्वला अरोड़ा)

यह मैथड अपनाया जो, मैं समझती हूं ठीक नहीं किया। उन्हें किसी और तरीके से रखना चाहिए था नियमों के अनुसार, लेकिन वह रख नहीं पाये। हाउस में वह इस ढंग को अपना गये। उनके प्रति इस तरह की कड़ी व्यवस्था के लिए इन सबका आचरण और यह कहना कि उनको हमेशा के लिए यहां से निकाल दिया जाय, निष्कासित किया जाय और मुख्य सचेतकजी का यह प्रस्ताव लाना, मैं समझती हूं, उचित नहीं है। उदारता होती मुख्य मंत्री यहां आते और कहते कि कोई बात नहीं अगर मेरी बेटी कह दिया तो। जो राजा होता था उसको ही कहा करते थे। यह राजा है और समस्त प्रजा अर्थात् राजस्थान की सारी संतान, जितने यहां के नागरिक हैं, जो आज यहां मुख्य मंत्री हैं वे उनके पुत्रवत् हैं, जो महिलाएं हैं वे पुत्रीवत हैं केवल एक को छोड़ कर। मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह का आचरण करें। इस ढंग से व्यवहार करें। अपनी गलतियां सुधारें, जो सरकार ने व्यवस्था नहीं की, उसके लिये खुद क्षमा याचना करें। मंजू को न्याय मिलना चाहिये था, बेचारी मर गई। न्याय तो क्या मिलेगा! मुझे लगता है, पता नहीं कितनी मंजू इस तरह से पाशविक प्रवृत्तियों का शिकार होंगी, उनकी हत्याएं कर दी जायेंगी। मैं समझती हूं अभी मुझे कुछ नहीं कहना, मैं न्याय की भीख नहीं मांगती हूं, मैं कहना चाहती हूं कि आप अपने अपराधों को देखिये, आपने जो काम नहीं किये उनकी अवस्थाओं को देखिये। आगे से व्यवस्था ठीक कीजिये। माननीय देवीसिंहजी भाटी को सुझाव यदि वे अपनी बात पर खेद प्रकट करें, उनको करना भी चाहिये, तो मामला यहीं खतम कर देना चाहिये।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : सभापति महोदय, आज जीरो आवर्स से ही इस विषय पर चर्चा हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी माननीय सदस्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारी संस्कृति की इज्जत है इसलिये प्राथमिकता के रूप में महिलाओं की समस्या देखी ही जानी चाहिये। पहली बार यह गम्भीर सीन विधान सभा के पटल पर देखने में आ रहा है। परन्तु, माननीय सभापति महोदय, यह संवेदनशीलता बड़ी कंडीशनल है, सापेक्षिक संवेदनशीलता है वरना क्या कारण है कि रोज विधान सभा में स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से महिलाओं पर बलात्कार की चर्चा होती है, प्रेस व अखबार इससे भरे पड़े हैं। पर आज तो हम इतने सेंसिटिव हो उठे, यह बड़ी खुशी का विषय है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगी कि सरकार ने इस पर एक्शन ले लिया, अच्छा किया। अगर सूचना मिलते ही ले लेती तो और अच्छा होता। सवाल इस बात का नहीं है कि वह लड़की हरिजन या सवर्ण लड़की थी, अमीर या गरीब वर्ग की थी। जहां तक हरिजन लड़कियों का सवाल है, उसके लिये सरकार की नीति स्पष्ट है। पिछले डेढ़ साल से नियम बना दिया है कि जिस हरिजन लड़की के साथ बलात्कार होगा उसको दो हजार रुपये दिये जायेंगे वे कम्पेनसेशन के फोर्म में हैं या यह फीस के फोर्म में होंगे? यह सब इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है,

(१०५)

(श्रीमती विद्या पाठक)

परन्तु जहां तक हरिजन और गरीब तबके के प्रति रेस्पांस का सवाल है, वह तो इससे स्पष्ट होता ही है। परन्तु आज राजस्थान की जनता यहां की कार्यवाही को देख कर, यहां सदन के दृश्य, सीन को देख कर यह सोचने के लिये बाध्य होगी, विशेष तौर से, महिलाएं सोचती होंगी कि यदि हम को विधान सभा के दो सौ सदस्यों का रेस्पान्स व संवेदना चाहिये तो मुख्य मंत्री की बेटी ही बन कर पैदा होना होगा अन्यथा हमारी सुनवाई नहीं होगी यों ही रोज ऐसे अनेक केसों में एफ. आई. आर. लगेंगे, रोज अखबारों में आया होगा, रोज स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये जायेंगे और सरकार के जवाब आते रहेंगे कि कुछ तथ्य नहीं पाये गये, अगर कोई सबूत है तो आप दे दीजिए। सभापति महोदय, यह सब आज सरकार के लिये चिन्तन का विषय होना चाहिये। यह दर्द सिर्फ एक महिला का नहीं है, समस्त महिलाओं का दर्द है। आज कुछ सदस्य सेंसिटिव हो उठे, एक सिम्बोलिक मसले पर जो कि मुख्य मंत्री की बेटी भी वास्तव में तो नहीं है मंजू, एक कल्पना में मुख्य मंत्री का नाम उसके नाम के साथ जोड़ दिया गया तो मुख्य मंत्रीजी का अपमान हो गया? उनकी शान व एक प्रिविलेज के अगेन्स्ट हो गया? पर ऐसी कितनी ही कन्याएं हैं जिनके लिए सदस्य क्या सेंसिटिव होते हैं। क्यों नहीं होते? हर लड़की का प्रिविलेज होना चाहिये कि उसकी बात इतनी गम्भीरता से सुनी जाय। माननीय सभापति महोदय, सरकार को इस पर चिन्तन करना चाहिये था। आज महिलाएं इस डिस्क्रिमिनेशन को देख कर, इस पक्षपात से जरूर फ्रस्ट्रेटेड होंगी आज के दिन सोचेंगी कि हमारी सदस्याएं जो विधान सभा में बैठी हैं उनका क्या रिएक्शन रहा। यह अच्छी बात है कि आज कमलाजी को दर्द तो जागा श्रीमती सूरज देवी को दर्द तो जागा। परन्तु दर्द उस महिला का नहीं, दर्द महिला समस्या के प्रति नहीं, दर्द इस बात का है कि उस अभागी मंजू से मुख्य मंत्री का नाम क्यों जोड़ा गया, पार्टी का नाम क्यों जोड़ा गया। इसलिये बात बहुमत या बिना बहुमत की नहीं है, यह बात है मोरल की, आपके करेज और कन्विक्शन की जिसका पर्दाफाश आज आपके डिसीजन से होगा। सभापति महोदय, अभी चर्चा के दौरान एक बात कही गई कि इनकोXXX। किनको? दी पर्सन इन क्वेश्चन, दी सदस्य इन क्वेशचन के, उनकोXXX। और सभापति महोदय, आसन की तरफ से यह व्यवस्था हो कि इसको एक्सपन्ज कर दिया जाय। हर बार सदस्य बोले उसके बाद भी अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि यह गिरोह है, गिरोह की साजिश है। यह कहा कि यह घटिया चर्चा है। एक सदस्य माननीय भाटीजी के लिये यह कहा जाय कि XXX और उसको एक्सपन्ज करा कर हम सन्तोष कर लें! माननीय सभापति महोदय, एक्सपन्ज क्यों हो? एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं? सवाल इस बात का उठता है। सभापति महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था है। महिलाओं की समस्या को लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न मुख्य मंत्रीजी की प्रेस्टिज का भी नहीं है, प्रश्न हम लोगों की नाक का भी नहीं है। आज प्रश्न 50 प्रतिशत आपकी और हमारी माता बहिनों का है आज उनकी प्रेस्टिज का सवाल दांव पर लगा है।

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती विद्या पाठक)

माननीय सदस्यगण, वह बेटी किसी की भी हो सकती है। आपसे जनता प्रार्थना करती है और मैं स्वयं महिला सदस्य होने के नाते प्रार्थना करती हूँ कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति आपकी यह सेंसटिविटी बनी रहे तो हम महिलाओं का कुछ कल्याण होने की संभावना है।

जहां तक माननीय सदस्य के कण्डक्ट का सवाल है, सभापति महोदय, स्ट्रिक्ट सेंस में, किसी भी सेंस में इसका डिफेंस नहीं है। उनके कण्डक्ट का डिफेंस ही नहीं है। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हमारी एक व्यवस्था है, हमारा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हमने आघात पहुंचाया तो उसे हम कहां ले जायेंगे और हमारी समस्या क्या नहीं सड़कों पर आ जायेगी ! अभी दो दिन पहले जनता ने अखबारों में एक अपील निकाली है, माननीय सदस्य, यह सीन जो आप यहां पर करते हो, हम पर मेहरबानी करो। हम सब आपको ही तो फोलो करते हैं ! सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य का जो कण्डक्ट रहा उसके लिये मैं पैरवी नहीं कर रही। उसके लिये मैं यही कहना चाहती हूं कि सदन में बार बार प्रश्न मना किया जाय, बार बार स्थगन प्रस्ताव मना किया जाय, सरकार का जवाब अगर गैर जिम्मेदारी का कहा जाय तो, माननीय सदस्य, यद्यपि यह कण्डक्ट एक्स्ट्रीम पर हो गया मगर फ्रस्ट्रेशन में यह ध्याना-कर्षण का भी एक तरीका हो जाता है। मैं फिर कह रही हूं इस कण्डक्ट का डिफेंस नहीं है और मैं इसको डिफेंड नहीं कर रही। यह तरीका सही नहीं है पर यह एक लास्ट रिसोर्ट के रूप में फ्रस्ट्रेट होकर माननीय सदस्य ने अपनाया। उसको मैं इस परसंपेक्टिव से देखती हूं। उनकी भावना किस प्रकार की तीव्र रही उसके अनुकूल उनको वार्निंग देकर उनसे अपोलोजी टेण्डर करवाते बजाय इस सजा के, यद्यपि इसके लिये रेप्रिमेण्ड किया जाना जरूरी है, इसके लिये उनको रेप्रिमेण्ड करना तो आवश्यक समझती हूँ मगर इतना सोचा-विचारा, गम्भीर अपमान नहीं; यह तो केवल भावावेश में किया मुझे सरकार के बहुमत की चिन्ता नहीं। हम जनता के आसरे जीते हैं और महिलाओं के वोट पर हमारा विश्वास है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहती हूं कि इसे इस पर्सपेक्टिव में देखें और आसन इसके अनुकूल अपने विवेक से और हम लोगों से जो राय प्राप्त होती है, उसके अनुकूल व्यवस्था करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : अन्य कोई सदस्य। विपक्ष के माननीय नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने आज इस प्रश्न को सदन के सामने प्रस्तुत कर विधायक से ऊपर एक न्यायाधीश के रूप में अपना दर्जा बनाया। इसलिये मैं चाहूंगा कि जिस स्तर पर हमने अपने आपको पहुंचाया है उसी स्तर पर हम कायम रहें, सदन की इस प्रकार की चेष्टा होनी चाहिये। सभापति महोदय, इस सदन में कई बातें कही गई, आरोप-प्रत्यारोप भी हुए। कई माननीय सदस्यों ने यहां तक कह दिया माननीय सदस्य के आचरण को लेकर कि उनके ×××सभापति महोदय, इससे बहुमत के

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(106)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आचरण का आप सही अनुमान लगा सकते हैं। यह न्यायाधीश किस प्रकार का न्याय करने वाले हैं। इससे आप प्रिज्यूम कर सकते हैं। सभापति महोदय, यदि कोई न्यायालय होता और उसका न्यायाधीश यदि किसी भी मामले को लेकर तनिक भी इन्टेशन शो करता तो तुरन्त ही ट्रांसफर एप्लीकेशन दे दी जाती और किसी दूसरे जज के पास मामला रेफर कर दिया जाता।

(4.20 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मगर, अध्यक्ष महोदय, हम इस अधिकार से वंचित हैं। यहां इस प्रकार का कोई साधन नहीं कि हम इस सदन के निर्णय की अपील कहीं और कर सकते हैं। इस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष की ओर से जिस प्रकार का इन्टेशन शो किया गया है वह न्यायाधीश के अनुकूल नहीं है। इस कारण मैं अपील करना चाहूंगा, आप किसको कितनी सजा दें, यह आपका अधिकार है। यह सदन सर्वोच्च है। जहां तक 200 विधायकों के आचरण का प्रश्न है, यह सदन सुप्रिम कोर्ट से किसी हालत में कम नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने बार-बार इस सदन में व्यवस्था के नाते कुछ बातें कही, उन बातों का असर निश्चित रूप से होना चाहिये था। मुझे खुशी होगी कि यदि माननीय सदस्य इस प्रकार से व्यवहार करें।

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव क्या है ? जिस प्रस्ताव के ऊपर इतनी लम्बी चौड़ी बहस हो रही है, वह प्रस्ताव क्या है ? वह प्रस्ताव मैं पढ़ कर सदन की जानकारी के लिये सुनाना चाहूंगा। प्रस्ताव यह है कि "आज दिनांक 10-3-1983 को सदन में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य श्री देवीसिंह जी भाटी अपने गले में एकतख्ती लटकाकर आये थे जिसमें सदन के नेता के परिवार के विषय में निम्न बातें अंकित हैं।" मैं सदन के सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्या यह मंजू मुख्य मंत्रीजी के परिवार की सदस्य है ? आप किस प्रकार का प्रस्ताव करना चाहते हैं ? आपने क्या इस मंजू को मुख्य मन्त्रीजी के परिवार का सदस्य माना है ? जैसा आपने प्रस्ताव में लिखा है, जिसमें सदन के नेता के परिवार के विषय में निम्न वाक्य हैं। कोई सदन का सदस्य कह सकता है कि यह मंजू मुख्य मन्त्री जी के परिवार की सदस्य है ?

(व्यवधान)

श्री देवीलाल : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य। आपको अवसर दे दूंगा।

(व्यवधान)

शांत रहें, माननीय सदस्य

श्री भैरोंसिंह शेखावत : .... अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह पूछ रहा था कि आपने मंजू को मुख्य मंत्रीजी के परिवार का सदस्य कैसे माना ? वह परिवार की सदस्य नहीं है। आप मुख्य मन्त्री जी के बहुत ही हितैषी हैं। मुख्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मन्त्री जी का अपमान हुआ, इस कारण आप चिन्तित हैं···

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंजू मुख्य मन्त्री जी के परिवार से सम्बन्धित है, यह प्रस्ताव नहीं है।····

श्री अध्यक्ष : ····आप इनको व्याख्या करने दीजिये। माननीय मंत्रीजी, मैं आपको भी अवसर दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (राज्य मंत्री, शिक्षा): वे पूछ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। वे एक प्रश्न को पोज कर रहे हैं। किसी माननीय सदस्य से पूछ नहीं रहे। वे क्लेरिफिकेशन स्वयं दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री खेतसिंह जी ने रखा है उसको····

श्री सुरेन्द व्यास : स्टेटमेंट आफ फैक्ट है, प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य इसको प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो चर्चा किस पर हो रही है? काहे पर चर्चा हो रही है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसको यदि प्रस्ताव नहीं माना···

श्री अध्यक्ष : इनको अपने ढंग से बात कहने दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनकी शंका के निवारण के लिए मैं यहां पर इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मंत्री एक ही बात है। मंत्री सदस्य से बड़ा नहीं होता।

"आज दिनांक 10-3-1983 को सदन में कोलायत से आने वाले सदस्य श्री देवीसिंह भाटी अपने गले में एक तख्ती लटका कर आये जिसमें सदन के नेता के परिवार के विषय में निम्न बातें अंकित थीं :

राजस्थान के मुख्य मंत्री माथुर की बेटी मन्जू के साथ सामूहिक बलात्कार सेना के जवानों द्वारा।

यह बातें अत्यधिक अशोभनीय हैं और सदन की गरिमा को गिराने वाली हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य श्री देवीसिंह भाटी को सप्तम विधान सभा की सदस्यता से शेष अवधि के लिए निष्कासित किया जाये।

"यह प्रस्ताव है। आपने प्रस्ताव वर्ड के ऊपर जो बात लिखी है क्या उसको प्रस्ताव का अंश नहीं माना जाये? जो नीचे आपने चार लाइन लिखी हैं।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य श्री देवी सिंह भाटी को सप्तम विधान सभा की सदस्यता की शेष अवधि के लिये निष्कासित किया जाये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसके ऊपर जो 9 लाइनें लिखी गई हैं, क्या माननीय राज्य मंत्री की दृष्टि से इन नौ लाइनों को प्रस्ताव से बिलकुल रिडण्डेंट मानूं।...

श्री अध्यक्ष : आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी शंका का निवारण कर रहा था।

मैं इसलिये कहता हूं कि यह प्रस्ताव इन टोटेलिटी भी लिया जायेगा, इस परिप्रेक्ष्य में क्या है, इसके कन्टेक्स्ट में क्या है, किस आधार पर प्रस्ताव आया है ? आधार प्रस्ताव का यह है कि मुख्य मंत्री जी के, सदन के नेता के परिवार के विषय में निम्न बातें अंकित थीं। पहले तो मैं सदन को यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के परिवार के सम्बन्ध में किसी प्रकार की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई माननीय सदस्य कई न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको भी अधिवक्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला है। मैं समझता हूं कि जिसने अधिवक्ता का काम किया है वह मेरी इस बात का विरोध नहीं कर सकता कि इसमें मुख्य मंत्री जी के परिवार के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। कोई उनके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाया है। उनके परिवार के लिये किसी प्रकार की अपमानजनक बात नहीं कही है। उनका परिवार इस प्रस्ताव में आता ही नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव गलत है, प्रस्ताव तथ्यहीन है, प्रस्ताव आधारहीन है, प्रस्ताव बेबुनियाद है और प्रस्ताव एक रंजिश के कारण इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में···

(व्यवधान)

यह आपके समझने की बात नहीं है। थोड़ी गंभीरता से सुनिये।····

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): इसके पहले खेद प्रकट किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बाधा नहीं डालें। बैठ जाइये।··

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रस्ताव लाने में जिस प्रकार का तकाजा और जिस प्रकार की तेजी दिखायी गयी है, इस प्रस्ताव को ड्राफ्ट करने में माननीय सदस्य विवेक का थोड़ा परिचय देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को आप पारित करेंगे तो क्या दुनिया हमारा मजाक नहीं उड़ाएगी ? क्या आप यह समझते हैं कि मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव से किसी भी रूप के अन्दर प्रभावित होंगे ? क्या हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के तीन तारे इस प्रस्ताव से पर लगा देंगे ? मैं कहता हूं, माननीय सदस्यों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से कि इस प्रस्ताव की जो भाषा है, इस प्रस्ताव के पीछे भाव क्या है, इसके ऊपर आपको चिन्तन करना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो पिछली विधान सभाओं के सदस्य भी रहे हैं। मैं कई वर्षों से इस विधान सभा का सदस्य रहा हूं। इस प्रकार की घटना कोई आज हुई हो और इस सदन में इस प्रकार की घटना पहले नहीं हुई हो, ऐसी बात नहीं है। मैं एक ऐसी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जो इससे ज्यादा गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, विरोध पक्ष में हम थे। श्री रघुनाथ विश्नोई, जो सांचोर से चुन कर आये थे, मेरी समझ में जहां माननीय हनुमान प्रभाकर बैठते हैं वहां बैठते थे। यहां से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे । आज तो ठीक है माइक ऐसे लगे हुए हैं । उस समय माइक ऐसे लगे हुए थे जिसका यह माउथ पीस यदि निकाला जाये तो निकल सकता था । कई माननीय सदस्यों की आदत है, बोलते बोलते उसको हाथ में ले लिया करते हैं और हाथ में लेने के बाद, मैं आज भी कहता हूं, मेरी स्मरण शक्ति के अनुसार, श्री रामानन्द अग्रवाल का हाथ से फेंकने का कोई इरादा नहीं था लेकिन कई माननीय सदस्य बोलते हैं तो कई हाथ यूं करते हैं, तो कई यूं करते हैं, ज्यों-ही उनका हाथ ऊंचा गया तो माइक का माउथ पीस सीधा श्री रघुनाथ विश्नोई के सिर में लगा। अध्यक्ष महोदय, उस समय सदन के कई माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि यह माउथ पीस फेंका गया

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि आप गम्भीरता से सुनें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको कहा, मैं यह निवेदन करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, उस समय मेरी दृष्टि से श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष थे। जब यह प्रश्न आया सदन में एक प्रस्ताव के रूप में कि माननीय सदस्य को सजा दी जाये। जो उस समय सदन में भावनाएं प्रकट हुई थीं उससे सदन बड़ा उत्तेजित था, सब लोगों ने जैसे संकल्प कर लिया हो कि श्री रामानन्द अग्रवाल को विधान सभा की सदस्यता से निष्कासित करना है । अध्यक्ष महोदय, उस समय भी सदन में उस बात की चर्चा हुई। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस समय हुई जिस समय रघुनाथ विश्नोई स्वयं ने खड़े होकर कहा कि चोट मेरे लगी है, मैं इस चोट के माध्यम से लोकतन्त्र पर चोट नहीं मारना चाहता। चोट मेरे लगी है मेरे खून आये या नहीं आये, मुझे पीड़ा हो या नहीं हो, मैं अपनी पीड़ा भुगतने के लिए तैयार हूं, लोकतन्त्र को पीड़ित नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, सारा सदन स्तब्ध रह गया। उस स्तब्धता के वातावरण में वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ बल्कि प्रताड़ना मिली। मैं समझता हूं कि सदन वही है, सदन में उसी प्रेस, उसी बड़प्पन, उसी प्रकार की गरिमा का हम परिचय दें, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो तख्ती पर लिखा, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। तख्ती नहीं लटकानी चाहिए, तख्ती पर नहीं लिखना चाहिए उसके लिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं पहले कह चुका हूं, खेद प्रकट कर चुका हूं। मैं अब भी तख्ती लटकाने की बात की कोई तारीफ नहीं करता, उसका समर्थन नहीं करता हूं। उस तख्ती पर इस प्रकार की इबारत लिखी जाय, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बात पैदा क्यों हुई ? क्या देवीसिंह पागल हैं ? मैं समझता हूं, कोई इस बात को नहीं मानेगा कि देवीसिंह इतने मूर्ख हैं कि देवीसिंह तख्ती लगाकर यहां आये ? अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, इस सदन के कई माननीय सदस्य जानते हैं, मैं समझता हूं, आप सब जानते हैं, हम कोई ऊपर से नहीं आते हैं। आप और हम सब जनता से चुन कर आते हैं। एक लाख, डेढ़ लाख व्यक्तियों के आप व हम प्रतिनिधि हैं। हम उनकी समस्याओं को लेकर यदि सदन में चर्चा करें, सरकार का ध्यान आकर्षित करें, सरकार के काम से या सरकार के एक्शन से हमें किसी प्रकार का संतोष नहीं हो तो हमें निश्चित रूप से वेदना होती है, शिकायत होती है। यह ठीक है कि शिकायत प्रकट करने का तरीका नियमों में प्रतिबद्ध है। हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, यह बात निश्चित है। अध्यक्ष महोदय, एक घन्टा हो जाय, दो घण्टे हो जायं, तीन घण्टे हो जायं एडजोर्नमेन्ट मोशन रख दिया जाय, काल अटेन्शन मोशन का नोटिस दे दिया जाय, प्रश्न रख दिया जाय उनका तो समाधान नहीं हो और मेम्बर समस्याओं को लेकर रोज इस बात का झगड़ा करता है, झगड़ा करने का तरीका गलत है, रेफरी ने फाउल कह दिया, फाउल कह दिया तो मेम्बरशिप से निकाल दिया, यही कोई तरीका हो तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, और मुझे खेद हुआ कि सत्ता पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने इस घटना की निन्दा नहीं की कि उस हरिजन की लड़की मंजू के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। आप सबने देवीसिंह जी की आलोचना कर ली, आपने विरोधी दल के सदस्यों की आलोचना कर ली लेकिन क्या आपकी जुबान पर ताला लगा हुआ था जो उस हरिजन की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और आपकी जुबान नहीं खुली ? एक मेम्बर भी नहीं बोला। अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी ने जुबान नहीं खोली।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे दिक्कत यह आती है, मुझे समझ में नहीं आता कि उस लड़की के साथ बलात्कार हो जाय, मेहतर की लड़की के साथ बलात्कार हो जाय और बलात्कार का प्रश्न उठाने वाला दोषी है लेकिन बलात्कार जिसके राज में हो जाय, उस राज्य का मुख्य मंत्री दोषी नहीं है। मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, शिवचरण माथुर दोषी है जिसके राज में महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। जिसके राज में गरीबों के साथ बलात्कार होते हैं वह माथुर दोषी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, शान्त रहें।

एक माननीय सदस्य : कौन सी बात के बारे में आप फर्मा रहे हैं, इतना तो बता दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहेंगे तो मैं आपको अवसर दे दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : पहले अपना दामन साफ करके बोला करें, दामन साफ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, न्यायाधीश हैं, आप अनुमान लगा लीजिये किस प्रकार का न्याय होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि मेरे राज में बलात्कार हुआ। मैं दोषी हूं। आप कहलवायें शिवचरण माथुर की जुबान से, शिवचरण माथुर के जमाने में बलात्कार होते हैं तो मुख्य मंत्री दोषी है। कहलवाइये। कोई बोलता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठे बैठे ना बोलें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग यदि प्रारम्भ से यही प्ली लेते कि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, महिला की हत्या हुई, इसका हमें दुःख है; यदि आपके भाषण का श्री गणेश इन्हीं शब्दों के साथ होता कि उस गरीब महिला के साथ जो अन्याय किया गया, उस अन्याय के प्रति हमें चिन्ता है, दुःख है, उस अन्यायी को सजा मिलनी चाहिए लेकिन मैंने जैसा कहा,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर। लेकिन यह घटना सदन को पहले बताई नही गई थी। कृपया बैठ जायें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोई बलात्कार से संबंधित मामला नहीं हुआ; अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया, आप बैठ जायें। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य बड़े जोर शोर से बोल गये, उनको घटना का पता ही नहीं है, और अध्यक्ष महोदय, ये ही न्याय करेंगे! आप इन न्यायाधीशों से हमको बचाइये वरना ऐसा न्याय करते करते आज तो विरोधी दल पर हाथ डाल रहे हैं, कल कहीं कुर्सी पर हाथ न डाल दें। ऐसे न्यायाधीशों से भगवान बचाये। मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न...

श्री अध्यक्ष : आप जज को इस तरह प्रिजुडिस नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं करता लेकिन, अध्यक्ष महोदय जो जज पहले से प्रिजुडिस्ड बैठे हैं उनका मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन न्यायाधीशों से कहिये, मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

(112)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, माननीय सदस्यों ने बहुत जबर्दस्त आपत्ति की जिसका अपने भाषणों में भी उल्लेख किया है, मुख्य मंत्री जी की पुत्री क्यों कहा, मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता को एक हरिजन की बेटी को अपनी पुत्री कहने में संकोच होता है।

(व्यवधान)

मुझे बोलने देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बीच में बाधा न डालें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आसन को ये सम्बोधित कर रहे हैं! ये तो मजाक कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष विचार व्यक्त करने के अपने अपने स्वयं के तरीके होते हैं। धैर्य रखना चाहिये। अगर कोई माननीय सदस्य इनका जवाब देना चाहे तो मैं उनको बारम्बार अवसर दूंगा। लेकिन बीच बीच में बाधा उपस्थित करने से इनके भाषण का प्रवाह समाप्त हो जाता है। इसलिये मेहरबानी करके आप सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि उस हरिजन की लड़की मंजू को सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य और मुख्य मंत्री जी अपनी पुत्री मानने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अब भी हां नहीं कहते, अब भी कोई हो और वह कहे कि हमारी लड़की है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं माननीय हरिसिंह।

श्री देवदत्त तिवाडी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, यदि यह कहलवाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जायं। कृपया आपस में बातें नहीं करें। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपका कहना मान लेता हूं कि इस सदन के सब माननीय सदस्य चाहे सत्तारूढ़ दल में बैठे हों, चाहे इस पक्ष में बैठे हों, उस लड़की को अपनी पुत्री मानने में कोई संकोच नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जायं। यह डिबेट का कौनसा तरीका है, माननीय सदस्यगण। गम्भीर विषय है। मैंने बार बार निवेदन कर दिया आप जवाब देना चाहें तो मैं आपको फिर अवसर दे दूंगा, ऐसी क्या बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सब ने, उस पक्ष ने भी यह स्वीकार किया कि वह मंजू हमारी बेटी है, मुझे इस बात की खुशी है। किसी ने इन्कार किया हो तो अभी कह दे ..

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल वैद (राजस्थान नहर परियोजना मंत्री) : पुत्री जैसी कहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने अपनी गरिमा के अनुसार इस बात को स्वीकार किया कि मंजू हमारी पुत्री थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम उसको पुत्री मानें और उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाये तो हम दुर्घटना पर मौन रहें। यह दो दो बात समझ में नहीं आती है। यही कारण है कि माननीय सदस्य श्री देवीसिंह जी इतने उत्तेजित हुए हैं। यही कारण है, अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने ऐसा तरीका अपनी अभिव्यक्ति का अपनाया है जो उचित नहीं था। लेकिन कोई यह समझे कि जो तख्ती लटकायी गयी उसको लटकाने का उद्देश्य मुख्य मंत्री का अपमान करने का था तो मैं समझता हूं कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य इसको स्वीकार नहीं करेगा।

श्री चन्दनमल वैद : सदन का अपमान किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप भी सही हैं। यह बात सही है कि मुख्य मंत्री का अपमान करने का कोई कारण नहीं था, आधार नहीं था, कोई बात नहीं थी। सदन का अपमान है।

श्री चन्दनमल वैद : सदन का अपमान उनका अपमान नहीं है क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : सदन का अपमान है। मैं बताता हूं। मेरा और आपका बराबर का है। मुख्य मंत्री कोई खुदा नहीं है, सदन में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब सदस्य बराबर हैं। सदन के सदस्य होने के नाते हम सब बराबर हैं। अगर किसी एक सदस्य का अपमान होता है तो वह सब सदस्यों का अपमान होता है। एक सदस्य का अपमान होता है तो पूरे सदन का अपमान होता है। जो कुछ प्रक्रिया अपनायी गयी है उससे सब को आपत्ति होगी, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। लेकिन माननीय सदस्य जिस जोश के साथ भाषण दे रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी का अपमान किया, मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की लड़की उसको नहीं माना किन्तु बाद में उसको सब अपनी लड़की मान कर चलते हैं तो फिर अपमान किसका हुआ है और किस बात का हुआ है, मुझे यह समझ में नहीं आता है। राजस्थान की तीन करोड़ जनता में से एक हरिजन की लड़की को मुख्य मंत्री की बेटी बता दिया, मुख्य मंत्री को उसका पिता बना दिया, इस पर यह सारा सदन और सत्तापक्ष के लोग उत्तेजित होकर कह रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी का अपमान हुआ है। मुझे तो इसमें कोई अपमान नजर नहीं आता है। प्रश्न यह है कि यह अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से हुई है या नहीं, ठीक प्रकार से की गयी है या नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज कई माननीय सदस्यों ने तुल मोहन राम का उल्लेख किया और कई बातों का उल्लेख किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, हर घटना की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भूमिका अलग होती है। किस भूमिका के अन्दर किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के नाते आपने अन्य विधान सभाओं की कार्य प्रक्रिया, जो वहां चल रही है, का कई बार अध्ययन जरूर किया होगा। त्रिपुरा में क्या हुआ? जिस समय राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने आये तो विरोधी पक्ष के सदस्यों ने उनके साथ जिस प्रकार का आचरण किया हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक न लोकसभा में और न विधान सभाओं में हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में जो बैठे हुए थे वे लोग कौन थे? वे लोग कोई भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी के लोग नहीं थे, उसके सदस्य नहीं थे जो सत्ताधारी पक्ष था। सी. पी. आई. (एम) और विरोधी पक्ष में बैठे थे कांग्रेस के माननीय सदस्य उनका गवर्नर के साथ जिस प्रकार का आचरण था सबने कंडेम किया। कंडेम करने के बाद जब यह प्रश्न वहां के मुख्य मंत्री के सामने आया तो उन्होंने यह कहा कि इन्होंने जो किया उसको तो दुनिया देखेगी, मैं सदन में इनको कोई सजा देना नहीं चाहता। एक तो प्रेस उन्होंने दिखाया था और एक प्रेस यहां पर दिखाया जा रहा है कि सदन से निष्कासित किया जाय, एक दिन के लिये नहीं, दो दिन के लिये नहीं, विधान सभा की शेष रही अवधि के लिये निष्कासित किया जाय। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उधर बैठना आपकी मोनोपोली नहीं है। इसको ठेकेदारी समझकर मत चलो····

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप भी तो बैठे थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : ढाई दिन का झौंपड़ा आपने भी बनाया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो फैसला करें वह यह समझकर नहीं करें कि उधर बैठने का हमारा ठेका हो गया है और जब तक हम जिन्दा हैं उधर ही बैठेंगे।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : अगर हम तख्ती लगाकर आयें तो बदला निकाल लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अरे! आप तख्ती क्या अगर ढोल लटका कर आ जायेंगे तो भी बदला नहीं लूंगा।

(व्यवधान)

श्री चंदनमल बैद : हाउस में तो कम से कम सपने मत देखा करो।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री समाज कल्याण का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने एक बात की कि हम तख्ती लगाकर आयें तो बदला निकाल लेना। इसके पीछे भी एक रहस्य है कि हम बदला निकाल रहे हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : हम क्या बदला निकालेंगे। आपने किया ही क्या है जो हम बदला निकालेंगे। यह तो फैक्ट है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया शांत रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो बड़ी शांति से सुना है। ये क्यों अशांत हो रहे हैं पता नहीं · · · ·

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री) : इसलिये कि पहले जो फर्माया उससे अलग हो रहे हैं। चार घण्टे पहले जो भाषण दिया और अब जो भाषण दे रहे हैं उसमें चैंज आफ थाट है पालिटिकल वे आ गया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय मंत्री, बैठ जायें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने यह कहा था कि माननीय देवीसिंह जी ने जो कहा है वह गलत किया है मुझे शर्म आती है · · · ·

श्री अध्यक्ष : कृपया, मंत्री जी, बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी बदलने की आदत नहीं है · · · ·

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन आज तो बदल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बदलने की आदत नहीं है। जब शिवचरणजी दिल्ली जायें तो उस वक्त उनके साथ हो जायें। ऐसे मैं नहीं बदल सकता हूं, ऐसा मैं नहीं हो सकता हूं · · ·

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह आपके बूते की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कभी इस तरह की अदला बदली नहीं करता, मैं कभी इस तरह से नहीं बदलता। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही, मैंने अनेक बार रिपीट किया कि जो कुछ किया उसको कंडेम करता हूं, किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता हूं। मैं समझता हूं, उनका मूड उस समय दिल्ली के ऐसे मकान की तरफ लग रहा था जहां राज बदलने की प्रक्रिया चलती है। मेरी बात शायद सुनी नहीं · · · ·

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अच्छी तरह सुना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि एक माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि विरोधी दल के

116

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कुछ नेताओं का हाथ इसमें है। मुझे ऐसा लगता है, अध्यक्ष महोदय, देवीसिंह जी को सजा देना नहीं चाहते हैं, सारे विरोधी दल को सजा देना चाहते हैं। श्री देवी सिंह को सजा देने के लिये माननीय सदस्य ऐसे बोले जैसे विरोधी दल को भय-भीत किया जाय कि अगर विरोधी दल के लोग सरकार के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो शायद इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाने की तैयारी हो जाय···

एक माननीय सदस्य : यह आपकी गलतफहमी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मैं ऐसा समझता हूं। गलतफहमी हमारी भी है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : कम से कम आपको पाइन्ट आउट तो करना चाहिए था जब वे इस तरह से आये। वहीं आये क्या ? आपको पाइन्ट आउट तो करना चाहिये था परन्तु आपकी खामोशी बता रही थी···

श्री राजबहादुर : हमको क्या पता था?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके बारे में विधि मंत्रीजी···

श्री राजबहादुर : हमारे पीछे भी आंखें हैं क्या ? आपकी तो आगे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं।

श्रीमान् विधि मंत्रीजी वहां बैठे हैं, वे श्रीमान् यहां बैठे थे तो ड्यूटी किसकी थी ? ड्यूटी किसकी थी···

श्री राजबहादुर : हमारे तो पीछे थे। यह आपकी ड्यूटी थी ···

श्री अहमद बक्श सिन्धी : यहां जो बैठा हुआ है वह तो नहीं देख सकता है। आप भी आइये और देखिये। I challenge you.

(व्यवधान)

यहां आकर देखो··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इन्हें यहां आने में तो बहुत टाइम लगेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : जब तक गहलोत जी हैं तब तक तो नहीं आ सकते हैं इधर से उधर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नाराज हों तो हो लें। लेकिन इस न्यायालय के मुख्य प्रवक्ता विधि मंत्रीजी को ही गुस्सा आ जाये तो मैं समझता हूं कि इस सदन का क्या निर्णय होगा, इसके बारे में कोई अनुमान लगाने में कोई गलती नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, विधि मन्त्री जी गुस्से में कह गये कि यहां से नहीं देख सकते। गुस्सा करने से पहले अपना चश्मा उतार लिया, यह कौन सा तरीका है....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपने भी तो उतार रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो चश्मा उतार कर भी आपको देख सकता हूं। मैं आपको चश्मे से नहीं देखना चाहता हूं।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो यह कहा कि इसमें विरोधी दलों के नेताओं का हाथ है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें किसी विरोधी नेता का हाथ नहीं है।

श्री अहमदबख्श सिन्धी : तो इसमें किसका हाथ है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर किसी का हाथ है तो आपका है और किसी का हाथ नहीं है। अगर आपका हाथ नहीं है तो आप कह दीजिये कि आपका हाथ नहीं है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी: आपने सस्पेक्ट किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था····

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यहां पर एक प्रश्न आया तुलमोहन राम का। माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि तुलमोहन राम उस समय, उस सदन के सदस्य थे जिस समय मैं भी राज्य सभा का सदस्य था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुलमोहनराम का मामला मेरे और पांच अन्य साथियों के प्रश्न के आधार पर उठा था। यह बात सही है कि जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय उस प्रश्न की पूरी जानकारी हमें नहीं थी। लेकिन जिस समय प्रश्न का उत्तर दिया गया और लोक सभा और राज्य सभा के कई माननीय सदस्यों के मन्त्री महोदय द्वारा नाम पढ़ कर सुनाये गये तो चन्द्रशेखर जी ने आपत्ति की थी कि नाम सुनाने से पहले क्या इन सदस्यों से पूछ लिया गया है, कि जिस रिकमण्डेशन के मामले का उल्लेख किया जा रहा है उस रिकमण्डेशन पर उनके हस्ताक्षर जिनाइन हैं या फोर्सबली कराये गये हैं। उस तुलमोहनराम के मामले में, अध्यक्ष महोदय, सारा रिकार्ड जब्त किया गया। जब्त किया हुआ रिकार्ड देखने के लिए मुझे भी राज्य सभा की तरफ से एक सदस्य मनोनीत किया गया था। उसमें सारी प्रक्रिया पूरी हुई है। प्रिविलेज कमेटी के सामने मामला गया। मामला अदालत में गया। हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट में गया; केस काफ़ी लम्बा चला। लम्बा चलने के बाद उसको कुछ दण्ड दिया गया। लेकिन यह नहीं हो सकता था कि सदन में मुख्य सचेतक महोदय एक प्रस्ताव पेश कर देते, उसे पास कर दिया जाता और एक सदस्य को निकाल दिया जाता।

मैं कहना चाहता हूं, प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के सम्बन्ध में आज लोग कह रहे हैं, उनको भी यों ही नहीं निकाला गया। वह मामला भी प्रिविलेज कमेटी के सामने गया था। प्रिविलेज कमेटी ने रिकमण्डेशन की थी। उस रिकमण्डेशन के ऊपर हाउस में चर्चा हुई थी। चर्चा होने के बाद निर्णय लिया गया था।

यह तो पहला मौका है, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के इतिहास के अन्दर पहला अवसर है कि 11 बजे विधान सभा की कार्यवाही आरम्भ हो और डेढ़ बजे विधान सभा

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

में प्रस्ताव रखा जाये, उस प्रस्ताव पर उसी दिन चर्चा हो और चर्चा होने के साथ ही मैम्बर का निष्कासन हो जाये। मैं समझता हूं, राजस्थान की विधान सभा एक ऐसा निर्णय लेगी जिसका उदाहरण हिन्दुस्तान में नहीं होगा, हिन्दुस्तान के बाहर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के एक केस की ओर दिलाना चाहता हूं, मुझे दुख है क्योंकि यह केस अकस्मात आया इसलिये मैं वह किताब ला नहीं सका। लेकिन आपके सामने उद्धरण रखना चाहता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में जब किसी आदमी को सजा मिलती थी उस आदमी को सामने बुलाया जाता था। सामने आता वह आदमी तो उस समय खुले रूप में खड़ा नहीं हो सकता था। एक तख्ती थी जिस पर दोनों हाथ रखे जाते थे, गले के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, लकड़ी का ढांचा फंसा दिया जाता था। वह इस प्रकार खड़ा होता, खड़ा होने बाद उसे रेप्रीमेण्ड किया जाता था, उस पर जो चार्जेज होते थे, उनकी चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाती थी। प्रीवि कौंसिल के जज ने एक प्रेस स्टेटमेण्ट दे दिया, पार्लियामेण्ट के सदस्य सब चोर हैं। रिटायर जज थे, रिटायरमेन्ट के बहुत वर्षों बाद उन्होंने एक स्टेटमेण्ट दे दिया। उस स्टेटमेण्ट को लेकर पार्लियामेण्ट में उत्तेजना पैदा हुई। पार्लियामेण्ट में सब प्रकार की जो कार्यवाही विधिवत होनी थी, वह कार्यवाही की गयी। कार्यवाही करने के बाद जज साहब को पार्लियामेण्ट में बुलाया गया। बुलाकर उनको कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा तो मुझे, एक्चुअल वर्ड्स तो याद नहीं हैं लेकिन उन्होंने कहा "I am not prepared to defend. . . ."

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक्चुअल वर्ड्स, भैरोंसिह साहब, मैंने पढ़ कर बताये थे, आपको वाजपेयी जी के खिलाफ, प्रिविलेज मोशन आया था उस समय आपको याद होना चाहिए। आज पहली बार आप यह नहीं रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस किताब का मैं उद्धरण दे रहा हूं "ब्रिटिश पार्लियामेण्ट प्रजेण्ट और पास्ट" इस की यदि आपने शक्ल भी देखी हो...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने आपको खुद पढ़कर सुनाया था। वापस मैं रिपीट करूंगा, आपको उस बुक का रंग भी पता नहीं है। अब आप कहेंगे, आपके चेहरे जैसा...

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किताब पढ़ कर भी सुना दी, और यहां उस किताब का उल्लेख कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि वह किताब लाइब्रेरी में तो अवेलेबल है नहीं...

श्री चन्दनमल बैद : उस से क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह नहीं कह रहा हूं, भाटी साहब की तारीफ कर रहा हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप वह किताब चाहते हैं ? रात को भेज दूं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सारी पोल खोल दी मेरी, ये रात को किताब कागज भेजते हैं, यह यहां क्यों कहा आपने।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिए कि मेरे को पता है कि आपके जितने भी डिस्कशन्स होते हैं, भैरोंसिंह साहब, वह रात को ही होते हैं, कल जो कागज क्वोट कर रहे थे, रात को ही· · ·

(व्यवधान)

यह भी मैं अर्ज कर दूं कि अपने डिस्कशन्स यहां होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास रात को कितने कागज, किताबें आती हैं, कौन आती है, उनकी सारी जानकारी भाटी साहब को है।

श्री चन्दनमल बैद : कौन आती हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अब चिंता मुझे करने की आवश्यकता नहीं है· · ·

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : गवर्नमेंट प्रेस और स्टेशनरी इनके पास है इसलिए· · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टेशनरी थोड़े ही लाते हैं, स्टेशनरी तो बाजार में मिल जाती है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नहीं आपने बात कहा, वह कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे खुशी है कि आज इन्होंने सबके सामने बड़ी बहादुरी के साथ स्वीकार कर लिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त हो, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घण्टे के लिए बढाया जाता है।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री देवीसिंह भाटी के गले में लटकी हुई तख्ती व उस पर अंकित इबारत के संबंध में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने मुख्य सचेतक जी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। मुख्य सचेतक जी का प्रस्ताव तो यह था कि आज की लिस्ट आफ बिजनेस खतम नहीं हो तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय। कौन सी लिस्ट आफ बिजनेस है आज की ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज एजूकेशन की डिमाण्ड है। उससे पहले स्टेटमेण्ट है, इसके बाद एजूकेशन डिपार्टमेण्ट, जिसमें सब आती है, पूरी की पूरी डिमाण्ड 2 अरब और कुछ करोड़ रुपये की पास करनी है· · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझ गया, माननीय मुख्य सचेतक ने शायद इसी प्रस्ताव को बिजनेस मान लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में जब उन जज को बुलाया गया और उनको कहा गया कि आपने इस प्रकार आपत्तिजनक बात क्यों संसद सदस्यों के लिए कही तो उन्होंने कहा, I don't want to defend myself before this gang of theives. यह उन्होंने कहा। अब आप अन्दाज लगा लें कि इस सदन में खड़े होकर हमको कोई चोर बता दे तो क्या हाल हो। सब उत्तेजित

(120)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

हो गये और उत्तेजित होकर सजा सुना दी कि फांसी दे दो। आप तो उत्तेजित नहीं होते हो···

श्री चन्दनमल बैद : आप हो जाते थे···

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह तो बड़प्पन है आपका, अध्यक्ष महोदय उत्तेजित हो गये। सदन में उत्तेजना होने के बाद उस आदमी को हैंग करने की सजा सुना दी। दूसरे दिन जब सजा होने लगी, पार्लियामेण्ट मीट कर रही थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने विचार किया और सदन में खड़े होकर बोले और कहने लगे कि प्रीवि कौंसिल का जज रहा वयोवृद्ध आदमी है, विद्वान है, न पागल हुआ, न मूर्ख हुआ, इस आदमी ने यह बात क्यों कही, इसके पीछे राज क्या है, उनका मोटिव क्या है, उनका इन्टेन्शन क्या है ? जब उस पर चर्चा हुई तो लोगों ने देखा कि उसका इन्टेन्शन तो हीरो बनने का है। पर पार्लियामेण्ट को जनता के अन्दर कन्डेम करने वाले इस आदमी, जिसकी 70-75 की उम्र हो गई है, को यदि फांसी के तख्ते पर लटका दिया तो ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में और ब्रिटिश डेमोक्रेसी में वह इस रूप में एक हिस्ट्री-क्रियेट करेगा कि ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के मैम्बर्स को "गैंग आफ थीव्ज" कहा गया। वह अपने आप को फांसी के तख्ते पर लटका कर हमेशा इतिहास में अपना नाम अमर रखना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेण्ट दुबारा बैठी···

श्री अहमद बक्श सिंधी : कहीं आपने तो उनको यह राज नहीं दे दिया ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके समझने की बात नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं ? मैं तो समझा, शिवचरण जी माथुर···

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपने माटी जी को तो यह राज नहीं दे दिया कि हीरो बन जाने का तरीका यह है····

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री जी को चुप कराइये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : भाग्य से मुख्य-मंत्री जी ने आपको ले लिया। कम से कम आप बैठे रहें। आप जितना बोलते हैं उतनी आपकी पोल खुलती है। अध्यक्ष महोदय, एक अंग्रेजी लेखक ने कहा है कि आदमी की पहचान किस तरह से होती है, पर्सनलिटी का अनुमान कैसे लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। वह कर रहे हैं। मैं नहीं होना चाहता, मैं तो अब तक भाषण खतम कर देता। अध्यक्ष महोदय, बीच में बराबर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह भी विषय, विधि मंत्री जी, थोड़े ही है। मुख्य विषय दूसरा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि एक तरफ उस पार्लियामेण्ट ने जिस प्रकार से विवेक दिखाया, समझा, क्या हम इस बात को नहीं समझ पाते ? क्या आप प्रस्ताव को पास करेंगे, देवी सिंह जी को सजा देंगे ? क्या आप यह समझते हैं कि सदन से बाहर

(श्री देवीसिंह भाटी)
निकालने से देवीसिंह जी को सजा होगी, वह हीरो बनें, या नहीं बनें आप उनकी आत्मा पर चोट करेंगे, उन हरिजनों की आत्माओं पर चोट करेंगे, जो कहेंगे कि देवीसिंह जी ने हमारी लड़की का मामला उठाया इसलिए सदन से बाहर निकाल दिया। क्या आपके फैसले का परिणाम यह होना चाहिये कि हरिजनों की लड़कियों के साथ बलात्कार हो, उनकी हत्या कर दी जाय और विधान सभा में कोई सदस्य बोले तो उसको सदन से बाहर निकाल दिया जाय ? अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसके रिपरकर्शन्स क्या होंगे, इसका अनुमान लगा लें। आपके प्रस्ताव के रिपरकर्शन्स यह होंगे कि आज हरिजनों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, विधान सभा में बोलेगा तो उसको सजा मिलेगी। मैं तख्ती लटकाने की बात को तो फिर एप्रूव नहीं करता, मैं इसको दुबारा स्पष्ट करना चाहूंगा ताकि विधि मंत्रीजी को बार-बार चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के रिपरकर्शन्स यह होंगे कि बलात्कार के लिए यदि कहीं रॉ-मैटीरियल है तो हरिजनों की लड़कियां हैं। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा प्रस्ताव पास मत करो जिससे हिन्दुस्तान में नहीं, राजस्थान में हरिजनों की लड़कियों को बलात्कार का रॉ-मैटीरियल समझकर उनके साथ बलात्कार लोग करें। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो सजा देंगे उसका मतलब यह नहीं होगा कि आप किसी सदस्य को निकाल देंगे, उसका जीवन खतम कर देंगे, उसका राजनीतिक जीवन खतम कर देंगे। न उसका राजनीतिक जीवन खतम होगा, न जीवन खतम होगा, वरन् इस सदन की गरिमा खतम होगी। अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा इसी में रहती है कि सदन का जो बड़प्पन बना हुआ है उसको बनाकर रखें। गलती एक आदमी ने की, सजा पूरे सदन को देना चाहते हैं, गलती एक देवीसिंह ने की और पूरे लोकतन्त्र की हत्या करना चाहते हैं। देवीसिंह ने गलती की, हरिजनों की लड़कियों को बलात्कार का आप रॉ-मैटीरियल बनाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, किस आधार पर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि देवीसिंह को सजा दी जाय····

(व्यवधान)

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप गम्भीरता से इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। माननीय सदस्य, इसमें प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं है। इसमें किसी की भी प्रतिष्ठा नहीं रहती है। इस सदन की कार्यवाही हिन्दुस्तान में जायेगी, समाचार-पत्रों में प्रकाशित होगी, समाचार-पत्रों में यह तथ्य भी आयेगा। इस तथ्य को प्रकाशित करने से समाचार-पत्र को आप रोक नहीं सकते, बैन नहीं लगा सकते, सेन्सर नहीं कर सकते। यह तथ्य भी आयेगा कि देवीसिंह तख्ती लटकाये हुये बैठे हुये थे। यह तथ्य भी आयेगा कि सदन की गरिमा को उन्होंने घटाया। लेकिन यह तथ्य भी उजागर होगा कि राजस्थान में एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

गया और उसकी हत्या कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य भी आयेगा, बलात्कार और हत्या का मामला, प्रक्रिया चाहे कुछ भी रही हो, विधान सभा में उठाया, उसके कारण सदस्य का निष्कासन हुआ। इसलिये मैं कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, हरिजन लड़की का प्रश्न तो गोपाल पचेरवाल ने उठाया था। न आपने उठाया और न देवी सिंह भाटी ने उठाया। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में कितनी हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और कितनों की हत्यायें की गईं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री मेघराज तावड : माननीय मन्त्रीजी, आपको तो घटना का पता ही नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं। सुनें।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय के बाद में आप मुझे मौका देंगे बोलने का...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य, अवसर लेना चाहेंगे मैं उनको अवसर दूंगा...

श्री दुलाराम (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल कहां माननीय श्री देवीसिंह जी का है और कहां हरिजनों को लेकर सदन...

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : हरिजन होकर हरिजनों के...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायं।

श्री मेघराज तावड़ : बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है...

एक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे आसन से यह निवेदन करना है कि यह हरिजन शब्द बार-बार में रिपीट कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : हर एक माननीय सदस्य को विचारों की स्वतन्त्रता है। वह जिस रूप में चाहे कह सकता है लेकिन असंसदीय और इस तरह की भाषा के प्रयोग के ऊपर अवश्य बन्धन है। आकी सही कहते हैं, गलत कहते हैं, किस तरह से कहते हैं यह कहने का अधिकार है। माननीय सदस्य, बाधा...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट तक मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने के लिये...

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा विपक्ष के नेता महोदय के बाद में···

श्री छोगालाल कंवरिया (दूदू) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री छोगालाल कंवरिया : पूर्व में माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो विचार व्यक्त किये थे···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : कौन से नियमों के तहत पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री छोगालाल कंवरिया : उसके लिये आपने अफसोस जाहिर किया था, यह जो कुछ भी घटना हुई यह बहुत ही निन्दनीय है और इसके लिये मैं बहुत अफसोस जाहिर करता हूं। उस तख्ती में स्पष्टतः यह शब्द लिखे हुये हैं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, शिवचरण माथुर की पुत्री मंजू के साथ सामूहिक बलात्कार। अगर उसमें मुख्य मत्री शिवचरण माथुर की हरिजन लड़की लिखा हुआ होता तो हम सब इस बात को स्वीकार कर लेते लेकिन सदन को गुमराह किया गया है। "हरिजन" शब्द वहां नहीं लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरा नम्र निवेदन है कि अब यदि इन्होंने बात कह दी है और उसमें किसी तरह की त्रुटि है तो आप इस बात को कह सकते हैं, अवसर ले सकते हैं मेरे से बोलने के लिये लेकिन बीच में उसकी व्याख्या करें यह अच्छा नहीं लगता। वाद-विवाद के नियम हैं, यह नियम के प्रतिकूल चीज है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करूंगा कि वह कृपया शांतिपूर्वक सुनें। उसके बाद में जो माननीय सदस्य इस वाद-विवाद में फिर से हिस्सा लेना चाहेंगे तो मैं उनको फिर अवसर दूंगा"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उस तख्ती पर यह लिखा हुआ होगा कि श्री शिवचरण जी माथुर की हरिजन लड़की। यह रहस्य आपको ही मालूम है मुझे मालूम नहीं है...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हरिजन लड़की है तो सभी मानने के लिये तैयार हैं..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं उसका ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता....

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, विपक्षी दल के नेता महोदय बहुत बड़े पुराने, बुजुर्ग, तजुर्बेकार, सारी परम्पराओं के पूरी तरह से जानकार हैं। जिस प्रकार से इन्होंने माननीय दूदू से आने वाले सदस्य से प्रश्न पूछा है कृपया बतायें इनकी भावना उनके अन्दर क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात कही माननीय श्री दूलाराम जी ने, और कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि यह प्रश्न देवीसिंह जी भाटी ने उठाया है। मुझे इस बात की तो खुशी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे घन्टे के परिश्रम के बाद कुछ माननीय सदस्यों की इस बात को लेकर देवीसिंह के प्रति सहानुभूति पैदा हुई कि उन्होंने एक हरिजन महिला का मामला उठाया...

(व्यवधान)

श्री छोगालाल कंवरिया : यह मैंने नहीं कहा...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने कहा..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। उनको अपने ढंग से कहने दीजिये। आर्डर। माननीय सदस्य

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हर सेन्टेन्स पर कमेन्ट्स करने लगते हैं...

श्री अध्यक्ष : यह ठीक नहीं है, माननीय सदस्य। बैठे-बैठे बोलें और बीच में बोलें उनकी आलोचना, टीका-टिप्पणी करते रहें, यह उचित तरीका नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य वाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैंने निवेदन किया, मैं आपको अवसर दूंगा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां हम पर यह भी आरोप लगाया गया है कि इस मामले को किसी ने नहीं उठाया। मुझे खेद है कि जिन माननीय सदस्यों को यह आपत्ति है अगर वह सदन में उपस्थित रहते तो उनको पता रहता कि यह मामला श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ने उठाया। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि तथ्यों की जानकारी की जा रही है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह भ्रान्ति नहीं रहनी चाहिये कि इस के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई मामला नहीं उठाया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या इस घटना से ज्यादा गम्भीर घटना सदन के इस सत्र मतलब 1983-84 में, विधान सभा 1980 से आरम्भ हुई उस समय से लेकर सदन के परिसर में इससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हुई ? क्या, अध्यक्ष महोदय, आपकी नालेज में नहीं है और क्या सदन की नालेज में नहीं है ? अभी दूदू से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, हमारे सामने एक सदस्य ने उनको थप्पड़ मारा उस समय सदन क्यों चुप था

(व्यवधान)

सदन नहीं, सदन के परिसर का प्रश्न है यह...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : किसी ने नहीं मारा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, उस समय किसी ने चिन्ता नहीं की। हमारे विधि मन्त्रीजी को जोधपुर में एक सदस्य ने थप्पड़ मारा। वह उस अदालत में गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस समय किसी को शर्म नहीं आई। बोलिये, विधि मन्त्रीजी, मारा कि नहीं मारा? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं . .

श्री अहमद बक्श सिन्धी : क्या कह रहे हैं, बिल्कुल XXX

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द एक्सपन्ज किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी है, विधि मन्त्रीजी भी असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे इस सरकार के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : यह तो आदत है आपकी, हरएक पर नाजायज और गलत इलजाम लगाने की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बताऊं··

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आप अपने शब्द वापस लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यह बता दीजिये, मानसिंह देवड़ा के खिलाफ आपने दावा प्रस्तुत किया था या नहीं किया था?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं साबित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो आप जानते हैं, समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं, इस प्रकार की बात हुई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सारे तथ्य तोड़ मरोड़ कर कह कर पता नहीं क्या फायदा उठा रहे हैं..

(व्यवधान)

माननीय मानसिंहजी भी विराज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया..

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, पिछले डेढ़ घण्टे से हाउस को गुमराह तो कर ही रहे हैं। मैं श्रीमान् को गुमराह होने से बचाना चाहता हूँ। मैं इनको चैलेन्ज करता हूं, इन्होंने अभी चैलेन्ज जो किया है वह साबित कर दें तो या तो वह इस्तीफा दे दें या मैं दे दूं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाब दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब दिया हुआ है, मानसिंहजी देवड़ा बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदार शहर) : कोई थप्पड़ नहीं मारा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूछना चाहता हूं, घटना क्या हुई. .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बाधा नहीं पहुंचायें। उनको आप अपनी बात कहने दीजिये। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय अब नहीं बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि माननीय सदस्य बड़े उत्तेजित हो रहे हैं सिन्धी साहब बड़े उत्तेजित हुए, मैं तो उनकी सहानुभूति में बोल रहा था। मैंने उनका विरोध नहीं किया। उनके साथ जो घटना हुई उस पर खेद प्रकट कर रहा था और वह उत्तेजित हो रहे थे। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अय्याज. . .

(व्यवधान)

मैं, अध्यक्ष महोदय, उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता, कई घटनायें हुईं, कई घटनायें इस सदन के परिसर में हुईं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आइसोलेटेड रूप में नहीं लिया जाय, इस रूप में नहीं लिया जाय कि श्री देवीसिंहजी तख्ती लगा कर आ गये। इन्होंने सदन का इतना बड़ा अपमान कर दिया कि इस सदन के अपमान के कारण इस सदन से इनका निष्कासन किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इसकी गम्भीरता को देखा जाय. .

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह तो आप मान चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष। आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप कितना ही कहो इन पर कोई असर नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, XXX

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय हमारी भी स्थिति देखिये। अध्यक्ष महोदय, जो सदन में घटना हुई माननीय कंवरियाजी के साथ में हम उसे सदन में उठा सकते थे। जो सिन्धी साहब के साथ घटना हुई वह भी हम उठा सकते थे। अध्यक्ष महोदय, उन सब लोगों के साथ जो घटनायें हुईं वह भी हम सदन में उठा सकते थे। हमें कोई नहीं रोकता, हम भी विशेषाधिकार का प्रश्न ला सकते थे। अध्यक्ष महोदय, हम भी सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करने की इस सदन में मांग कर सकते

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

थे लेकिन हमने मांग नहीं की। हमने इसलिए मांग नहीं की, आवेश में किसी सदस्य द्वारा कुछ कर दिया जाय, आवेश में कोई आदमी कुछ कह जाय, आवेश में किसी प्रकार की कोई घटना हो जाय तो उसका मेन्सरिया देखना पड़ेगा, इन्टेन्शन क्या है, देखना पड़ेगा, उसका बैक ग्राउण्ड क्या था वह देखना पड़ेगा, क्या उसने किसी प्रवोकेशन के अन्दर यह काम किया, यह देखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, उस समय हम भी अगर यही करते, एक सदस्य ने एक मन्त्री के थप्पड़ मार दिया उस सम्बन्ध में हाउस में प्रस्ताव रखा जाता . .

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह मामला उठाया था।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उठाया ना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उसकी सफाई हुई। माननीय सदस्य कंवरियाजी ने कहा कोई थप्पड़ नहीं मारा और भैरू सिंहजी ने कहा, कोई घटना नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हुई कि अभी तक तो इन्कार कर रहे थे कि कोई घटना नहीं हुई और अब कहते हैं मामला भी उठा था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मामला उठने का मतलब घटना होना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों से, सदन के माननीय सदस्यों से और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से, मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रूप में आप इस प्रस्ताव को लाकर पारित करवाना चाहते हैं उससे न आपको लाभ होगा, न जिसको सजा देना चाहते हैं उसको सजा मिलेगी, न सदन की गरिमा बढ़ेगी और न सदन अपने स्तर को ऊंचा करके जैसे एक न्यायालय के रूप में उसने कोई निर्णय किया है उस प्रकार की स्थिति पर पहुंचेगा। मैं इस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जब बहुमत के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है, पाशविक बहुमत के आधार पर कोई सदन फैसला करता है तो मैं बहुमत के अधिकार को तो चुनौती नहीं देता लेकिन उस बहुमत और अल्पमत के बीच में आसन है, आसन से हमेशा यह आशा की जाती है, अध्यक्ष महोदय, आप अल्पमत को प्रोटेक्शन दें, अल्पमत को संरक्षण दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : संरक्षण कैसे दूं ? मत ज्यादा हो जायं तो कम कर दूं, यूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय, बहुमत को अल्पमत में तो आप परिणत नहीं कर सकते, यह तो बिल्कुल निश्चित बात है लेकिन बहुमत को आप सही दिशा दे सकते हैं। वह नहीं देना चाहें तो आपकी मर्जी की बात है। मार्ग दर्शन आप बहुमत का कर सकते हैं। मेरा विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, बहुमत लोकतन्त्र की परम्परा में विश्वास करता है। यदि आपने उनका सही मार्गदर्शन किया तो वह मानेंगे। अगर आपकी नीयत नहीं है, अध्यक्ष महोदय, तो हमको भगवान बचायेगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, . . .

128

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष - ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री भरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि श्री देवीसिंहजी ने जो कुछ किया है अच्छा नहीं किया, उसके लिए प्रारम्भ में, जब यह डिबेट प्रारम्भ हुई थी उस समय भी मैंने खेद प्रकट किया और अब भी खेद प्रकट करता हूं देवीसिंह जी की तरफ से ही नहीं, विरोधी दल में अन्य दल की ओर से विरोधी दल में जो अन्य दल हैं उन सबके नेता बोल चुके हैं और सबने खेद प्रकट किया है। हम सब खेद प्रकट करें और आप इस बात पर डटे रहें कि जो हमने प्रस्ताव पेश किया है वह तो ब्रह्म वाक्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव डिफेक्टिव है। यह प्रस्ताव डिफेक्टिव है इसलिये दुरुस्त करने का तो आप मुख्य सचेतकजी को मौका दें। मैं ऐसा समझता हूं, डिफेक्टिव प्रस्ताव यदि सदन में पारित हो गया तो छीछालेदारी जबरदस्त होगी। वह छीछालेदारी इतनी होगी, अध्यक्ष महोदय, लोग इस घटना को भूल जायेंगे और सारे 200 विधायकों की बुद्धि पर लोगों को तरस आयेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जो बैठे हैं उनसे, और मुख्य सचेतक जी, जो सरकार के प्रवक्ता हैं, से कि इस सारे प्रश्न के ऊपर देवीसिंहजी को आइसोलेट करके नहीं देखें।

अध्यक्ष महोदय, श्री देवीसिंह भाटी के हाथ से जो भी घटना हो गयी इस घटना को आइसोलेट करके इस विषय पर चिन्तन नहीं करें। इस तरह चिन्तन करें कि इसके परिणाम क्या होंगे। उन परिणामों को सामने रख कर इस पर चिन्तन करें और इस आधार पर ही निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सत्तारूढ़ दल का इस प्रकार से मार्ग दर्शन करें कि विधान सभा द्वारा की गई कार्यवाही कोई ऐसी कार्यवाही नहीं है कि जिस कार्यवाही को लेकर हम जनता में चर्चा का विषय बन जायं, दुनिया उसकी चर्चा करें, आलोचना करे। बाकी तो जो कुछ बहुमत को करना है वह करेगा लेकिन मेरा विश्वास है कि कई माननीय सदस्य, जो पुराने हैं, नये हैं, अनुभवी हैं, इस सारे प्रश्न पर गम्भीरता से चिन्तन करके निर्णय लेंगे। इस आधार पर जो कुछ भी यहां पर, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था होगी उसके अनुसार कार्य हो और वह कार्य सदन की गरिमा के अनुकूल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। आप माननीय सदस्य, बाद में बोल लें। श्री देवी सिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था वह आपकी जानकारी में भी है उस समय भी आपने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मैं अपनी बात दो मिनट में कह दूं। किस्सा यह है कि बीकानेर में खारा गांव में मरजा देवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ।

एक माननीय सदस्य : किसके साथ? क्या नाम है?

श्री देवीसिंह भाटी : मरजा देवी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में यह दूसरी घटना है। यह घटना मंजु देवी से सम्बन्धित है। इसकी मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों द्वारा एक प्रकार से भावनात्मक तरीके से जानकारी दी और आतंकित होकर इस प्रकार की भावना प्रकट की कि हमारे साथ इस प्रकार से सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। हम उन फोर्सेज का नाम नहीं लेना चाहते हैं जिनकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है इसलिये हमें कृपया आप सरकार की ओर से ऐसा प्रोटेक्शन दिलायें कि जिससे हमें कम से कम इतना विश्वास हो जाय कि निश्चित तौर पर सरकार इस सम्बन्ध में चिन्तित है, हम लोग अपनी इज्जत लिये बैठे रहें।

अध्यक्ष महोदय, भावनाओं में आकर जल्दी में जो भी कार्य मैंने यहां पर किया जिस प्रकार से सदन में सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कही उसमें मेरी नीयत कतई ऐसी नहीं थी कि श्रीमान माथुर साहब के परिवार के प्रति अपनी कोई ऐसी भावना प्रकट करूं जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरी भावना कतई ऐसी नहीं थी कि सदन की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उसके उपरान्त भी, अध्यक्ष महोदय, सदन यह समझता है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे उसके लिए खेद है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाय। कल तक के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो फिर आज डिमाण्ड का क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : आज की डिमाण्ड आगे किसी दिन ले ली जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो आप आज अब स्थगित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एजुकेशन की इतनी बड़ी डिमाण्ड है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : आधे घन्टे तक के लिये अभी स्थगित कर दिया जाय। उसके बाद में ले लें।

श्री अध्यक्ष : आधा घन्टे के लिये कौन से विषय पर चर्चा करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में कर लें। आप जब सन्तुष्ट हो जावें तो फिर उसके बाद··

श्री अध्यक्ष : तत्काल इस विवादास्पद विषय पर फैसला नहीं करें। इस पर सोच विचार कर निर्णय करें।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

इस पर तत्काल निर्णय नहीं होगा। सोच कर निर्णय होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो एक और आल्टर-नेटिव है। यह विषय जो है इस पर तो चर्चा यहीं पर समाप्त कर दी जाय और आज की डिमाण्ड को ले लिया जाय। उस पर वाद-विवाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष : आज माननीय सदस्य मेरे ख्याल से इस मूड में नहीं है कि अब इस पर चर्चा करें। एक दो माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि जब सभी कांग्रेसी सदस्य बोल लें उसके पश्चात् मुझे बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही · · ·

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर निर्णय नहीं कर रहे हैं। अगर आप निर्णय नहीं कर रहे हैं तो मुझे बोलने का मौका दें। आप निर्णय कर रहे हैं तो मुझे नहीं बोलना। विपक्ष के नेता महोदय ने जिस प्रकार से हरिजनों के नाम का फायदा उठाने की कोशिश की · · ·

श्री अध्यक्ष : तो ऐसा है कि अब तनाव की स्थिति है अब कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.26 बजे शुक्रवार दिनांक 11 मार्च, 1983 के म. प. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 399 की सूची

परिशिष्ट "अ"

पिछले वर्ष का पाटा को एडवान्स जमा रुपया 13,925.00

माह	खनिज निर्गमन खनिज	डम्पर ट्रिप्स	प्राप्त रायल्टी की राशि (रु. में)
अप्रैल, 77	53600	5360	1,20,075.00
मई, 77	54680	5488	1,37,200.00
जून, 77	45080	4508	1,12,700.00
जुलाई, 77	48540	4854	1,21,350.00
अगस्त, 77	47740	4774	1,19,350.00
सितम्बर, 77	46770	4677	1,16,925.00
अक्टूबर, 77	54860	5486	1,37,150.00
नवम्बर, 77	51460	5146	1,28,650.00
दिसम्बर, 77	44120	4412	1,10,300.00
जनवरी, 78	39580	3958	98,950.00
फरवरी, 78	51350	5133	1,28,325.00
मार्च, 78	52690	5269	60,000.00
			60,000.00
			11,725.00
		कुल योग :	14,76,625.00

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 402 की सूची व विवरण

(1) श्री सत्यव्रत शर्मा, केरोसीन विक्रेता पीपाड़ शहर (मात्रा लीटर में)

क्र. सं.	थोक विक्रेता का नाम	दिनांक	केरोसीन तेल प्राप्ति की मात्रा
1	2	3	4
1.	निल	मार्च, 82	निल
2.	निल	अप्रेल, 82	निल
3.	निल	मई, 82	निल
4.	निल	जून, 82	निल
5.	जयनारायण मोदी एण्ड संस, जोधपुर	8-7-82	2000
6.	मोहम्मद सूफी, जोधपुर	25-8-82	2000
7.	निल	सितम्बर, 82	निल
8.	निल	अक्टूबर, 82	निल
9.	जय ट्रेडर्स, जोधपुर	30-11-82	2200
10.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर	14-12-82	2200
11.	जय सर्विस स्टेशन कामा जी, जोधपुर	15-12-82	2200
12.	जय सर्विस स्टेशन कामाजी, जोधपुर	24-12-82	1100

(2) मैसर्स बद्रीनारायण ब्रजवल्लभ, शास्त्री घाट, पीपाड़ शहर

1.	मोहम्मद शफी, जोधपुर	29-3-82	3000
2.	प्रेम यूनिवर्सल, जोधपुर	7-4-82	3000
3.	मोहम्मद शफी, जोधपुर	22-4-82	3000
4.	जयनारायण मोदी एण्ड संस, जोधपुर	12-5-82	3000
5.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	22-5-82	3000
6.	मोहम्मद शफी, जोधपुर	28-5-82	3000
7.	प्रेम यूनिवर्सल, जोधपुर	12-6-82	3000
8.	मोहम्मद शफी, जोधपुर	12-7-82	4000
9.	,, ,,	25-8-82	3000
10.	,, ,,	17-9-82	2000
11.	,, ,,	11-10-82 से 31-10-82	निल

1	2	3	4
12.	मोहम्मद शफी, जोधपुर	11-11-82	2200
13.	,, ,,	18-11-82	2000
14.	जय ट्रेडर्स, जोधपुर	30-11-82	2200
15.	जय सर्विस, जोधपुर	15-12-82	2200
16.	शफी मोहम्मद, जोधपुर	20-12-82	2000
17.	जय सर्विस जोधपुर	24-12-82	1100
18.	प्रेम यूनिवर्सल, जोधपुर	,,	1200
(3)	सम्पत आटोमोबाइल्स		
1.	शक्कर लाल रामरतन	5-4-82	6800
2.	ज्योति ट्रेडर्स	20-4-82	8000
3.	शक्करलाल रामरतन	5-5-82	6800
4.	प्रेम यूनिवर्सल	11-5-82	3000
5.	गुलाबदास आत्माराम	14-5-82	3500
6.	ज्योति ट्रेडर्स	17-5-82	6000
7.	गुलाबदास आत्माराम	22-5-82	5000
8.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर	22-5-82	3000
9.	ज्योति ट्रेडर्स	8-6-82	8000
10.	गुलाबदास आत्माराम	22-6-82	7000
11.	ज्योति ट्रेडर्स	7-7-82	8000
12.	गुलाबदास आत्माराम	26-7-82	9000
13.	ज्योति ट्रेडर्स	20-7-85	6000
14.	गुलाबदास आत्माराम	14-8-82	7000
15.	ज्योति ट्रेडर्स	19-8-82	6000
16.	गुलाबदास आत्माराम	21-8-82	3000
17.	ज्योति ट्रेडर्स	31-8-82	3500
18.	शक्करलाल रामरतन	2-9-82	6800
19.	,, ,,	24-9-82	6800
20.	ज्योति ट्रेडर्स	30-9-82	2800
21.	गुलाबदास आत्माराम	5-10-82	4400
22.	शक्करलाल रामरतन	16-10-82	6800
23.	गुलाबदास आत्माराम	23-10-82	7000
24.	शक्करलाल रामरतन	25-10-82	6800
25.	गुलाबदास आत्माराम	30-10-82	6000

1	2	3	4
26.	गुलाबदास आत्माराम	9-11-82	7600
27.	ज्योति ट्रेडर्स	10-11-82	6000
28.	ज्योति ट्रेडर्स	13-11-82	10000
29.	शक्करलाल रामरतन	18-11-82	6800
30.	गुलाबदास आत्माराम	28-12-82	4000
31.	शक्करलाल रामरतन	29-12-82	4000

(4) महालक्ष्मी केरोसिन भण्डार पीपाड शहर, जोधपुर (राजस्थान)

1.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	14-5-82	2000
2.	" " "	24-5-82	2000
3.	" " "	24-[illegible]-82	2000
4.	" " "	22-6-82	2000
5.	मोहम्मद शफी एण्ड संस, जोधपुर	23-6-82	3000
6.	ज्योति ट्रेडर्स मथानियां	28-7-82	2000
7.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	14-8-82	2000
8.	ज्योति ट्रेडर्स, मथानियां	19-8-82	2000
9.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	21-8-82	2000
10.	मोहम्मद शफी एण्ड संस, जोधपुर	25-8-82	2000
11.	ज्योति ट्रेडर्स, मथानियां	31-8-82	1000
12.	मोहम्मद शफी एण्ड संस, जोधपुर	17-9-82	2000
13.	" " "	27–9-82	3000
14.	ज्योति ट्रेडर्स, मथानियां	30-9-82	2200
15.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	5-10-82	2200
16.	मोहम्मद शफी एण्ड संस "	13-10-82	3000
17.	गुलाबदास आत्माराम "	23-10-82	2000
18.	" " "	30-10-82	2000
19.	" " "	9-11-82	1100
20.	ज्योति ट्रेडर्स, मथानियां	10-11-82	2000
21.	मोहम्मद शफी एण्ड संस, जोधपुर	11-11-82	2200
22.	" " "	18-11-82	2200
23.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	6-12-82	2200
24.	जे. सर्विस ट्रेडर्स, जोधपुर	15-12-82	2200

1	2	3	4
(5)	मैसर्स मिश्रीलाल पुत्र जालाराम पीपाड सिटी		
1.	जयनारायण जी मोदी, जोधपुर	16-3-82	5000
2.	मो. शफी एण्ड संस, जोधपुर	30-3-82	3000
3.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	7-4-82	6000
4.	शफी मोहम्मद एण्ड संस, जोधपुर	22-4-82	3000
5.	जयनारायण मोदी एण्ड संस, जोधपुर	12-5-82	3000
6.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	23-5-82	1000
7.	शफी मोहम्मद एण्ड संस, जोधपुर	28-5-82	3000
8.	ज्योति ट्रेडर्स, जोधपुर	8-6-82	4000
9.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	12-6-82	3000
10.	ज्योति ट्रेडर्स, जोधपुर	7-7-82	2000
11.	जयनारायण मोदी, जोधपुर	9-7-82	3000
12.	ज्योति ट्रेडर्स, जोधपुर	19-8-82	2000
13.	,, ,,	20-8-82	2000
14.	शफी मोहम्मद, जोधपुर	25-8-82	2000
15.	ज्योति ट्रेडर्स, जोधपुर	31-8-82	2000
16.	,, ,, ,,	1-9-82	1500
17.	शफी मोहम्मद, जोधपुर	17-9-82	2000
18.	,, ,,	27-9-82	3000
19.	ज्योति ट्रेडर्स, जोधपुर	30-9-82	2000
20.	शफी मोहम्मद, जोधपुर	13-10-82	4000
21.	,, ,,	23-10-82	3000
22.	,, ,,	24-10-82	3000
23.	ज्योति ट्रेडर्स, जोधपुर	10-11-82	2000
24.	शफी मोहम्मद, जोधपुर	11-11-82	3200
25.	,, ,,	18-11-82	2800
26.	जयनारायण मोदी, जोधपुर	7-12-82	2000
27.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	14-12-82	2400
28.	शफी मोहम्मद एण्ड संस, जोधपुर	20-12-82	2000
(6)	बालियां एण्ड कम्पनी पीपाड़ शहर, जोधपुर (राजस्थान)		
1.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	12-6-82	2000
2.	शफी मोहम्मद एण्ड सन्स, जोधपुर	12-7-82	4000

(136)

1	2	3	4
3.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	21-8-82	1000
4.	" "	21-8-82	2000
5.	गुलाबदास आत्माराम	22-8-82	2000
6.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	12-9-82	1000
7.	" " "	12-9-82	1500
8.	" " "	12-9-82	2000
9.	शफी मोहम्मद एण्ड संस, जोधपुर	27-9-82	2000
10.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	5-10-82	2200
11.	शफी मोहम्मद एण्ड सन्स जोधपुर	13-10-82	2000
12.	" " "	23-10-82	6000
13.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	9-11-82	1100
14.	शफी मोहम्मद एण्ड सन्स जोधपुर	11-11-82	2200
15.	" " "	18-11-82	2200
16.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	6-12-82	2200
17.	शफी मोहम्मद एण्ड सन्स, जोधपुर	20-12-82	2000
18.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	28-12-82	2000

(7) जसवन्त राज खण्डेलवाल पीपाड़ सिटी

1.	जयनारायण मोदी एण्ड सन्स, जोधपुर	4-3-82	5000
2.	" " "	16-3-82	3000
3.	" " "	7-4-82	3000
4.	" " "	24-4-82	3000
5.	" " "	12-5-82	3000
6.	" " "	17-5-82	6000
7.	" " "	8-6-82	5000
8.	" " "	25-6-82	2000
9.	" " "	8-7-82	3000
10.	" " "	26-7-82	4000
11.	" " "	5-8-82	5000
12.	" " "	18-8-82	6000
13.	" " "	7-9-82	5000
14.	जय ट्रेडर्स, जोधपुर	20-9-82	6000
15.	जयनारायण मोदी एण्ड सन्स	26-9-82	5000

1	2	3	4
16.	जयनारायण मोदी एण्ड सन्स	13-10-82	6000
17.	,, ,,	3-11-82	5000
18.	,, ,,	11-12-82	6000
19	,, ,,	7-12-82	6000
20.	जय सर्विस स्टेशन, कामाजी जोधपुर	24-12-82	2200

(8) गुदड़मल ओम प्रकाश

1.	शक्करलाल रामरतन	5-4-82	3400
2.	,, ,,	5-5-82	3400
3.	ज्योति ट्रेडर्स	17-5-82	2000
4.	गुलाबदास आत्माराम	22-5-82	2000
5.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर	22-5-82	3000
6.	गुलाबदास आत्माराम	22-6-82	2000
7.	,, ,,	13-7-82	2000
8.	प्रेम यूनिवर्सल	24-7-82	3000
9.	गुलाबदास आत्माराम	27-7-82	2000
10.	गुलाबदास आत्माराम	14-8-82	2000
11.	गुलाबदास आत्माराम	21-8-82	2000
12.	शक्करलाल रामरतन	2-9-82	3400
13.	शक्करलाल रामरतन	24-9-82	3400
14.	शफी मोहम्मद एण्ड सन्स युशाब	27-9-82	2000
15.	गुलाबदास आत्माराम	5-10-82	1000
16.	शक्कर लाल रामरतन	16-10-82	3400
17.	गुलाबदास आत्माराम	23-10-82	3000
18.	शक्करलाल रामरतन	25-10-82	3400
19.	गुलाबदास आत्माराम	30-10-82	2000
20.	गुलाबदास आत्माराम	9-11-82	2200
21.	ज्योति ट्रेडर्स	10-11-82	2000
22.	ज्योति ट्रेडर्स	13-11-82	2000
23.	शक्करलाल रामरतन	18-11-82	3400
24.	गुलाबदास आत्माराम	28-12-82	2000
25.	शक्करलाल रामरतन	29-12-82	2200

1	2	3	4
(9)	मैसर्स बालाजी आटोमोबाइल्स पीपाड़ शहर (राजस्थान)		
1.	निल	1-3-82 से 31-3-82	निल
2.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	8-4-82	3000
3.	,,	23-4-82	3000
4.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	11-5-82	3000
5.	निल	1-6-82 से 30-6-82	निल
6.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	7-7-82	3000
7.	,,	24-7-82	3000
8.	निल	1-8-82 से 31-8-82	निल
9.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	4-9-82	3000
10.	निल	4-10-82	3000
11.	,,	13-11-82	3000
12.	,,	14-12-82	2200
13.	जय सर्विस स्टेशन	15-12-82	2200
14.	जय सर्विस स्टेशन	24-12-82	2200
15.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	24-12-82	2200
(10)	मैसर्स जुगलकिशोर खण्डेलवाल पीपाड़ शहर		
1.	निल	1-3-82 से 31-3-82	निल
2.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	8-4-82	6000
3.	,,	23-4-82	6000
4.	,,	11-5-82	3000
5.	ज्योति ट्रेडर्स जोधपुर	26-5-82	8000
6.	निल	1-6-82 से 30-6-82	निल
7.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	7-7-82	6000
8.	,,	24-7-82	3000
9.	,,	21-8-82	3000
10.	,,	4-9-82	6000

1	2	3	4
11.	मोहम्मद शफ़ी एण्ड सन्स, जोधपुर	17-9-82	2000
12.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	4-10-82	6000
13.	,,	13-11-82	6000
14.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	14-12-82	2200
15.	जय सर्विस स्टेशन	15-12-82	2200
16.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	24-12-82	2200
(11)	सोनी आटोमोबाइल्स		
1.	जयनारायण मोदी एण्ड सन्स, जोधपुर	4-3-82	6000
2.	,,	16-3-82	3000
3.	,,	7-4-82	3000
4.	,,	24-4-82	6000
5.	,,	12-5-82	2000
6.	,,	21-5-82	6000
7.	,,	8-6-82	6000
8.	,,	8-7-82	3000
9.	,,	6-8-82	6000
10.	,,	18-8-82	5000
11.	,,	7-9-82	6000
12.	जय ट्रेड एजेन्सीज़, जोधपुर	20-9-82	5000
13.	जयनारायण मोदी एण्ड सन्स, जोधपुर	29-9-82	6000
14.	,,	13-10-82	5000
15.	,,	3-11-82	6000
16.	,,	11-11-82	5000
17.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	9-12-82	3200
18.	जयनारायण मोदी एण्ड सन्स, जोधपुर	8-12-82	3000
19.	मो. शफी मोहम्मद एण्ड सन्स	20-12-82	2000
(12)	मैसर्स मिसाराम रूपराम, पीपाड़ शहर		
1.	–	1 मार्च से 31 मार्च	–
2.	–	1 अप्रेल से 30 अप्रेल	–
3.	–	1 मई से 31 मई	–
4.	–	1 जून से 30 जून	–
5.	–	1 जुलाई से 31 जुलाई	–

1	2	3	4
6.	--	1 अगस्त से 30 अगस्त	–
7.	--	1 सितम्बर से 31 सितम्बर	–
8.	--	1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर	–
9.	जय ट्रेडर्स जोधपुर	30-11-82	2200
10.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	6-12-82	2200
11.	प्रेम यूनिवर्सल स्टोर, जोधपुर	24-12-82	1200
12.	एस. रामरतन एण्ड सन्स, जोधपुर	29-12-82	2000
(13)	जयनारायण खण्डेलवाल, पीपाड़ सिटी		
1.	निल	मार्च, 1982	निल
2.	जयनारायण मोदी एण्ड सन्स, जोधपुर	7-4-82	1000
3.	" "	17-5-82	3000
4.	" "	25-6-82	2000
5.	" "	26-7-82	2000
6.	जय ट्रेडर्स, जोधपुर	1-12-82	2000
7.	जय सर्विस स्टेशन कामाजी जोधपुर	24-12-82	2200
(14)	खण्डेलवाल आटोमोबाइल्स आयल, पीपाड़ सिटी		
1.	निल	मार्च, 1982	निल
2.	जयनारायण मोदी एण्ड सन्स, जोधपुर	7-4-82	1000
3.	" "	17-5-82	2000
4	" "	25-6-82	2000
5.	" "	26-7-82	2000
6.	जय ट्रेडर्स एजेन्सी, जोधपुर	30-11-82	2200
7.	जय सर्विस स्टेशन एण्ड सन्स, जोधपुर	24-12-82	2200
(15)	मैसर्स हाजी मोहम्मद यूसफ केरोसीन डीलर्स, पीपाड़ शहर		
1.	मो. शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	29-3-82	2000
2.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	14-5-82	2000
3.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	"	1500
4.	मो. शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	28-5-82	2000
5.	" "	"	2000
6.	" "	"	2000

1	2	3	4
7.	मो. शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	23-6-82	3000
8.	”	12-7-82	4000
9.	प्रेम यूनिवर्सल, जोधपुर	21-8-82	2000
10.	”	”	1000
11.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	22-8-82	2000
12.	मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	25-8-82	2000
13.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	11-9-82	2000
14.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	”	1000
15.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	”	1500
16.	मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	17-9-82	1000
17.	” ”	27-9-82	2000
18.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	5-10-82	2200
19.	मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	13-10-82	3000
20.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	30-10-82	2000
21.	मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	11-11-82	2200
22.	” ” ”	18-11-82	2800
23.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	6-12-82	2200
24.	मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	20-12-82	2000
25.	गुलाबदास आत्माराम, जोधपुर	28-12-82	2000

विवरण

1. मैं अशोक आटोमोबाइल्स केरोसीन डीलर खुदरा-पीपाड़ शहर:-

विभागीय जांच के अन्तर्गत केरोसीन वितरण में अनियमिततायें बरतने के कारण राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स आदेश, 1980 के तहत इस खुदरा केरोसीन विक्रेता का केरोसीन लाइसेंस एक माह के लिये निलम्बित किया गया था एवं प्रतिभूति के रुपये 200/- जब्त करने के पश्चात उनका लाइसेंस एक माह की निश्चित अवधि समाप्त होने पर उक्त आदेश के तहत लाइसेंस बहाल कर दिया गया।

2. मैसर्स गूदड़मल ओम प्रकाश केरोसीन डीलर खुदरा-पीपड़ शहरः-विभागीय जांच के अन्तर्गत केरोसीन वितरण में अनियमिततायें बरतने के कारण राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स आदेश 1980 के तहत इस खुदरा केरोसीन विक्रेता का लाइसेंस एक माह के लिये निलम्बित किया गया था एवं तत्पश्चात दण्ड स्वरूप प्रतिभूति के रुपये 200/- जब्त करने के पश्चात उनका लाइसेंस विद्यमान उक्त आदेश के अन्तर्गत एक माह की निलम्बन अवधि समाप्त होने पर बहाल किया गया।

3. मैसर्स सम्पत आटोमोबाइल्स केरोसीन डीलर का खुदरा-पीपाड़ शहर:– विभागीय जांच के अन्तर्गत केरोसीन वितरण में अनियमिततायें बरतने के कारण राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स आदेश 1980 के तहत इस खुदरा केरोसीन विक्रेता का लाइसेंस एक माह के लिए निलम्बित किया गया था ।.एवं तत्पश्चात् के दण्ड स्वरूप प्रतिभूतित् के रुपये 300/– जब्त करने के पश्चात् एक माह की अवधि समाप्त होने पर बहाल किया गया ।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 404 की सूचना

परिशिष्ट "क"

अनुसूचित जातियों के लिए संघटक योजना का प्रावधान व व्यय

क.सं. क्षेत्र	1981-82			1982-83		
	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत	प्रावधान	व्यय (दिसम्बर '82 तक)	प्रतिशत
1—कृषि एवं संबंधित सेवायें	907.63	751.20	83	961.46	553.60	58
2—सहकारिता	26.48	39.25	148	27.00	0.48	2
3—जल एवं विद्युत् विकास	1671.33	1851.47	111	1778.04	1052.03	59
4—उद्योग एवं खनिज	109.69	141.11	129	106.40	48.31	45
5—सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	1083.51	883.25	83	927.10	475.70	51
6—आर्थिक सेवायें	—	—	—	—	—	—
7—सामान्य सेवायें	—	—	—	—	—	—
8—यातायात	—	—	—	—	—	—
योग	3798.64	5666.28	97	3800.00	2130.12	56

144

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

अनुसूचित जाति/जनजाति के विस्थापितों को आवंटित भूमि

405. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सन 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत में आये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विस्थापितों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में स्थाई एवं स्वतंत्र रूप से बसाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण सिंचित भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ग के लोगों को आवंटन हेतु भूमि की तजवीज कर उसे इन लोगों के लिये सुरक्षित कर दिया गया था ? यदि हां, तो किस किस चक में कितनी कितनी भूमि आरक्षित की थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि आवंटन समिति द्वारा आवंटित भूमि को स्थानीय लोगों के दबाव से बदल कर कब्जा देते समय उन्हें अन्य पट्टे देकर खराब भूमि के कब्जे दिये गये जहां पर कि पानी लगना आज तक भी सम्भव नहीं हुआ है ?

(4) क्या यह भी सही है कि आवंटियों द्वारा इसकी शिकायत करने पर उन्हें ऐसी असिंचित भूमि के आवंटन को संशोधित कर सिंचित भूमि देने का आश्वासन दिया गया था लेकिन उसकी अभी तक पालना नहीं हुई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इन लोगों की एक बड़ी संख्या को जिला बीकानेर उपनिवेशन तहसील पूंगल के गांव भागसर टावा 2 ए. डी. पर बसाया गया है लेकिन वहां पर अब तक उनके लिये शिक्षा, चिकित्सा, उपभोक्ता वस्तुओं की सुविधा एवं सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है तथा सिचाई के लिये जल पूर्ति हेतु नालेम्खाले भी नहीं बनाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में आवंटन समिति ने सिर्फ अच्छी भूमि देना तय किया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। तहसील पुंगल के गांव भागसर टावा के चक 2 ए. डी. में 35 पाक विस्थापितों को भूमि आवंटित की गई है। कच्चे खाले बनाने का कार्य स्वयं काश्तकारों का है। इस क्षेत्र में नहर पूर्ण बनी हुई है और उपरोक्त चक के मोघे में पानी चल रहा है।

जहां तक चिकित्सा, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं की सुविधा एवं सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में संबंधित विभाग कार्यवाही करेंगे।

जिलाधीशों द्वारा निलम्बित गिरदावर

406. श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुड़ा) श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले दो वर्ष में किस-किस जिलाधीश द्वारा कितने गिरदावरों को कब-कब निलम्बित किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से अनेक व्यक्तियों को बिना जांच पूरी हुए बहाल कर दिया गया? यदि हां, तो किस-किस जिलाधीश ने किन-किन को, किन कारणों से बहाल किया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में पाली जिले में किस-किस तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारियों के विरुद्ध कब-कब शिकायतें प्राप्त हुईं, उसकी जांच किसने की व उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिलाधीशों द्वारा 32 गिरदावर को निलम्बित किया गया, उनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां, जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में पाली जिले के 2 तहसीलदार, 8 भू-अभिलेख निरीक्षक व 37 पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं इनके प्राप्त होने की तारीख, जांच करने वाले अधिकारी का पद व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

क्र. सं.	जिले का नाम	निलम्बित किये गये गिरदावरों की संख्या		निलम्बित करने की तारीख
1	2	3		4
1.	जिलाधीश जोधपुर	1		7-2-1983
2.	जिलाधीश चित्तौड़गढ़	1		26-6-81
3.	जिलाधीश सवाई माधोपुर	7	(1)	18-2-81
			(2)	20-3-82
			(3)	21-5-82
			(4)	19-6-82
			(5)	3-4-82
			(6)	1-9-82
			(7)	4-1-83
4.	जिलाधीश उदयपुर	1		24-9-81
5.	जिलाधीश अजमेर	2	(1)	19-9-81
			(2)	24-11-82

1	2	3	4
6.	जिलाधीश बाड़मेर	3	(1) 2-1-81
			(2) 22-6-82
			(3) 18-12-82
7.	जिलाधीश जयपुर	5	(1) 29-4-81
			(2) 17-6-81
			(3) 20-8-81
			(4) 28-8-81
			(5) 24-8-82
8.	जिलाधीश कोटा	3	(1) 6-3-81
			(2) 1-2-82
			(3) 7-8-82
9.	जिलाधीश धौलपुर	1	6-11-82
10.	जिलाधीश गंगानगर	1	17-1-82
11.	जिलाधीश डूंगरपुर	1	12-5-82
12.	जिलाधीश झुन्झुनूं	1	4-11-82
13.	जिलाधीश बूंदी	1	3-8-82
14.	जिलाधीश अलवर	2	(1) 3-3-81
			(2) 23-3-81
15.	जिलाधीश टौंक	2	(1) 22-4-80
		32	(2) 8-11-82

भाग 2 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	बिना जांच पूरी हुए बहाल होने वाले गिरदावर का नाम	बहाल करने का कारण
1	2	3	4
1.	जिलाधीश सवाई-माधोपुर	1. श्री रामचरणलाल वर्मा भू. अभिलेख निरीक्षक	विभागीय जांच जारी रखते हुए
		2. श्री बाबूलाल जैन	,,
2.	,, उदयपुर	1. श्री पन्नालाल	6 माह का अधिक समय हो जाने, गम्भीर आरोप नहीं होने के कारण तथा गिरदावर का पद रिक्त होने के कारण।

1	2	3	4
3.	जिलाधीश अजमेर	1. श्री भगवती नारायण माथुर	सेवा पर वापस उपस्थित होने व जिले में रिक्त स्थानों की स्थिति को देखते हुए बहाल किया गया।
		2. श्री विष्णुदत्त शर्मा	,,
4.	,, बाड़मेर	1. श्री लक्ष्मणसिंह गिरदावर	मामले पर पुनर्विचार के बाद यह पाया गया कि उसे और अधिक निलम्बित रखना उचित नहीं था।
5.	,, जयपुर	1. श्री जसवन्तसिंह गिरदावर	कर्मचारी के जवाब का अध्ययन किये जाने पर दिनांक 30-8-82 को पेंन्डिग जांच, जांच में समय लगने की दृष्टि से बहाल किया गया।
		2. श्री मंगलराम गिरदावर	कर्मचारी के जवाब का अध्ययन किये जाने पर दिनांक 29-4-82 को पेण्डिंग जांच, जांच में समय लगने की सम्भावना से बहाल किया गया।
		3. श्री पदनलाल ओझा गिरदावर	20-2-82 पेंन्डिग जांच बहाल किया गया; जांच पूर्ण होने पर आरोप मुक्त आदेश सं. 9069 दिनांक 16-8-82 द्वारा किया गया।
6.	,, कोटा	1. श्री कपूरचन्द जैन	इनको जांच पें बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले निलम्बन से बहाल किया गया है। जांच विचाराधीन है।
		2. श्री जेत राम भील	,,
7.	,, धौलपुर	1. एक गिरदावर	पशु गणना वसूली तथा गश्त–गिरदावरी जैसे आवश्यक कार्य को मद्देनजर रखते हुए पेंन्डिग जांच पर बहाल किया गया।
8.	,, झुंझुनू	1. श्री बन्सीधर सिंह	"प्रशासन गांवों की ओर" (राजस्व अभियान) में कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु रिक्त पद की पूर्ति हेतु विभागीय जांच अप्रभावित रखते हुए निलम्बन से बहाल किया गया।

भाग तीन की सूची

क्र. सं.	नाम व पद	शिकायत प्राप्त होने की तारीख	जांच करने वाला अधिकारी	जांच पर की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री फतेह कृष्ण कल्ला तहसीलदार पाली	21-11-81	उप खण्ड अधिकारी, पाली	शिकायत के अंकित तथ्यों की जांच जो रेकार्ड के आधार पर की गई जांच रिपोर्ट पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।
2.	तहसीलदार, रायपुर	13-12-82	उप खण्ड अधिकारी, जैतारण	जांच उप खण्ड-अधिकारी के विचाराधीन है।
3.	श्री भूरसिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक	6-7-82	उप जिलाधीश, सोजत	—
4.	श्री मेघसिंह भू-अभिलेख निरीक्षक	22-7-82	सहायक जिलाधीश, पाली	—
5.	श्री चन्द्राराम व खिवसिंह पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक	30-1-82	तहसीलदार, जैतारण	सी. सी. ए. रूल्स 17 में कार्यवाही जारी है।
6.	श्री गोरधनसिंह, पट. देसुरी	12-5-81	तहसीलदार, देसुरी	जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई, अन्तिम निर्णय लिया जाना है।
7.	श्री किशनलाल, पट. आसरलाई	21-8-81	तहसीलदार, जैतारण	16 सी. सी. ए. में कार्यवाही जारी है।
8.	श्री मोहनसिंह पटवारी आलावास	7-1-82	तहसीलदार, सोजत	"
9.	श्री खमचन्द, पट. गुड़ा एंदला	19-5-82	तहसीलदार, पाली	"
10.	श्री छतरसिंह, पट. रास	1-10-81	तहसीलदार, जैतारण	अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

11.	श्री मिश्रीसिंह पट. बगड़ी	23-10-81	तहसीलदार, रायपुर	जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
12.	श्री पटवारी वीड़	23-10-81	तहसीलदार, पाली	,,
13.	श्री श्रवणकुमार पट. घोलेरिया	27-4-81	तहसीलदार, पाली	आरोप सिद्ध नहीं होने से पत्रावली फाइल की गई।
14.	श्री नरपतसिंह, पट. कन्टालिया	6-3-81	तहसीलदार, मा. जंक्शन	
15.	श्री भैरूंसिंह, पट. जाडन	7-1-82	,,	जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। आरोप सिद्ध होने से पत्रावली फाइल की गई 16 सी.सी.ए. में कार्यवाही जारी है।
16.	श्री दाणीदान, पट. आगेवा	31-5-82	उप जिलाधीश, जैतारण	
17.	श्री भैरूंसिंह पट. इन्दरवाड़ा	14-6-82	तहसीलदार, देसूरी	
18.	श्री बाबूलाल, पट. पंचानपुरा	2-7-82	तहसीलदार, रायपुर	,,
19.	श्री चुन्नीलाल, पट. गुडाकलां	3-2-81	तहसीलदार, सोजत	आरोप सिद्ध नहीं होने से पत्रावली ड्रोप हुई।
20.	श्री भंवरसिंह, पट. डेण्डा	8-2-82	तहसीलदार, पाली	,,
21.	श्री आसूलाल पट. बिलोवा	14-9-81	तहसीलदार, देसूरी	,,
22.	श्री मांगीलाल पट. देवलीकलां	18-9-81	तहसीलदार, रायपुर	,,
23.	श्री नारायणदान, पट. डिगरना	20-1-81	उप जिलाधीश, जैतारण	,,
24.	श्री देवीलाल पट. बगेरा	19-2-81	,,	,,
25.	श्री उम्मेदसिंह पट. फुलाद	17-2-82	तहसीलदार, मा. जंक्शन	,,
26.	श्री बाबूलाल पट. पांचलवड़ा	15-4-81	उप जिलाधीश, बाली	,,
27.	श्री पटवारी भैसावा	12-10-81	उप जिलाधीश, सोजत	,,
28.	श्री रूपसिंह पट. सुरायता	16-2-81	तहसीलदार, सोजत	जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
29.	श्री मूलसिंह, पट. घीनावास	6-3-81	,,	,,
30.	श्री पेपसिंह पट. सैणा	27-8-81	तहसीलदार, बाली	,,
31.	श्री पटवारी, चण्डावल	6-7-81	तहसीलदार, सोजत	,,

1	2	3	4	5
32.	श्री पूनमराम, पट. मोखमपुरा	16-3-82	उप जिलाधीश, बाली	जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
33.	श्री आसूलाल, पट. पुनायता	12-2-82	,,	,,
34.	श्री भेराराम, पट. पांचलवड़ा	13-1-81	तहसीलदार, बाली	,,
35.	श्री हिम्मतदास, पट. फालना	29-9-82	उप जिलाधीश, बाली	,,
36.	श्री पुखाराम, पट. पावटा	3-10-82	उप जिलाधीश, जैतारण	,,
37.	श्री लक्ष्मणसिंह, पट. बीठू	29-6-81	तहसीलदार, पाली	16 सी.सी.ए. में कार्यवही जारी है
38.	श्री जगन्नाथ, पट. जोजावर	24-3-81	तहसीलदार मा. जंक्शन	,,
39.	श्री उत्तमदास व चंपाला	2-2-81	तहसीलदार, पाली	,,
40.	श्री भोपालसिंह, पट. चोपड़ा	22-9-82	उप जिलाधीश, सोजत	,,
41.	श्री नरपतसिंह, पट. कंटालिया	22-7-82	सहायक जिलाधीश, पाली	,,
42.	श्री उम्मेद सिंह, पट. कंटालिया	22-7-82	,,	,,

गोर्धन विलास (उदयपुर) के लिये बस सेवा

408. श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या गोर्धन विलास (उदयपुर) के नागरिकों के लिये उदयपुर शहर में आने जाने के लिए कोई सिटी बस की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार गोर्धन विलास के बालक/बालिकाओं के उदयपुर शहर के स्कूलों में पढ़ने जाने के लिये सिटी बस की कोई व्यवस्था प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नागरिकों की सुविधा के लिये निजी वाहन स्वामियों को बसों के अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये हुए हैं।

(2) इसका उत्तर प्रश्न के भाग एक में दिया जा चुका है।

सीलिंग से प्राप्त भूमि

409. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में कितने एकड़ भूमि सीलिंग के कारण सरकार को प्राप्त हुई ?

(2) कितनी सीलिंग से प्राप्त भूमि पर सरकार ने कब्जा ले लिया है तथा कितनी भूमि पर नहीं और कब्जा नहीं लेने का क्या कारण रहा ?

(3) कि सीलिंग की कितनी भूमि को गरीबों एवं भूमिहीनों को अलोट कर दी है ? क्या उस भूमि पर जिनको अलोट की है उनका कब्जा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में दिनांक 13-2-83 तक 6,12,654 एकड़ भूमि सीलिंग नियमों के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की गई है।

(2) सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि में से अभी तक 5,50,086 एकड़ भूमि का कब्जा लिया जा चुका है। शेष 62,568 एकड़ भूमि कब्जा लेने से बाकी रहती है। इसमें से लगभग 30,000 एकड़ भूमि स्थगन आदेश में तथा विवादस्पद है। 500 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष रही भूमि के लिये विभिन्न कारण हैं जैसे कि भूमि शिकमी काश्तकारों तथा अतिक्रमियों के कब्जे में होना आदि। इस संबंध में न्यायिक कार्यवाही जारी है।

(3) सीलिंग की 3,63,468 एकड़ भूमि गरीबों एवं भूमिहीनों को अभी तक आवंटित की गई है।

सामान्यत: भूमि आवंटित होने के साथ-साथ या तुरन्त पश्चात् आवंटित भूमि का कब्जा दिला दिया जाता है। किसी मामले में कब्जा न मिलने की सूचना प्राप्त होने पर औपचारिक कार्यवाही की जाती है।

राजस्व अभियान में वक्फ की भूमि पर पाये गये अनधिकृत कब्जे

410. श्री चाव खां (कामां) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनवरी-फरवरी 1983 में चलाये गये राजस्व अभियान में वक्फ की कितनी जायदादों पर दीगर आदमियों का नाजायज कब्जा पाया गया ? किस-किस जिले में कितनी जायदादों पर नाजायज कब्जा हटा कर वक्फ विभाग को कब्जा दिलाया गया और उसकी रेकार्ड दुरुस्ती मौके पर करादी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जे को हटाने का बिन्दु राजस्व अभियान में सम्मिलित नहीं था। इसके अतिरिक्त यह कार्य वक्फ बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है। अतः राजस्व अभियान के अन्तर्गत वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जे के पाने, हटाने व रिकार्ड दुरुस्ती करने का प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर शहर में आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि

411. श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से कौन-कौन सी कॉलोनियों का निर्माण विचाराधीन है तथा इनमें कितने परिवारों को बसाये जाने की योजना है ?

(2) उक्त कॉलोनियों में कौन-कौन सी कॉलोनियों के लिए किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी भूमि अवाप्ति करली गई है तथा कितनी व कहां अवाप्त की जा रही है?

(3) मानसरोवर कॉलोनी के निर्माण के लिए कहां किस भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है ? इस भूमि के मालिकों की सुची मय नाम पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भूमि की अवाप्ति नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में सोडाला सांगानेर रोड पर एक कॉलोनी के निर्माण की योजना विचाराधीन है जिसमें अनुमानतः 40,000 परिवारों को बसाये जाने की योजना है।

(2) सोडाला सांगानेर रोड पर 2392 बीघा 11 बिस्वा भूमि अवाप्त कर ली गई है 178 बीघा 4 बिस्वा भूमि यहां पर अभी और अवाप्त करनी है।

(3) सोडाला सांगानेर रोड पर कुल 2570 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। जिसमें से 2392 बीघा 11 बिस्वा का कब्जा लिया गया है। सुची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। केवल 178 बीघा 4 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार का स्थगन आदेश होने से यह अवाप्त नहीं हो सकी है।

सूची

वाद पत्र की चरण संख्या 4 व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में निम्न विवरण पढ़ा जावे।

परिशिष्ट (1)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	इकरारनामा दिनांक	खसरा नम्बर	रकबा	
					बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5	6	7
1.	सोहन पांच्या, छोटू पुत्र माग, प्रभु पुत्र छोटू, भगवान सहाय पुत्र हरदेव बैरवा	देवरी	15-2-74	373	11	4
2.	सत्यनारायण पुत्र भैरूराम, प्रभुदयाल पुत्र पन्ना	देवरी	21-2-74	350	20	13
3.	नारायण वोदू पुत्र सुखा बैरवा	देवरी	17-2-74	355	22	7
4.	किशोर, रामू, लाला, बाबू पुत्र मूल्या बैरवा	देवरी	17-2-74	337	11	10
5.	गोपी पुत्र नाथू बैरवा	देवरी	17-2-74	355	22	1
6.	मोती, लक्ष्मण पुत्र रामदेव मंगल पुत्र पन्ना बैरवा	देवरी	21-2-74	368	21	10
7.	नाथू पुत्र बालू बैरवा	देवरी	15-2-74	323	12	7
8.	रामचन्द्र, रामप्रसाद, पुत्र भौरीलाल बैरवा	देवरी	15-2-74	362, 363, 364, 365, 366, 324 में 5 बीघा 5 बिस्वा	18	19
9.	भागचन्द, प्रताप पुत्रान भूथा	देवरी	15-2-74	367	18	18
10.	देवनारायण पुत्र हरदेव बैरवा	देवरी	17-2-74	321, 338	11	1
11.	विरधा पुत्र पेमा बैरवा	देवरी	17-2-74	336	11	15
12.	भूरी पुत्र चौथू बैरवा	देवरी	17-2-74	336	11	0
13.	बालू पुत्र नाथू भैरूलाल पुत्र नानगा	देवरी	17-2-74	353	21	7
14.	किशन लाल पुत्र रामलाल बैरवा	देवरी	15-2-74	323	23	10

(154)

1	2	3	4	5	6	7
15.	गुल्ला पुत्र सूजा मूलचन्द पुत्र मोहना, पन्ना पुत्र छोटू छीतर महादेव, पुत्रान भौरी लाल बैरवा	देवरी	15-2-74	371, 372	31	10
16.	रामनारायण पुत्र रघुनाथ बैरवा	देवरी	15-2-74	360	5	5
17.	रघुनाथ पुत्र विरधा, राम-नाराण पुत्र रघुनाथ	देवरी	17-2-74	324	25	4
18.	गुल्ला पुत्र सूजा, पन्ना पुत्र छोटू मूलचन्द पुत्र मोहन, छीतर, महादेव पुत्र मोहन भौरी लाल बैरवा	देवरी	21-2-74	369	25	4
19.	लादू, श्रीया, किशना, ग्रानन्दा पुत्रान भौरी लाल	देवरी	15-2-74	374	12	5
20.	मांगीलाल पुत्र गुल्ला बिरदी चन्द, सीताराम पुत्र बीला	देवरी	15-2-74	376	21	0
21.	मांगीलाल बिरधा, मोती	देवरी	15-2-74	357, 358	21	13
22.	लादू पुत्र प्रताप सोहन पांचा छोटू पुत्रान नागू भगवान सहाय पुत्र हरदेव प्रभु पुत्री चोथू	देवरी	15-2-74	326	11	0
23.	रामू पुत्र रघुनाथ गणेश पुत्र बक्सा, घासी पुत्र बक्सा नाथी बेवा बक्सा जाट	सुखालपुरा	21-2-74	212, 213 218	20	1
24.	मोहरू पुत्र चन्दा जाट		21-1-76	212, 213 218	20	0
25.	गोपाल पुत्र भोमा मीणा	देवरी	21-2-74	377, 379 380, 381 383, 390	22	6
26.	कमलादेवी पत्नी चांद-मल जैन	झालाना चौड़	22-1-76	50/270	20	2
27.	महादेव पुत्र धारू, गुल्ला पुत्र रामसुख	झालाना चौड़	22-1-76	6, 48, 37 221/2	30	3

1	2	3	4	5	6	7
	कल्याण पुत्र रामसुख ग्रामका					
28.	रिखबचन्द पुत्र लिछमी चन्द बगरेचा	गोल्या-वास उर्फ मानपुर देवरी	22-1-76	12,13,14 23	4	13
29.	रामनारायण सिंह चौधरी पुत्र गुल्ला राम	,,	22-1-76	351,499 352,424 353,429 353,428 370,426 371,427	10	01
30.	रामसिंह पुत्र गोरधनसिंह	झालाना चौड़	22-1-74	1	40	01
31.	सुखा, कालू पुत्र मन्वा	बैरवा	15-2-74	322,340	17	17
32.	भूरा पुत्र भूधा पुत्र रामलाल	देवरी	15-2-74	333	26	00
33.	सत्यनारायण दीपचन्द कमल प्रकाश, दामोदर पुत्रान मेरू बैरवा	देवरी	17-2-74	349	20	10

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 9, 1982

संख्या प. 7 (72) नविआ (11) 81:-चूंकि राज्य सरकार संतुष्ट है कि नीचे वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् राजस्थान आवासन मण्डल, ग्राम संलग्न सूची अनुसार के लिये राज्य सरकार द्वारा अवाप्त किया जाना अपेक्षित है।

चूंकि राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया गया है।

और चूंकि उपरोक्त भूमि को अवाप्त किया जाना अति आवश्यक है, अतएव राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) की धारा 17 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के प्रावधान पूर्वोक्त भूमि के लिए लागू नहीं होंगे और उक्त अधिनियम की धारा 6 के अग्रेतर अनुसरण में एतद्द्वारा घोषणा करती है कि पूर्वोक्त भूमि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक है और उक्त अधिनियम की धारा 6 (4) (1) के अग्रेतर अनुसरण में राज्य सरकार विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवास, विभाग सी-79, यश पथ तिलक नगर, जयपुर को उक्त भूमि अवाप्ति के निमित्त आज्ञा प्राप्त करने हेतु एतद्द्वारा निर्देश देती है।

और उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के अग्रेतर अनुसरण में राज्य सरकार विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, यश पथ, तिलक नगर, जयपुर को धारा 9 की उप-धारा (1) में उल्लेखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिवस की समाप्ति पर पूर्वोक्त भूमि का कब्जा ले लेने का निर्देश देती है।

भूमि की स्थिति सम्बन्धित नक्शा जिलाधीश कार्यालय में कार्यालय समय के भीतर देखा जा सकता है।

<u>सोडाला-सांगानेर रोड पर अवाप्त की जाने वाली भूमि</u>

ग्राम का नाम	तहसील	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा
1. सुखालपुरा	सांगानेर	807.06
2. देवरी	,,	679.04
3. झालाना चौड़	,,	936.03
4. बलरामपुरा उर्फ खेजडावाला	,,	38.01
5. भानपुर डेहरी उर्फ गोल्यावास	,,	27.0
6. नन्दकिशोर पुरा उर्फ कान्यावास	,,	82.04
	कुल क्षेत्रफल (एरिया)	2570.15 बीघा

सोड़ाला से सांगानेर रोड तक अवाप्त की जाने वाली भूमि में आने वाले ग्रामों की खसरा नं. एवं रकबे की सूची :—

ग्राम सुखालपुरा, तहसील सांगानेर

खसरा नं. 1	रकबा बीघा 2	रकबा बिस्वा 3	किस्म जमीन 4	नाम काश्तकार 5
10	24	00	बंजड़ 2 सिवाय चक	
11	25	01	बारानी 2	श्री कान्या, मोहरू पि. भूरा जाति माली सा. देह. हि. ब.
12	0	15	गं. मु. रास्ता	सिवाय चक बिला लगानी
13	7	05	बारानी 2	श्री हरिनारायण, बद्रीनारायण पि. सूरजनारायण कौम ब्रा. सा. देह
14	1	11	बारानी 1	श्री लाला, नानगा, भूरिया, मंगला पुत्र लादू, नारायण पुत्र हुक्मा जाति माली सा. देह. हि. ब.
15	0	15	गै. मु. रास्ता	सिवाय चक लगानी
17	0	05	गै. मु. रास्ता	श्री लादूराम, गणेश पि. नानू माली सा. देह
22	0	02	,,	बशरह नं. 17
23	0	07	,,	श्री लादू पुत्र नानू माली सा. देह
24	7	10	चाही 3 जाव 3.08 4.07	,, ,,
25	0	10	गै. मु. रास्ता	सिवाय चक बिला लगानी
26	2	15	चाही 2 जाव 1.14 1.01	श्री भगवान पुत्र रूपा माली सा. देह
27	1	10	चाही 2 जाव 0.18 0.12	,, ,,
28	1	00	बंजड 1	,, ,,
29	3	15	बारानी 1	,, ,,
30	1	10	चाही 2 जाव 0.16 0.12	,, ,,
31	0	02	गै. मु. आ.	बशरह नं. 26
32	0	01	गै. मु. चाह	,,

1	2	3	4	5
33	5	10	चाही 2 जाव 3.04 2.06	बशरह नं. 26
34	3	15	चाही 2 जाव 2.02 1.12	श्री गोपाल पुत्र डूंगा माली सा. देह
35	4	00	चाही 2 जाव 2.04 1.16	श्री कल्याण पुत्र डूंगा माली सा. देह
36	0	03	गै. मु. चाह	बशरह नं. 1/2:8
37	0	04	,, घा.	,,
38	4	10	चाही 2 जाव 2.10 2.00	,, 35
39	5	15	चाही 2 जाव 3.00 2.15	बशरह नं. 34
40	1	10	बारानी 1	,,
41	1	15	,,	बशरह नं. 33
42	7	05	,,	श्री नारायण पुत्र गंगाराम बलाई सा. देह
43	3	05	चा. 3 जाव 2.03 1.00	गै. मु. गाडी 0.02
44	0	01	गै. मु. चाह	,,
45	3	10	चाही 3 जाव 3.15 1.15	,, ,,
46	3	15	चा. 3 जाव 2.12 1.02	,, ,,
47	0	15	गै. मु. रास्ता	सिवाय चक बिला लगानी
48	0	10	बारानी 3	श्री बिज्या पुत्र रामनाथ जाति धानका सा. देह
49	2	10	चाही 2 जाव 1.05 1.05	,,
50	0	05	गै. मु. रास्ता	सिवाय चक लगानी
51	0	07	गै. मु. घा.	सिवाय चक लगानी
52	1	10	चाही 2 जाव 0.14 0.16	श्री चन्दा पुत्र मोहरू धानका
53	2	15	चाही 2 जाव बा.2 1.02 1.03 0.10	श्री चन्दा पुत्र मोहरू धानका

1	2	3	4		5
54	0	01	गै. मु. चाही		श्री चन्दा पुत्र मोहरू रामनाथ पुत्र जीवन बिज्जा पुत्र रामनाथ धानका सा. देह
55	3	10	चाही 2 1.14	जाव 1.16	श्री रामनाथ पुत्र जीवण धानका सा. देह
56	6	04	बारानी 2		बशरह नं. 54
57	19	00	बारानी 3		श्री लाला पुत्र गुला नौला पुत्र सेवा पुत्र सुखा चेता पुत्र छोटू माली
58	4	00	बंजड़ 3		बशहर नं. 34
59	1	10	बंजड़ 2		सिवाय चक लगानी
60	0	15	गै. मु. रास्ता		सिवाय चक बिला-लगानी
95	45	00	चरागाह		चरागाह
96	5	15	बारानी 2		श्री जयसिंह वसन्तकुमार दीपकुमार अशोक कुमार अनिल कुमार श्री भोमसिंह जाति जाट सा. देह
97	0	10	चाही 2 0.06	जाव 0.04	श्री सीपा पुत्र मुकुन्दा जाति जाट सा. देह
98	0	14	बारानी 2		,,
99	1	05	चाही		श्री मोती गोविन्दा पि. नन्दा सा. देह
100	2	05	चाही 2 1.06	जाव 0.19	,,
101	3	03	चाही 2 1.16	जाव 1.07	बशरह नं. 99
102	1	01	चाहू 2 0.14	जाव 0.07	बशरह नं. 97
103	1	03	चाही 2 0.15	जाव 0.08	श्री मोहरू नानगा पि. पोखर 213 परिखा रामेश्वर पि. नारायण हि. 113 जाट
104	1	02	चाही 2		,,
105	4	04	चाही 2 2.08	जाव 1.16	बशरह नं. 97
106	0	05	गै. मु. आ.		सिवाय चक बिला लगानी
107	0	05	,,		,,
108	0	02	गै. मु. चाह		बशरह नं. 70
109	2	07	चाही 2 1.07	जाव 1.00	बशरह नं. 97

(160)

1	2		3	4	5
110.	7	12	चाह् 2	जाव	बा. 2 बशरह् नं. 03
			3.16	3.04	0.12
111.	1	00	चाही 1	जाव	,,
			0.19	0.01	
112.	2	05	चाही 1	जाव	बशरह् नं 97
			2.02	0.03	
113.	0	15	चाही 1		बशरह् नं. 103
114.	0	14	गै.मु.आ.		सिवाय चक लगानी
115.	0	06	गै.मु.आ.		बशरह् नं. 70
116.	2	06	चाही	जाव	बशरह् नं. 103
			2.04	1.02	
117.	1	18	चाही 1	जाव	बशरह् नं. 99
			1.15	0.3	
118.	2	14	चाही 1	जाव	बशरह् नं. 97
			2 10	0.04	
119.	9	04	बारानी "ए"		बशरह् नं. 13
120.	0	16	,,		,,
121.	0	18	,,		,,
122.	0	02	गै.मु.चाही		,,
123.	0	13	बारानी "ए"		,,
124.	1	07	बा. "ए"	गै.मु. वाटा	,,
			1.06	0.01	
125.	6	09	बा.ए	बा.2	श्री भोरीलाल पुत्र हरिनारायण
			2.04	4.05	ओम नारायण बद्रीनारायण राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रा.सा. देह
126.	1	11	गै.मु.आ.		सिवाय चक बिला लगानी
127.	1	15	गै.मु.रास्ता		,,
128.	0	08	बा. 1		श्री गोपी नाथू पुत्र शोला माली सा. देह
129.	3	12	चाही 1	जाव	,, ,,
			2.00	1.07	
130.	2	17	चाही 1	जाव	,, ,,
131.	0	14	चाही 1	जाव	बशरह् नं. 128
132.	0	03	गै.मु.चाही		,,

1	2	3	4	5
133	1	18	चाही 1 जाव 1.03 0.15	बशरह नं. 128
134	1	15	चाही 1 जाव 1.02 0.12	बशरह नं. 128
135	1	00	चाही 1 जाव 0.15 0.05	श्री गैला पुत्र चेला वि. छोटू जाति माली सा. देह
136	0	04	गै.मु.ग्रा.	सिवाय चक बिला लगानी
137	5	10	बा. 1 जाव 4.01 1.09	बशरह नं. 35
138	0	03	बंजड़ डोल	सिवाय चक बिला लगानी
139	0	04	गै.मु.ग्रा.	सिवाय चक बिला लगानी
140	0	16	बा. 1	बशरह नं. 13
141	0	05	गै.मु.रास्ता	सिवाय चक बिला लगानी
142	2	10	बारानी 1	बशरह नं. 135
143	0	03	गै.मु.ग्रा.	"
144	0	04	गै.मु.रास्ता	"
145	0	04	गै.मु.ग्रा.	"
146	0	02	गै.मु.चाही	"
147	0	05	गै.मु.ग्रा.	"
148	7	08	बा. 1 जाव 5.03 1.17	टीबा, डोल 0.03 0.05
149	0	03	गै.मु.ग्रा.	"
150	1	10	गै.मु.सरक्ष	सिवाय चक बिला लगानी
151	0	08	गै.मु.ग्रा.	"
152	0	11	चाही 1 जाव 0.10 0.01	बशरह नं. 35
153	0	15	चाही 1 जाव 0.13 0.02	"
154	4	00	चाही 1 जाव 3.08 0.12	बशरह नं. 34
155	0	01	गै.मु. चाही	बशरह नं. 128
156	0	14	चाही 1 जाव 0.12 0.02	बशरह नं. 35

1	2	3	4	5
157	1	13	चाही 1 बाच 1.12 0.07	बमरहू नं. 35
158	0	07	गै.मु. रास्ता	सिवाय चक बिला बनाबी
159	1	10	चाही 1 बाच 1.00 0 10	बस्ता पुत्र रघुनाथ जाट सा. देह
160	1	15	चाही 1 बाच 1.04 0.11	श्री रामस्या पुत्र रघुनाथ जाट सा. देह
161	1	00	गै.मु.घा.	सिवाय चक बिला बनाबी
162	1	00	चाही 1 बाच 0.14 0.06	बमरहू नं. 159
163	0	17	चाही 1 बाच 0.11 0.06	बमरहू नं. 40
164	0	06	गै.मु.घा.	सिवाय चक बिला बनाबी
165	0	09	चाही 1 बाच 0.07 0.02	बमरहू नं. 159
166	0	08	चाही 1 बाच 0.06 0.02	बमरहू नं. 160
167	0	02	गै.मु.घा.	श्री बस्ता, रामस्या पि. रघुनाथ हि. व मोहरू पुत्र पम्मा हि. 0.10 जाट सा. देह
168	2	15	चाही 1 बाच 1.19 0.16	श्री मोहरू पुत्र पम्मा जाट सा. देह
169	3	16	चाही 1 बाच 2.13 1.03	" "
170	0	09	बारानी 1	श्री मोहरू पुत्र पम्मा जाट सा. देह
171	0	08	बारानी 1	श्री जगन्नाथ पुत्र मोहरू जाति जाट सा. देह
172	3	14	चाही 1 बाच बा.1 2.04 1.04 0.06	" "
173	0	05	गै.मु.चाही	श्री बोलिया पंजणा पि. मोहरू जाट सा. देह हि. व.
174	0	02	गै.मु.घा.	" "
175	0	14	चाही 1 बाच 0.09 0.05	बमरहू नं. 34
176	4	13	चाही 1 बाच 2.19 1.14	"

1	2	3	4	5
177	1	19	चाही 1 आब 1.05 0.14	बशरह नं. 171
178	1	14	चाही 1 आब 1.05 0.12	"
179	0	18	गै.मु.रास्ता	सिवाय चक दिशा बरानी
180	1	16	बारानी 2	बशरह नं. 171
181	9	08	बारानी 2	बशरह नं. 80
182	40	02	चरागाह	चरागाह
183	1	05	गै.मु. रास्ता	सिवाय चक दिशा बरानी
184	0	07	गै.मु.आ.	"
185	0	10	"	"
186	0	05	गै.मु. रास्ता	"
187	0	16	बारानी 1	श्री नौला पुत्र भवाना जाट सा. देह
188	0	11	"	श्री हरजी पुत्र भुवाना जाट सा. देह
189	2	02	चाही 1 आब 1.04 0.18	बशरह नं. 189
190	1	09	चाही 1 आब 0.17 0.12	बशरह नं. 187
191	0	09	बंजड़ जोहड़	बशरह नं. 187
192	2	08	चाही 1 आब 1.07 1.01	बशरह नं. 189
193	0	03	गै.मु.चाह	श्री कल्याण पुत्र भुवाना हि. 112 हरजी पुत्र नौला हि. 112
194	0	15	चाही 1 आब 0.09 0.06	बशरह नं. 188
195	3	14	चाही 1 आब 2.01 1.11	श्री कल्याण पुत्र भुवाना जाट सा. देह
196	1	08	बारानी 2	" "
197	1	17	चा.1 चा. बा. 2 0.17 0.12 0.09	" "
198	1	10	चाही 1 आब 0.18 0.12	" "
199	0	04	बारानी 2	" "
200	12	19	"	बशरह नं. 187

(164)

1	2	3	4	5	6	7	8
201	1	09	चाही 3 जाव 0.15 1.09	भूरा गंडाला सोराज पि. नोला जाति जाट सा. देह			
202	5	13	3.14 1.19	,, ,,			
203	1	18	1.05 0.13	,, ,,			
204	0	01	गै.मु.चाही	,, ,,			
205	3	14	बारानी 2	,, ,,			
206	2	10	गै.मु.रास्ता	सिवाय चक बिला लगानी			
207	20	03	चरागाह	चरागाह			
208	24	08	,,	,,			
209	16	05	,,	,,			
210	19	09	,,	,,	01		
211	26	05	बारानी 1	श्री केसरलाल पुत्र रामनारायण भक्ता पुत्र गोदा जाति जाट सा. देह			
212	13	15	बंजड 2	सिवाय चक लगानी			
213	17	15	चरागाह	चरागाह			
214	16	09	बारानी 3	जीवण गोपाल पि. छोटू जाट नावालिग बिलोचत माजह पांची पत्नी छोटू जाट सा. देह			
215	47	11	,,	मोहरू नानगा पि. पोखर भूरिया, गोरधन, हरजी रामेश्वर पि. नारायण हि. 1/2 लल्लूलाल पुत्र मोती व गोविन्दा पुत्र नन्दा हि. 1/2 जाट सा. देह			
216	22	03	,,	श्री कल्याण पुत्र डूंगा जा. माली सा. देह			
217	28	03	,,	,, ,,			
218	24	09	बंजड़ 2	सिवाय चक लगानी			
219	20	03	,,	,,			
2`0	18	19	बारानी 3	छोटू भुवाना पि. काना जाट सा. देह			
221/1	5	04	बंजड 5	श्री घीया पुत्र मुकन्दा जाति जाट सा. देह			
221/2	1	16	,,	ना. सं. 27 से राजेश चौहान पुत्र ब्रिगेडियर भूमि चन्द सा. जयपुर			
222/1	3	03	,,	घीया ब. नं. 221/1			
222/2	9	08	,,	राजेश चौहान ब. नं. 221/2			
223	8	10	,,	घीया बशरह नं. 221/1			

1	2	3	4	5
224	6	12	"	ना. क. व. 20 से श्रीमती भूरी देवी धर्मपत्नी भंवरलाल जाति जाट सा. देह
225	4	03	"	
226	10	04	"	घीया ब. नं. 221/1
कुल रकबा 807.06 बीघा				

सोडाला से सांगानेर रोड के पास अवाप्त की जाने वाली भूमि में आने वाले ग्रामों के खसरा नं. एवं रकबे की सूची

ग्राम झालाना चौक, तहसील सांगानेर

खसरा नं.	रकबा	किस्म जमीन	नाम काश्तकार
1	2	3	4
1	40.00 बारानी 3 35.00	बंजड 2 5.00	श्री रामसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह जाति चौधरी साकिन जयपुर
2	4.13 बारानी 3		श्री कानाराम पुत्र लाधू जाति बलाई सा. गोल्यावास गै. खातेदार
3	13.08 बारानी 2		श्री चन्द्रा महादेव पूरण पि. रघुनाथ जाति बलाई सा. दुर्गापुरा गैर खातेदार
4	13.03 बारानी 2		
4/263	0.02 गै. मु. चाही		
5	36.01 बा. 3 31.01	बंजड 1 5.00	श्री लालाराम जी पुत्र महादेव जी व घीसीलाल पुत्र दयालाल जाति हरियाना ब्रा. सा. चंनपुरा ना. नं. 36 ता. 12-12-69
6/1	1.15 बारानी 2		श्री गुल्ला, कल्याण, घारिया पि. रामसुखा जाति धानका सा. दुर्गापुरा
6/2	3.04	"	श्री गुल्ला पि. रामसुखा
6/3	10.01	"	घारिया पुत्र रामसुखा
7	9.06	"	श्री महादेव, जवाहरा, श्रीनारायण पि. रामदेव जाति मीना सा. दुर्गापुरा गैरखा.

(166)

1	2	3	4
6/264	0.06 गै.मु.पाही		श्री गुल्ला पुत्र रामसुखा ख.नं. 6/2 मा.फ. सं. 60 दि. 19-2-76
8	1.07 बारानी 2		श्री रघुनाथ सोल्या पुत्रान देहनु कौम हरियाणा सा. खा. चैनपुरा
9	25.02 बंजड़ 1		बहरहु नं.
10	14.15 बारानी 3		"
10/265	0.02 गै.मु.पा.		"
11	9.04 बारानी 3		श्री गोविन्द पुत्र रोडू जाति बलाई सा. दुर्गापुरा गैर खातेदार
12	7.15 "		श्री हरसहाय पुत्र चिरंजीलाल कौम ब्रा. सा. दुर्गापुरा गैर खातेदार
13	18 01 बा. 3 15.00	बंजड़ 1 3.01	"
14	18.00 बारानी 3		श्री रामगोपाल धारिवा पि. मोहन जा. ब्रा. सा. दुर्गापुरा गैर खातेदार
15	20.08 बंजड़ 1		श्री बालीलाल रामगोपाल पुत्र मोहन जा. ब्रा. सा. देहू मा. क. सं. 93 दि. 4-12-69
16 मिन	15.01 बारानी 3		श्री फतेहचन्द, मूलचन्द, भौरीलाल पु. श्रीमल जैन
17	15.16 बा. 3 10.00	बंजड़ 5.16	श्री नारायण पुत्र काना जा. ब्रा. देहू गैर खातेदार
18	13.00 बारानी 3		" "
19 मिन	22.00 बारानी 3		श्री नारायण पुत्र चना जा. ब्रा. सा. देहू गैर खातेदार
20	43.16 बंजड़ 2		सिवाय चक लगानी
21	7.17 बा. 3 7.07	बंजड़ 1 0.10	श्री नारायण पुत्र काना जाति ब्रा. सा. देहू खातेदार
22	1.18 पाही 3 0.12	बाग 1.02	" "
23	4.07 पाही 3 1.09	बाग 2.18	" "
24	0.04 गै.मु.	डोबा	"

167

1	2	3	4
25	6.05 चाही	आब	श्री नारायण पुत्र कामा जाति सा.सा. खातेदार
	2.07	4.02	
26	0.04 गै.मु.	चाही	" "
27	1.10 चाही 3	आब	" "
	0.10	1.00	
28	1.06 चाही 2	आब	" "
	0.09	0.17	" "
29	0.18 गै.मु.आबादी		
30	4.10 बा 3	गै.मु.रास्ता	" "
	4.06	0.04	" "
31	0.05 गै.मु.रास्ता		सिवाय चक बिला लगानी
32	6.15 बारानी 3		श्री बालया पुत्र कामा कुम्हार सा. देह
33	2.07 चाही 3	आब	" "
	1.09	2.18	" "
34	0 03 गै.मु. खा.		" "
35	0.02 गै.मु.चाह		" "
36	6.09 चाही 3	आब	" "
	3.17	3.12	
37	35.18 चरागाह		चरागाह
38	37.12 "		"
39	11.00 बारानी 3		श्री नारायण पुत्र भीरो माल जा.सा.सा. जयपुर
40	13.10 "		श्री मोतीराम रामकिशोर रामेश्वर व कल्लू पुत्र गोपीराम कौम हरियाणा सा सा.धनपुरा म्यू.नं. 42 ता. 7-9-71 को हुई
41	0.05 बा. 3	गै.मु.खा.	सिवाय चक लगानी
	0 12	0.04	
42	10.13 बा. 3	बंजड़ 1	श्री कल्याण पुत्र मोहन सा.सा. देह
	0 01	4.08	
	गै. मु. खा.		
	0.44		
43	9.17 बा. 3		श्री कल्याण पुत्र मोहन सा. सा. देह
44	2.05 गै.मु. रास्ता		सिवाय चक बिला लगानी

1	2	3	4
45	13.15	बा. 3	श्री रामचन्द्र दिलावर सिंह भरतसिंह पि. होशियारसिंह जाट सा. सुखिया
46	36.17	बारानी	,,
47	3.00	बंजड़ 1	श्री महादेवा ब. नं. 9
48/1	5.15	,,	श्री गुल्ला पुत्र कल्याण, धारिया पि. रामसुखा धानका सा. दुर्गापुरा
48/2	6.10	,,	श्री गुल्ला पुत्र रामसुखा जाति धानका सा. दुर्गापुरा
48/3	10.01	,,	श्री धारिया पुत्र रामसुखा जाति धानका सा. दुर्गापुरा
49	4.06	गै. मु. नला	सिवाय चक बिला लगानी
50	25.16	बारानी 3	श्री विरेन्द्रसिंह पि. नाथूलाल जाति गूजर 1/3 लेखराज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली 1/3 श्रीमती मूली पत्नी दुर्गालाल 1/3 ब्रा. सा. सांगानेर
175	20.12	बंजड़ 2	सिवाय चक लगानी
176	26.02	,,	श्री रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत सा. जयपुर मै. खातेदार
177	50.00	,,	रघुवीर पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत, सा. कल्याणपुरा
178	21.12	,,	सिवाय चक बिला लगानी
179	14.10	,,	,,
180	15.10	बारानी 2	ना. नं. 57 दिनांक 21-4-73 नानगा पि. ग्यारसी माली एवं ना. नं. 48 दिनांक 21-4-73 सूज्या पि. रामनाथ, कौम माली सा. देह
181	18.09		श्री राजसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत सा. जयपुर ना. नं. 25 दि. 3-12-79 के अनुसार स्वीकार हुई।
173	43.01	खातली 3	,,
174	32.07	बंजड़ 2	सिवाय चक लगानी
182	11.15	बा. 2	भगता पुत्र सुखदेवा जाति मीना सा. देह
183	00.10	गै. मु. रास्ता	सिवाय चक बिला लगानी
184	00.02	गै. मु. चाही	चौथू पुत्र हीरा जाति माली सा. दुर्गापुरा खातेदार
185	22.05	गै. मु.	उपरोक्त
186	19.15	बा. 2	बालू पुत्र रामलाल, रामनारायण पुत्र मोहन जाति माली

(169)

187	00.03	गै.मु.चाही		पांचू श्योबक्स नारायण पुत्र मोती माली सा. देह गैर खातेदार
234	18.12	गै.मु.मसान		सिवाय चक बिला लगानी

कुल रकबा 936.03 बीघा

सोडाला से सांगानेर रोड के पास अवाप्त की जाने वाली भूमि में आने वाले ग्रामों के खसरा नं. एवं रकबे का विवरण

देवरी तहसील सांगानेर

खसरा नं.	रकबा बी.	रकबा बि.	किस्म जमीन	नाम काश्तकार
1	2	3	4	5
317	52	03	चरागाह	चरागाह
318	7	07	बारानी2	श्री चन्दा पुत्र जगन्नाथ छीतर पुत्र गणेश चमार
319	4	02	,,	श्री श्रवण कुमार पुत्र भूरा चमार सा. देह
320	3	12	,,	श्री लाला पुत्र हीरा कौम चमार
321	3	18	,,	श्री देवनारायण पुत्र हरदेव कौम चमार सा. देह
322	3	17	,,	श्री सुखा पुत्र मन्ना कौम चमार
323	12	07	बारानी3	श्री नाथू पुत्र बालू कौम चमार
324	12	08	,,	श्री रघुनाथ पुत्र बिरदा 1/2 रामनारायण पुत्र रघुनाथ चमार 1/2
325	2	18	गै.मु.रास्ता	सिवाय चक
326	11	00	बारानी	श्री लादू पुत्र प्रताप 1/2 सोहन, हरदत्त पांचा, छोटू हि. 4/5 प्रभू पुत्र चौथू नाबालिग संरक्षक नैना बेवा चौथू हि. 1/5 चमार
327	14	05	चरागाह	चरागाह
328	25	04	,,	,,
329	18	04	,,	,,
330	23	05	,,	,,
331	11	15	बारानी3	श्री बिरदा पुत्र पेमा कौम चमार सा. देह गै. खा.
332	23	10	,,	श्री किशन लाल पुत्र रामपाल हि. 1/3 लादू राम पुत्र श्री किशन लाल जाति चमार सा. देह खातेदार

(170)

1	2	3	4	5
333	26	05	बारानी3	श्री भूथा पुत्र रामलाल हि. 113 गोकुल पुत्र भूथा 113 कौम चमार
334	1	05	गै.मु.रास्ता	सिवाय चक
335	22	07	बारानी3	नारायण बोदू पि. सुखा जाति चमार सा. देह
337	11	10	,,	श्री किशोर रामूलाला बाबू हि. सुखा जाति चमार स. देह. हि.व.गै.खा.
336	11	00	,,	श्री चौथू पुत्र भुवाना जाति चमार सा.देह
338	7	03	,,	ब.नं. 321
339	7	04	,,	,, 320
340	8	00	,,	,, 322
341	3	08	बारानी1	श्री चन्दा पुत्र जगन्नाथ जाति चमार सा.देह गै.खातेदार
342	3	05	,,	श्री श्रवण ब.नं. 319
343	3	05	,,	श्री छीतर पुत्र गणेश जाति चमार सा.देह
344	0	06	गै.मु.चाही	श्री श्रवण पुत्र भूरा छीतर पुत्र गणेश चन्दा पुत्र जगन्नाथ जाति चमार सा. देह
345	3	02	बारानी1	श्री श्रवण बशरह नं. 319
346	3	12	,,	श्री छीतर ब. नं 343
347	3	11	,,	श्री चन्दा ब.नं. 341
348	12	00	गै.मु.श्रा	सिवाय चक
349	20	10	बारानी3	श्री रामनारायण दीपचन्द कमल चन्द प्रसाद पि. भैंरू हि. 9116 हि. ब. दामोदर पुत्र भैंरू हि. 7116 जाति चमार सा. देह
350.	20	13	,,	श्री भौरिया पुत्र गणेश जाति चमार सा. देह गै. खातेदार
352.	1	13	गै.मु. रास्ता	सिवाय चक
351.	22	15	चरागाह	चरागाह
353.	21	07	बारानी 3	श्री बालू पुत्र नाथू हि. 112 भौरिया पुत्र नानगा 112 जाति चमार सा. देह गै. खातेदार
354.	00	19	गै.मु.रास्ता	सिवाय
355	22	01	बारानी 3	श्री नाथू पुत्र रामला हि. 314 गोपी पुत्र नाथू 114 जाति चमार सा. देह गै. खा.

1	2	3	4	5
356	00	01	गे.मु.घा.	सिवाय चक
357	00	08	गे.मु.चाही	श्री उदा पुत्र गंगाराम जाति चमार सा. देह
358	21	05	चाही-3 बा.3 6.10 14.15	,, ,,
359	2	15	गे.मु.रास्ता	सिवाय चक
360	5	05	चाही-3 बा. 1.15 3.10	श्री रामनारायण पुत्र रुगनाथ जाति चमार सा. देह
361	00	07	गे.मु.चाही	श्री भौरीलाल पुत्र लालाराम रामनारायण पुत्र रुघनाथ जाति चमार सा. देह
362	1	16	चाही 3	श्री भौरीलाल पुत्र लालाराम जाति चमार सा. देह
363	1	09	,,	,, ,,
364	2	01	,,	,, ,,
365	6	08	बा. 3	,, ,,
366	2	00	बा. 3	,, ,,
367	18	18	बा. 3	श्री भागचन्द प्रताप पि. भूंथा हि. 112 हि. ब. काना पुत्र भूंथा 112 जाति चमार सा. देह गै. खातेदार
368	21	10	,,	श्री रामदेव पुत्र चुन्नीलाल मंगला पुत्र घन्ना जाति चमार सा. देह गै. खातेदार
369	25	04	,,	श्री घन्ना पुत्र सूजा 112 गुल्ला पुत्र सूजा हि. 118 घन्ना पुत्र छोटू 118 मूलचन्द पुत्र मोहना हि. 118 छीतर महादेव पि. भौरीलाल हि. 118 जाति चमार सा. देह
370	1	10	गै.मु.रास्ता	सिवाय चक
371	0	10	गै.मु. चाही	श्री छीतर महादेव पि. भौरीलाल हि. 114 गुल्ला पुत्र सूज्या 114 मूलचन्द पुत्र मोहना हि. 114 घन्ना पुत्र छोटू हि. 115 सा. देह जाति चमार

1	2	3	4	5
372	31	10	चा. 3 बा. 3 11.10 20.00	श्री छीतर महादेव पि. भोरीलाल हि. 114 गुल्ला पुत्र सूज्या 114 मूलचन्द पुत्र मोहना हि. 114 पन्ना पुत्र छोट 115 सा, देह जाति चमार
373	11	04	बारानी 3	श्री सोहन महादेव पांचू छोटू पि. मागू हि. 415 प्रभू पुत्र चोथू नाबालिग संरक्षक बेना बेवा चोथू हि. 115 जा. चमार सा. देह
374	12 .	05	बारानी 3	मादू किशना मानन्दा पि. भूरा जाति चमार सा. देह
375	00	17	गै. मु. रास्ता	सिवाय चक
376	21	00	बारानी 3	गुल्ला पुत्र धन्ना हि. 112 बिरदीचन्द सीताराम पि. बिल्ला 113 जा. चमार सा. देह
377	8	12	बारानी 3	ना. नं. 105 के द्वारा
378	1	05	गै. मु. रास्ता	सिवाय चक
379	8	08	बारानी 3	भोमा पुत्र बिरदा जाति मीणा सा. दुर्गापुरा गैर खातेदार
380	00	10	बंजड़ 2	,, ,,
381	00	16	,,	,, ,,
382	00	06	गै. मु. नला	सिवाय चक
383	01	13	खातली 3	बशरह नं. 379
384	00	06	बंजड़ 2	सिवाय चक
385	00	14	बंजड़ 2	सिवाय चक
386	00	02	गै. मु. सड़क	,,
387	00	11	बंजड़ 2	,,
388	00	02	गै. मु. सड़क	,,
389	01	00	बंजड़ 2	,,

कुल रकबा 679.04 बीघा

मानपुरा देवरी उर्फ गोलियावास तहसील सांगानेर में अवाप्त की जाने वाली भूमि का विवरण:--

खसरा नं.	रकबा	किस्म जमीन	नाम खातेदार
350/446	1.10	बारानी 3	सिवाय चक
351/430	6.16	,,	प्रेमचन्द संघी पुत्र फतेहलाल संघी जैन सा. जयपुर
351/429	12.00	,,	रामरतन चौधरी कौम जाट सा. जयपुर
352/424	3.00	,,	उपरोक्त
353/428	1.09	,,	उपरोक्त
370/426	1.12	,,	उपरोक्त
371/427	1.00	,,	उपरोक्त
	27.07		

सोडाला से सांगानेर रोड पर अवाप्त की जाने वाली भूमि में आने वाले ग्रामों के खसरा नं. एवं रकवे की सूची:–

ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडावाला सांगानेर

खसरा नं.	रकबा	किस्म जमीन	नाम खातेदार
42/108/117	5.14	बा. 3 गै. मू. बंजड़ 2 1.07,0.07,4.00	मु. लक्ष्मा सेवा नाथूसिंह 3/4 कौम जाट सुखा पुत्र मोहना कौम हरियाना डि. 1/4 सा. देह
42/119	19.11	बारानी 3	श्री गिरीश चन्द्र पुत्र राधा कृष्ण चतुर्वेदी जाति ब्रा. निवासी जयपुर सी-स्कीम कृष्णा मार्ग
43/	1.10	गै. मु. रास्ता	सिवाय चक बिला लगानी
44/	5.09	बा. 3 बंजड़ 4.17,0.14	बशरह नं. 42/119
45/	2.01	बारानी 3	उपरोक्त
46/	3.02	,,	उपरोक्त
47/139	1.04	,,	सनजारी लाल पुत्र सोहनलाल कौम माली साकिन देह
	38.11		

सोडाला से सांगानेर के पास प्रवाप्त की जाने वाली भूमि वाले खसरा नं. एवं उसके रकवे का विवरण:–

ग्राम नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर

खसरा नं.	रकबा	किस्म जमीन	नाम खातेदार
29/201/221	0.13	बारानी 3	रामकरण पुत्र मंगला हि. लाला हनुमान मोती 1 नातूराम हि. 1/2 जाति कु.
30/223	1.19	,,	जोधराज दूल्हाराम कानाराम कुशाला राम टोटो पि. गणेश जाति कुमावत
31/204	2.05	,,	भगवान पुत्र रूपांवास जा. माली सा. सुकालपुरा
33/227	1.12	,,	लक्ष्मी नारायण पुत्र कानाराम जाति माली सा. सोडावाला
174/229	3.10	,,	भागीरथ पुत्र कानजी जा. माली सा. सोढावाला
175/231	5.13	,,	रामसहाय पुत्र कजोड जा. माली सा. सोढावाला
176/233	3.02	,,	उपरोक्त
177/235	2.18	,,	श्रीमती प्रेम कूलाल धर्म पत्नी रामकिशन कूलवाल जाति महाजन जयपुर
178/237	2.10	,,	उपरोक्त
182/216	3.00	,,	श्रीमती सोहनी देवी पुत्री पोखरमल जाति जाट सा नवलगढ़
191/205	6.05	,,	रामदास भातरा पुत्र रामकिशन भातरा जाति ब्रा.
198/2	11.00	,,	रामदेव पुत्र महादेव जाति माली स. देह
199/2	7.18	,,	पुरुषोत्तम दास भैया जेठमल भैया श्रीमती चन्द्र कांता पति पुरुषोत्तम भैया नाबालिग पुत्र पुरुषोत्तम दास भैया संरक्षक पुरुषोत्तम दास भैया पि. सा. जयपुर
199/3	0.08	,,	उपरोक्त
199/4	2.14	,,	उपरोक्त

2	3	4	5
200/241	0.07	बृंजड़ 2	मोहनसिह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत सा देह
200/242	2.00	,,	उपरोक्त
200/2/210 म	10.10	,,	श्योचन्दा पुत्र सोहन जाति जाट सा. मांग्यावास
200/2/210	8.00	,,	श्यामलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली सा. सुदर्शनपुरा
282/214	6 00	बारानी 3	बशरह नं. 182/216
कुल रकबा	76.04		
	6 00		
	82.04		

राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा राजस्थान नहर का दौरा

412. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)-क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा राजस्थान नहर के दौरे की निरीक्षण सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय टिप्पणी संख्या 206 से 216 पर सितम्बर, 1982 को मुख्य अभियन्ता कार्यालय, बीकानेर में विचार विमर्श में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वरिष्ठ अधिकारी राजस्थान नहर स्थल का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने भविष्य के लिए अधिकारियों के पालनार्थ कोई निर्देश जारी किये हैं ? कृपया निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष राजस्थान मन्त्रिमण्डल ने गंगानगर जाकर राजस्थान नहर व अन्य नहरों का निरीक्षण किया एवं मौके पर कई प्रकार के निर्णय लिये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया ऐसे निर्णयों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस दौरे में किन-किन मन्त्रियों एवं राज्य मन्त्रियों ने भाग नहीं लिया एवं क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, परन्तु नहर स्थल का अधिक निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करने के लिये मन्त्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 211/82 के अनुपालना में परियोजना के अधिकारियों के मुख्यालय उनके सघन कार्यक्षेत्र में कर दिये गये हैं, ताकि जल वितरण व अन्य कार्य अधिक सुचारू रूप से हो सकें।

(2) जी हां, इस विभाग से संबंधित जो निर्णय लिये गये हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :-

(राजस्थान नहर मंत्री)

(1) जल वितरण में अव्यवस्था के सम्पूर्ण समाधान करने हेतु समयबद्ध कार्य-क्रम बनाया जावे व राजस्थान केनाल तथा सिंचाई विभाग के अधिकारी सम्बन्धित रूप से जल वितरण को सुव्यवस्थित तौर से समयानुसार उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(2) बिरदवाल से नीचे, राजस्थान केनाल शाखाओं व वितरिकाओं के दाहिने व बायें किनारों पर स्थित ऐसे अन-कमाण्डेड क्षेत्रों को भी सिंचाई जल उपलब्ध कराया जावे जो सिंचाई के योग्य है।

(3) राजस्थान नहर की पूंगल, दात्तोर व रोजड़ी शाखाओं से सिंचित क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जावे कि कमाण्ड भूमियों को अगली रबी तक सिंचाई जल अवश्य उपलब्ध करा दिया जावे। जिसके लिये समस्त सम्बन्धित कृषकों की जल उप-योग समितियां गठित की जावें व बाहर से आने वाले कृषकों को रबी फसल तक सिंचाई जल की समुचित सुविधा व अन्य आवश्यक सुविधाओं का आश्वासन देकर, यहां बसने के लिये प्रेरित किया जावे।

(4) जहां भी खड़ी फसलों को एक बार पानी दिया जा चुका है, ऐसी फसलों को आवश्यकतानुसार पूरा पानी सुनिश्चित किया जावे।

(5) राजस्थान केनाल के द्वितीय चरण में सिंचाई जल का शीघ्रातिशीघ्र उपयोग करने हेतु कच्चे खालों का कार्यक्रम तुरन्त हाथ में लिया जावे।

(6) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का मुख्यालय उनके सघन कार्यक्षेत्र में रखा जावे।

(7) कमाण्ड क्षेत्र के वे भाग जो सिंचित हो ही नहीं सकते व अनकमाण्ड क्षेत्र के वे भाग जो सिंचित हो सकते हैं, के विषय में सूचना तैयार की जावे।

(8) बरसलपुर से आगे विभिन्न वित-रिकाओं तथा नहरों के नाम अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में रखे जायें।

(9) गंग केनाल, भाखरा व राजस्थान नहर परियोजना की सिंचाई व्यवस्थाओं को पारस्परिक सम्बद्ध (इन्टर-लिंक) करने सम्बन्धी योजना तैयार की जावे।

(3) दौरे में सारे केबिनेट स्तर के मन्त्री थे।

इन्द्रगढ़ में खनिज पदार्थों के आधार पर उद्योग

413. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)–क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की नायब तहसील इन्द्रगढ़ में पाये जाने वाले लोहे, खड़िया मिट्टी तथा सीमेन्ट के पत्थर के सर्वेक्षण हेतु एक खनिज परियोजना वर्ष 1982-83 के लिए रखी गई थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त खनिजों के भण्डारों तथा उपयोगिता की क्या स्थिति है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त क्षेत्र में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र में लोहे के अयस्क व खड़िया मिट्टी की जांच हेतु एक खनिज सर्वेक्षण परियोजना वर्ष 1982-83 में चलाई जा रही है।

(2) क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य अभी चालू है जिसके अन्तर्गत भू-गर्भिक मान चित्रांकन एवं नमूने एकत्र किये जाने का कार्य किया जा रहा है। परियोजना कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ही भण्डारों की उपयोगिता के बारे में कुछ कहना संभव हो सकेगा।

(3) लोहे व खड़िया मिट्टी के भण्डारों की उपयोगिता सिद्ध होने के बाद ही इन भण्डारों पर आधारित उद्योग लगाये जाने की संभावना पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

हाडोती क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना

414. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या विश्वविद्यालय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के उच्च शिक्षा और विशेषतः विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के निमित्त बनी प्रो. एम. वी माथुर कमेटी का प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत हुआ ?

(2) क्या उक्त प्रतिवेदन में राज्य में और अधिक विश्वविद्यालय खोलने की अनुशंषा की गई है ? यदि हां, तो कौन कौन से स्थान पर ? क्या इससे पूर्व भी इस हेतु बने श्रीमाली कमेटी ने इस प्रकार की अनुशंषा की थी ?

(3) क्या हाड़ोती क्षेत्र में कालेज और छात्र संख्या उदयपुर और जोधपुर विश्वविद्यालय की छात्र संख्या से ज्यादा है ? क्या वर्तमान परिस्थिति में सरकार हाड़ोती क्षेत्र में एक नया विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एम. वी. माथुर कमेटी का प्रतिवेदन अक्टूबर, 1980 में प्राप्त हुआ।

(2) माथुर समिति ने राज्य में अलग कृषि विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की है। इससे पूर्व श्रीमाली कमेटी ने राज्य में तीनों स्थानों पर विश्वविद्यालय खोलने की अनुशंषा की थी।

(3) प्रदेश के कोटा, बून्दी व झालावाड जिलों के महाविद्यालयों के छात्रों की संख्या 10203 हैं, जबकि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या क्रमशः 7930 व 8864 है। फिलहाल राज्य में धनाभाव के कारण नया विश्वविद्यालय खोलने का विचार नहीं है।

राज्य में कार्यरत होमगार्ड

416. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)-
क्या गृह रक्षा दल एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा की विभिन्न ब्रांचों अर्थात् अर्बन होमगार्ड, बोर्डर होमगार्ड, रूरल होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या के अनुसार भर्ती नहीं की हुई है? यदि नहीं, तो कृपया भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या एवं वर्तमान में राज्य में कार्यरत होमगार्डों की संख्या सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भारत सरकार द्वारा सिविल डिफेंस टाउन्स के लिए स्वीकृत नगरों को भी राज्य सरकार द्वारा डिफेंस टाउन घोषित नहीं किया हुआ है ? यदि नहीं, तो कृपया भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा घोषित नगरों की सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन सेवाओं की उपयोगिता देखते हुए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार पूरा लाभ प्राप्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भारत सरकार द्वारा गृह रक्षा दल की अधीकृत संख्या, तत्पश्चात् राजस्थान द्वारा स्वीकृत एवं भर्ती की संख्या निम्न प्रकार है :—

	भारत सरकार द्वारा अधिकृत संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या	भर्ती
1. अरबन होमगार्ड्स	19,470	15,620	13,745
2. बोर्डर होमगार्ड्स	2,664	2,664	2,655
3. रूरल होमगार्ड्स	3,366	2,805	2,350

नागरिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित नहीं किया जाता है। नागरिक सुरक्षा नगरों में नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं का लक्ष्य नगर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जी नहीं।

(3) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सभी 17 नगरों अर्थात् जोधपुर, जयपुर, फुलेरा, गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, जैसलमेर, नाल, बाड़मेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, आबूरोड, चुरू, अलवर, उदयपुर, को राज्य सरकार द्वारा भी सिविल डिफेंस टाउन घोषित किया हुआ है।

जी हां।

रावतभाटा में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

417. श्री घनश्याम जैन (बेंगू)–क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रावत भाटा में मुंसिफ कोर्ट माह में केवल 7 दिन ही कार्य करती है ? उक्त कोर्ट में कितने मुकदमे अभी रावत भाटा में पेंडिंग हैं ?

(2) क्या सरकार रावत भाटा में स्थाई रूप से मुंसिफ कोर्ट खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रावतभाटा क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के 768 फौजदारी एवं सभी प्रकार के 39 सिविल मुकदमे मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, बेंगू में पेंडिंग हैं। इस प्रकार रावतभाटा के कुल 807 मुकदमे जेर ट्रायल रावतभाटा केम्प कोर्ट में हैं।

(2) जी हां। राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण वर्तमान में रावतभाटा में स्थाई रूप से न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं है।

जनजाति निगम के वन उपज केन्द्र

418. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जनजाति निगम द्वारा लघु वन उपज को एकत्रित एवं आदिवासियों को लाभान्वित हेतु डिपो खोले गये हैं ? यदि हां, तो कितने डिपो कहां-कहां खोल रखे हैं ?

(2) वन उपज केन्द्र उदयपुर जिले में कितने तथा कहां कहां हैं ? कितने कर्मचारी/अधिकारी लगा रखे हैं ? कृपया विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निगम द्वारा प्राईवेट व्यापारियों को गोंद, धोली मूसली, शहद, रतनजोत खरीदने का लाइसेन्स दिया गया है ?

(4) वन उपज द्वारा निगम को कितना लाभ हुआ एवं अधिकारियों/कर्मचारियों पर कितना खर्चा होता है ?

(5) इस योजना से कितने आदिवासियों को लाभ हुआ एवं कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया, खैरवाड़ा, सराड़ा, धरियावद वन उपज केन्द्रों से कितना माल इकट्ठा किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ आदिवासियों द्वारा संग्रहीत लघुवन उपज 112 वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लेम्पस) एवं 4 वन श्रमिक सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय करता है। सूची परिशिष्ट 'क' पर है।

(2) उदयपुर जिले में लघु वन उपज संग्रहण 62 सहकारी समितियों के मार्फत किया जाता है। समिति के कार्य व्यवस्थापक एवं अन्य कर्मचारी अपने अन्य कर्तव्यों के साथ लघु वन उपज के संग्रहण का कार्य भी करते हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(188)

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) संघ को लघु वन उपज संग्रहण पर प्रथम चार वर्षों में (1977-78 से 80 81) तक कुल 18.38 लाख रु. की हानि हुई एवं वर्ष 81-82 में 1.97 लाख रु. का लाभ रहा। मुख्यालय पर अधिकारियों/कर्मचारियों पर कुल 179200/- रुपये वेतन आदि पर व्यय किए गये।

(5) वर्ष 82-83 में कुल 3,694 (30-1-83) तक आदिवासी लाभान्वित हुए। संग्रहीत माल की सूची "स" पर संलग्न है।

सूची 'क'

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कार्यरत लेम्पस एवं वन श्रमिक सहकारी समितियों की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	नाम (लेम्पस) वृहत कृषि बहुद्देश्यीय सहकारी समिति लि.
1	2	3
जिला-उदयपुर		
1.	गिर्वा	काया, कुराबड़, देबारी, साकरोद, कानपुर, तितरडी नाई, सिसारमा, लक्ड़वास, बम्बोरा।
2.	धरियावद	धरियावद, लसाड़िया, मूंगाणा, पारसोला, खूंता, कुण, पारेल।
3.	सलूम्बर	डाल, भवरासा, ईटालीखेड़ा, जेताना, गींगला, झालाड़ा, गावडापाल, ओडवाड़िया, बम्बी, सेरिया।
4.	सराडा	सराडा, खेमारी, सुरसागर का खेड़ा, सगतड़ा, भाड़ोल, वीरपुर, परसाद, आवड़िया।
5.	खेरवाड़ा	खेरवाड़ा, केशरियाजी, भूदर, छाणी, आडीवली, सुलाई, डवायचा, ठिकवास।
6.	कोटड़ा	कोटडा, वास, गोगरूद, मामेर, माण्डवा, बयारी, वड़ली।
7.	झाडोल	झाडोल, फलासिया, मादडी, बागपुरा, ओगणा, गोगला, धरावन, कोल्यारी।
जिला-चित्तौड़गढ़		
1.	प्रतापगढ़	अचलपुर, कुलमीपुरा।
2.	अरनोद	अरनोद, दलोट।
जिला-डूंगरपुर		
1.	डूंगरपुर	भिण्डा, पुनाली।

1	2	3
2.	सीमलवाड़ा	सीमलवाड़ा, कुआं ।
3.	बिछीवाडा	बिछीवाडा, पालदेवल ।
4.	सागवाड़ा	सरोदा, ओबरी, गोवाड़ी, वरसींगपुरा, भीलूडा, ठाकरडा, जोगपुर, वरदा, टमाटिया, पाडवा, माण्डव, दिवडा ।
5.	आसपुर	पूंजपुर, रिछा ।
जिला-बांसवाड़ा		
1.	तलवाडा	तलवाडा, ठिकरिया ।
2.	बागीडोरा	बागीडौरा, गांगड़तलाई ।
3.	गढी	गढी, पालोदा ।
4.	भूखिया,	भूखिया, चांदरवाडा ।
5.	घाटोल	घाटोल, डूंगरिया ।
6.	पीपलखूंट	पीपलखूंट, दानपुर ।
7.	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़, कसारवाडी ।
8.	कुशलगढ	कुशलगढ़, छोटी सरवा, पाट्टन, लोहारिया, आमलीपाडा, बड़ी सरवा, महकमपुरा ।
जिला-सिरोही		
1.	आबूरोड	तलेटी, मूंगथला, निचलागढ़, ओरिया, सियावा, चनार, शान्तपुर, क्विरली, मावल ।
		वन श्रमिक सहकारी समितियां
		1. जांगीवड़, वन श्रमिक सहकारी समिति ।
		2. ढेड़मारिया, वन श्रमिक सहकारी समिति ।
		3. तिलोई, वन श्रमिक सहकारी समिति ।
		4. डैया अम्बाला, वन श्रमिक सहकारी समिति ।

उदयपुर जिले में कार्यरत वृहत् कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की सूची:-

क्र. सं.	नाम लैम्पस	पंचायत समिति
1	2	3
1.	काया	पंचायत समिति गिर्वा
2.	कुराबड़	,, ,,
3.	देबारी	,, ,,
4.	साकरोदा	,, ,,

1	2	3
5.	कानपुर	पंचायत समिति गिर्वा
6.	तितरडी	,, ,,
7.	सिसारमा	,, ,,
8.	नाई	,, ,,
9.	लकड़वास	,, ,,
10.	बम्बोरा	,, ,,
11.	धरियावद	पंचायत समिति धरियावद
12.	लसाड़िया	,, ,,
13.	मुंगाना	,, ,,
14	पारसोला	,, ,,
15.	खुंता	,, ,,
16.	कुण	,, ,,
17.	पारेल	,, ,,
18	डाल	पंचायत समिति सलुम्बर
19	झबराना	,, ,,
20.	ईटालीखेड़ा	,, ,,
21.	जेताणा	,, ,,
22.	गींगला	,, ,,
23.	जल्लारा	,, ,,
24.	गावड़ा पाल	,, ,,
25.	औढ़वाडिया	,, ,,
26.	बस्सी	,, ,,
27.	सेरीया	,, ,,
28.	सराड़ा	पंचायत समिति सराड़ा
29.	सेमारी	,, ,,
30.	सुरखण्डखेरा	,, ,,
31.	सगतडा	,, ,,
32.	झालोड़	,, ,,
33.	विरपुरा	,, ,,
34.	परसाद	,, ,,
35.	धावड़िया	,, ,,
36.	खैरवाड़ा	पंचायत समिति खैरवाड़ा
37.	केसरीयाजी	,, ,,
38.	मुदर	,, ,,

1	2	3
39.	छापी	पंचायत समिति खेरवाड़ा
40.	झाड़ोवली	,, ,,
41.	सुलई	,, ,,
42.	डबायचा	,, ,,
43.	डिकवाल	,, ,,
44.	कोटड़ा	पंचायत समिति कोटड़ा
45.	बास	,, ,,
46.	गोगरुद	,, ,,
47.	मामेर	,, ,,
48.	माण्डवा	,, ,,
49.	क्यारी	,, ,,
50.	बडली	,, ,,
51.	झाड़ोल	पंचायत समिति झाड़ोल
52.	फलासिया	,, ,,
53.	मांदड़ी	,, ,,
54.	बागपुरा	,, ,,
55.	ओगल	,, ,,
56.	गोगला	,, ,,
57.	घराघन	,, ,,
58.	क्लोयारी	,, ,,

वन श्रमिक सहकारी समिति

59. जांगीवड़ वन श्रमिक सहकारी समिति
60. तिलाई वन श्रमिक सहकारी समिति
61. ढेढमारिया वन श्रमिक सहकारी समिति
62. डैया अम्बासा वन श्रमिक सहकारी समिति

सूची 'ब'

क्र.सं.	नाम उपज	कोटडा	झाडोल	फलासिया	खैरवाडा	सराडा	धरियावद
1.	डोलमा	192.28.400	400.27.300	4.59.000	18.53.000	—	108.59.000
2.	अरीठा	71.62.500	29.76.000	49.66.000	—	—	25.96.000
3.	बिच्छु कांटा	10.14.000	—	—	—	—	0.67.000
4.	धतुरी	32.43.500	6.82.500	—	—	—	4.77.500
5.	गोद सालर	833.81.000	—	—	—	—	—
6.	कणज	135.89.900	633.99.500	131.69.500	—	2.00.000	3.00.000
7.	रतनजोत	—	814.87.000	228.83.000	—	—	11.09.500
8.	पुवांड बीज	1099.65.500	206.92.900	91.80.000	101.73.000	—	189.05.500
9.	गोंद-गोंदल	4.93.500	1.99.000	—	—	—	15.04.500
10.	गोंद धावड़ा	0.70.000	—	—	—	—	—
11.	मोम	1.87.950	1.74.800	—	—	—	1.56.500
12.	शहद	13.79.050	7.11.900	—	—	3.49.900	18.57.000
13.	सफेद मूसली "अ"	0.28.100	0.10.000	—	—	—	—
14.	सफेद मूसली "ब"	0.11.100	—	—	—	—	0.39.900
15.	सफेद मूसली "स"	0.13.750	—	—	—	—	—
19.	लाल चिरमी	0.02.000	—	—	—	—	0.05.000

चित्तौड़गढ़ जिले की कृषि भूमि

419. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1982–83 के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के लिए कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी तमाम प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को दूर कर जमीन से सम्बन्धित रिकार्डों को एकत्रित कर पूरे तौर से दुरुस्त करना तथा हदबन्दी की सीमा से अधिक जमीन का बंटवारा भूमिहीनों के बीच करने का कितना लक्ष्य रखा गया था और लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हो सकी है ? कृपया तहसीलवार ब्योरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

प्रश्न में पूछे गये कार्य के लिए आमतौर पर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं, यह तो नियमित कार्य है जो राजस्व अधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से किये जाते हैं। अतः लक्ष्य निर्धारण व प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवहन निगम का राजगढ़ में डिपो खोलना

420. श्री समर्थलाल (राजगढ़): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या राजगढ़ में परिवहन निगम का कोई डिपो बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि परिवहन निगम की बसों का राजगढ़ में कोई बस स्टैण्ड नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान की परिवर्तित परिस्थिति एवं निगम की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आगार स्थापित करने की योजना नहीं है।

(2) जी हां।

राज्य से बाहर गेहूं ले जाने के जारी परमिट

421. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) सन् 1982-83 में खाद्य विभाग द्वारा किस-किस व्यक्ति अथवा संस्थान को राज्य से बाहर गेहूं ले जाने हेतु कितने-कितने गेहूं का कब कब परमिट दिया गया और क्यों ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) परमिट प्राप्त करने वालों के आवेदन-पत्र कब-कब प्राप्त हुये ?

(3) किन-किन को परमिट नहीं दिये गये और क्यों ?

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निम्नांकित व्यक्ति/संस्थाओं के आवेदन-पत्र उनके सामने अंकित तिथियों को प्राप्त हुए:––

1. श्री करतारसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह, फार्म–5 श्रीगंगानगर — 24-7-82
2. श्री बी. एम. खटकर, मैनेजर (कार्मिक) गंगानगर शुगर मिल्स लि., जयपुर। — 11-10-82

186

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

3. मै. यूनिवर्सल सीड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, 6741 रिलीफ रोड, अहमदाबाद।	4-11-82
4. श्री एस. वी. मूंगिया भू. पू. प्रोफेसर आफ फिजियोलोजी, जे. एल. एन. मेडिकल कालेज, अजमेर।	5-11-82
5. मै. संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन बी-22, नई अनाज मंडी, चांदपोल, जयपुर।	16-12-82

(3) निम्नांकित व्यक्ति/ संस्थाओं को उनके सामने अंकित कारणों से परमिट नहीं दिये गये:—

1. मै. पुरुषोत्तमदास अंजनीकुमार, दयानन्द मार्ग, श्रीगंगानगर।	राज्य एवं जनहित में परमिट नहीं दिये गये।
2. मै. लीलाधर कन्हैयालाल हनुमानगढ़।	राज्य एवं जनहित में परमिट नहीं दिये गये।
3. मै. बद्रीप्रसाद सांवरमल, श्रीगंगानगर।	राज्य एवं जनहित में परमिट नहीं दिये गये।
4. मै. कृषि व्यवस्था, जौहरी बाजार, जयपुर।	जिला रसद अधिकारी, भरतपुर द्वारा अवैध रूप से गेहूं राज्य से बाहर ले जाते हुए पकड़े जाने पर परमिट नहीं दिया गया।
5. प्रोक्योरमेंट आफिसर, टी. एन. सी. सी. एफ. लि. मद्रास।	गेहूं की उपलब्धि एवं मूल्य प्रभावित होने के कारण परमिट नहीं दिया गया।

प्रश्न संख्या 421 की तालिका

क्र. सं.	व्यक्ति/संस्था का नाम	परमिट जारी करने की दिनांक	मात्रा बोरी/क्विंटल	परमिट देने का कारण	विशेष विवरण
1.	श्री करतारसिंह वल्द श्री जवाहरसिंह, फार्म–5, श्रीगंगानगर ।	17–8–82	चार बोरी	निजी उपयोग हेतु (गंगानगर से दिल्ली)	
2.	श्री बी.एस. खटकर, मैनेजर, (कार्मिक) गंगानगर शुगर मिल्स लि., जयपुर ।	15–10–82	दस बोरी	निजी उपयोग हेतु (जयपुर से दिल्ली) स्थानान्तरण होने पर	
3.	श्री एस. बी. मूंगिया, भू. पू. प्रोफेसर आफ फिजियोलोजी, जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अजमेर ।	5–11–82	एक बोरी	,, ,,	
4.	मै. यूनिवर्सल सीड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स 6741, रिलीफ रोड, अहमदाबाद ।	11–11–82	अस्सी क्विंटल	गेहूं बीज (ब्रीडर) (कोटा से अहमदाबाद)	
5.	मै. संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन, बी-22, नई अनाज मण्डी, चांदपोल बाजार, जयपुर ।	16–12–82	छः हजार क्वि.	गेहूं बीज (सोनालिका) (जयपुर से 4000 क्वि. भरतपुर से 2000 क्वि. बिहार राज्य के विभिन्न केन्द्रों को)	यह परमिट दिनांक 27–12–82 को निरस्त किया गया ।

(188)

चौहटन (बाड़मेर) में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना

422. श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर के न्यायालयों में कितने-कितने मुकदमे 1982 तक विचाराधीन हैं ? तहसीलवार स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(2) किसी स्थान पर मुन्सिफ कोर्ट खोलने का क्या मापदण्ड है ?

(3) गत चार वर्षों में जिले में कितने-कितने मुकदमे दायर हुए ? कृपया तहसीलवार स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या मुन्सिफ कोर्ट खोलने के लिये तहसील चौहटन निर्धारित मापदण्ड में आती है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के न्यायालयों में तहसीलवार निम्नलिखित मुकदमें 1982 तक विचाराधीन थे।

1.	तहसील बाड़मेर	1969 मुकदमे
2.	तहसील चौहटन	412 „
3.	तहसील शिव	243 „
4.	तहसील गुडामालानी	468 „
5.	तहसील पचपदरा	724 „
6.	तहसील सिवाना	430 „

(2) नया न्यायालय स्थापित करने के लिये कई बिन्दुओं पर विचार किया जाता है, उदाहरणार्थ उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, आवागमन के साधन, न्यायालय भवन, आवासीय सुविधा, लोक-अप की व्यवस्था, उस क्षेत्र से उद्भूत प्रकरणों की औसत, निकटवर्ती न्यायालयों की दूरी आदि इन सब बातों को दृष्टिगत रख कर राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य के वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुये न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है।

(3) गत चार वर्षों में दायर हुये मुकदमों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

	1979	1980	1981	1982
ए. बाड़मेर	885	1555	979	832
बी. चौहटन	147	298	182	183
सी. शिव	14	167	91	136
डी. गुडामालानी	108	231	180	148
ई. पचपदरा	508	436	484	512
एफ. सिवाना	256	274	192	249

(4) जी नहीं।

बालोतरा कस्बे के भूमि रूपान्तरण के मामले

423. श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एस. डी. ओ. भूमि रूपान्तरण, बाड़मेर के पास बालोतरा कस्बे के कुल कितने मुकदमें पेंडिंग हैं।

(2) क्या यह सही है कि बालोतरा शहर के गरीब, मजदूर किसान वर्ष 1979 की भयंकर बाढ़ और लगातार चार सालों से अकाल पीड़ित होने के कारण भूमि परिवर्तन की राशि जमा नहीं करवा सके ?

(श्री अमराराम चौधरी)

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गरीब मजदूर और किसानों से भूमि परिवर्तन का 'पेनल्टी शुल्क माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) एस. डी. ओ. भूमि रूपान्तरण के पास बालोतरा शहर के कुल 264 मुकदमें विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 में लागू किये गये हैं। इन नियमों का बाढ़ या अकाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। भूमि परिवर्तन का पेनल्टी शुल्क नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत है। ये पेनल्टी शुल्क माफ करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बांसवाडा जिले में जनजाति विकास हेतु खर्च राशि

424. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या जन जातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1980-81 व 1981-82 में बांसवाड़ा जिले में जन जाति विकास के लिये कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है ? इस राशि में कितनी केन्द्र सरकार द्वारा तथा कितनी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है ? कृपया पृथक-पृथक ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी व्यय की गई है ? कृपया पृथक-पृथक ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा हेतु वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में मदवार कुल क्रमश: 1785.23 लाख एवं 2823.74 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई:—

वर्ष 1980-81

मद	आवंटन	व्यय
राज्य योजना	1691.29	1586.33
वि.के. सहायता	25.33	29.21
के. प्र. यो.	68.61	80.38
योग	1785.23	1694.92

1981-82 (राशि लाखों में)

आवंटन	व्यय
2658.12	1797.37
61.87	37.47
103.75	64.01
2823.74	1898.85

(2) वर्षवार एवं कार्यक्रमवार आवंटित एवं व्यय की गई राशि का ब्यौरा प्रपत्र 'अ' और 'ब' पर उपलब्ध है।

प्रपत्र-ब

ब्योरा

वित्तीय प्रावधान एवं व्यय जन जाति उपयोजना क्षेत्र जिला बांसवाड़ा

(राशि लाख रु. में)

योजना/कार्यक्रम	वित्तीय प्रावधान वर्ष 1980-81				व्यय			
	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	कुल	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	योग
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	148.32	14.97	68.61	231.90	120.78	16.27	80.38	217.43
2. सहकारिता	1.10	0.37	–	1.47	2.42	–	–	2.42
3. वाटर एण्ड पावर डवलपमेंट	1399.00	–	–	1399.00	1388.83	–	–	1388.83
4. उद्योग एवं खनिज	11.06	3.11	–	14.17	0.41	0.57	–	0.98
5. संचार एवं परिवहन	54.85	–	–	54.85	33.75	–	–	33.75
6. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	74.04	6.66	–	80.70	38.65	11.26	–	49.91
7. आर्थिक सेवाऐं	0.52	0.22	–	0.74	0.73	0.11	–	0.84
8. सामान्य सेवायें	2.40	–	–	2.40	0.76	–	–	0.76
योग	1691.29	25.33	68.61	1785.23	1586.33	28.21	80.38	1694.92

प्रपत्र-ब

वित्तीय प्रावधान एवं व्यय जनजाति उपयोजना क्षेत्र, बांसवाड़ा

वर्ष 1981-82

(राशि लाखों में)

योजना/कार्यक्रम	वित्तीय आवंटन				व्यय			
	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय योजना-	केन्द्र प्रवर्तित योजना	योग	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय योजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	योग
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाऐं	132.30	32.29	83.37	247.96	109.11	25.59	64.01	198.71
2. सहकारिता	6.67	0.87	2.68	10.22	0.09	—	—	0.05
3. जल एवं शक्ति विकास	2329.40	—	—	2329.40	1542.32	—	—	1532.32
4. उद्योग एवं खनिज	22.84	2.51	2.98	28.33	6.82	—	—	6.82
5. संचार एवं परिवहन	44.43	—	—	44.43	51.97	—	—	51.97
6. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	108.50	26.10	14.60	149.20	86.26	11.88	—	98.14
7. आर्थिक सेवायें	0.78	—	0.12	0.90	0.84	—	—	0.84
8. सामान्य सेवायें	13.20	0.10	—	13.30	—	—		—
योग	2658.12	61.87	103.75	2823.74	1797.37	37.47	64.01	1898.85

192

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कार्यरत कुलपति

426. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वर्तमान कुलपति, चयनित कुलपति है या नामजद ?

(2) नामजद कुलपति विश्वविद्यालय के उच्च पदों पर होने वाले चयनों में भाग ले सकता है अथवा नहीं ?

उत्तर

(1) श्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वर्तमान कुलपति श्री पी. एन. भण्डारी श्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत नियुक्त किये गये हैं।

(2) श्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत नियुक्त कुलपति सभी पदों पर होने वाले चयन में भाग लेने के अधिकारी हैं।

ग्राम मोलौनी (भरतपुर) में काश्त की भूमि

427. श्री हरी सिंह (कुम्हेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या भरतपुर जिले में ग्राम मोलौनी के पास बाण गंगा नदी में जिस भूमि में खेती होती है, वह काश्तकारों को पट्टे पर दी हुई है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और किन शर्तों पर ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भरतपुर जिले में ग्राम मोलौनी के पास बाण गंगा नदी में 20 व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत निर्धारित सामान्य शर्तों पर आवंटित की गई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची आवंटित भूमि ग्राम मोलौनी तहसील वैर (बाण गंगा वृत)

क्र.सं.	नाम आवंटी मय पता	खसरा नम्बर	आवंटित रकबा	आवंटन का वर्ष	खातेदारी देने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	रामश्री बेवा कलुवा चमार	111	4 बीघा	1972	18-1-82
2.	हरी मोहन, रमेश, जगमोहन पिसरान मंवर चमार	111	4 बीघा	1972	18-1-82
3.	सुमेरा पुत्र शोभाराम चमार	111	4 बीघा	1972	18-1-82
4.	राधेश्याम पुत्र घीसी गूजर	111	5 बीघा	1973	2-11-82
5.	खुशिया पुत्र रामपाल गूजर	111	5 बीघा 14 बि.	1972	18-1-82

1	2	3	4	5	6
6.	रामरूप व हरमान पिसरान रामसिंह गूजर	111	2 बीघा 5 बि.	1972	27-3-82
7.	गंगाविशन पुत्र रामसिंह गूजर	111	1 बीघा 7 बि.	1972	27-3-82
8.	किशन पुत्र रूपसिंह गूजर	111	4 बीघा 16 बि.	1971	27-3-82
9.	राम खिलाड़ी पुत्र गुरजी गूजर	111	48 बीघा	1971	13-6-82
10.	तेजसिंह पुत्र हरिश्चन्द्र ब्राह्मण	111	5 बीघा	1973	गैर खातेदार
11.	अभयसिंह पुत्र रामकरण गूजर	111	5 बीघा	1971	2-11-82
12.	रतनलाल पुत्र रामोजी चमार	111	2 बीघा	1971	18-1-82
13.	मु. तेजो बेवा रामखिलाड़ी चमार	111	2 बीघा	1971	18-1-82
14.	श्यामलाल पुत्र हुक्मी चमार	111	5 बीघा	1971	18-1-82
15.	पूरना पुत्र मिक्कू चमार	111	4 बीघा	1971	14-10-82
16.	हरहंस पुत्र रामसिंह गूजर	111	4 बीघा 10 बि.	1971	27-3-82
17.	दिलसुख पुत्र जयसिंह व मु. दिवालिया बेवा भंवरसिंह गूजर	111	6 बीघा 12 बि.	1971	14-10-82
18.	सरदार पुत्र बंशी गूजर	111	2 बीघा 5 बि.	1971	गैर खातेदार
19.	प्यारे व रोशन पिसरान मिक्की कौम मीरासी	111	3 बीघा	1971	गैर खातेदार
20.	सुगन सरदार नन्दन पिसरान बंशी 3/4, रमला जवानसिंह पूरन मलखान पिसरान मांग्या 1/4	111	4 बीघा	1971.	गैर खातेदार

योग:— रकबा 82 बीघा 9 बिस्वा
यानी (33 एकड़)

जैसलमेर को सीधी बस सेवा द्वारा जयपुर से जोड़ना

428. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत विधान-सभा सत्र में यातायात मंत्री महोदय ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि जैसलमेर को जयपुर से सीधी बस सेवा द्वारा जोड़ दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि अब तक जैसलमेर को जयपुर से सीधी बस सेवा द्वारा जोड़ा नहीं गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार अब जैसलमेर को जयपुर से सीधी बस सेवा द्वारा कब तक जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) गत विधान सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि यात्री भार का सर्वेक्षण करवाकर यदि औचित्य हुआ तो जैसलमेर को जयपुर से सीधी बस सेवा से जोड़ दिया जावेगा।

(2) जी हां। जैसलमेर को जयपुर से सीधी बस सेवा से जोड़ने के लिये परिवहन निगम ने सर्वेक्षण करवाया तो ज्ञात हुआ कि इस मार्ग पर यात्री भार करीब 30 प्रतिशत रहता है और आय 2.00 रु. प्रति कि. मी. से कम आती है जो अनार्थिक है।

(3) जयपुर-जैसलमेर के जोधपुर जैसलमेर भाग का पुनः आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण सम्भाग प्रबन्धक, जोधपुर द्वारा कराया जा रहा है। निगम आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर पुनः विचार कर अति शीघ्र निर्णय लेगा।

खनन पट्टों के प्रस्तुत प्रस्ताव

429. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

दिनांक 1 जून, 1980 से 31 दिसम्बर, 1982 तक निदेशक, खनिज विभाग, उदयपुर ने कितने प्रस्ताव खनन पट्टों की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये? दिसम्बर, 1982 तक इन प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों पर निर्णय हुआ?

उत्तर

निदेशक, खनिज विभाग, उदयपुर ने इस अवधि में कुल 1257 आवेदन-पत्र खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु भेजे एवं 690 आवेदन पत्र अस्वीकृति हेतु भेजे। उपरोक्त प्रस्तावों में शासन द्वारा कुल 1767 आवेदन पत्रों पर दिसम्बर, 82 तक निर्णय लिया गया।

दौलतपुरा तालाब (बारां) के डूब में आई भूमि

430. श्री छीतर लाल आर्य (अटरू):- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां तहसील के दौलतपुरा तालाब की डूब में किसानों की जमीनें आ गई हैं? यदि हां, तो कितने किसानों की कितनी जमीन आयी है?

(2) क्या सरकार प्रभावित किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 63 किसानों की 490 बीघा 19 बिस्वा भूमि डूब में आई है।

(2) भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा किसानों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। मुआवजा के क्लेम प्राप्त होने पर उचित निर्णय ले लिया जावेगा।

(195)

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 448 की अधिसूचना

राजस्थान सरकार

राजस्व (उपनिवेशन) विभाग

क्रमांक प. 2(9)राज/उप/79 जयपुर, दिनांक 8-2-82

अधिसूचना

राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12 क एवं 13 क के साथ पठित नियम 6 के उप नियम (3) के खण्ड (घ) एवं (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान नहर उपनिवेशन के चरण : II में आवंटन के लिए उपलब्ध सरकारी भूमि को इसके द्वारा निम्नलिखित आरक्षित करती है, अर्थात् :—

1 आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि का 50% उक्त नियमों के नियम 13-क के अधीन आवंटन के लिए आरक्षित किया जायेगा।

2. आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि के शेष 50% में से 50000) बीघा भूमि रक्षा सेवा से निवृत्त तथा रक्षा सेवा के विकलांग कर्मियों एवं संघर्ष में मारे गये रक्षा कर्मियों के आश्रितों को जो राजस्थान के निवासी हैं उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम 3 के खण्ड (घ) एवं (छ) के अधीन आवंटन के लिए आरक्षित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
ह.
(आनन्द मोहनलाल)
शासन सचिव।

(128)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 449 की सूची

(क्षेत्रफल)

क्र. सं.	नाम नहर	नाम चक	कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग
1	2	3	4	5	6
1.	रणजीतपुरा डि.	7 आरडीपाई	1056	526	1582
2.	,,	8 ,,	901	1022	1923
3.	,,	9 ,,	1360	194	1554
4.	,,	10 ,,	1185	1468	2653
5.	,,	11 ,,	1410	670	2080
6.	,,	12 ,,	1028	1300	2328
7.	,,	13 ,,	1613	2259	3872
8.	,,	14 ,,	1336	2835	4171
9.	,,	15 ,,	833	1091	1924
10.	,,	16 ,,	821	336	1157
11.	,,	17 ,,	503	272	775
12.	,,	18 ,,	837	1988	2825
	योग	12 चक	12883	13961	26844
13.	महेन्द्रा माईनर	4 एमडीएम	703	72	775
14.	रणजीतपुरा माईनर	1 आर एम	648	1130	1778
15.	,,	2 ,,	836	689	1525
16.	,,	3 ,,	537	880	1417
17.	,,	4 ,,	725	1518	2243
18.	,,	5 ,,	1276	924	2200
19.	,,	6 ,,	832	332	1164
20.	,,	7 ,,	1100	–	1100
21.	,,	8 ,,	641	525	1166
	योग	8 चक	6595	5998	12593
22.	बरसलपुर ब्रान्च	24 डीओबी बी	974	872	1846
23.	,,	25 ,,	933	928	1861
24.	,,	26 ,,	502	1451	1953
25.	,,	27 ,,	974	802	1776
	योग	4 चक	3383	4053	7436

1	2	3	4	5	6
26.	घेरा माइनर	1 जी एम	984	285	1269
27.	,,	2 ,,	665	2407	3062
28.	,,	3 ,,	374	783	1157
29.	,,	4 ,,	546	406	952
30.	,,	5 ,,	1179	553	1732
31.	,,	6 ,,	536	380	916
32.	,,	7 ,,	925	341	1266
	योग	7 चक	5240	5182	10422
33.	छीला डि.	1 सी डी	1648	1184	2832
34.	,,	2 ,,	784	6053	6137
35.	,,	3 ,,	902	265	1167
36.	,,	4 ,,	1364	385	1748
37.	,,	5 ,,	629	1710	2329
38.	,,	6 ,,	1149	2080	3229
39.	,,	7 ,,	1329	935	2321
40.	,,	8 ,,	1438	566	2004
41.	,,	9 ,,	1801	1399	3200
	योग	9 चक	11104	14377	25481
42.	बरसलपुर ब्रांच	16 डीब्रोबीबी	1136	418	1554
43.	,,	17 ,,	496	1169	1665
44.	,,	18 ,,	308	966	1274
45.	,,	19 ,,	680	1653	2333
46.	,,	20 ,,	861	566	1427
47.	,,	21 ,,	871	2320	3191
48.	,,	22 ,,	887	1227	2014
49.	,,	23 ,,	1131	33	1164
	योग	8 चक	6371	8352	14723
50.	महेन्द्रामाइनर	1 एमडीएम	590	228	818
51.	,,	2 ,,	774	264	1038
52.	,,	3 ,,	1107	383	1490
	योग	3 चक	2471	875	3346

1	2	3	4	5	6
53.	रणजीतपुरा डि.	1 आरडीबाई	1905	322	1527
54.	"	2 "	672	569	1241
55.	"	3 "	585	369	954
56.	"	4 "	709	1053	1762
57.	"	5 "	1233	517	1750
58.	"	6 "	1041	640	1681
	योग	6 चक	5445	3470	8915
59.	रूपतिहवाला माईं.	6 आर एम	2029	1747	3776
60.	गोडूमाइनर	1 जी एम आर	1416	956	2372
61.	"	2 "	1022	416	1438
62.	"	3 "	732	648	1380
63.	"	4 "	1030	138	1168
64.	"	5 "	597	443	1040
65.	"	6 "	1225	479	1704
66.	"	7 "	936	384	1320
67.	"	8 "	1229	450	1679
68.	"	9 "	378	251	629
69.	"	10 "	657	158	815
70.	"	11 "	1166	755	1921
71.	"	12 "	395	246	641
72.	"	13 "	528	492	1020
73.	"	14 "	654	869	1523
74.	"	15 "	423	441	864
75.	"	16 "	784	535	1319
76.	"	17 "	1024	346	1370
77.	"	18 "	1521	726	2247
78.	"	19 "	1327	2348	3675
	योग:	19 चक	17044	11081	28125
79.	फूलसर डि.	3 पी एस डी	972	1140	2112
80.	"	4 "	824	333	1157
81.	"	6 "	870	178	1048
82.	"	8 "	881	206	1027
83.	"	10 "	1198	733	1931
84.	"	12 "	987	393	1860

1	2	3	4	5	6
85.	फूलसर डि.	14 पी एस डी	876	1087	1963
86.	,,	15 ,,	1092	185	1277
87.	,,	16 ,,	347	1071	1418
88.	,,	17 ,,	876	349	1225
	योग:—	10 च क	8923	5675	14598
89.	चारणवाला ब्रांच	1 सीडब्ल्यूबी	1232	1601	2833
90.	,,	2 ,,	992	1347	2339
91.	,,	3 ,,	665	836	1401
92.	,,	4 ,,	1365	491	1856
93.	,,	5 ,,	1657	1268	2925
94.	,,	6 ,,	1219	319	1538
95.	,,	7 ,,	965	162	1127
96.	,,	8 ,,	786	578	1364
97.	,,	9 ,,	1442	238	1680
98.	,,	10 ,,	756	377	1133
99.	,,	11 ,,	860	93	953
100.	,,	12 ,,	1408	664	2072
101.	,,	13 ,,	1011	66	1077
102.	,,	14 ,,	656	19	675
103.	,,	15 ,,	1060	40	1100
104.	,,	16 ,,	1111	139	1250
105.	,,	17 ,,	1204	22	1226
106.	,,	18 ,,	1215	56	1271
107.	,,	19 ,,	752	126	878
108.	,,	20 ,,	912	1	913
109.	,,	21 ,,	1468	58	1526
110.	,,	22 ,,	1304	238	1542
111.	,,	23 ,,	1061	125	1186
112.	,,	24 ,,	1142	94	1236
113.	,,	25 ,,	928	136	1064
114.	,,	26 सीडब्ल्यूबी	1093	506	1599
115.	,,	27 ,,	978	68	1046
116.	,,	28 ,,	822	67	889
117.	,,	29 ,,	595	538	1133
118.	,,	30 ,,	932	93	1025
119.	,,	31 ,,	705	109	814
120.	,,	32 ,,	796	32	836
121.	,,	33 ,,	735	428	1163
122.		34 ,,	643	385	1028

1	2	3	4	5	6
123.	चारनवाला ब्रांच	35 सी.डब्लू.बी.	1550	1816	3366
124.	,,	36 ,,	648	347	995
125.	,,	37 ,,	1005	1903	2908
126.	,,	38 ,,	823	197	1020
	योग :	38 चक	38396	15587	53983
127.	चारण वाला माई.	1 सीडब्लू एम	1365	1197	2562
128.		2 ,,	690	446	1136
129.		3 ,,	1064	1030	2094
	योग :	3 चक	3119	2673	5792
130.	खारा डिस्ट्री ब्यू.	1 के एचडी	1185	1700	2885
131.		3 ,,	304	411	715
132.		4 ,,	966	1089	2055
133.		5 ,,	145	1407	1552
134.		6 ,,	1034	554	1588
135.		7 ,,	53	500	553
136.		8 ,,	2302	415	2717
137.		9 ,,	321	704	1025
138.		10 ,,	808	992	1700
139.		11 ,,	1497	853	2350
140.		12 ,,	153	572	725
141.		13 ,,	530	1213	1743
142.		14 ,,	276	677	953
143.		15 ,,	313	983	1296
144.		16 ,,	917	840	1757
145.		17 ,,	905	1135	2040
	योग :	16 चक	11709	13945	25654
146.	नारायण माई.	1 एन एस एम	516	95	611
147.		2 ,,	415	415	830
148.		3 ,,	595	175	770
149.		4 ,,	536	429	965
150.		5 ,,	631	319	950
151.		6 ,,	432	343	775
152.		7 ,,	240	510	850
153.		8 ,,	742	993	1735
154.		9 ,,	648	1852	2500
	योग :	9 चक	4855	5131	9986

201

1	2	3	4	5	6
155	फूलासर डिस्ट्री.	1 बीएसबी (ए)	840	1280	2120
156		1 ,,	1136	945	2081
157		2 ,,	596	425	1021
158		5 ,,	767	24	791
159		7 ,,	923	49	972
160		9 ,,	1272	88	1360
161		11 ,,	1256	158	1414
162		13 ,,	1134	133	1267
163		18 ,,	583	2239	2822
164		19 ,,	1432	468	1900
165		20 ,,	1547	906	2453
	योग :	11 चक	11486	6715	18201
166	मुट्ठोंवाली डिस्ट्री.	1 बीबी	827	408	1235
167		2 ,,	358	405	762
168		3 ,,	808	584	1392
169		4 ,,	461	2635	3096
170		7 ,,	257	1381	1638
171		8 ,,	605	1070	1675
	योग :	6 चक	3314	6484	9798
172	मुट्ठोंवाली माईनर	1 बी.एम	713	167	880
173		10 ,,	899	539	1438
	योग :	2 चक	1612	706	2318
174	रावत माईनर	1 आरएम	563	3507	4070
175		2 ,,	760	602	1362
176		3 ,,	1209	108	1317
177		4 ,,	610	463	1073
178		5 ,,	1055	164	1219
179		6 ,,	688	212	900
	योग :	6 चक	4885	5056	9941

1	2	3	4	5	6
180	फल्टक माई.	1 के एम	390	278	668
181		2 "	606	375	981
182		3 "	964	2702	3666
	योग :	3 चक	1960	3355	5315
183	तेजा माई.	1 टी. एम	620	1063	1683
184		2 "	676	1176	1852
185		3 "	912	338	1250
	योग :	3 चक	2208	2577	4785
186	करतसिंह वाला माई.	1 आर एम	834	717	1551
187		2 "	1483	467	1950
188		3 "	783	739	1522
189		4 "	1476	355	1831
190		5 "	1024	—	1024
191		7 "	1117	255	1372
	योग :	6 चक	6717	2553	9250
192	बरतलपुर ब्रांच	1 डोग्रो बोवो	1154	313	1467
193		2 "	1015	337	1352
194		3 "	1192	110	1302
195		4 "	1031	243	1274
196		5 "	985	490	1475
197		6 "	376	1436	1812
198		7 "	808	376	1184
199		7 "	632	73	705
200		8 "	1240	867	2107
201		9 "	844	572	1416
202		10 "	535	1047	1582
203		11 "	607	1486	2093
204		12 "	772	1815	2587
205		13 "	866	5027	5893
206		14 "	1381	343	1724
207		15 "	1106	68	1174
	योग :	16 चक	14544	14603	29147

203

1	2	3	4	5	6
208	गोकल माई.	1 ओ. एम.	1327	752	2079
209	,,	2 ,,	1168	610	778
210	,,	3 ,,	941	478	418
211	,,	4 ,,	893	789	1682
212	,,	5 ,,	1166	166	1332
213	,,	6 ,,	1353	533	1886
214	,,	7 ,,	1309	1515	2824
	योग :	7 चक	8157	4843	13000
215	गोकल माई.	1 ओ एस एम	1708	34	1742
216	,,	2 ,,	1359	291	1650
217	,,	3 ,,	1783	589	2373
	योग :	3 चक	4850	914	5764
218	माणकासर डि.	1 एम के डी	1931	2752	4683
219	,,	2 ,,	246	896	1142
220	,,	3 ,,	440	537	977
221	,,	4 ,,	890	1061	1951
222	,,	5 ,,	1130	254	1384
223	,,	6 ,,	936	78	1014
224	,,	7 ,,	944	348	1292
225	,,	8 ,,	975	702	1577
226	,,	9 ,,	1365	719	2084
227	,,	10 ,,	1054	440	1494
	योग :	10 चक	9811	7787	17598
228	मोहम्मदवाला माई.	1 एम एम	858	88	946
229	,,	2 ,,	934	662	1596
230	,,	3 ,,	1635	269	1904
231	,,	4 ,,	1360	164	1524
232	,,	5 ,,	1409	289	1698
233	,,	6 ,,	1078	–	1078
	योग :	6 चक	7274	1472	8746

1	2	3	4	5	6
234	मलूरी माई.	1 बी एल एम	834	553	1387
235	"	2 "	1004	497	1501
236	"	3 "	673	2195	2868
237	"	4 "	705	805	1510
	योग :	4 चक	3216	4050	7266
238	बन्वली माई.	1 बी एम	191	866	—
239	"	2 "	913	—	—
	योग :	2 चक	1104	—	—
240	जोलावाली डिस्ट्री.	1 सी डी वाई	1186	—	1833
241	"	2 "	1218	264	482
242	"	3 "	1012	29	1641
243	"	4 "	896	647	1043
244	"	5 "	1165	387	1522
245	"	6 "	1049	219	1268
246	"	7 "	794	—	794
247	"	8 "	1180	686	1866
248	"	9 "	1159	6	1165
249	"	10 "	1110	740	1850
	योग :	10 चक	10739	2745	13484
250	अहमदवाला माई.	1 ए. एम.	683	114	797
251	"	2 "	1033	300	1333
252	"	3 "	799	121	920
253	"	4 "	951	62	1013
254	"	5 "	1557	172	1729
255	"	6 "	824	83	907
256	"	7 "	900	72	972
257	"	8 "	792	268	1060
258	"	9 "	1246	412	1658
259	"	10 "	958	517	1475
	योग :	10 चक	9743	2121	11864

1	2	3	4	5	6
260	खारवाली माई.	1 के. डब्ल्यू. एम.	1229	705	1934
261	"	2 "	1617	681	2298
262	"	3 "	772	158	930
263	"	4 "	898	465	1363
	योग	4 चक	4516	2009	6525
264	सम्मेवाला डि.	9 एसएमडी	439	2231	2670
265	"	11 "	610	2165	2775
266	"	13 "	271	2885	3156
267	"	14 "	1213	829	2042
268	"	15 "	773	1243	2016
269	"	16 "	264	229	493
270	"	17 "	2029	850	2879
271	"	18 "	942	811	1753
272	"	19 "	207	1062	1269
273	"	20 "	675	752	1427
274	"	21 "	868	1373	2241
275	"	22 "	752	2043	2800
276	"	23 "	1468	182	1650
277	"	24 "	1156	394	1450
	योग	14 चक	11567	17054	28621
278	दतौर माई.	5 डी. एम.	2471	1577	4048
279	"	6 "	544	490	1034
280	"	7 "	1416	1333	2749
281	"	8 "	712	561	1273
282	"	9 "	165	525	690
283	"	10 "	189	739	928
284	"	11 "	229	971	1200
285	"	12 "	1400	2675	4075
	योग	8 चक	7126	8871	15997
286	जगासर माई.	1 जे. एम.	488	392	880
287	"	2 "	263	881	1114
288	"	3 "	568	1049	1617
289	"	4 "	610	1573	2183
290	"	5 "	996	1879	2875
	योग	5 चक	2925	5774	8699

206

1	2	3	4	5	6
291	मिठड़िया डि.	1 एमटी भार	1000	226	1226
292	,,	2 ,,	1269	924	2193
293	,,	3 ,,	1530	1252	2772
	योग :	3 चक	3789	2492	6191
294	गोकल माई.	7 बी एम	2029	1747	3776
	योग :	1 चक	2029	1747	3776
295	अबला डि.	24 के एल डी	906	4177	5083
296	,,	25 ,,	723	264	987
297	,,	26 ,,	982	214	1196
298	,,	27 ,,	870	200	1070
299	,,	28 ,,	878	1366	2244
	योग :	5 चक	4359	6221	10580

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 454 की सूची

सूची फर्जी रसीदात द्वारा वसूल की गई राशि का विवरण वर्ष 1981–82

पटवार मण्डल मिश्रोली

तहसील पचपहाड़

क्र.सं.	नाम आसामी	बुक नं.	रसीद नं.	दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6
	ग्राम पाकिया				
1.	श्री रतनलाल पुत्र भंवरलाल	096961	2	9-1-82	22.98
2.	श्री रामगोपाल पुत्र रामनारायण	,,	3	11-1-82	18.85
3.	श्री मांगीलाल पुत्र धूरा नाई	,,	4	11-1-82	30.64
4.	श्री हिन्दूसिंह पुत्र फतेहसिंह	,,	5	13-1-82	200.08
5.	श्री नारायण पुत्र रामा चमार	,,	6	14-1-82	41.61
6.	श्री इन्दरसिंह पुत्र हरिसिंह	,,	7	14-1-82	179.96
7.	श्री बाबूलाल पुत्र गमेरसिंह	,,	8	14-1-82	139.88
8	श्री जोरावरसिंह पुत्र नाथूसिंह	,,	9	14-1-82	63.30
9.	श्री चन्दरसिंह पुत्र भेरूसिंह	,,	10	14-1-82	141.53
10.	श्री रामसिंह पुत्र नाथूसिंह	,,	11	14-1-82	275.67
11.	श्री रामचन्द्र पुत्र हीरा	,,	12	16-1-82	52.61
12.	श्री बसन्तीलाल पुत्र रामचन्द्र	,,	13	16-1-82	12.60
13.	श्री राधाकृष्ण पुत्र रामचन्द्र	,,	14	16-1-82	27.10
14.	श्री कालूसिंह पुत्र भगवानसिंह	,,	15	16-1-82	27.06
15.	श्री गंगाराम पुत्र कालूसिंह	,,	16	16-1-82	68.79
16.	श्री मानसिंह पुत्र कालूसिंह	,,	17	16-1-82	61.07
17.	श्री शिवलाल पुत्र कालूसिंह	,,	18	16-1-82	35.35
18.	श्री राधूसिंह पुत्र हिन्दूसिंह	,,	19	16-1-82	8.08
19.	श्री मंजुनसिंह पुत्र बाबूलाल	,,	20	16-1-82	7.32
20.	श्री चैनसिंह पुत्र प्यारसिंह	,,	21	16-1-82	5.74
21.	श्री भरथीलाल पुत्र ओंकार	,,	22	16-1-82	101.45
22.	श्री लाला पुत्र परथा	,,	23	16-1-82	21.68
					1638.63

1	2	3	4	5	6
	ग्राम परनिया				
23.	श्री रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल	096962	2	11-1-82	12.46
24.	श्री कालूसिंह पुत्र भगवानसिंह	"	3	12-1-82	42.13
25.	श्री कालूसिंह पुत्र देवीसिंह	"	4	12-1-82	211.78
26.	श्री भंवरसिंह पुत्र गुलाब सिंह	"	5	12-1-82	53.74
27.	श्री कालू सिंह पुत्र भंवरसिंह	"	6	12-1-82	123.86
28.	श्री बाबूलाल पुत्र लाल जी	"	7	12-1-82	168.89
29.	श्री पूरसिंह पुत्र ओंकारसिंह	"	8	12-1-82	49.12
30.	श्री भेरूसिंह पुत्र स्वरूप सिंह	"	9	12-1-82	174.98
31.	श्री मरलाल पुत्र स्वरूप सिंह	"	10	12-1-82	156.76
32.	श्री बसन पुत्र नाथू	"	11	12-1-82	25.28
33.	श्री मांगीलाल पुत्र भनुसिंह	"	12	12-1-82	37.68
34.	श्री रूपा पुत्र कालू	"	13	16-1-82	48.94
35.	श्री मिठ्ठालचन्द पुत्र प्रभूलाल	"	14	16-1-82	39.97
36.	श्री मोहन लाल पुत्र रामनारायण	"	15	16-1-82	30.31
37.	श्री मथुरालाल पुत्र रामनारायण	"	16	16-1-82	10.50
38.	श्री रूपासिंह पुत्र गुलाबसिंह	"	17	16-1-82	40.81
39.	श्री फतेहसिंह पुत्र गुलाबसिंह	"	18	16-1-82	25.48
40.	श्रीमती मगनबाई पत्नी फतेहसिंह	"	19	16-1-82	18.46
41.	श्री धूलसिंह, नाथूसिंह वगैरा	"	20	16-1-82	21.00
42.	श्री धूलसिंह, नाथूसिंह, फतेहसिंह	"	21	16-1-82	42.00
43.	श्री मांगीलाल पुत्र मेघसिंह	"	22	16-1-82	93.00
44.	श्री रामनारायण पुत्र रामचन्दर	"	23	16-1-82	75.88
45.	श्री परसराम पुत्र मथुलाल	"	24	16-1-82	11.55
46.	श्री कालूलाल पुत्र चुन्नीलाल	"	25	16-1-82	72.15
47.	श्री धूलसिंह नाथूसिंह	"	26	16-1-82	21.00
48.	श्री गंगाराम पुत्र धूला	"	27	16-1-82	118.00
49.	श्री कालूराम, मगन घासी	"	28	18-2-82	18.86
50.	श्री रामसिंह पुत्र विरधा	"	29	12-2-82	1.00
					1744.51

1	2	3	4	5	6
	ग्राम मिश्रोली				
51.	श्रीमती गंगाबाई पत्नी रामगोपाल " शान्तीबाई पत्नी कन्हैयालाल	014659	12	19-1-82	15.91
52.	श्री कन्हैयालाल	"	13	19-1-82	13.03
53.	श्री गोपाललाल पुत्र नन्दलाल	"	14	19-1-82	13.69
54.	श्री छत्तीराम पुत्र नारायण	"	15	19-1-82	77.15
55.	श्री भवानीशंकर	"	16	19-1-82	62.77
56.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र हरसुख	"	17	19-1-82	116.84
57.	श्री तिलोक चन्द पुत्र मनसुख लाल	"	18	19-1-82	65.09
58.	श्री मनसुख लाल पुत्र भैरूलाल	"	19	19-1-82	48.21
59.	श्री महावीरकुमार पुत्र सुखलाल	"	20	19-1-82	38.69
60.	श्री राजमल पुत्र सुखलाल	"	21	19-1-82	36.85
61.	श्री राजमल पुत्र सुखलाल	"	22	19-1-82	11.90
62.	श्री ज्ञान चन्द पुत्र महावीर प्रसाद	"	23	19-1-82	33.47
63.	श्री श्यामलाल पुत्र धरमचन्द	"	24	20-1-82	31.05
64.	श्री मांगीलाल पुत्र धूला	"	25	20-1-82	35.89
65.	श्री मांगीलाल पुत्र बसन्तीलाल	014659	26	20-1-82	152.01
66.	श्री मांगीलाल पुत्र शिवलाल	"	27	20-1-82	35.15
67.	श्री प्रेमनारायण पुत्र प्रेमप्रकाश	"	28	20-1-82	40.19
68.	श्री कन्हैयालाल पुत्र शिवलाल	"	29	20-1-82	1.00
69.	श्री रमेशचन्द्र पुत्र जगन्नाथ	"	30	21-1-82	34.65
70.	श्री घनश्याम पुत्र जगन्नाथ	"	31	21-1-82	121.40
71.	श्री रामलाल पुत्र रूपा	"	32	22-1-82	79.62
72.	श्री घासीलाल पुत्र परथीलाल	"	33	22-1-82	42.72
73.	श्री अभयकुमार पुत्र रखबचन्द्र	"	34	22-1-82	26.01
74.	श्री रामरतन पुत्र कालू	"	35	22-1-82	144.66
75.	श्री दौलतराम पिता कालू	"	36	25-1-82	55.20
76.	श्री शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ	"	37	29-1-82	38.81
77.	श्री भैरूलाल, भंवरलाल, उदयराम	"	38	8-2-82	1.15
78.	श्री जगन्नाथ पुत्र मोती	"	39	8-2-82	2.38
79.	श्री भवानीराम पुत्र उदयराम	"	40	8-2-82	10.94
80.	श्री भैरूलाल पुत्र चुन्नीलाल		41	8-2-82	95.37

1	2	3	4	5	6
81.	श्री शंकर पुत्र सेवा	014659	42	8-2-82	5.93
82.	श्री घासी पुत्र चुन्नी लाल	,,	43	8-2-82	15.57
83.	श्री भैरूलाल भगवान वगैरा	,,	44	8-2-82	0.55
84.	श्री प्रताप पुत्र हीरा	,,	45	8-2-82	14.52
85.	श्री राधाकिशन पुत्र पन्नालाल	,,	46	8-2-82	0.75
86.	श्री राधेश्याम पुत्र मोहनलाल	,,	47	8-2-82	0.90
87.	श्री भागीरथ पुत्र अमर चन्द	,,	49	9-2-82	1.15
88.	श्री भैरूलाल भुवान वगैरा	,,	2	10-2-82	10.75
89.	श्री भंवरलाल पुत्र नन्दा वगैरा	014658	3	10-2-82	29.15
90.	श्री रामलाल पुत्र उदय राम	,,	4	12-2-82	24.10
91.	श्री माधो पुत्र काना	,,	5	12-2-82	0.80
92.	श्री प्रेमचन्द पुत्र अभयकुमार	,,	6	12-2-82	21.68
93.	श्री पदमकुमार पुत्र अभयकुमार	,,	7	,,	9.15
94.	,, राजमल पुत्र भैरूलाल	,,	8	,,	399.97
95.	,, राजमल पुत्र भैरूलाल	,,	9	,,	37.05
96.	,, राजमल पुत्र भैरूलाल	,,	10	,,	5.43
97.	,, हुकमचन्द पुत्र पदमचन्द	,,	11	,,	39.99
98.	,, प्रेमचन्द पुत्र अभयकुमार	,,	12	,,	20.30
99.	,, कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल	,,	13	,,	0.45
100.	,, मांगीलाल पुत्र नेमीचन्द	,,	14	,,	18.51
101.	,, भवानीसिंह पुत्र ओंकारसिंह	,,	15	13-2-82	3.19
102.	,, उमरावसिंह पुत्र ओंकारसिंह	,,	16	,,	1.12
103.	,, ओंकारलाल पुत्र कानजी	,,	17	,,	1.82
104.	,, नान्या पुत्र बिरदा	,,	18	,,	0.93
105.	,, करणसिंह पुत्र नाथूसिंह	,,	19	,,	1.74
106.	,, नाथूसिंह पुत्र लाल जी	,,	20	,,	0.66
107.	,, करणसिंह पुत्र मांगूसिंह	,,	21	,,	1.94
108.	,, कालूसिंह पुत्र इकरसिंह	,,	22	,,	0.97
109.	,, गोपालसिंह पुत्र करणसिंह	,,	23	,,	6.70
110.	,, नानूराम पुत्र प्रभूलाल	,,	24	,,	1.25
111.	,, अम्बालाल पुत्र नानूराम	,,	25	,,	103.70
112.	,, दौलतराम पुत्र नानूराम	,,	26	16-2-82	6.14
113.	,, बद्रीलाल पुत्र नाथूलाल	,,	27	,,	1.99

1	2	3	4	5	6
114.	श्री उदयसिंह पुत्र नटवरसिंह	014658	28	10-2-82	1.95
115.	„ उदयसिंह पुत्र जालमसिंह	„	29	„	1.55
116.	„ नन्दलाल पुत्र चुन्नीलाल	„	30	19-2-82	77.02
117.	„ घासीदास पुत्र किशोरीदास	„	31	„	34.92
118.	„ हुकमचन्द पवनकुमार	„	32	„	65.28
119.	„ किशनलाल पुत्र बिरदीचन्द	„	33	20-2-82	0.81
120.	„ किशनलाल पुत्र बिरदीचन्द	„	34	„	5.79
121.	„ भूरीलाल पुत्र प्यारचन्द	„	35	„	135.83
122.	„ हमीदशाह पुत्र मल्लाशाह	„	36	21-2-82	1.73
123.	„ बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण	„	37	26-2-82	4.08
124.	„ बालीराम पुत्र उदयराम	„	38	„	2.84
125.	„ मुकेश पुत्र जगन्नाथ	„	39	27-2-82	55.00
126.	„ राधाकिशन पुत्र हीरालाल	„	40	„	135.00
127.	„ मोहनलाल पुत्र भूरीलाल	„	41	„	35.00
128.	„ भैरू पुत्र बरधा सैनी	„	42	28-2-82	73.89
129.	„ रतनलाल पुत्र भैरूलाल	„	43	6-3-82	1.09
130.	„ सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल	„	44	„	1.34
131.	अयोध्याबाई –	„	45	„	35.00
132.	राधीबाई पत्नी सत्यनारायण	„	46	„	12.47
133.	श्री भंवरलाल पुत्र गुलाब	„	47	„	19.84
134.	„ दौलतराम पुत्र रामचन्द्र	„	48	7-3-82	1.16
135.	„ सुन्दरभाई बेवा बाबूलाल	„	49	„	18.00
136.	श्री जगन्नाथ पुत्र सीताराम	014658	50	„	4.10
137.	„ राधाकिशन पुत्र भूरालाल	36123	2	10-3-82	56.94
138.	„ मांगीलाल, मोहनलाल रामगोपाल, गिरधारी	„	3	„	90.41
139.	„ मोहनलाल पुत्र राधाकिशन	„	4	„	19.69
140.	„ रमकूबाई पत्नी राधाकिशन	„	5	„	12.24
141.	„ गिरधारीलाल पुत्र „	„	6	„	16.20
142.	„ नारायण पुत्र कनीराम	„	7	„	1.63
143.	„ नारायण पुत्र कनीराम, भुवान, कनीराम	„	8	„	9.84
144.	„ रामलाल, रामचन्द्र, रामप्रसाद पुत्र दल्ला	„	9	„	0.46

212

1	2	3	4	5	6
145.	श्री शिवनाथ पुत्र कनीराम	86123	10	10-3-82	0.71
146.	,, देवलाल पुत्र गुलाब	,,	11	,,	2.07
147.	,, जगन्नाथ पुत्र बद्रीनाथ	,,	12	,,	1.94
148.	,, हरिसिंह पुत्र रामनाथ मोतीसिंह पुत्र भगवानसिंह	,,	13	11-3-82	8.77
149.	,, मंदिर माजियान	,,	14	12-3-82	0.58
150.	,, हरलाल पुत्र कालू	,,	15	13-3-82	28.98
151.	,, हरलाल पुत्र कालू	,,	16	,,	0.76
152.	,, नेमीचन्द पुत्र किशन	,,	17	,,	1.00
153.	,, उदयराम पुत्र मगनीराम	,,	18	14-3-82	97.04
154.	,, उदयराम पुत्र मगनीराम	,,	19	,,	1.58
155.	,, उदयराम पुत्र मगनीराम	,,	20	,,	13.39
156.	,, ऊंकारलाल पुत्र विजयराम	,,	21	,,	4.04
157.	,, द्वारकालाल पुत्र उदयराम	,,	22	,,	30.51
158.	,, भेरूलाल पुत्र उदयराम	,,	23	,,	40.84
159.	,, राधेश्याम पुत्र उदयराम	,,	24	,,	19.37
160.	,, ललनाबाई पत्नी द्वारकालाल	,,	25	,,	67.31
161.	,, शांतीबाई पत्नी शिवनारायण	,,	26	,,	24.41
162.	,, शांतीबाई पत्नी उदयराम	,,	27	,,	0.50
163.	,, रमेशकुमार, महेशकुमार पुत्र भेरूलाल	,,	28	,,	102.00
164.	,, भैरालाल, कंवरलाल वगैराह पुत्र दुलीचन्द	,,	29	17-3-82	1.11
165.	,, ताजमोहम्मद पुत्र प्यारा	,,	30	,,	1.41
166.	,, भवानी राम पुत्र नारान	,,	31	,,	1.2
167.	,, गंगाराम, भंवरलाल पुत्र देवा गुजर	,,	32	,,	0.5
168.	,, नारायणलाल पुत्र नाथूलाल	,,	33	,,	4.00
169.	,, शंकरलाल पुत्र मेवा चमार	,,	34	,,	9.00

कुल योग ग्राम मिश्रोली	–
,, ,, आकिया	–
,, ,, अरनिया	–
कुल योग	–

परिशिष्ट–8

प्रतारांकित प्रश्न संख्या 457 की सूची

सूची आवंटन सिवायचक तहसील बसवा

राजस्व अभियान 1-1-83 से 15-2-83

जिला जयपुर

नम्बर शुमार	नाम आवंटी	दिनांक आवंटन	नाम ग्राम जहां भूमि आवंटित की गई	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र सैन	12–1–83	शाल्यावास कला	239	2–10	सिवाय चक	
2.	,, मांगीलाल पुत्र रामनिवास सैन	,,	,,	259	2–10	,,	
3.	,, बाबूलाल पुत्र रामगोपाल सैन	,,	,,	259	2–10	,,	
4.	,, सत्यनारायण पुत्र रामदयाल	,,	,,	259	2–10	,,	
5.	,, हीरालाल पुत्र गोकल गूजर	,,	,,	199/1	5–80	,,	
6.	,, इन्द्रराम पुत्र जमनालाल ब्रा. नि. 1/5 खुसालसिंह/नारायण सिंह बी. 7/50 गजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह	,,	बांदीकुई जागीर	183	5–10	,,	421.2
7.	,, नरेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह	,,	,,	193	0–10	,,	128.10
8.	ग्राम पंचायत मुराकटला सावेड़	18–1–83	मुरा कटला	750	0–04	,,	
				830	2–03		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	श्री मोती पुत्र धन्ना मीना	18-1-83	बूंदी	75	2-11	सिवाय चक	76.30
10.	,, भोरिया पुत्र भाज्या 1/4 नानग्या सौग्या बेवा नि. मोसहि 3/4	,,		331	2-03	,,	38.00
11.	,, किशनलाल पुत्र मूलचन्द घूड गानेती	,,	घूड जनोती	321	5	,,	
12.	,, किशना पुत्र जैसा	,,		43	4	,,	
13.	,, रामपाल पुत्र जैसा	,,	,,	43	5	,,	
14.	,, गोपी पुत्र जैसा	,,	,,	43	4	,,	
15.	,, भागीरथसिंह पुत्र भूरा गूजर	,,	मादरवाड़ा गूजराव	196	0-10	,,	
16.	,, कल्याण पुत्र मंगलाराम गूजर	,,	,,	191	2-00	,,	
17.	,, रामधन पुत्र जोधा गूजर	,,	,,	11	1-00	,,	
18.	,, जौहरी पुत्र बिरदू गूजर	,,	,,	292	1-00	,,	
19.	,, राम पुत्र रामनिवास गूजर	,,	,,	355	1-10	,,	
20.	,, रणजीता पुत्र रामधन गूजर	,,	,,	90	3-00	,,	
21.	,, प्रभु पुत्र रामसहाय	,,	,,	348	3-00	,,	
22.	,, मांगीलाल पुत्र भीमा	,,	,,	320	3-00	,,	
23.	,, रामधन पुत्र मुवराम रैगर	18-1-83	गादरवाड़ा गूजरान	316	1-18		
24.	,, शांती पुत्री रामकुमार राणा	,,	,,	143	4-00		
25.	,, माली पुत्र छाज्या राणा	,,	,,	145	2-00		
26.	,, सुरजन सिंह पुत्र राणा गूजर	,,	रासनवाद	51/1/1	2-10	सीलिंग	
27.	,, रामकिशन पुत्र रामनिवास	,,	,,	,,	2-10	,,	
28.	,, रामसहाय पुत्र शंकर गुजर	,,	,,	,,	2-10	,,	
29.	,, कल्याण पुत्र भंवरलाल	,,	,,	,,	2-20	,,	
30.	,, प्यारसिंह पुत्र गंगाकिशन	,,	,,	,,	2-10	,,	
31.	,, भूरा पुत्र श्रवण	,,	,,	,,	2-10	,,	

32.	श्री रामकिशन	भोमा गूजर	18-1-83	गादरवाड़ा गूजराव	316	2-10	सीलिंग
33.	,, बद्री पुत्र कल्लू गूजर		,,	,,	,,	2-10	,,
34.	,, जनकीगा पुत्र रामकिशन गूजर		,,	,,	,,	2-10	,,
35.	,, रंगलाल पुत्र भोरीलाल		,,	,,	,,	2-10	,,
36.	,, जगदीश पुत्र रामस्वरूप गूजर		,,	राशनवाद	,,	2-10	,,
37.	,, हरि पुत्र भंवर गूजर		,,	,,	,,	2-10	,,
38.	श्रीमती सुन्दरी बाई/मंगवीन सहाय गूजर		,,	,,	,,	2-10	,,
39.	,, कमला स्त्री सीमाराम गूजर		,,	,,	,,	2-10	,,
40.	श्री ओम प्रकाश कजोड़मल राणा		,,	,,	,,	5-00	,,
41.	श्रीमती सीता स्त्री रामेश्वर गूजर		,,	,,	,,	2-10	,,
42.	श्री [illegible] श्री [illegible]रायण गूजर		,,	,,	,,	2-10	,,
43.	,, [illegible] पुत्र [illegible]-सिंह		,,	मापगुठलिया	69	0-14	51.60
44.	,, कन्हैया पुत्र [illegible] मीना		,,	खटिया विलापत	18/4	3-00	
45.	,, विद्युत विभाग (ग्रेड स्टेशन विद्युत)		,,	मांगलभापती	351	3-00	
46.	,, बांके पुत्र हरबक्स मीणा		,,	,,	548	0-07	
47.	,, हरिसिंह पुत्र कल्याण		,,	नयागांव	33/1	1-13	
48.	,, जम्बुरी पुत्र बद्री		,,	,,	33/1	1-13	
49.	,, [illegible] पुत्र [illegible]		,,	,,	33/1	1-10	
50.	,, नारायणी पत्नी रामेश्वर प्रसाद गूजर		,,	गादरवाड़ा	124	1-00	सिवायचक
51.	,, रामकिशोर/राम प्रसाद गूजर		,,	,,	124	1-00	,,
52.	,, अर्जुन लाल पुत्र गंगाधर गूजर		,,	,,	117	0-10	,,
53.	,, हरलाल पुत्र गंगाधर गूजर		,,	,,	117	1-00	,,
54.	,, भूरा पुत्र हूंडा गूजर		,,	छीतरपुरा	42/2	5-00	,,
55.	,, छीतर पुत्र नानिगा बैरवा		,,	,,	109/1	0-97	,,
56.	,, रामफूल पुत्र हरबक्स		,,	,,	109/4	0-15	,,
57.	,, नारायण पुत्र मूलचन्द माली		,,	,,	207	5-00	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	श्री रामजीलाल पुत्र मूलचन्द महाजन	18-1-83	छीतरपुरा	98	2—00	सिवाय चक	
59.	,, फमूलाल पुत्र गंगासहाय शर्मा	,,	,,	74/1	4—00	,,	
60.	,, भगवान्या पुत्र रेवड़ माली	,,	,,	25/1	5—00	,,	
61.	,, मोहनसिंह पुत्र भगवानसिंह	,,	,,	25/2			
62.	,, बंशी पुत्र गोपाल गूजर	,,	,,	54/3	5—00	,,	
63.	,, रामकिशन सिंह/गणपतसिंह	,,	,,	94/3	3—00	,,	
	पि. विजयसिंह राजपूत	,,	,,	25/8	0—00	,,	
64.	,, जौहरी पुत्र मूलचन्द जांगिड़	,,	,,	98/2	5—00	,,	
65.	,, रामधन पुत्र रामसहाय माली	,,	,,	49	5—00	,,	
66.	,, रंगलाल पुत्र रेवड़ माली	,,	,,	55	5—00	,,	
67.	,, लक्ष्मण पुत्र धन्ना माली	,,	,,	57	5—00	,,	
68.	,, रामनारायण पुत्र गंगाराम	,,	,,	49	0—18	,,	
69.	,, गोपाली पुत्र रामसहाय गूजर	,,	,,	208	5—00	,,	
70.	,, गिरराज प्रसाद पुत्र घासीमल गुप्ता	,,	,,	98/2	5—00	,,	
71.	,, जयसिंह पुत्र मूलचन्द गूजर	,,	,,	208	5—00	,,	
72.	,, मांगीलाल पुत्र मंगला	,,	घरसिबा	109	4 00	,,	
73.	,, मूंधा पुत्र सेमा बैरवा	,,	,,	199	4—00	,,	
74.	,, भगवान सहाय पुत्र मूलचन्द गूजर	,,	,,	199	4—00	,,	
75.	,, मंगला पुत्र टूण्डाराम	,,	,,	159	3—00	,,	
76.	,, देवीसहाय पुत्र चन्द्र गूजर	,,	,,	362	1—00	,,	
77.	,, हीरालाल पुत्र रामकिशन	,,	,,	362	1—00	,,	
78.	,, प्रेमनारायण पुत्र रामकिशन	,,	,,	199	2—00	,,	
79.	,, श्योदान पुत्र मूलचन्द गूजर	,,	,,	199	2—00	,,	
80.	,, हरिकिशन पुत्र रामसहाय	,,	घरसिबा	397	3—00	,,	

81.	श्री हजारीलाल पुत्र भांगीलाल	18-1-83	श्याल्यावास कलां	397	3-00	सिवायचक
82.	,, किशनलाल पुत्र मूघा गूजर	,,	,,	257	3-00	,,
83.	,, खेम पुत्र रघुनाथ गूजर	,,	,,	257	3-00	,,
84.	,, रामेश्वर पुत्र गोकुल गूजर	,,	,,	172	4-00	,,
85.	,, लक्ष्मण पुत्र रामहेत गूजर	,,	,,	199	4-00	,,
86.	,, लक्ष्मीनारायण पुत्र गोकल गूजर	,,	,,	172	4-00	,,
87.	,, हरदयाल पुत्र मूलचन्द गूजर	,,	,,	199	4-00	,,
88.	,, उमरावसिंह पुत्र नायूसिंह	,,	,,	199	4-00	,,
89.	,, मनोहरलाल पुत्र शिवदान गूजर	,,	,,	199	4-00	,,
90.	,, ग्यारस्या पुत्र सेवा बैरवा	,,	,,	199	4-00	,,
91.	,, रामजीलाल पुत्र रामसहाय	,,	,,	199	4-00	,,
92.	,, रामनिवास पुत्र धन्ना	,,	आराजी चक नं. 1	35	0-11	,, अस्थाई
93.	,, श्योदयाल पुत्र भादुलाल कातार सिंह	,,	,,	367	3-00	,, आवंटन 5 व्यक्ति
94.	,, रघुवीरसिंह पुत्र रामफल	18-1-83	शाल्यावास कलां	362	2-10	सिवायचक
95.	,, धारासिंह जयसिंह पुत्र रामधन	,,	,,	362	2-00	,,
96.	,, रामस्वरूप पुत्र रामप्रताप गुजर	,,	,,	256	0-10	,,
97.	,, रामेश्वर पुत्र रामकिशन	,,	,,	567	9-00	,,
98.	,, रंगालाल पुत्र रामकिशन	,,	,,	567	5-00	,,
99.	,, दुण्डाराम पुत्र भूरा कोली	,,	,,	259	1-00	,,
100.	,, जयसिंह, लक्ष्मणसिंह पुत्र कंवरपाल	,,	,,	199	2-10	,,
101.	,, रामरखा, रघुवीर पुत्र नहर गुजर	,,	,,	259	4-00	,,
102.	,, गंगासहाय पुत्र देवकान्त गुजर	,,	,,	5	2-00	,,
103.	,, विजयसिंह पुत्र ओनन्दा गुजर	,,	,,	199	4-00	,,
104.	,, श्रीनारायण, हरीसिंह पुत्र रामधन	,,	,,	257	2-10	,,
105.	,, कैलाशसिंह पुत्र श्याराम गुजर	,,	,,	257	2-00	,,
106.	,, रामकरण पुत्र भोरण गुजर	,,	,,	257	2-10	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
107.	श्री गंगाराम पुत्र भैरू गुर्जर	18-1-83	शाल्यावास कलां	199/1	4–00	सिवायचक	
108.	,, ग्यारसीराम पुत्र सुन्दर बैरवा	,,	,,	199	4–00	,,	
109.	,, हरसहाय पुत्र भोला बैरवा	,,	,,	58	3–00	,,	
110.	,, रामधन पुत्र सुवामा बैरवा	,,	,,	209	5–00	,,	
111.	,, गोपाल पुत्र धन्ना गुर्जर	,,	,,	209	2–00	,,	
112.	,, बंशी पुत्र कंवरलाल गुर्जर	,,	,,	195	1–03	,,	
113.	,, रामकरण, गंगासहाय पुत्र श्रीनारायण	,,	,,	199	4–00	,,	
114.	,, दयाराम पुत्र रामबक्स गुर्जर	,,	,,	199	3–00	,,	
115	,, सत्यप्रकाश पुत्र हरसहाय बैरवा	,,	,,	199	5–00	,,	
116.	,, दीनदयाल पुत्र आनन्दा	,,	,,	199	4–00	,,	
117.	,, रघुवीरसिंह पुत्र शिवदान गुर्जर	,,	,,	199	4–00	,,	
118.	,, मूलचन्द पुत्र चन्द्रराम गुर्जर	,,	,,	199	2–00	,,	
119.	,, कल्याणसहाय पुत्र नाथूराम गूजर	,,	,,	199	4–00	,,	
120.	,, नारायण, भैरया पुत्र रामधन	,,	रेहडिया	147	2–05	,,	
121.	,, ग्यारसा पुत्र छाजू मीना	,,	,,	217/1	1–07	,,	
122.	,, मूलचन्द पुत्र ग्यारसा मीना	24–1–83	रानो का बास	433/1	0–10	,,	
123.	,, गोपाल पुत्र मंगल्या मीना	,,	,,	433/1	0–10	,,	
124.	,, रामधन पुत्र भोला मीना	,,	,,	,,	0–10	,,	
125.	,, श्योनाथ पुत्र भोला मीना	,,	,,	,,	0–10	,,	
126.	,, पून्या पुत्र ग्यारसा मीना	,,	,,	,,	0–10	,,	
127.	,, मून्या जगन, बदरी पुत्र रामलाल, छीतर पुत्र उदा मीना	,,	,,	,,	0–10	,,	
128.	,, रामकरण पुत्र भूराराम बैरवा	,,	,,	,,	0–10	,,	
129.	,, गणेश पुत्र मंगल बैरवा	,,	,,	,,	0–10	,,	

29

130.	श्री चन्द्र पुत्र मांग्या मीना	,,	,,	,,	0-10	,,
131.	,, घीसया पुत्र मंगला मीणा	,,	,,	,,	0-10	,,
132.	,, लल्लू पुत्र श्रवण मीना	,,	,,	,,	0-10	,,
133.	,, श्रीनारायण पुत्र श्योबक्स मीना	,,	,,	,,	2-06	,,
134.	,, गोकल पुत्र हुटट्या	,,	,,	,,	0-10	,,
135.	,, रामप्रसाद पुत्र छीतर मीना	24-1-83	रानी का बास	433/1	0-10	सिवाय चक
136.	,, नारायण पुत्र ग्यारसा मीना	,,	,,	,,	0-10	,,
137.	,, मेदा पुत्र गंगासहाय मीना	,,	,,	,,	0-10	,,
138.	,, नानगा, गोदी, छोटलमल, कालूराम, उम्मेदा पि. नारायण नाथ जोगी	,,	प्रतापपुरा	51/1	1-00	,,
139.	श्रीमती वृद्धि बेवा गंगासहाय माली	,,	,,	,,	1-00	,,
140.	श्री रामप्रसाद पुत्र सोहनलाल माली	,,	,,	,,	0-10	,,
141.	श्रीमती जमुरी बेवा रामजीलाल जोगी	,,	,,	,,	1-00	,,
142.	श्री गोपाल पुत्र रिता माली	,,	,,	,,	1-00	,,
143.	किशनी पत्नी श्री नारायण माली	,,	,,	,,	0-10	,,
144.	श्री लल्लुराम पुत्र धन्नाराम माली	,,	,,	,,	0-10	,,
145.	श्री नारायण पुत्र रेवल राणा	,,	,,	,,	1-00	,,
146.	श्री लक्ष्मीनारायण पि. सुखदेवा 1/2, भोरया, सुवा, रामफूल पि. गंगाधन मु. धन्नी बेवा मंगल्या 1/4, मांग्या, गोपाल पि. रामप्रसाद 1/4	,,	,,	99	0-19	गै मु. श्रा.
147.	श्री द्वारका प्रसाद पुत्र घनश्याम ब्राह्मण	,,	भानेरी	16	1-04	गै मु श्रा.
148.	श्री भींवा पुत्र मंगल्या गूजर सा. श्यालावाल खुर्द	,,	श्यालावाल खुर्द	348	1-00	रा.
149.	श्री रामकिशन, रामकरण, रामफूल पि. छाज्या		,,	302	1-00	,, श्रा.
150.	श्री नारायण सिंह पुत्र रामहेत गुर्जर	,,	,,	348	0-15	,, रा.
151.	श्री रामकिशन, रामस्वरूप, नवलकिशोर, सुखसिंह नाम खिलाड़ी रामसिंह पि. बालचन्द गुर्जर	,,	,,	298	1-06	,, बारा.
152.	श्री श्रवणलाल पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण	,,	,,	832	4-00	बंजड

225

1	2	3	4	5	6	7	8
153	श्री मूलचन्द पुत्र बद्रीनारायण महाजन	24-1-83	श्यालावास खुर्द	259	3 00	बारां.	
154.	,, बाबूलाल पुत्र रामगोपाल सैन	,,	,,	259	3-00	ब.का.	
155.	,, मंगलाराम पुत्र चंदर मीना	3-1-83	सांवारान पुरा	4	0-12	बंजड II	
156.	,, गोकुल पुत्र श्रीया मीना	,,	,,	309/5	0.09	बंजड-I	
157.	,, देवी सहाय पुत्र भौरया मीणा	30-1-83	,,	196	3-18	बंजड-II	
158.	,, राम सहाय/गंगा सिह राजपूत	,,	,,	115	1-12	,,	
159.	,, मूल्या, गंरधन, राम सहाय पि. ,, मंगल्या बैरवा कालेड	,,	कालेड	110/1	0-10	,,	
160.	,, मूल्या पुत्र गणेश गूर्जर सवडावली	,,	सवडावली	133/3-85	2-00	बं. I	
161.	,, हर गोविन्द पुत्र राम प्रताप गूर्जर	,,	मोराडी च. नं. 3	22	4-00	ब.	
		,,	मोडण्डी	42	6-11	ब-II	
162.	,, लल्लू/सूज्यां कोली	,,	ऊनबडागांव	354	1-10	बंजड	
163.	,, भौरिया पुत्र मांग्या माली	,,	,,	832	2-00	,,	
164.	,, गुल्ला राम पुत्र कल्लूराम माली	,,	छाजीराम	288	0-11	बंजड-II	
165.	,, राम किशोर पुत्र श्रीया मीना	,,	पुरा	309	0-09	ब.-I	
166.	,, मूलचन्द/मंगल लाल, कैलाश चन्द सत्यनारायण, गोपाल पि. बद्रीनारायण महाजन बडा गांव	,,	ऊनबडागांव	295	0-37	बारानी	
167.	,, बद्री प्रसाद पुत्र रामधन माली	,,	,,	832	0-03	ब-I	
168.	,, दौलत कंवर पत्नी भंवरसिंह	,,	छाजीरामपुरा	111	0-15	बा. I	

169.	श्री लखा पुत्र भौरिया मीना	30-1-83	कालेड	181	1–14	रास्ता सिवाय चक
170.	„ रूघनाथ पुत्र भौरिया मीना	„	„	188	0–01	
171.	„ बुद्धा पुत्र रामपाल गूर्जर	„	पाडक्या	101/2	0–11	„
172.	„ मोरी लाल/लक्ष्मीनारायण „ श्रीचन्द पिसरान साथबंता, „ रमेश पुत्र आनन्दा गूर्जर	„	बांदीकुई जागीर	846	4–08	„
173.	„ कन्हैया पुत्र नारायण मीना	14-2-83	रपबास	178	0–07	„
174.	„ मूल्या, धन्ना, प्रभात्या, पि. सांवरया, „ अर्जुन पु. चन्दा धन्ना, धन्ना सावत्या रेगर „ खेरया पु. नारायण, गंगाधर पुत्र सुखा सरवण „ पु. हरदेवा मीना	„	खूंटजारोली	611	1–14	„
175.	„ शंकर, शेडवा, रघुनाथ, सोवता, सरवण, नारायण „ पि. भोरया, गणेश, रामजीलाल पि. चून्या, „ सोनिया, रामसहाय, रामचन्द पि. शोला „ चेतराम, खेमचन्द, लक्ष्मीनारायण, सूरजप्रकाश „ पि. मांग्या, घीस्या, दूल्या पि. भीमा, डूंगा, „ उमराव, बिरदया पि. मुकन्दा सावला पि. „ रामपाल, छीतर, शंकर, रामल्या पि. उद्‌या चमारान	14-2-83	कालेड	146	1.09	सि. चक
176.	„ भोलू पु. भ्रात्या सैन	„	गिरधरपुरा	2/1	3–00	„
177.	„ गुमानसिंह पुत्र नारायण पि. राजपूत बडीयाकलां	„	उंदरेवाला	12/1	0–15	बारानी
178.	„ कल्याण पुत्र गंगासहाय गुर्जर	„	गादरवाला गुजरान	191	2–00	„
179.	„ मांगीलाल पुत्र मीवा गुर्जर	„	„	320	1–10	

1	2	3	4	5	6	7	8
180.	श्री रामफूल स्वरूप पुत्र भोलाराम शर्मा प्रडियालकला	14-2-83	मूंडधिकया	59	1–14	मा. 1	
181.	,, रामफूल पुत्र चतरया प्रावरिया	15-2-83	मीनापाडा	161 1/1/2	0–16	बा. 1	
182.	,, गंगा सहाय, श्योप्रसाद ,, पि. कजोड ब्राह्मण	,,	बालाहेड़ा 355		0–16 0–15	जा.2	
183.	,, बुद्धा पुत्र छोटे लाल बैरवा	,,	मउखेडा 330/5		1–02	म–3	
184.	,, देवी सहाय पुत्र घासीराम सोमी	,,	,, 330/5		1–03	,,	
185.	,, मोती लाल पुत्र मंगलाराम मीना	,,	भावना–351 भावती		2–12	बंजड	
186.	,, पांच्या, कला पि.जगन्ना मीना	,,	,,	351	2–00	,,	
187.	,, रामकिशन प. रामदेव मीना	,,	रामपुरा 13		1–00	वेहड	
188.	,, गोबिन्द सहाय, मोतीलाल ,, पि. मूलचन्द गूर्जर	,,	मादरवाला 348 गुर्जरान		1–00	सिचक	
189.	,, गंगा सहाय पुत्र रामफूला	,,	,,	191	1–00	,,	
190.	,, जोहरी लाल पुत्र विरदू गूर्जर	,,	,,	292	1–00	,,	
191.	,, रामप्रताप रामजीवन, छंगा, रामसिंह, सुख राम ,, पि. श्योराम जोगी	,,	सुनेल	53/2	1–01	सि. चक	
192.	,, बद्री पुत्र सुन्दर मीना	,,	सुधाहेकला	703	1–00	,,	
193.	,, नवीन पुत्र शिवचरण	,,	जस्यापाड़ा	372/98	2–00	,,	
194.	,, नोरत्या पुत्र रूपा कोली	,,	नंदेरा	735	1–00	,,	
195.	,, मु. लाडा बे. रूपा कोली	,,	,,	735	1–00	,,	
196.	,, रेवड पुत्र चौखाराम कोली	,,	,,	735	1–00	,,	
197.	,, मूल्या पुत्र रामसहाय धोबी	,,	,,	,,	1–00	,,	
198.	,, रामहेत पुत्र मूलचन्द कोली	,,	,,	,,	1–00	,,	

199. श्री छोटेलाल/चोखा	15-2-83	नंदेरा	735	1–00	सि. चक
200. ,, हरसहाय/रामसहाय धोबी	,,	,,	,,	1–00	,,
201. ,, गंगासहाय/रामसहाय धोबी	,,	,,	,,	1–00	,,
202. ,, रामचन्द/गंगाराम कोली	,,	,,	,,	1–00	,,
203. ,, कजोडिया पुत्र रतनलाल मीना	,,	मोटकाड़ा	385	1–10	,,
204. ,, रामेश्वर पुत्र राधा मीना	,,	,,	386	1–14	,,
205. ,, डोडी पुत्र मूल्या	,,	,,	388	2–01	,,
,, कजोड पुत्र गंगाधर मीना					
206. ,, छोटेलाल पुत्र गोकल मीना	,,	मालाहेड़ा	471/3	2–00	,,
207. ,, विश्राम पुत्र बशीराम मीना	,,	,,	,,	2–00	,,
208. ,, रूपनारायण पुत्र रामस्वरूप मीना	,,	,,	,,	2–00	,,
209. ,, हरिया जगली पुत्र सावल्या मीना	,,	अलीपुर	885/1	0–12	,,

सूची नियमन सिवाय–चक तहसील–बसवा

क.सं.	नाम व्यक्ति जो नियमन किया गया	दिनांक	नाम ग्राम जहां नियमन किया गया	ख. नं.	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री आजू पुत्र चन्दा कौम मीना सा. काटरवाडा	12-1-83	बड़ियाल खुर्द	25	0–01	तालाबी 1
2.	,, सौन्या पुत्र रामला मीना सा. काटरवाडा	,,	,,	,,	0–06	,,
3.	,, बाबूलाल पुत्र नादया मीना सा. कोलाना	,,	कोलाना	23	0–14	बा. 1
4.	,, शंकर, बद्री पि. गंगल्या घमनी पुत्र हरल्या मीना सा. कोलाना	,,	,,	32	0–15	,,

1	2	3	4	5	6	7
5.	अमरसिंह पु. मोहनसिंह विजयसिंह पि. मन्ना दरोगा, सा. कोलाना	12-1-83	कोलाना	374	0–14	गै. मु. रा.
6.	श्रीनारायण पुत्र रेवड मोहन लाल पुत्र राम सहाय गुजर सा. श्यालावास कलां	"	श्यालावास कलां	397/1	4–00	बा. 2
7.	गोकल पुत्र टूण्डा, गिर्राज पुत्र आनन्दां गूर्जर श्यालावास कलां	"	"	367	1–05	स. का. च. बा. 2
8.	भोरया पुत्र मूल्या रामस्वरूप पुत्र रामधन गुर्जर साकन श्यालावास कलां	"	"	397/1	4–00	"
9.	अमर सिंह पुत्र लक्ष्मण गुर्जर	"	"	394	6–00	ब. का. च. चाही-3
10.	दयाराम पुत्र रामबक्ष गुर्जर	"	"	199/1	3–10	ब. का. च. बा. II
11.	भगवाना पुत्र रामलाल गुर्जर	18-1-83	बगडेड़ा	27	2–00	बा. 3
12.	राधाकिशन पुत्र भोंगी लाल	"	नयागांव	207	1–05	गै. मु. रा.
13.	श्योनवा पुत्र रामकुवार गूजर	"	रेहडिया	158	1–02	बं. 1
14.	हरलाल पुत्र बंशी मीना	15-2-83	हिंगोटा	436	1–10	बंजड-2
15.	रमेश सिंह पुत्र श्याम सिंह राजपूत	"	"	454/1	1–10	"
16.	बाल्या पुत्र वेश्या कोली	"	"	437	1–05	"
17.	अमर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह गिरजू सिंह पि. भंवर सिंह	"	"	435	4–10	"
18.	गंगाधर पुत्र बुद्दा कोली	"	"	437	3-17	"
19.	कन्हैया पुत्र गंगाधर चमार	"	"	433/1	0-06	"
20.	शिवपाल मान्देर	"	बेजूपाड़ा	1099	0–10	गै. मु. बदी

21.	कन्हैयालाल पुत्र गंगाधर बैरवा सा. हिंगोटा	15-2-85	हिंगोटा	433	0–06	बंजड़–2
22.	भैरुसहाय पुत्र दुर्गा ब्राह्मण	,,	मऊकलां	61/1	0–03	चौ. डौल
23.	रामहेत पुत्र जगन्नाथ ,,	,,	,,	,,	0–03	
24.	कजोड़,मूल्या पि. गवल्या मीना	,,	मऊखेड़ा	218	0–03	गै.मु. जेरा
25.	रामभरोसी पुत्र भजनी मीना	,,	ढिगारिया कंपूर	35	3–11	बा. 1
26.	नारायण; मूल्या, सम्पत पि. [गंगाराम धोबी	,,	,,	17/1	2–05	बं.–2
27.	मदन पुत्र काना मीणा	,,	मोटवाड़ा	1095	0–12	बंजड़
28.	बद्री पुत्र पन्ना जाट III भगवान सहाय पुत्र गंग्या III साकिन बालाहेड़ा	,,	बालाहेड़ा	321	1–11	बंजड़–1
29.	किस्तूरचन्द, राधेश्याम पिसरान श्योबक्स	,,	,,	359	1–05	चाही–2
30.	रमज्या पुत्र जंगली कुमार	,,	,,	580	0–10	बंजड़-2
31.	मु. मनवी बेवा धनपाल मीना	,,	,,	331 332	0–13	चाही–1
32.	लटूरिया पुत्र हरसहाय मीना	,,	,,	406	5–15	बारानी–1
33.	छुट्टन पुत्र पांचा माली	,,	,,	436	1–06	बंजड़–2
34.	किस्तूरचन्द, राधेश्याम पि. प्यारेलाल	,,	,,	208	1–04	बंजड़–2
35.	बन्सी व रंगली पुत्र भोला मीना	,,	,,	461	2–18	बंजड़-2
36.	लल्लू पुत्र श्योना चमार	,,	,,	563	1–10	बंजड़–2
37.	भौरया पुत्र हरसहाय मीना	,,	,,	403/4	0–05	,,
				404	1–05	,,
38.	विश्राम पुत्र रामपाल मीना	,,	,,	480	5–13	,,
39.	रमज्या बतकला पि. मूल्या नाई सा. बालाहेड़ा	,,	,,	482	3–00	,,
				341/2	1–10	,,
40.	मूल्या पुत्र भगवाना मीना	,,	,,	349/2	1–05	चाही–1बा. 1
41.	रामजीलाल पुत्र गंगाधर मीना	,,	,,			

1	2	3	4	5	6	7
42.	लल्लु व प्रभू पि. चिम्मन व जोड्या पुत्र भूरिया बैरवा सा. वालाहेड़ा	15-2-83	वालाहेड़ा	523	6-00	बंजड़-2
43.	रामजीलाल पुत्र इन्द्र मीना सा. अलीपुर	,,	,,	308/1	3-00	,,
44.	राधेश्याम पुत्र रामदयाल मीना सा. बड़ियाल कलां	14-2-83	,,	19	1-05	बंजड़ बेहड़
45.	रामसहाय पुत्र पांचू माली सा. कोरतपुरी	,,	,,	47/6	5-00	बा.
46.	रामधन पुत्र जोहरी माली सा. श्यामपुरा	,,	,,	58/4	1-09	बंजड़-1
47.	रामकिशोर, मानसिंह पि. गंगासहाय सा. सुम्मेल कलां	,,	सुमेल कलां	69/2	3-00	बंजड़-2
48.	रामकिशोर मानसिंह पि. गंगासहाय गुजर सा. सुमेलकलां	,,	,,	69/2	23-00	बंजड़-2
49.	गोरया पुत्र न्यारस्या कुम्हार सा. द्वारापुरा	,,	,, खुर्द	8/1	1-00	बारानी-3
50.	लिछमन पुत्र भोमा गूजर सा. पाडला	,,	पाडला	1	0-10	च. बा.
51.	गंगाधर पुत्र भवानी माली सा. जस्सा पाड़ा	,,	जस्सापाड़ा	371 68	2-00	बंजड़ का. ब.
52.	रामचन्द्र पुत्र बुधा, रुगनाथ पुत्र नारायण गुजर सा. श्यालावास कलां	18-1-83	श्यालावास कलां	257/7	-10	बंजड़ का. ब.
53.	रामस्वरूप पुत्र रामप्रताप गुजर सा. श्यालावास कलां	,,	,,	257	0-10	,,
54.	गणेश पुत्र धन्ना गुजर सा. श्यालावास खुर्द	24-1-83	श्यालावास खुर्द	382	0-10	आबादी ग्रा.

55.	लछमन पुत्र चैना गुजर सा. श्यालावास खुर्द	24-1-83	श्यालावास खुर्द	382	0–10	आबादी बा
56.	प्रभुदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण गुर्जर सा. श्यालावास खुर्द	,,	,,	190	1–16	गै. मु. नला
57.	कालू पुत्र चन्दा गूजर सा. रानीवास	,,	,,	433	0–04	बंजड़–11
58.	जीवन पुत्र जग्गा गूजर सा. मानोकावास	,,	रानी का वास	433	0–09	,,
59.	श्रीनारायण मूलचन्द-गंगासहाय पि. श्योबक्स मीना	,,	,,	433	0–08	,,
60.	नारायण पून्या पि. ग्यारस्या मीना	,,	,,	453	0–10	,,
61.	नारायण पून्या पि. ग्यारस्या मीना	,,	,,	433	2–06	,,
62.	बाल्या पुत्र नानगा माली	,,	,,	433	1–04	,,
63.	हट्टया पुत्र अर्जुन, श्रीनारायण पुत्र रामकुवार, रामसहाय पुत्र भीवा गुजर	,,	,,	433	1–02	,,
64.	त्रिशन्या, ग्यारस्या, सोन्या पि. रामचन्द्र कुम्हार सा. पीपूपाड़ा कलां	,,	पिपूपाड़ा कलां	115	1–00	बारानी
65.	रामनाथ, बीरबल, पि. घन्ना व भूदान पुत्र श्योदान	,,	साहूपाड़ा	99 1033	1–11	बंजड़ 1
66.	छुट्टन पुत्र मन्ना मीना सा. साहूपाड़ा	,,	,,	99 5	3–05	,,
67.	माधो पुत्र श्रवण गुजर	,,	सुमेल कलां	69 2	4–01	,,
68.	रामफूल, मणिराम पि. लालू भोरया पुत्र श्योनारायण	24–1–83	सुमेल कलां	124/3/1	3–04	बंजड 2

227

1	2	3	4	5	6	7
69.	बिरदा पुत्र दान गुर्जर	24-1-83	सुमेल कलां	38/2	0-08	बंजड़-1
70.	रामजीलाल पुत्र शंकर गुजर	,,	,,	62/28	0-17	,, 1
71.	डूंगा पुत्र ग्रानन्दा गुजर	,,	मोराठी चक नं. 1	67/1	1-05	,,
72.	रामजीलाल पुत्र जीवन माली	,,	मोराठी ब. नं 3	31	0-16	बंजड़-3
					136-03	
					प्रीमियम राशि 259.50	

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 460 का ब्यौरा

राजस्थान सरकार

कार्यालय व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्वनियोजन पायलाट परियोजना जन जाति उपयोजना क्षेत्र, उदयपुर जन जाति के आशार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन; स्वनियोजन एवं नियोजन का जिलेवार विवरण अप्रेल, 1982 से दिसम्बर, 1982

	उदयपुर	डूंगरपुर	बांसवाड़ा	चित्तौड़गढ़	सिरोही
व्यावसायिक मार्ग दर्शन	848	677	230	60	57
स्वनियोजन	1	×	×	×	3
नियोजन	139	49	26	12	20

नोट :—यह सूचना इस कार्यालय में तहसीलवार नहीं रखी जाती है, जिलेवार रखी जाती है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्वनियोजन पायलाट परियोजना जन जाति उपयोजना क्षेत्र, उदयपुर जन जाति के आशार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, स्वनियोजन एवं नियोजन का जिलेवार विवरण वर्ष 1981-82

	उदयपुर	डूंगरपुर	बांसवाड़ा	चित्तौड़गढ़	सिरोही
व्यावसायिक मार्गदर्शन	5454	2902	327	330	–
स्वनियोजन	112	69	13	42	2
नियोजन	136	120	95	1	1

नोट:— यह सूचना इस कार्यालय में तहसीलवार नहीं रखी जाती, जिलेवार रखी जाती है।

(238)

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 464 के आदेश की प्रति

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सोजत

क्रमांक /भू.अ./1383 दिनांक 31-7-82

वास्ते:–श्री पटवारी हल्का खारिया सोडा।

विषय:–नामान्तरकरणों का अमल बरामद नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में आपको लिखा जाता है कि ग्राम बासमी भदावता के नामान्तरकरण सं. 32, 33, 34, 35 का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में ताहुकुम सानी नहीं किया जावे।

Sd-

तहसीलदार (भू.अ.) सोजत

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 470 की सूची

पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 में नूतन छात्रवृत्ति के लिये चयनित किए गये छात्र/छात्राओं की सूची

अनुसूचित जाति :– सं.–2

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम मय पिता का नाम	पूर्ण पता	व्यवसाय	जाति	कक्षा	छात्रावासी/ डे स्कालर
1	2	3	4	5	6	7
		विद्या भवन, उमा वि. उदयपुर				
1.	मनिष कुमार पुत्र सोहन लाल	हाथीपोल के बाहर, चमनपुरा उदयपुर	मशीन मेन	हरिजन	5	छात्रावासी
2.	बद्रीलाल जीनगर पुत्र श्री हीरालाल जीनगर	पो. धागोर, जिला भीलवाड़ा (अंक तालिका प्रस्तुत करें) इस कार्यालय की पुष्टि के पश्चात ही प्रवेश दिया जावे,	चर्मकार	जीनगर	8	,,
3.	अरविन्द कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाटव	पो. अ. हिण्डोन जाटव बस्ती, हिण्डोन (सवाई माधोपुर)	दुकानदारी	जाटव	9	,,
		सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर				
4.	ताराचंद पुत्र श्री सहीराम सोलंकी	मू. पो. बाहा, गांव वाया अनूपगढ़ (श्री गंगानगर)	खेती	मेघवाल	5	,,
5.	लोकेश गोठवाल पुत्र चिरंजी लाल गोठवाल	ई–149 गोठवाल भवन रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	कनिष्ठ लिपिक	बैरवा	6	,,
6.	विक्रम कुमार पुत्र पृथवी राज	108 सी ब्लाक श्री करणपुर, जि. श्री गंगानगर	अध्यापक	मेघवाल	6	,,

1	2	3	4	5	6	7
		वनस्थली विद्यापीठ, निवाई				
7.	अन्जू आर्य पुत्री श्रीमती मनोहर देवी	अनिल कुमार कनिष्ठ लिपिक, आयकर विभाग नागोर	पेन्शनर्स	रेगर	6	छात्रावासी
8.	सुश्री संतोष आर्य श्रीमती मनोहर देवी	अनिल कुमार कनिष्ठ लिपिक, आयकर विभाग नागोर	पेन्शनर्स	रेगर	8	,,
		अनुसूचित जन जाति सूची नं. 2				
		विद्या भवन उमावि, उदयपुर				
9.	बालू राम पुत्र श्री राम शंकर मीणा	मु. पो. कनवई तह. खैरवाडा, जिला उदयपुर	खेती	मीणा	6	,,
10.	चुन्नीलाल मीणा पुत्र श्री काकमाजी	मु. पो. कनवई, त. खैरवाड़ा, जिला उदयपुर	खेती	मीणा	8	,,
11.	संजयकुमार बामनिया पुत्र श्री सुदर्शन कुमार	महावीर ओटोमोबाईल, सागवाड़ा, डूंगरपुर	खेती	भील	7	,,

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 82–83 में नूतन छात्रवृत्ति के लिए चयनित किए गए छात्र/छात्राओं की सूची।

अनुसूचित जाति

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम मय पिता का नाम	पूर्ण पता	व्यवसाय	जाति	कक्षा	छात्रावासी/डे स्कालर
1	2	3	4	5	6	7
		(1) विद्या भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर				
12.	शिवनारायण पुत्र श्री लीला राम खटीक	ग्राम पोस्ट ततारपुर मुण्डावर, अलवर	मजदूरी	खटीक	10	छात्रावासी
13.	हेमाराम पुत्र श्री गिरधारी	ग्राम जैतपुरा पोस्ट देवली आरया, मारवाड़ जं., पाली 306024	—	मेघवाल	9	छात्रावासी
14.	गौरी शंकर पुत्र श्री रामचन्द्र बोराणा	आमेट पुलिस कोतवाली के पास, जिला उदयपुर—313332	जूते बनाना	जीनगर	9	छात्रावासी आय, जाति, निवास का प्रमाण पत्र दें
15.	मांगीलाल पुत्र श्री रतना जी	द्वारा ओमप्रकाश यादव कनिष्ठ लिपिक, जिला रसद कार्यालय, बांवाड़ा	खेती	चमार	9	छात्रावासी
16.	बाबूलाल पुत्र श्री हीराजी	मणिया पो. सादड़ी वाया रेलमगरा, जिला उदयपुर	मजदूरी	रेगर	9	छात्रावासी
17.	भंवरलाल पुत्र श्री घासीराम	राशमी, चित्तौड़गढ़	कृषि	रेगर	9	छात्रावासी

1	2	3	4	5	6	7
18.	मदनलाल पुत्र श्री हीरा लाल	रामपुरा (कुवांरिया) तहसील–राजसमंद, उदयपुर	800	रेगर	9	छात्रावासी
19.	शिव लाल पुत्र श्री नारायणा लाल	बांराना वाया रायपुर, जिला भीलवाड़ा	अध्यापक	रेगर	9	छात्रावासी आय, आयु, जाति का प्रमाण पत्र दें
20.	मीठालाल पुत्र श्री पुनाराम	पोस्ट शेखावास स्टेशन सोजत गेड, पाली	कृषि	रेगर	9	छात्रावासी
21.	देवी लाल पुत्र श्री मांगी लाल	मु. पो. त. राशमी जिला चित्तौड़गढ़	कृषि	रेगर	9	छात्रावासी
22.	मोहनलाल पुत्र श्री दयाराम	तालाब के पास पोस्ट कुवांरिया, जिला उदयपुर	अध्यापक	सालवी	8	छात्रावासी
23.	रामलाल पुत्र श्री भगवान लाल	मु. पो. पारेल, त. धरियावद, जिला उदयपुर	पटवारी	मेघवाल	8	छात्रावासी
24.	रोशन प्रकाश पुत्र श्री चुन्नी लाल	रैगर मोहल्ला, पो. माही वाया कांकरोली–313324 जिला, उदयपुर	पोस्टल असिस्टेन्ट (केन्द्रीय सेवा)	रेगर	7	छात्रावासी
		जिला सवाई माधोपुर				
25.	ललित कुमार पुत्र श्री छबिलाल	मु. पो. कल्याणपुर मकान नं. 49, त. खैरवाड़ा जिला उदयपुर	अध्यापक	बलाई	7	छात्रावासी
26.	बसन्तीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र	आमेट (उदयपुर) पुलिस कोतवाली के पास 313332	जूते बनाना	जीनगर	7	छात्रावासी
27.	लोकेश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार	मु. पो. त. राशमी, जिला चित्तौड़गढ़	खेती	रेगर	7	छात्रावासी
28.	ललित कुमार पुत्र श्री दयाराम सालवी	तालाब के पास, मु. पो. गांव कुवांरिया, जिला उदयपुर	–	सालवी	6	छात्रावासी
29.	राजेश कुमार पुत्र श्री रामदयाल	मुख्य डाकघर, कांकरोली–313324 जिला उदयपुर	पोस्टल असिस्टेंट	रेगर	6	छात्रावासी

30.	किशनलाल पुत्र श्री रोडीलाल रेगर	उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, बजाज नगर, डबोक, (उदयपुर)	नौकरी	रेगर	8	छात्रावासी
31.	धन सिंह पुत्र श्री बसता राम खटीक	ग्राम पो. ततारपुर त. मुण्डावर (अलवर)	खेती	खटीक	7	छात्रावासी
32.	देवकांत पुत्र श्री नत्थी लाल	ग्रा. स्यालावास खुर्द सिकन्दरा रोड, न्यू कालोनी, बांदीकुई (जयपुर)	वरिष्ठ लिपिक	बैरवा	6	छात्रावासी
33.	सुरेश चन्द पुत्र श्री डाल चन्द रेगर	मु. पो. त. राशमी, जिला चितौड़गढ़	मजदूरी	रेगर	6	छात्रावासी
34.	चन्द्र प्रकाश मेघवाल पुत्र श्री प्रभुलाल मेघवाल	सहायक लोक अभियोजक, कार्यालय बांसवाड़ा	सहायक लोक-अभियोजक	मेघवाल	6	छात्रावासी
35.	चम्पालाल पुत्र श्री घासीराम बैरवा	मु. पो. त. राशमी, जिला चितौड़गढ	मजदूरी	बैरवा	6	छात्रावासी
36.	किशन लाल पुत्र श्री लालू मेघवाल	मु. पो. त्रिरोटी त. झाडोल (उदयपुर)	खेती	मेघवाल	6	छात्रावासी
37.	दयाराम चादव पुत्र श्री करुपा जी चादव	मु. पो. गोवाड़ी त. सागवाड़ा (डूंगरपुर)	कृषि	चमार	6	छात्रावासी
38.	बसन्ती लाल पुत्र ओंकार लाल	मु. पो. थोबावाड़ा त. झाडोल (उदयपुर)	च. श्रे. क.	चमार	6	छात्रावासी
39.	ओंकार लाल रेगर पुत्र श्री घासीराम रेगर	मु. पो. त. राशमी जिला चितौड़गढ़		रेगर	6	छात्रावासी
40.	मांगीलाल पुत्र श्री दल्ला मेघवाल	मु. पो. त्रिरोटी, त. (उदयपुर)	खेती	मेघवाल	6	छात्रावासी
41.	प्यार चन्द्र रेगर पुत्र श्री भोलाराम रेगर	मु. पो. त. राशमी, जिला चितौड़गढ	मजदूरी	रेगर	6	छात्रावासी
42.	सुशीलाल रेगर पुत्र श्री चतुर्भुज रेगर	पो. भाटोली वाया कांकरोली गांव कुमारिया खेड़ा (उदयपुर)	कृषि	रेगर	6	छात्रावासी
43.	रतनलाल सालवी पुत्र श्री हुकम जी	मु. पो. भाण्डा फला, वाला बारीत, खैरवाड़ा, जिला उदयपुर	कृषि	सालवी	6	छात्रावासी

1	2	3	4	5	6	7
44.	बलदेव यादव पुत्र श्री लालजी यादव	मु.पो. गोवाड़ी, त. सागवाड़ा (उदयपुर) डूंगरपुर ।	कृषि	यादव	6	छात्रावासी
45.	मुरली पुत्र श्री कन्हैयालाल	अम्बामाता, हरिजन बस्ती, उदयपुर	च.श्रे.क.	हरिजन	6	डे स्कालर
46.	नारायण पुत्र श्री उदयलाल रेगर	मकान नं. 28 ठक्करबापा कालोनी, सूरजपोल बाहृ उदयपुर	मजदूरी	रेगर	5	,,
47.	शंकरलाल रेगर पुत्र श्री हेमाजी रेगर	रेगर मोहल्ला, मु. पो. बिनोल, त. राजसमंद (उदयपुर)	मजदूरी	रेगर	5	छात्रावासी
48.	ओमप्रकाश पुत्र श्री भैरूलाल खटीक	ड्राईवर नं. 962, पुलिस लाइन्स, अजमेर	कान्सटेबल	रेगर	5	छात्रावासी
49.	श्री हरीवल्लभा रेगर पुत्र श्री डालचन्द रेगर	ठक्कर बापा कालोनी, मकान नं. 98, उदयपुर	व.लि.	रेगर	5	स्कालर (आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। तह. घर का।
50.	ओमप्रकाश रेगर पुत्र श्री मांगी लाल रेगर	मु.पो.त. राशमी, जिला चित्तौड़गढ़	कृषि	रेगर	5	छात्रावासी
51.	मदनलाल रेगर पुत्र श्री हजारी रेगर	मु.पो.त. राशमी, जिला चित्तौड़गढ़	कृषि	रेगर	5	छात्रावासी
52.	राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री धुलेश्वर यादव	च.श्रे. कर्मचारी, तहसील सागवाडा, मु.पो. रातड़िया, जिला डूंगरपुर	च.श्रे.क.	चमार	5	छात्रावासी
53.	रोशनलाल रेगर पुत्र श्री कैला राम रेगर	मु. पो.त. राशमी, जिला चित्तौड़गढ़	खेती	रेगर	5	छात्रावासी
54	ओमप्रकाश मेघवाल पुत्र श्री ओंकार लाल मेघवाल	द्वारा चेनराम मेघवाल मु.पो. मगवास त. झाड़ोल, जिला उदयपुर	मजदूरी	मेघवाल	4	छात्रावासी
55.	सन्तोष कुमार पुत्र श्री भंवरलाल यादव	मु.पो. पुनर्वास, कालोनी, ब्लाक/10 सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर	प्रयोगशाला सहायक	चमार	4	छात्रावासी

56.	श्री मनीषकुमार पुत्र श्री मंगलाराम गोदारा	द्वारा मोहनलाल कुमावत मकान नं. 2 रामागली, देहली गेट, घोलीबावड़ी, उदयपुर	प्रयोगशाला सहायक (स्थानीय निवासी)	कोली	4	डेस्कॉलर
57.	कुलदीप पुत्र श्री अमृतलाल यादव	मु. पो. पुनर्वास कालोनी ब्लॉक सी-1, तह. सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर	पशुधन निरीक्षक	चमार	4	छात्रावासी
58.	गोपालदास सिंदल पुत्र श्री माधोराम सिंदल	पुलिस लाइन क्वार्टर नं. पी/16, अजमेर	कान्सटेबल	नायक	4	छात्रावासी
59.	शिवराज मेघवाल पुत्र श्री कनीराम मेघवाल	पो. दमाना, वाया झाड़ोल, जिला उदयपुर	अध्यापक	चमार	3	छात्रावासी
60.	प्रवीण कुमार भाटी पुत्र श्री मोहनलाल भाटी	एस. डी.-28 शांती नगर, जयपुर-6	प्राइवेट नौकर	बलाई	6	छात्रावासी

(2) सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर

61	भीखा राम पुत्र श्री राधूराम मेघवाल	ग्राम गोविन्दसर, पो. बीठनोक त. कोलायत (बीकानेर)	कृषि व मजदूरी	मेघवाल	9	छात्रावासी
62.	लादूराम मेघवाल पुत्र श्री भगवन्ताराम	ग्रा. पो. खारी, चारणान, त. कोलायत (बीकानेर)	मजदूरी	मेघवाल	9	छात्रावासी

237

1	2	3	4	5	6	7
63.	अशोक कुमार पुत्र श्री भवंरलाल	मो. सुभाषनगर वार्ड नं. 24, फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) 332301	मजदूरी	खटीक	9	छात्रावासी
64.	प्रभुलाल पुत्र श्री अमरचन्द मोची	नागोरी तेलियों का मोहल्ला, बीकानेर	मोची	मोची	9	डेस्कालर (लोकल)
65.	हरीशकुमार वर्मा पुत्र श्री कानाराम	रा. मा. वि. मेनसर, त. नोखा (बीकानेर)	व. लि.	मेघवाल	9	छात्रावासी
66.	राजकुमार पुत्र श्री नारायणराम	रीडर, मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग नवलगढ़ (झुंझुनूं)	रीडर	चमार	9	छात्रावासी
67.	कन्हैयालाल पुत्र श्री अमरचन्द मेघवाल	ग्राम श्री रामसर पो. सुजानदेसर(बीकानेर)	अध्यापक	मेघवाल	9	छात्रावासी
68.	सीताराम पुत्र श्री मूलचन्द बलाई	ग्राम देवपुरा पो. पातुसरी जिला झुंझुनूं		बलाई	9	छात्रावासी
69.	मदनलाल पुत्र श्री पूर्णराम बलाई	ग्राम देवपुरा पो. पातुसरी, जिला झुंझुनूं	खेती	बलाई	9	छात्रावासी
70.	त्रिलोकचन्द मोची पुत्र श्री हेमराज मोची	रतनसागर कुए के सामने, बीकानेर	सेवा निवृत	मोची	9	डेस्कालर (लोकल)
71.	सीताराम पुत्र मालीराम	वार्ड नं. 12, पिलानी (झुंझुनूं)	सिलाई	नायक	9	छात्रावासी

72. ताराचन्द खिची पुत्र श्री गणपतराम खिची	बड़े पोस्ट आफिस के पास लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	मजदूरी	खटीक	9	छात्रावासी
73. जगदीशप्रसाद गोयल पुत्र श्री मोडाराम गोयल	गोयल मोहल्ला, ग्रा. पो नापासर (बीकानेर)	खेती	मेघवाल	9	छात्रावासी
74. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री नन्दलाल	गांव पो. हमीरपुर वाया पिलानी, झुन्झुनू	मजदूरी	चमार	9	छात्रावासी
75. विनोदकुमार भगत पुत्र श्री माइधनराम	भगतों का मोहल्ला, पो. चिड़ावा (झुन्झुनू)	कृषि	चमार	8	छात्रावासी
76. मनोहरलाल पुत्र श्री मोहनलाल मेहतर	गोगागेट हरिजन बस्ती, बीकानेर	सरकारी नौकरी	मेहतर	8	डेस्कालर (लोकल)
77. राजेशकुमार सिहमार पुत्र श्री मेघाराम सिहमार	गांव खेड़ी, डा. लम्बोरबड़ी, जिला चूरू	प्रधानाध्यापक	चमार	8	छात्रावासी
78. राजकुमार पुत्र श्री थानाराम	ग्रा. पो. सुल्ताना, जिला झुन्झुनू	मजदूरी	चमार	8	छात्रावासी
79. महावीर प्रसाद पुत्र श्री मोटाराम	ग्रा पो. हुडेरात, फतेहपुर, (सीकर)	खेती	खटीक	8	छात्रावासी
80. बनीराम पुत्र श्री रामदेवा	ग्राम जगता बसेई, पो. पडीसल, जिला अलवर	खेती	खटीक	8	छात्रावासी
81. रोहिताश्व सिंह पुत्र श्री भादरराम	ग्राम पो. नूनिया गोठडा, जिला झुन्झुनू	मजदूरी	चमार	7	छात्रावासी
82. राकेशकुमार	रामावि डाबड़ी, बलौदा, (झुन्झुनू)	स. अ.	चमार	7	छात्रावासी
83. रविप्रकाश पुत्र श्री मूलचन्द वर्मा	मुख्य पो. गारीण्डा, फतेहपुर (सीकर)	अध्यापक	बलाई	7	छात्रावासी
84. ताराचन्द पुत्र श्री मोटाराम	हुरेडा वाया फतेहपुर (सीकर)	खेती	बलाई	6	छात्रावासी
85. दुर्गाराम पुत्र श्री कालूराम	ग्रा. पो. नोखडा, तह. कोलायत (बीकानेर)	खेती	मेघवाल	6	छात्रावासी

1	2	3	4	5	6	7
86.	दीपक कताला पुत्र श्री बी. आर. कताला	कमला कालोनी, बीकानेर	गजनेर रोड क. ले.	मेघवाल	6	छात्रावासी
87.	राजकुमार भगत पुत्र श्री बसन्तलाल भगत	भगतों का मोहल्ला, चिड़ावा (झुंझुनूं)	व्यवस्थापक	चमार	6	छात्रावासी
88.	हरिशचन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र मुन्दड़ा	ग्राम चान्डासर, पो. गजनेर, तहसील कोलायत (बीकानेर)	खलासी	मेघवाल	6	छात्रावासी
89.	अजयकुमार भगत पुत्र श्री भगवानाराम	भगतों का मोहल्ला, चिड़ावा (झुंझुनूं)	स. अ	चमार	6	छात्रावासी
90.	अशोक कुमार राठीवाल पुत्र श्री कन्हैयालाल वर्मा	प्लाट नं. 42, श्री रामनगर कालोनी, सांगानेर, जिला जयपुर	क. लि	रेगर	7	छात्रावासी
91.	हनुमान प्रसाद पुत्र श्री लालराम (मूल अंक तालिका आयुक्तालय कर्ता प्रस्तुत करें) प्रवेश इस कार्यालय की पुष्टि पर दें।	ग्राम भाजोत, पो. खडोत, वाया अरंडावता (झुन्झुनूं)	बलाई	हेल्पर	9	डेस्कालर
92.	पूंजी लाल चमार पुत्र श्री मणीलाल चमार	तम्बोलिया, पो. जेसला, जिला डूंगरपुर (सेन्ट जेवियर के स्वयं की मांग पर)	—	चमार	6	डेस्कालर
93.	जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नेमी चन्द जाटव	भवानी सिंह रोड, जयपुर	नौकरी	जाटव	5	,,

94.	अश्वनी कुमार	प्लाट नं. 41 विजयनगर सिविल लाइन, जयपुर	पुलिस सेवा	चमार	4	डेस्कालर
95.	अजय कुमार परेवा पुत्र श्री राम लाल परेवा	यू.-23 कच्ची बस्ती हटवाड़ा, खातीपुरा रोड	नौकरी	खटीक	4	,,
96.	राजेश कुमार पुत्र श्री आनन्दी लाल	लेरडियों का मोहल्ला घाट गेट, जयपुर	–	बलाई	3	,,
97.	सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल नेनावत	नाहरी का नाका, जयपुर	नौकरी	बलाई	3	,,
98.	देवेन्द्र कुमार राजेय पुत्र श्री शिवकरण राजेय	क्वाटर नं. जी-105, ए. जी. कालोनी, बजाज मार्ग, जयपुर	सरकारी	चमार	2	,,
99.	लोकेश सोन पुत्र श्री सूरजमल सोन	बी-209 के सामने, आनन्दपुरी मोती डूंगरी रोड, जयपुर।	सरकारी सेवा	जाटव	2	,,

(4) वनस्थली उच्च माध्यमिक विद्यालय, निवाई (टोंक)

100.	कु. कलावती पुत्री श्री पन्नालाल यादव	ग्रा. बागीडोरा तह. बागीडोरा (बांसवाड़ा)	नौकरी	चमार	9	छात्रावासी
101.	अभिलाषा आल्हा पुत्री श्री जसवन्त सिंह	जोगेन्द्र निवास, बग्गड जिला झुन्झुनू	सरकारी	चमार	8	छात्रावासी
102.	उषा रागेय पुत्री श्री शिवकरण रागेय	जी-10 ए. जी. कालोनी बजाज नगर, जयपुर।	,,	चमार	6	,,

1	2	3	4	5	6	7
103.	हेमलता कुमारी पुत्री श्री लाल शंकर	मु. पो. जैसला वाया चोखली जि. डूंगरपुर	अध्यापक	चमार	5	छात्रावासी
		(5) बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिलानी				
104.	राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भाणजी चमार	फोफलीबोर पो. बाबा की बार तह. सागवाड़ा (डूंगरपुर)	–	चमार	6	,,
		(6) एम. जी. डी. पब्लिक स्कूल, जयपुर				
105.	नीलम बैरवा पुत्री श्री रामनारायण बैरवा	मकान नं. बी-5 बजाजनगर, जयपुर	क. लि.	बैरवा	1	,,
		(1) विद्याभवन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर				
106.	मेघराज मीना पुत्र श्री मूलचन्द मीना	मु. पो. डूंगरी, वाया मलारना स्टेशन (सवाई माधोपुर)	व्याख्याता	मीणा	9	छात्रावासी
107.	डायालाल डामोर श्री सोनाजी डामोर	ग्राम कानेला, पो. चांदरवाड़ा तह. बागीदोरा (बांसवाड़ा)	कृषि	भील	9	छात्रावासी
108.	शिवराम पालवी पुत्र श्री हरजी पालवी	गांव एवं पो. आवर त. गिर्वा (उदयपुर)	खेती (आय प्रमाण पत्र तहसीलदार का)	मीना	9	छात्रावासी
109.	भूरालाल भगोरा पुत्र, श्री सोमाजी भगोरा	मु. अडोर पो. गोपीनाथ-का गडा त. गढ़ी (बांसवाड़ा)	कृषि	भगोरा	9	छात्रावासी

110.	शर्मा राम मीणा पुत्र श्री भूराराम मीना	गांव पांचाका बाड़ा, पो. जहाजपुर (भीलवाड़ा)	कृषि	मीना	9	छात्रावासी
111.	प्रभुलाल रोत पुत्र श्री रूपाजी रोत	गांव वईयोड़ा त. डूंगरपुर जिला डूंगरपुर।	कृषि	भील	8	छात्रावासी
112.	वृजगोपाल सौतम पुत्र श्री रामकिशन मीना	गांव व पोस्ट तीरथकेशवराय-पाटन जिला बून्दी 323601	कृषि	मीना	9	छात्रावासी
113.	दिनेश कुमार पुत्र श्री विजयपाल डामोर	कनिष्ठ लिपिक तहसील कार्यालय, बागीदारा जिला बांसवाड़ा।	क.लि.	डामोर	9	छात्रावासी
114.	शंकर लाल गरासिया पुत्र श्री हेगाजी गरासिया	मु.पो. लकाई वाया बडोदिया (बांसवाड़ा)	कृषि	भील	9	छात्रावासी
115.	हरिप्रकाश रोत पुत्र श्री हरिशचन्द्र रोत	गामडीपाल पो. गामड़ी अहाड़ा (डूंगरपुर)	कृषि	रोत	9	छात्रावासी
116.	शंकरलाल रोत पुत्र श्री नगा जी रोत	मु. पो. बोडामली वाया पीठ त. डूंगरपुर जि. डूंगरपुर	कृषि	रोत	9	छात्रावासी
117.	राम प्रसाद सामन्त पुत्र श्री भागीरथ मीना	ग्राम ढोपा, पो. चौसला वाया के. के. गोपाल अजमेर	कृषि	मीना	9	छात्रावासी
118	रमणलाल कलासुआ पुत्र श्री वालाजी कलासुआ	गांव एवं ब्रांच पो. रास्ता, पाल जिला डूंगरपुर	कृषि (आय, जाति व निवास प्रमाण तहसीलदार का पेश करें)	मीना	9	छात्रावासी
119.	पुरुषोत्तम सिंह मीना पुत्र श्री प्रहलाद मीना	मु. पो. सूरवाल, त. व जि. सवाईमाधोपुर	कृषि	मीना	9	छात्रावासी
120.	घनश्याम सिंह बुजेठिया पुत्र श्री बद्रीलाल बुजेठिया	पोस्ट सूरवाल (सवाईमाधोपुर)	,,	मीना	9	,,
121.	विनोद कुमार पुत्र श्री मोहनलाल परमार	प्रधानाध्यापक, राजकीय विद्यालय कल्याणपुर पिन कोड 313907 (उदयपुर)	प्र.अ.	भील	9	,,

1	2	3	4	5	6	7
122.	डायालाल पुत्र घुलजीभाई बरड़ा	गांव नारेली, पो. मेवाड़ा डूंगरपुर	कृषि	भील	9	छात्रावासी
123.	जमनालाल मीना पुत्र श्री केसरलाल मीना	ग्राम बिन्ध्याभाटा, पो. जहाजपुर (भीलवाड़ा) 305409	कृषि	मीना	9	,,
124.	रतनसिंह पुत्र श्री गोतम लाल कटारा	श्री दलीजी निवास/पोस्ट सुवाला (बांसवाड़ा)	अध्यापक	भील	9	,,
125.	सोमेश्वर पुत्र श्री काऊडाजी पारगी	गांव आम्बादरा, पो. मेनापदर (बांसवाड़ा)	कृषि	पारगी	9	,,
126.	चेतनलाल डामोर पुत्र श्री हुकजी डामोर	गांव कानेला, पो. चांदखाड़ा त. बागीदोरा (बांसवाड़ा)	कृषि	डामोर	9	,,
127.	उदयलाल मीना पुत्र श्री कंलाजी मीना	गांव नेवालालाई, पो. जावरमाइन्स त. सराड़ा (उदयपुर)	–	मीना	9	,,
128.	संतोषीलाल पुत्र श्री पूजाजी	पो. सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा)	–	भील	9	,,
129.	माणीलाल पुत्र श्री कानजी	निवासी गामड़ी पाल,	कृषि	एसटी	9	,,
130.	अजीत सिंह भील पुत्र श्री बाबूलाल भील	मुकाम कण्डी, पो. कोटड़ा वाया स्वरूप गंज (उदयपुर)	वार्डवाय	भील	9	,,
131.	श्री मणीलाल मीना पुत्र श्री नानजी डामोर	गांव कारछा पो. कारछा त. खेरवाड़ा (उदयपुर)	कृषि	मीना	8	,,
132.	श्री यशवन्त कुमार पुत्र श्री पूजा कामाल	भाटवडला पो. सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा।	कृषि	भील	8	,,
133.	नटवर लाल पुत्र श्री देवचन्द्र परमार	डामडी (फालानाल) डूंगरपुर।	नौकरी	भील	8	,,

134.	परवत सिंह गरासिया पुत्र श्री नानसिंह	मुकाम चोकी, पोस्ट काटर वास वाया खेरवाड़ा (उदयपुर)	खेती	भील	7	"
135.	गोपाल लाल मीना पुत्र श्री नानाराम	ग्राम टीकड़, पो. टीकड़, त. जहाजपुर (भीलवाड़ा)	कृषि	मीना	7	छात्रावासी
136.	अरविन्द कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द्र डडारे	नि. पो. डडूका, त. गढ़ी (बांसवाड़ा)	मिस्त्री	भील	7	छात्रावासी
137.	रमेशचन्द्र डामोर पुत्र श्री भूराजी	ग्राम सेनाला पोस्ट डडूका (बांसवाड़ा)	कृषि	मीना	7	छात्रावासी
138.	वीरेन्द्रकुमार पुत्र श्री हरीशंकर महारी	नि. पो. डडूका, त. गढ़ी (बांसवाड़ा)	अध्यापक	भील	7	छात्रावासी
139.	भरत कुमार पुत्र श्री बोरीदास मीना	गंगानिवास, मारवाड़ जं. जिला पाली।	मास्टर	मीना	7	छात्रावासी
140.	रमेशचन्द्र बरोड पुत्र श्री मदनसिंह	मुकाम पोस्ट वारेदावाया गनोडा (बांसवाड़ा)	अध्यापक	मीना	7	छात्रावासी
141.	लक्ष्मण लाल बरोड पुत्र श्री जीवन राम बरोड	मुकाम पोस्ट वारेदा वाया गनोडा (बांसवाड़ा)	पटवारी	मीना	7	छात्रावासी
142.	मोहनलाल पुत्र श्री भूराजी डामारे	ग्राम सेनाला पोस्ट आजना, त. गढ़ी (बांसवाड़ा)	कृषि	मीना	7	छात्रावासी
143.	दीपक कुमार रोत पुत्र श्री किरणसिंह रोत	पशुधन सहायक प. स. गढ़ी (बांसवाड़ा)	कार्यालय पशु धन सहायक	मीना	7	छात्रावासी
144.	पृथ्वीराज मीना पुत्र श्री मूलचन्द मीना	मु. पो. डूंगरी वाया मलारना स्टेशन (सवाई माधोपुर)	व्याख्याता	मीना	6	छात्रावासी
145.	नारायण लाल पारगी श्री पोजा पारगी	मु. थामका तालाब पोस्ट बाखिया वाया धम्बोला (डूंगरपुर)	कृषि	भील	6	छात्रावासी
146.	सुरेश कुमार डामोर पुत्र श्री थावर चन्द	गांव लराठी, पो. ग्रा. सुवेरी वाया खैरवाड़ा (उदयपुर)	कर्मचारी	मीना	6	छात्रावासी

1	2	3	4	5	6	7
147.	कालूसिंह गरासिया पुत्र श्री बालसंग गरासिया	सन्दलाई बड़ी पो. सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा)	कृषि	भील	6	छात्रावासी
148.	अशोक कुमार परमार पुत्र श्री रूपलाल परमार	ढेलाना वाया सेम्बारी (उदयपुर) (डूंगरपुर)	कृषि	मीणा	6	छात्रावासी
149.	रणजीत सिंह बुम्बरीया पुत्र श्री नाथूजी भील	गांव माण्डया, पो. माण्डदा, त. कोटड़ा (उदयपुर) (मूल अंकतालिका भेजें)	कृषि	भील	6	छात्रावासी
				(जाति व निवास का प्रमाणपत्र तहसीलदार का प्रस्तुत करें)		
150.	दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा	पोस्ट ढेलाना वाया समारी फलातलाव त. खेरवाड़ा (उदयपुर)	कृषि	परमार	6	छात्रावासी
151.	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बोरीदास मीणा	गंगा निवास मारवाड़ रेल्वे जं. (पाली) 306001	रेल्वे कर्म.	मीणा	6	छात्रावासी
152.	रामचन्द्र पुत्र श्री कड़वा	नि. बिजलपुर पो. सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा)	कृषि	डोडियार	6	छात्रावासी
153.	गटूलाल डामोर पुत्र श्री भेमाजी डामोर	निवासी सुरमणा, पो. ओवरी त. सागवाड़ा (डूंगरपुर)	कृषि	डोमर	6	छात्रावासी
154.	मोती लाल रोत पुत्र श्री कचरा रोत	मु. पो. बोड़ामली वाया पीठ, डूंगरपुर	कृषि	रोत	6	छात्रावासी
155.	विष्णु कुमार पुत्र छगनलाल कलासुआ	गा. रोहनवाड़ा पो. मेताली त. डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर	कृषि	कलासुआ	5	छात्रावासी
156.	सुभाषचन्द्र पुत्र हीरालाल खरपेटा	जवाहर कालोनी. पो. परतापुर निवासी नवापादर (बांसवाड़ा)	कृषि	भील	5	छात्रावासी

157.	बन्शी लाल पुत्र श्री सोमाजी परमार	फलासुरमणा पो. ओवरी तै. सागवाड़ा, डूंगरपुर	कृषि	भील	4	छात्रावासी
158.	रामचन्द्र मीना पुत्र श्री हीरालाल फलासुआ	वायर मजदूर वायर मैन डी.टी.ओ. कक्षा सुआ उदयपुर (पी.एण्ड टी. डिपार्टमेंट	–	छात्रावासी	4	(नि. कामगार गत रा.प्रा.वि. सामेद)
159.	रोशनलाल रोत पुत्र श्री रमणलाल रोत	पो. दोकडी फलेनात प. डूंगरपुर जि. डूंगरपुर	कृषि	परमार	4	छात्रावासी
160.	राजमल पुत्र श्री सोमाजी परमार	फतासुरमणा पो. ओवरी (डूंगरपुर)	कृषि	भील	3	छात्रावास
161.	सुशील कुमार मीणा पुत्र श्री पृथ्वी राज मीणा	पो. माकड़ादेव गांव माकड़ादेव त. झाडोल (उदयपुर)	कृषि	भील	3	छात्रावासी

प्रदत्त पूर्व मैट्रिक 17 विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में नूतन छात्रवृत्ति पर चयनित किए छात्र/छात्राओं की सूची संख्या

अनुसूचित जन जाति

क्र.सं.	छात्र/छात्रा की नाम मय पिता का नाम	पूर्व पता	व्यवसाय	जाति	कक्षा	छात्रावासी-डे-स्कालर
1	2	3	4	5	6	7
		सादुल पब्लिक स्कूल बीकानेर				
162.	शिवराम मीना पुत्र श्री दुर्गालाल मीना	मु. पो. गनीपुर त. सिकराय पो. हींगवा जयपुर–303508	खेती	मीना	9	छात्रावासी
163.	राजेश कुमार पुत्र जयसिंह मीणा	ग्रा.पो. बड़ौद त. बहरोड़ जिला अलवर	गार्ड	मीना	8	छात्रावासी
164.	रामेश्वर प्रसाद सिंह पुत्र श्री ख्यालीराम मीणा	मु.पो. बिछोड़छवाय पिपलाई जिला सवाईमाधोपुर	खेती	मीना	8	छात्रावासी
165.	हरिमोहन मीना पुत्र श्री ख्यालीराम मीना	मु.पो. बिछोड़छवाय जिला पिपलाई सवाई माधोपुर	खेती	मीना	7	छात्रावासी
166.	लक्ष्मी चन्द मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना	मु.पो. बिछोड़छवाय पिपलाई जिला सवाई माधोपुर	खेती	मीना	7	छात्रावासी

1	2	3	4	5	6	7
167.	ब्रजेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री लटूर राम	भारतीय खाद्य निगम देश नोक (बीकानेर)	सहायक द्वितीय श्रेणी	मीना	6	छात्रावासी
		मैंट, जेवीयर स्कूल, जयपुर				
168.	राकेश कुमार व्याईवाल पुत्र श्री कल्याण सहाय	माल की ढाणी त. जमुवारामगढ़, जयपुर	कनिष्ठ लेखाकार	मीना	5	डे-स्कालर
		वनस्थली विद्या पीठ उमावि, निवाई (टौंक)				
169.	कुसुम लता मीना पुत्री श्री बन्शीधर मीना	मु. पो. बागावास चौरासी, विराटनगर, जयपुर	व. लि.	मीणा	9	छात्रावासी
170.	कु. मीना रावत पुत्री श्री रामचन्द्र रावत	पी. ए. टू मेम्बर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रीब्यूनल राज. चेम्बर भवन एम. आई. रोड, जयपुर	पी. ए.	भील	8	छात्रावासी
171.	सुश्री शान्ती पुत्री श्री सोमेश्वर डामोर	वसूली अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक, बांसवाड़ा	व. लि.	डामोर	6	छात्रावासी
172.	पुष्पा कुमारी पुत्री श्री ओंकार लाल मीणा	ग्रा. पो. थनवाद जिला झालावाड़	कृषि	मीणा	4	छात्रावासी
		बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिलानी				
173.	कृष्ण कुमार पुत्र श्री भौंरीलाल मीणा	ग्रा. पो. हमीरपुर तह. बानसूर, जिला अलवर	खेती	मीणा	4	छात्रावासी
	(मूल अंक तालिका इस कार्यालय को तत्काल प्रस्तुत करें, प्रवेश इस कार्यालय की पुष्टि के पश्चात् ही करें)					
		एम. जी. डी. पब्लिक स्कूल; जयपुर				
174.	कु. अनामिका पुत्री कल्याण सहाय प्रेमी	माल की ढाणी चावण्डिया, तह. जमुवा-रामगढ़, जयपुर	कनिष्ठ लेखाकार	मीणा	स्टे. 1	छात्रावासी

249

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 471 की सूची

परिशिष्ट—1

समन्वित बाल विकास परियोजनाओं की जिलेवार सूची 82-83

क्र.सं.	जिला	परियोजना का स्थान पंचायत समिति	प्रारम्भ वर्ष	परियोजना प्रकार
1	2	3	4	5
1.	बांसवाड़ा	1—गढ़ी	1975-76	आदिवासी
		2—कुशलगढ़	1982-83	" "
2.	सिरोही	1—पिण्डवाड़ा	1978-79	" "
3.	चित्तौड़गढ़	1—छोटी सादड़ी	1978-79	" "
		2—प्रतापगढ़	1982-83	" "
4.	कोटा	1—छबड़ा	1978-79	ग्रामीण
		2—शाहबाद	1982-83	आदिवासी
		3—किशनगंज	1982-83	आदिवासी
5.	सवाई माधोपुर	1—गंगापुरसिटी	1979-80	ग्रामीण
		2—टोडाभील	1982-83	ग्रामीण
6.	धौलपुर	1—धौलपुर	1979-80	ग्रामीण
7.	उदयपुर	1—राजसमन्द	1979-80	ग्रामीण
		2—झाड़ोल	1982-83	आदिवासी
		3—सलूम्बर	1982-83	आदिवासी
8.	जयपुर	1—चाकसू	1980-81	ग्रामीण
		2—जयपुर I	1981-82	ग्रामीण
		3—जयपुर II	1982-83	शहरी
9.	अलवर	1—राजगढ़	1980-81	ग्रामीण
10.	बाड़मेर	1—चौहटन	1980-81	ग्रामीण
11.	भीलवाड़ा	1—माण्डलगढ़	1981-82	ग्रामीण

1	2	3	4	5
12.	टौंक	1–अलीगढ़	1981-82	ग्रामीण
13.	जालौर	1–आहोर	1981-82	ग्रामीण
14.	डूंगरपुर	1–डूंगरपुर	1981-82	आदिवासी
		2–सागवाड़ा	1981-82	आदिवासी
		3–सामलवाड़ा	1982-83	आदिवासी
15.	पाली	1-बाली	1982-83	ग्रामीण
16.	जोधपुर	1–फलोदी	1982-83	ग्रामीण
17.	नागौर	1–डेगाना	1982-83	ग्रामीण
18.	भरतपुर	1–रूपवास	1982-83	ग्रामीण

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 472 की सूची

माडा योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को हिस्सा राशि अनुदान की सूची

पंचायत समिति, चाकसू

क.सं.	नाम सदस्य	ग्राम
1	2	3
1.	नानगी	रामचन्द्रपुरा
2.	हीरा	जगदीशपुरा
3.	लाला	"
4.	अर्जुन	रामचन्द्रपुरा
5.	प्रताब	"
6.	मन्ना	"
7.	लक्षमण	"
8.	गोपाल	"
9.	कल्याण	"
10.	गोरू	"
11.	रामनारायण	"
12.	लछमणा	"
13.	प्रहलाद	"
14.	कालू	"
15.	गोपाल	"
16.	पांचू	जगदीशपुरा
17.	गोपाल	रामचन्द्रपुरा
18.	मेरू	"
19.	कानी	जगदीशपुरा
20.	धापू	"
21.	धापू	बाढ महाराजपुरा
22.	भंवरी	"
23.	बाबूलाल	रामचन्दपुरा
24.	देवनारायण	रूपाहेडी
25.	मंगला	"
26.	उधा	"
27.	रामनारायण	"
28.	काना	"
29.	सेवरिया	"
30.	सादू	"
31.	सोन्या	"

1	2	3
32.	लच्छू	रूपाहेडी
33.	नानगा	महादेवपुरा
34.	भौंरिया	"
35.	नन्वा	"
36.	भागीरथा	"
37.	सुन्दर	"
38.	कालू	"
39.	बरदी	"
40.	नारायण	"
41.	कल्याण	"
42.	टालू	"
43.	चोथू	बाढ़ यादगारपुरा
44.	गोपाल	"
45.	श्रवण	मुरलीपुरा
46.	भौरिया	"
47.	केली	महाराजपुरा
48.	पून्या	"
49.	रणजीता	"
50.	मंगला	"
51.	पांची	"
52.	निमोलिगा	बद्रीनाथपुरा
53.	रामपाल	"
54.	मूल्या	"
55.	बदरी	"
56.	रंगलाल	बामनपुरा
57.	छीतर	कांकरिया
58.	रामसहाय	"
59.	खेमा	
60.	केली	"
61.	रामपाल	"
62.	मूथ्या	"
63.	रामविलास	"
64.	पून्या	बसनपुरा
65.	पांचू	कांकरिया
66.	ईश्वर	"
67.	सांवता	नांगल लाङ
68.	सुन्दरिया	"
69.	ग्यारसा	"
70.	गंगाराम	"
71.	भैरू	"
72.	कान्या	"

1	2	3
73.	लच्छू	नांगल लाड
74.	रामफूल	,,
75.	जगदीश	रत्नावता
76.	रामचन्द्र	,,
77.	तेनू	,,
78.	कालू	,,
79.	गोपाल	,,
80.	भौरी लाल	,,
81.	रामपाल	,,
82.	मुखिया	,,
83.	श्योनारायण	,,
84.	रामपाल	,,
85.	बिरदा	,,
86.	राधाकिशन	मालपुरिया
87.	लादू	,,
88.	रामनारायण	,,
89.	जगदीश	,,
90.	हनुमान	,,
91.	रामफूल	,,
92.	मेमराज	,,
93.	लल्लू	,,
94.	जगदीश	,,
95.	रामजीलाल	,,
96.	जगन्नाथ	,,
97.	जगदीश	अजमेरीपुरा
98.	रामनाथ	,,
99.	किशना	,,
100.	रामस्वरूप	,,
101.	धन्ना	अजमेरीपुरा
102.	रतना	,,
103.	हरिनारायण	,,
104.	मन्ना	,,
105.	भंवरिया	,,
106.	रामफूल	,,
107.	भगवानसहाय	,,
108.	जगन्नाथ	हीरापुरा
109.	मूल्या	,,
110.	पून्या	,,
111.	देवनारायण	,,
112.	भंवरिया	बिमलपुरा
113.	श्रवण	रिलाव
114.	सरनन्दा	भाटेडा

1	2	3
115.	नानगा	बिमलपुरा
116.	कालू	त्रिलोकपुरा
117.	बाबूलाल	खांडेडा
118.	उदा	"
119.	श्रवण	हीरापुरा
120.	रूढ़ा	"
121.	गुल्ला	"
122.	देवनारायण	"
123.	कल्याण	"
124.	मनफूल	"
125.	रणजीत	धांवूहा पांवूडा
126.	छोटू	नांगलपुरी
127.	बोदू	"
128.	रामपाल	भगवतसर कांकराया
129.	रामपाल	राठोली
130.	बद्री	महारामपुरा
131.	गोरू	जयसिंहपुरा
132.	चन्दा	बास भगवतपुरा
133.	गेंदा	सवाई जयसिंहपुरा
134.	भौंरीलाल	कोहल्या
135.	रूघनाथ	"
136.	लक्ष्मीनारायण	बृजराजपुरा
137.	रेवड	बास भगवतपुरा
138.	श्योनारायण	"
139.	गंगासहाय	अजमेरीपुरा
140.	श्रीनारायण	"
141.	बद्री	"
142.	नारायण	"
143.	श्योरामा	"
144.	गोपाल	शक्करयावदा
145.	बद्री	कांकरिया

पंचायत समिति चाकसू (जयपुर) माहा के अन्तर्गत फलदार पौधे वितरण सूची

क्र.सं.	नाम कृषक	जाति	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	दिये गये पौधों की संख्या	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	राम बगस	मीणा	महेशपुरा	राडोली	10	–
2.	रामसहाय	"	"	"	7	–

1	2	3	4	5	6	7
3.	रामदेव	मीणा	महेशपुरा	राडोली	10	—
4.	रतना	"	"	"	10	—
5.	गंगाराम	"	"	"	10	—
6.	केसरलाल	"	"	"	16	—
7.	गेंदीलाल	"	"	"	6	—
8.	छीतरमल	"	"	"	11	—
9.	गोपाल	"	"	"	10	—
10.	मांगूराम	"	"	"	10	—
11.	जगदीश	"	"	"	7	—
12.	बद्री	"	"	"	10	—
13.	पुरणमल	"	"	"	5	—
14.	चोथूलाल	"	"	"	5	—
15.	भूयाराम	"	"	"	5	—
16.	गोपाल लाल	"	"	"	5	—
17.	बाबूलाल	"	"	"	5	—
18.	छीतरराम	"	"	"	5	—
19.	मूलचन्द	"	"	"	5	—
20.	जगन्नाथ	"	"	"	10	—
21.	मंगलराम	"	"	"	15	—
22.	कल्याण	"	"	"	7	—
23.	हरीनारायण	"	"	"	10	—
24.	गोपाल लाल	"	"	"	5	—
25.	सुखदेव	"	"	"	5	—
26.	कन्हैया लाल	"	"	"	5	—
27.	मंगलाराम	"	"	"	5	—
28.	कैलाशचन्द	"	"	"	6	—
29.	बाबूलाल	"	"	"	8	—
30.	रमेशचन्द	"	"	"	7	—
31.	खेवरा	"	"	"	5	—
32.	बाबू लाल	"	"	"	6	—
33.	सीताराम	"	"	"	5	—
34.	मोतीराम	"	"	"	6	—
35.	सोनारायण	"	"	"	12	—
36.	भगवान	"	"	"	7	—
37.	बोदूराम	"	"	"	12	—
38.	मदन लाल	"	"	"	7	—
39.	हनुमान सहाय	"	"	"	7	—
40.	पूनमचंद	"	"	"	7	—
41.	श्रवण	"	खाजलपुरा	आकोडिया	15	—
42.	नानगराम	"	"	"	15	—
43.	रामफूल	"	"	"	15	—
44.	भोमा	"	"	"	15	—

1	2	3	4	5	6	7
45.	सूजा	मीणा	खाभलपुरा	आकोडिया	15	—
46.	गोपाल	"	"	"	15	—
47.	गल्ला	"	"	"	15	—
48.	रामसहाय	"	"	"	15	—
49.	सीताराम	"	"	"	15	—
50.	बिरदा	"	"	"	15	—
51.	भागीरथ	"	"	"	15	—
52.	जैनारायण	"	"	"	15	—
53.	छगना	"	"	"	15	—
54.	नानगा	"	"	"	15	—
55.	कल्याण	"	"	"	15	—
56.	लछमा	"	"	"	15	—
57.	सोराम	"	"	"	15	—
58.	भीमा	"	"	"	15	—
59.	सांवता	"	"	"	15	—
60.	ग्यारसा	"	"	"	15	—
61.	लल्लूलाल	"	"	"	5	—
62.	कल्या	"	"	"	5	—
63.	महादेव	"	"	"	5	—
64.	गंगाराम	"	"	"	5	—
65.	शोजी	"	"	"	5	—
66.	श्रवण	"	"	"	5.	—
67.	गंगाराम	"	"	"	5	—
68.	जैनाराम	"	"	"	5	—
69.	मंगला	"	"	"	5	—
70.	सीताराम	"	"	"	3	—
71.	भगवान	"	"	"	2	—
72.	गंगाराम	"	"	"	2	—
73.	रामनाथ	"	"	"	2	—
74.	बालू	"	"	"	2	—
75.	महादेव	"	"	"	3	—
76.	भैरूलाल	"	"	"	2	—
77.	चन्दालाल	"	"	"	2	—
78.	कोना	"	"	"	2	—
79.	कल्याण	"	"	"	2	—
80.	रामलाल	"	"	"	15	—
81.	नानगा	"	"	"	12	—
82.	रामसहाय	"	"	"	3	—
83.	जगदीश	"	"	"	6	—
84.	नेनूराम	"	"	"	4	—
85.	हीरा	"	"	"	4	—

1	2	3	4	5	6
86.	छोटूलाल	मीना	खाभुलपुरा	आकोडिया	4
87.	गोपाल	,,	,,	,,	5
88.	गंगाराम	,,	,,	,,	2
89	जैना छीतरा	,,	,,	,,	4
90.	श्रवण	,,	,,	,,	4
91.	छगन	,,	,,	,,	45
92.	नानगा	,,	,,	,,	40
93.	कल्याण	,,	,,	,,	40
94.	लछमन	,,	,,	,,	40
95.	सोरामा	,,	,,	,,	30
96.	श्रवण	,,	,,	,,	30
97.	भीवा	,,	,,		30
98.	सांवता	,,	,,	,,	30
99.	ग्यारसा	,,	,	,,	30
100.	गोपाल	,,	,,	,,	30
101.	गोपाल	,,	,,	,,	25
102.	गन्दीलाल	,,	,,	,,	25
103.	मंगला	,,	,,	,,	5
104.	सेढ	,,	,,	,,	5
105.	रामनाथ	,,	,,	,,	5
106.	रामनिवास	,,	,,	,,	5
107.	कल्याण	,,	,,	,,	5
108.	ग्यारसी	,,	,,	,,	5
109.	कन्हैया	,,	,,	,,	5
110.	काना	,,	,,	,,	5
111.	गोवर्धन	,,	,,	,,	5
112.	गेन्दीलाल	,,	,,	,,	5
113.	सुखलाल	,,	,,	,,	5
114.	रामू	,,	,,	,,	5
115.	कान्या	,,	,,	,,	5
116.	रामनाथ	,,	,,	,,	5
117.	लालू	,,	,,	,,	5
118.	रामफूल	,,	,,	,,	5
119.	भीमा	,,	,,	,,	5
120.	सोकरण	,,	,,	,,	8
121.	रामू	,,	,,	,,	10
122.	मोहरपाल	,,	,,	,,	10
123.	प्रताप	,,	,,	,,	10
124.	प्रह्लाद	,,	,,	,,	10
125.	लच्छू	,,	,,	,,	10
126.	धाधो	,,	,,	,,	10
127.	बद्री	,,	,,	,,	10

(258)

1	2	3	4	5	6
128.	छोटू	मीना	खाजूलपुरा	आकोडिया	10
129.	नानगा	”	”	”	8
130.	जगन्नाथ	”	”	”	10
131.	छीतर	मीणा	धर्मपुरी	मण्डालिया	8
132.	गोविदा	”	”	”	10
133.	छोटू	”	”	”	10
134.	पांचू	”	”	”	10
135.	किशना	”	”	”	10
136.	जगदीश	”	”	”	10
137.	जनसी	”	”	”	10
138.	रामनाथ	”	”	”	10
139.	जगदीश	”	”	”	8
140.	गोपी	”	”	”	10
141.	नानगा	”	”	”	10
142.	गोपी	”	”	”	10
143.	नारायण	”	”	”	5
144.	रामकरण	”	”	”	5
145.	भूरा	”	”	”	5
146.	जगदीश	”	”	”	5
147.	हरसहाय	”	”	”	5
148.	राधेश्याम	”	”	”	5
149.	राजू	”	”	”	5
150.	बदरी	”	”	”	5
151.	गोपी	”	”	”	5
152.	भवरिया	”	”	”	5
153.	बज्या	”	”	”	5
154.	रामचन्द	”	”	”	5
155.	महादेव	”	”	”	5
156.	रामप्यारी	”	”	”	5
157.	शोशा	”	”	”	5
158.	भंवरिया	”	”	”	5
159.	रामेश्वर	”	”	”	5
160.	छीतर	”	”	”	5
161.	महादेव	”	”	”	5
162.	रामनारायण	”	”	”	5
163.	गोकल	”	”	”	5
164.	लल्लू	”	”	”	5
165.	रामजी लाल	”	”	”	5
166.	राधाकिशन	”	”	”	5
167.	हनुमान	”	”	”	5
168.	जगदीश	”	”	”	5
169.	अर्जुन	”	”	”	5

1	2	3	4	5	6
170.	जगन्नाथ	मीना	धर्मपुरी	मण्डालिया	10
171.	रामकरण	"	"	"	8
172.	श्रीनारायण	"	"	"	5
173.	भूरीलाल	"	"	"	5
174.	कजोड़	"	"	"	5
175.	बखतावा	"	"	"	5
176.	लल्लू	"	"	"	5
177.	रामनाथ	"	"	"	8
178.	महादेव	"	"	"	5
179.	राधेश्याम	"	"	"	7
180.	काना	"	"	"	7
181.	सीताराम	"	"	"	7
182.	गोपाल	"	"	"	7
183.	रामस्वरूप	"	"	"	7
184.	जगदीश	"	"	"	7
185.	रामकरण	"	"	"	7
186.	नाथू	"	"	"	8
187.	सुरजन	"	"	"	8
188.	गोविन्दा	"	"	"	8
189.	सुरजन	"	"	"	8
190.	गोपाल	"	"	"	8
191.	प्रहलाद	"	"	"	8
192.	रामफूल	"	"	"	8
193.	रामसहाय	"	"	"	8
194.	हजारीलाल	"	"	"	8
195.	आनन्दा	"	"	"	8
196.	बैदरी	"	"	"	8
197.	रामपाल	"	"	"	8
198.	माधो	"	"	"	8
199.	नारायण	"	"	"	10
200.	संवरिया	"	"	"	10
201.	भूरा	"	"	"	10
202.	मेवा	"	"	"	10
203.	ईसुरा	"	"	"	10
204.	नानगा	"	"	"	10
205.	लादू	"	"	"	10
206.	रामेश्वर	"	"	"	10
207.	रामला	"	"	"	10
208.	बिलाला	"	"	"	10

कार्यालय ग्राम पंचायत देहलाला पं. स. चाकसू माडा योजनान्तर्गत फल पौधे वितरण सूची

क्र.सं.	नाम	ग्राम	नींबू	अनार	पपीता	योग
1.	गंगाराम	देहलाला	15	5	5	25
2.	सोन्या	,,	15	5	5	25
3.	कजोड़	,,	10	5	5	20
4.	कुशाला	,,	10	–	5	15
5.	महादेव	,,	10	5	5	20
6.	हरसहाय	,,	10	5	–	15
7.	गोपाल	,,	10	5	–	15
8.	मांग्या	,,	10	5	5	20
9.	कल्याण	,,	10	5	5	20
10.	बाल्या	,,	20	5	5	30
11.	ग्यारसा	,,	20	5	5	25
12.	भूरा	,,	20	5	5	30
13.	कालू	,,	20	5	5	30
14.	गोपाल	नरोत्तमपुरा	10	5	5	20
15.	नानगा	बासड़ा	10	5	5	20
16.	चमना	,,	10	5	5	20
17.	मूल्या	,,	10	5	5	20
18.	श्योरामा	,,	10	5	5	20
19.	जगन्नाथ	,,	10	5	5	20
20.	कल्याण	,,	10	5	5	20
21.	गंगाराम	,,	25	5	5	35
22.	श्रवण	,,	25	5	5	35

कार्यालय ग्राम पंचायत देहलाला पं. स. चाकसू मात्र योजना में फलदार पौधे वितरण सूची

क्र. सं.	कृषक का नाम	जाति	ग्राम	नींबू
1	2	3	4	5
1.	मूल्या	मीना	श्यामपुरा	15
2.	भगवान्या	,,	,,	15
3.	पन्ना	,,	,,	15
4.	मूल्या	,,	बासड़ा	15
5.	पून्या	,,	,,	18
6.	झूंता	,,	,,	10
7.	मूल्या	,,	,,	10
8.	भूरा	,,	,,	10
9.	रामपाल	,,	,,	10

1	2	3	4	5
10.	कन्हैया	मीना	बासड़ा	10
11.	नहना	,,	,,	10
12.	श्रीला	,,	,,	10
13.	चम्पा	,,	,,	10
14.	महादेवा	,,	,,	10
15.	गेन्दा	,,	,,	10
16.	हीरा	,,	,,	10

कार्यालय ग्राम पंचायत रामनगर पं. सं. चाकसू माडा योजनान्तर्गत फल पौधे वितरण सूची

क्र. सं.	कृषक नाम	जाति	ग्राम	नींबू
1.	हादेव	मीना	गोठ का बास	15
2.	जैला	,,	,,	15
3.	गेन्दा	,,	,,	15
4.	गोविन्दा	,,	,,	15
5.	नहादेव	,,	,,	30
6.	गोपी	,,	,,	30
7.	कल्याण	,,	,,	30
8.	गणेश	,,	,,	30
9.	जैला	,,	,,	15
10.	हरीनारायण	,,	,,	20
11.	रामनाथ	,,	श्रोरंगपुरा	30
12.	रामनाथ	,,	रामनगर	30
13.	मन्न	,,	,,	25

कार्यालय ग्राम पंचायत खेडारानीवास पं. स. चाकसू माडा योजनान्तर्गत

फलदार पौधे वितरण

सूची

क्र.सं.	कृषक का नाम	जाति	ग्राम	नींबू
1	2	3	4	5
1.	श्री जगन्नाथ	मीना	रामचंदरपुरा	80
2.	श्री गोपाल	,,	,,	15
3.	महादेव	,,	,,	20
4.	महादेव	,,	,,	15
5.	रामकिशन	,,	,,	5

1 2	3	4	5
6. प्रताप	मीना	रामचन्द्रपुरा	25
7. भौरया	"	"	25
8. लक्ष्मण	"	"	25
9. कल्याण	"	"	20
10. चन्दो	"	"	15
11. रामनाथ	"	"	20
12. जगन्नाथ	"	"	25
13. काना	"	"	30
14. मूलचन्द	"	जगदीशपुरा	25
15. जंगला	"	"	25
16. शंकर	"	"	30
17. मूलचंद	"	महाराजपुरा	40
18. किशना	"	"	40
19. महादेव	"	जगदीशपुरा	20
20. रामनाथ	"	सेवारानीवास	30

इनके अतिरिक्त सांगानेर तहसील में 6000 व चाकसू तहसील में 4000 छायादार पौधे वितरित किये गये।

माडा योजना के अन्तर्गत सांगानेर व चाकसू तहसीलों में सार्वजनिक विकास कार्य स्वीकृत किये गये:--

कार्य	सांगानेर	चाकसू
1. प्राथमिक शाला	1. गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा	1. जयसिंहपुरा 2. छाजलपुरा
2. पेयजल कूप	14	41
3. आश्रम स्कूल	-	1. ठीकरीया मीना
4. ऐनीकट	1. लूनीयावास	1. छाजलपुरा 2. ठीकरीया मीना

गांवों के नाम जहां पेयजल कूप निर्माण कराये गये :–

क्रम संख्या	तहसील चाकसू
1.	महारानीपुरा
2.	भगवतीपुरा
3.	विजराजपुरा
4.	महादेवपुरा
5.	फावकाटा
6.	जगदीशपुरा मय बाढ़ जगंलपुरा
7.	श्री किशनपुरा
8.	नन्दलालपुरा
9.	जयरामपुरा
10.	चेतपुरा
11.	कंकरिया
12.	मालपुरिया
13.	केशवपुरा
14.	कुशलपुरा
15.	हीरापुरा
16.	त्रिलोकीनाथपुरा
17.	विमलपुरा
18.	केजड़ीपुरा
19.	महाराजपुरा बासन
20.	गोविन्दपुरा
21.	बद्रीनाथपुरा
22.	बुगरीपारा
23.	रामकृष्णपुरा
24.	हरिकृष्णपुरा
25.	महेशपुरा
26.	पांचूडा
27.	चक शिवदासपुरा
28.	नागंलपुराम
29.	माधोसिंहपुरा
30.	शकंर बावड़ा
31.	बालमुकन्दपुरा बाखड़ा
32.	बहुवाला
33.	महाराजपुरा
34.	विनोदीलाल पुरा
35.	रूपाहेड़ीमय बापूगांव
36.	सवाई जयसिंहपुरा
37.	बलरामपुरा
38.	ताजपुरा
39.	नन्दगांव बासड़ी
40.	बाढ़ यादगारपुरा
41.	धर्मपुरी

क्रम संख्या	तहसील सांगानेर
1.	चोरी
2.	बड़वेला
3.	बाढ़करोल
4.	बाढ़ श्योपुर
5.	बाढ टीलावाला
6.	चक गोविन्दपुरा उर्फ मातासूला
7.	चक करोल
8.	चतरवाढिकावाला
9.	सुखदेवपुरा उर्फ नाटाविघावाला
	मरम्मत कूप
10.	मुरलीपुरा
11.	रहलावास
12.	गोविन्दपुरा/रोपाड़ा
13.	जयसिंहपुरा उर्फ बास बीलवा
14.	सवाई जयसिंहपुरा

सार्वजनिक कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा प्रोत्साहन राशि भी जनजाति छात्र/छात्राओं को ड्रेस एवं पाठ्य सामग्री वितरित की गई।

	वर्ष	लाभान्वित छात्र/छात्राएं	राशि (लाखों में)
सांगानेर	78-79	475	0.14
	79-80	522	0.16
	80-81	221	0.07
चाकसू	78-79	255	0.08
	79-80	280	0.08
	80-81	305	0.09

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 478 की सूची

आगार वार स्वीकृत वाहन सेवाओं एवं कार्यरत वाहनों की सूची

क्र.सं.	आगार	स्वीकृत वाहन सेवाएं	कार्यरत वाहनों की संख्या
1	2	3	4
1.	जयपुर	66	70
2.	द्रुतगामी	88	90
3.	उपनगरीय	41	45
4.	हिण्डौन	44	44
5.	नगर वाहन सेवा	87	90
6.	अलवर	114	117
7.	भरतपुर	65	71
8.	कोटपुतली	52	52
9.	धौलपुर	28	29
10.	टोंक	41	42
11.	कोटा	74	74
12.	बून्दी	59	62
13.	झालावाड़	68	69
14.	अजमेर	89	90
15.	नागौर	37	37
16.	ब्यावर	51	51
17.	भीलवाड़ा	58	60
18.	चित्तौड़गढ़	48	50
19.	उदयपुर	61	62
20.	डूंगरपुर	60	62
21.	बांसवाड़ा	46	48
22.	सरदार शहर	49	49
23.	बीकानेर	65	65
24.	हनुमानगढ़	91	91
25.	गंगानगर	86	86
26.	खेतड़ी	43	43
27.	झुन्झुनूं	53	55

1	2	3	4
28.	सीकर	70	70
29.	जोधपुर	64	67
30.	आबूरोड	39	41
31.	जालोर	52	55
32.	फलोदी	27	29
33.	सिरोही	39	39
34.	बाड़मेर	36	37
		1991	2042

परिवहन निगम द्वारा संचालित डीलक्स अथवा वातानुकूलित बस सेवाओं की सूची

क्र.सं.	मार्ग का नाम	सेवाओं की संख्या	
		डीलक्स	वातानुकूलित
1.	जयपुर-दिल्ली वाया कोटपुतली	32	–
2.	जयपुर-कोटा	4	–
3.	जयपुर-आगरा	6	–
4.	जयपुर-उदयपुर	4	–
5.	जयपुर-जोधपुर	2	–

परिशिष्ट 1.5

अतारांकित प्रश्न संख्या 480 की नियमों की प्रति व विवरण

G. S. R. 15.—In exercise of the powers conferred by Section 44 read with section 8 & 132 A of the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939), the State Government hereby makes the following rules to further amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1951, the same having been previously published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part 3, (B), dated 18th November, 1974, namely :—

RULES

1. Short title.—These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1974.

2. Amendment in Rule 71, 72, 73 and 74.—In the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1951 the existing Rules, 71, 72, 73 and 74 shall be substituted by the following namely :—

71(a) Grant and Renewal of Certificate of fitness.

A certificate of fitness under section 38 of Motor Vehicles Act, 1939 shall be granted or renewed by the District Transport Officer of the District in which the vehicle is paying tax.

(b) Form of presentation of application for grant or renewal of certificate of fitness shall be made in form C.F.A. and it shall be presented before the District Transport Officer of the District referred to in sub-rule (a).

The application for renewal of certificate of fitness shall be presented before one month from the date of expiry of the certificate of fitness.

Provided that if a vehicle is produced for Mechanical fitness after the expiry of the term of certificate of fitness, a penalty at the rate of Rs. 10/-, Rs 15/- and Rs. 20/- for light medium and heavy vehicles respectively, will be charged for every calendar month or part thereof, but the amount of penalty shall not exceed the amount of fee prescribed for renewal of fitness certificate, without prejudice to any action which might have been or may be taken for plying of the vehicle without Mechantial Fitness.

(268)

(c) (i) Production of vehicle and inspection thereof.

The vehicle will be produced for inspection at the office of District Transport Officer concerned:

Provided that the Transport Commissioner may at his discretion, in public interest, fix any number of other inspection places in a District, as he deems proper.

(ii) The District Transport Officer will obtain an inspection report in Form CFIR from the Motor Vehicle Inspector/Sub-Inspector or otherwise satisfy himself regarding the fulfilment of the requirements of the provisions of Chapter V and the rules made there under.

(d) Validity of certificate of Fitness.

The certificate of fitness shall be granted or renewed for the period as indicated below :—

(1)	Certificate of fitness in case of new vehicle	Two years.
(2)	Certificate of fitness of vehicle other than specified in (1) above	One year.
(3)	Renewal of certificate of fitness	One year.

(e) One certificate for one vehicle.

There shall not be more than one certificate of fitness in respect of any vehicle.

(f) If owing to mechanical breakdown or other cause Motor vehicle is, after the expiry of the Certificate of fitness outside functional area of the authority by whom the certificate is to be renewed, any District Transport Officer, may without prejudice to any penalty to which the owner or driver may have become liable, if the vehicle is in his opinion fit for use, by endorsement in Form CF Sub, and subject to such conditions as he may specify, an authorise its continue used for such time as may reasonably be necessary for the vehicle to return to the area of the authority by whom the certificate shall be renewed and the vehicle may be driven to such area in accordance with such endorsement but shall not be used after return to that area until the certificate has been renewed.

(g) Unsafe vechicle-Restriction on use.— If a vehicle is damged at any time so as to be unfit for ordinary use and may in the opinion of any district Transport Officer safely be driven at a reduced speed to a place of repair and if the District Transport Officer is satisfied that it is

necessary that the vehicle should be so driven, any District Transport Officer may by endorsement in Form C. F. X. Specify the time within which and the condition subject to which, the vehicle may be driven to a specified destination for the purpose of repair and the limit of speed beyond which it shall not be driven.

(h) Fee—The fee for grant and renewal of certificate of fitness and inspection shall be as prescribed in English Schedule.

(i) Certificate of fitness cancellation or Suspension thereof.

If any officer of the Transport Department not below the rank of District Transport Officer, on receipt of a report from the Motor Vehicle Inspector/Sub. Inspector or on his own inspection is satisfied that a vehcile no more complies with the provisions of Chapter V of the Act and the rules made thereunder, he may cancel or suspend the certificate of fitness of that vehicle :

Provided that the authority cancelling of suspending a certificate of fitness shall without delay give the owner or incharge of the motor vehicle a memo in writing stating therein the reasons for doing so :

Provided further that when the authority concelling or suspending the certificate of fitness is other than the original authority which granted or renewed the concerned certificate of fitness, it shall endorse the copy of the memo to that authority.

72. Refusal to grant or renew reasons to be given.

(a) If the grant or renewal of a certificate of fitness is refused, the reasons for the refusal shall be communicated simultaneously to the owner/incharge of the vehicle in FORM CFRR.

(b) The vehicle owner in such a case may produce his vehicle for reinspection after removing the defects and/or carrying out the instractions. A fee of Rs. 10/—only shall be charged for the second and subsequent inspection.

73. Certificate of fitness loss or destruction of

(a) If a certificate of fitness is lost or destroyed the owner of the vehicle shall forthwith report the matter in authority by whom the certificate was issued or last renewed and shall apply for duplicate copy alongwith the prescribed fee.

(b) Duplicate Issue of:—

Upon receipt of an application and the fee referred to in sub-rule (a) the authority shall furnish the owner with a

275

duplicate copy of the certificate duty stamped 'Duplicate' in red ink.

(c) Non production when lost no offence.

No person shall be liable to be convicted of an offence under section 86 of the Act for not producing the certificate of fitness if at the time when the certificate is demanded he has already reported the loss of destruction thereof in accordance with sub-rule (a) and duplicate copy has not been delivered to him.

74. Appellate Authority.

Any person aggrieven by an order of refusal to grant or renew, or cancellation or suspension of the certificate of fitness may within fifteen days from the date on which he has received notice of such order, prefer an appeal to be authorities mentioned below:—

(i) Regional Transport Officer against the orders of the District Transport Officer where he himself has not acted as District Transport Officer.

(ii) Additional Transport Commissioner against the orders of the Regional Transport officer/ Dy. Transport Commissioner.

The decision of the Additional Transport Commissioner shall be final.

वर्ष 1981 व 1982 में फिटनेस सम्बन्धी नियमों के कारण परिवहन निगम की बसों के चालान व दिये गये जुर्माने का विवरण

क.सं.	चालान की गई बसों की संख्या		जुर्माना राशि		आगार
	1981	1982	1981	1982	
1	2	3	4	5	6
1.	5	1	290.00	20.00	बीकानेर
2.	14	10	1915.00	425.00	बून्दी
3.	2	–	370.00	–	झालावाड़
4.	1	–	40.00	–	कोटा
5.	57	–	4150.00	–	चित्तौड़गढ़
6.	11	3	575.00	240.00	उदयपुर
7.	25	32	4060.00	1290.00	बांसवाड़ा
8.	–	1	–	20.00	सीकर

1	2	3	4	5	6
9.	1	1	280.00	300.00	जयपुर
10.	2	2	75.00	75.00	डूंगरपुर आगार
11.	11	1	313.00	10.00	बाड़मेर
12.	12	7	475.00	180.00	जोधपुर
13.	4	4	390.00	320.00	सिरोही
14.	5	–	100.00	–	अलवर
15.	17	–	400.00	–	धौलपुर
16.	3	–	450.00	–	ब्यावर
17.	8	7	335.00	255.00	जालौर
18.	–	4	–	120.00	गंगानगर
19.	1	–	45.00	–	फलौदी
20.	46	105	4764.00	6585.00	भीलवाड़ा
21.	2	2	110.00	120.00	हिण्डौन
	227	180	19,137.00	9960.00	

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 481 की सूची)

क्र. सं.	नाम माह	1980	1981	1982	1983
				(केरोसीन) मात्रा के. एल.	
1.	जनवरी	243	300	290	300
2.	फरवरी	252	300	290	300
3.	मार्च	244	300	250	244
4.	अप्रेल	280	300	250	–
5.	मई	244	–	250	
6.	जून	244	228	250	
7.	जुलाई	233	–	250	
8.	अगस्त	259	186	250	
9.	सितम्बर	266	–	250	
10.	अक्टूबर	244	–	250	
11.	नवम्बर	244	270	300	
12.	दिसम्बर	244	270	300	
				(कपड़ा) मात्रा गांठों में	
1.	जनवरी	6	72	–	–
2.	फरवरी	21	–	–	5
3.	मार्च	$33\frac{1}{2}$	22	–	–
4.	अप्रेल	26	6	–	–
5.	मई	26	74	–	–
6.	जून	38	21	–	–
7.	जुलाई	76	6	9	–
8.	अगस्त	7	13	–	–
9.	सितम्बर	2	27	11	–
10.	अक्टूबर	76	–	15	–
11.	नवम्बर	–	45	–	–
12.	दिसम्बर	–	4	–	–

क्र. सं.	नाम माह	1980	1981	1982	1983
				(चावल)	मात्रा मै. टनों में
1.	जनवरी	150	800	100	निल
2.	फरवरी	100	150	100	20
3.	मार्च	100	100	100	–
4.	अप्रेल	50	100	50	–
5.	मई	50	100	निल	–
6.	जून	40	100	निल	–
7.	जुलाई	40	50	50	–
8.	अगस्त	300	50	निल	–
9.	सितम्बर	300	निल	निल	–
10.	अक्टूबर	300	निल	निल	–
11.	नवम्बर	300	निल	निल	–
12.	दिसम्बर	800	100	निल	–
				(सीमेन्ट)	मात्रा मै. टन
1. 2. 3.	जनवरी, फरवरी, मार्च — प्रथम तिमाही	450	955	323	284
4. 5. 6.	अप्रेल, मई, जून — द्वितीय तिमाही	425	525	250	–
7. 8. 9.	जुलाई, अगस्त, सितम्बर — तृतीय तिमाही	425	525	200	–
10. 11. 12.	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर — चतुर्थ तिमाही	545	425	200	–

(274)

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 483 की सूची

क्र. सं.	नगर/ग्राम का नाम	निजी अथवा सहकारी समिति
1	2	3
1.	डेढ़ा	निजी व्यापारी
2.	भुवाना	निजी व्यापारी
3.	शाहगढ़	निजी व्यापारी
4.	रामगढ़	निजी व्यापारी
5.	सोनू	सहकारी समिति
6.	बांधा	सहकारी समिति
7.	खुईयाला	निजी व्यापारी
8.	हाबूर	निजी व्यापारी
9.	कोटड़ी	सहकारी समिति
10.	नरसिंहों की ढाणी	निजी व्यापारी
11.	मूलाना	निजी व्यापारी
12.	रासला	निजी व्यापारी
13.	सखा	निजी व्यापारी
14.	रणधा	सहकारी समिति
15.	तेजमालता	सहकारी समिति
16.	नीम्बा	सहकारी समिति
17.	भंभारा	निजी व्यापारी
18.	देवीकोट	निजी व्यापारी
19.	सांगड़	निजी व्यापारी
20.	साजीत का पार	निजी व्यापारी
21.	सेऊवा	निजी व्यापारी
22.	रामा	निजी व्यापारी
23.	अडबाला	निजी व्यापारी
24.	कुण्डा	सहकारी समिति
25.	नियाली	निजी व्यापारी
26.	डांगरी	निजी व्यापारी
27.	सतो	सहकारी समिति
28.	म्याजलार	निजी व्यापारी

1	2	3
29.	हुटार	निजी व्यापारी
30.	बैरसीयाला	निजी व्यापारी
31.	सुहड़ी	सहकारी समिति
32.	दबड़ी	निजी व्यापारी
33.	सम	निजी व्यापारी
34.	कनोई	सहकारी समिति
35.	रूपसी	सहकारी समिति
36.	मादासर	निजी व्यापारी
37.	चांधन	निजी व्यापारी
38.	बडोडा गांव	निजी व्यापारी
39.	भागू का गांव	सहकारी समिति
40.	सोढाकोर	निजी व्यापारी
41.	हमीरा	निजी व्यापारी
42.	काणोद	निजी व्यापारी
43.	डाबला	निजी व्यापारी
44.	कीठा	निजी व्यापारी
45.	पारेवर	निजी व्यापारी
46.	खींया	निजी व्यापारी
47.	सुल्ताना	निजी व्यापारी
48.	मेडाई	निजी व्यापारी
49.	देवा	निजी व्यापारी
50.	मोहनगढ़	निजी व्यापारी
51.	मोहनगढ	सहकारी समिति
52.	जैसलमेर शहर शोप नं. 1	,,
53.	जैसलमेर शहर शोप नं. 2	,,
54.	जैसलमेर शहर शोप नं. 3	,,
55.	जैसलमेर शहर शोप नं. 4	,,
56.	जैसलमेर शहर शोप नं .5 (ग्रामीण क्षेत्र)	,,
57.	जैसलमेर शहर शोप नं. 6 (ग्रामीण क्षेत्र)	,,
58.	जैसलमेर शहर शोप नं. 7	,,
59.	जैसलमेर शहर शोप नं. 8	,,

1	2	3
तहसील पोकरण:—		
60.	रामयाया	निजी व्यापारी
61.	नोख	सहकारी समिति
62.	चिन्नू	निजी व्यापारी
63.	टावरीवाला	"
64.	नाचना (भारेवाला)	"
65.	शेखोवाला (पांचे का तला)	"
66.	भवाय	"
67.	ग्रासकन्द्रा	"
68.	छायण	"
69.	रामदेवरा	"
70.	लोहारकी	"
71.	नेड़ान	"
72.	खेतोलाई	सहकारी समिति
73.	भाडोनिया	निजी व्यापारी
74.	लाठी	सहकारी समिति
75.	नियाना	"
76.	माडवा	"
77.	जैमला	"
78.	नाचना	निजी व्यापारी
79.	झलारीया	निजी व्यापारी
80.	बांधेवा	सहकारी समिति
81.	दांतल	निजी व्यापारी
82.	स्वामी की ढाणी	निजी व्यापारी
83.	भीखोडाई	निजी व्यापारी
84.	बलाड़	निजी व्यापारी
85.	राजमथाई	निजी व्यापारी
86.	राजमथाई	निजी व्यापारी
87.	राजगढ़	सहकारी समिति
88.	श्रोला	निजी व्यापारी
89.	भैंसड़ा	निजी व्यापारी
90.	सांकड़ा	सहकारी समिति
91.	सनावड़ा	निजी व्यापारी

1	2	3
92.	मोहरडी	निजी व्यापारी
93.	लूणा	निजी व्यापारी
94.	फूलासर	निजी व्यापारी
95.	फाबरा	सहकारी समिति
96.	ऊंजला	सहकारी समिति
97.	बढ़ली	निजी व्यापारी
98.	घाट मोमट	निजी व्यापारी
99.	भवां	सहकारी समिति
100.	फलसूण्ड	निजी व्यापारी
101.	फलसूण्ड	निजी व्यापारी
102.	फलसूण्ड	निजी व्यापारी
103.	फलसूण्ड	निजी व्यापारी
104.	फलसूण्ड	निजी व्यापारी
105.	फलसूण्ड	निजी व्यापारी
106.	पोकरण शोप नं. 1	सहकारी समिति
107.	पोकरण शोप नं. 2	सहकारी समिति
108.	पोकरण शोप नं. 3	सहकारी समिति
109.	पोकरण शोप नं. 4	निजी व्यापारी
110.	पोकरण शोप नं. 5	निजी व्यापारी
111.	रातडोया	निजी व्यापारी

वर्ष 1981–82 (मात्रा मै. टन में)

नाम वस्तु	जिले को आवंटन	वितरण: पंचायत समिति जैसलमेर	वितरण: पंचायत समिति सम	वितरण: पंचायत समिति झांकड़ा	वितरण: नगरपालिका क्षेत्र में	कुल वितरण (योग कालम सं. 3 से 6)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
गेहूं	17,100	4165.2	4417.1	5754.6	2240.5	16577.4	
चांवल	5,900	482.9	622.7	562.1	156.7	1824.4	
लेवी चीनी	1,104	198.4	249.8	276.7	136.7	861.6	
पाम आयल	120	19.0	17.7	8.1	62.2	107.0	
कपड़ा (गांठों में)	96	19	8	22	36	85	

वर्ष 1982–83

नाम वस्तु	जिले को आवंटन	वितरण: पंचायत समिति जैसलमेर	वितरण: पंचायत समिति सम	वितरण: पंचायत समिति झांकड़ा	वितरण: नगरपालिका क्षेत्र में	कुल वितरण (योग कालम सं. 3 से 6)	विशेष विवरण
गेहूं	18,750	2621.8	2689.7	2749.5	1978.5	10039.5	
चांवल	1,100	217.6	305.6	267.5	169.4	960.1	
चीनी	1,272	206.3	281.2	243.2	142.9	873.6	
पाम आयल	240	3.1	3.6	4.0	88.0	98.7	
कडा (गांठों में)	—	11	6	12	37	66	

वर्ष 1981-82, 1982-83 सीमेन्ट

(मात्रा मै. टन)

वर्ष	जिले को आवंटन	वितरण					कुल योग कालम 6 व 7	विशेष विवरण
		पंचायत समिति जैसलमेर	पंचायत समिति सम	पंचायत समिति सांकड़ा	योग कालम 3 से 5 तक	शहरी क्षेत्र में कुल वितरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1981-82	1454	247	256	60	563	407	970	484 मै. टन सीमेन्ट फैक्ट्रियों से प्राप्त न होने से लैप्स हुआ।
1982-83	841	55	30	35	120	245	365	75 मै. टन लैप्स हुआ। 401 मै. टन प्राप्त होना शेष है।

परिशिष्ट—'क'

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 484 की सूची

विचाराधीन बंदियों की जेलवार व अवधि के अनुसार सूची

कारागृह एवं उप कारागृहों के नाम	कुल विचाराधीन बंदी पु०	स्त्री	योग	1 माह से कम पु०	स्त्री	1–3 माह पु०	स्त्री	3–6 माह पु०	3–6 माह स्त्री	पु०	6–12 माह स्त्री	12–18 माह पु०	स्त्री	18–24 माह पु०	स्त्री	24–30 माह पु०	स्त्री	30–36 माह पु०	स्त्री	36 माह से अधिक पु०	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
केन्द्रीय कारागृह :																					
1. जयपुर	347	5	352	72	1	97	1	69	2	42	1	35	–	10	–	15	–	1	–	6	–
2. जोधपुर	112	7	119	33	2	24	2	25	2	18	1	6	–	3	–	2	–	1	–	–	–
3. उदयपुर	107	3	110	40	-	13	1	21	1	27	1	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–
4. बीकानेर	122	2	124	20	1	35	–	32	1	13	–	14	–	1	–	6	–	1	–	–	–
5. अजमेर	132	3	135	43	-	26	2	30	1	23	–	9	–	1	–	–	–	–	–	–	–
जिला कारागृह 'अ' श्रेणी																					
1. अलवर	148	–	148	28	–	43	–	43	–	18	–	12	–	3	–	1	–	–	–	–	–
2 कोटा	232	3	235	54	–	40	2	47	–	67	1	5	–	15	–	2	–	2	–	–	–
3. भरतपुर	100	2	102	19	1	21	–	28	–	16	1	9	–	6	–	1	–	–	–	–	–
4. गंगानगर	145	–	145	45	–	59	–	27	–	13	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. धौलपुर	78	–	78	8	–	17	–	22	–	14	–	14	–	2	–	–	–	–	–	1	–
6. टौंक	32	–	32	9	–	18	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

जिला कारागृह, 'ब' श्रेणी

1. भीलवाड़ा	61	2	63	16	2	20	–	12	–	12	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
2. प्रतापगढ़	55	–	55	9	–	5	–	9	–	26	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–
3. बाड़मेर	14	–	14	8	–	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नागौर	61	–	61	9	–	11	–	14	–	8	–	16	–	–	–	3	–	–	–	–	–
5. झुन्झुनू	45	–	45	7	–	15	–	6	–	13	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
6. झालावाड़	63	–	63	15	–	27	–	13	–	5	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. सिरोही	111	3	114	6	–	16	–	6	–	32	3	23	–	19	–	4	–	5	–	–	–
8. गंगापुर सिटी	52	1	53	12	–	8	–	13	–	15	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
9. सीकर	44	–	44	7	–	17	–	18	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. चूरू	65	–	65	6	–	5	–	14	–	12	–	14	–	7	–	5	–	2	–	–	–
11. पाली	26	3	29	5	–	5	1	4	2	3	–	4	–	3	–	1	–	1	–	–	–
12. जालौर	22	–	22	7	–	6	–	5	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13. बांसवाड़ा	60	2	62	12	–	23	1	16	1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14. डूंगरपुर	43	4	47	10	2	17	–	9	1	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
15. बून्दी	46	–	46	10	–	10	–	9	–	11	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–

उप कारागृह

1. नीमकाथाना	17	–	17	5	–	6	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. डीग	58	1	59	26	1	2	–	16	–	5	–	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–
3. बारां	87	–	87	38	–	13	–	18	–	6	–	5	–	–	–	2	–	5	–	–	–
4. दौसा	35	–	35	6	–	12	–	8	–	7	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.	सांभर	16	–	16	8	–	5	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	बाली	17	–	17	13	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	सवाईमाधोपुर	55	–	55	12	–	10	–	15	–	17	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
8.	हिण्डौन	15	–	15	9	–	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	परबतसर	13	–	13	5	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	मेड़तासिटी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	भानमाल	8	–	8	2	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	बालोतरा	30	–	30	27	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	सोजतसिटी	7	1	8	3	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	जैतारण	4	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	छबड़ा	16	–	16	7	–	7	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	राजगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	अकलेरा	27	–	27	20	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	रायसिंहनगर	89	–	89	11	–	33	–	18	–	15	–	11	–	1	–	–	–	–	–	–	–
19.	हनुमानगढ़	70	–	70	12	–	36	–	10	–	8	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	आबूरोड़	25	–	25	12	–	7	–	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	कुशलगढ़	4	–	4	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	चित्तौड़गढ	23	–	23	6	–	5	–	7	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	निम्बाहेड़ा	15	–	15	8	–	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	बांदीकुई	19	1	20	11	–	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	बहरोड़	35	–	35	10	–	20	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	कोटपूतली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	खेतड़ी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	मानपुरा	9	–	9	3	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	फतेहपुर	25	–	25	3	–	20	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

30. बयाना	12	—	12	8	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. करोली	30	—	30	14	—	13	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. फलोदी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. डीडवाना	11	—	11	5	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. सांचोर	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. जैसलमेर	10	—	10	1	—	2	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. रामगंजमंडी	18	—	18	9	—	5	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. नैनवा	12	—	12	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. रतनगढ़	22	—	22	12	—	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39. करणपुर	29	—	29	7	—	11	—	3	—	6	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
40. भीम	6	—	6	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. कानोड़	10	—	10	5	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. कोटड़ा	6	—	6	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. मावली	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. राजसमंद	21	—	21	6	—	11	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
45. गंगापुर (भी.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. शाहपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. गुलाबपुरा	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. माण्डलगढ़	7	—	7	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. छोटीसादड़ी	5	—	5	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50. बेगूं	17	—	17	5	—	5	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. कपासन	7	1	8	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. पोकरण	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. भवानी मण्डी	9	—	9	5	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
54. सलूम्बर	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55. जहाजपुर	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56. भादरा	32	1	33	3	–	4	–	7	1	17	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
राजस्थान	3315	45	3360	884	12	884	11	656	12	511	9	227	1	80	–	–	47	–	19	7	–

परिशिष्ट 'ख'

दिनांक 31-12-82 को रही विचाराधीन महिला बन्दियों के साथ रहे बालकों की सूचना

कारागृह	महिला बन्दी का नाम	आयु	प्रवेश दिनांक	अपराध की धारा	महिला बन्दी के साथ रहे बालक का नाम	बालक के प्रवेश का दिनांक	बालक की आयु (वर्ष)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जयपुर	1. रामेश्वरी पत्नी मदनलाल	36	18–5–82	302	मूला पुत्र	18-5-82	5 (पांच)	
	2. बादामी पत्नी रामस्वरूप	31	21–9–81	457–380	राज पुत्र	21-9-81	3	
	3. रामरती पत्नी ब्रजलाल	35	12–10–82	380	पुत्र	19-12-82	0	बच्चे का कारागृह में दिनांक 19-12-82 को जन्म हुआ
जोधपुर	4. ककूड़ी पत्नी कूकीया	35	6–2–82	379, 302, 364	1. कानिया पुत्री	6-2-82	6	
					2. कल्ला पुत्री	6-2-82	1	
					3. चूनिया पुत्र	6-2-82	2	
					4. मांगिया पुत्र	6-2-82	3	

	5. चौथकी पत्नी कृपाराम	35	7-7-82	379, 302, 364	1. सांवला पुत्र	7-7-82	4
					2. चम्पा पुत्री	7-7-82	2½
					3. काली पुत्री	7-7-82	1½
					4. सीता पुत्री	7-7-82	0(6 माह)
	6. चतरूड़ी पत्नी किशोर	30	7-7-82	302, 379	1. छगन पुत्र	7-7-82	2
				379	2. नाथी पुत्री	7-7-82	3
कोटा	7. मरोखी पत्नी रामपाल	25	14-5-82	397	1. .. पुत्र	14-5-82	3
पाली	8. ककूड़ी पत्नी मन्ना	40	29-8-81	302	1. नैनिया पुत्र	29-8-81	3
	9. रम्भो पुत्री मन्ना	21	29-8-81	302	1. इन्द्रा पुत्री	29-8-81	2
	10. गंगा पत्नी भैरा	32	23-10-82	302	1. प्रकाश पुत्र	23-10-82	2
कुल	10 महिलायें				17 पुत्र 10 पुत्री 7		

परिशिष्ट-ख (i)

दिनांक 31-12-82 को रही महिला विचाराधीन बन्दियों के साथ रहे बालकों का वर्गीकरण

बालकों का आयु समूह

बालकों द्वारा कारागृह में व्यतीत की गई अवधि	एक माह से कम	3–6 माह	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	6 वर्ष	योग
1–3 माह	1	–	1	–	–	2
3–6 माह	–	1	3	–	–	4
6–12 माह	–	–	2	5	1	8
12–18 माह	–	–	1	2	–	3
18–24 माह	–	–	–	–	–	–
योग	1	1	7	7	1	17

985

परिशिष्ट 'ग'

दिनांक 31-12-82 को राजस्थान की कारागृहों में रहे मानसिक रूप से विकृत सभी विचाराधीन बन्दियों का अवधि अनुसार वर्गीकरण

क. सं..	कारागृह का नाम/कुल/ विचाराधीन बंदी	पु.	स्त्री	योग	1 माह से कम पु.	स्त्री	1–3 माह पु.	स्त्री	3-6 माह पु.	स्त्री	6-12 माह पु.	स्त्री	12-18 माह पु.	स्त्री	18-24 माह पु.	स्त्री	24-30 माह पु.	स्त्री	30-36 माह पु.	स्त्री	36– माह से अधिक पु.	स्त्री
1.	जयपुर	28	–	28	1	–	4	–	7	–	2	–	7	–	1	–	2	–	1	–	3	
2.	जोधपुर	5	1	6	–	–	1	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
3.	कोटा	4	–	4	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	योग :– राजस्थान	37	1	38	1	–	7	1	11	–	2	–	9	–	1	–	2	–	1	–	3	

परिशिष्ट–'ग" (1)

राजस्थान की कारागृहों में रहे मानसिक रूप से विकृत सभी विचाराधीन बंदियों का विस्तृत विवरण दिनांक 31–12–82

कारागृह का नाम	क.सं	विचाराधीन बंदियों का नाम पिता/पति का नाम एवं घर का पता	बंदी की आयु	बंदियों का जेल में दाखिल होने का दि.	अदालत का नाम	केस संख्या	आरोप की धारा अधिनियम	चालान पेश हुआ या नहीं यदि हुआ तो दिनांक	अन्य विवरण
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
जयपुर	1–	प्रभूनाथ पुत्र दशरथ निवासी पटवारी बस्ती यू. पी.	25	7–1–70	ए. जे. एम. गंगानगर	–	3112 आईपीसी	–	जेल करणपुर से उपचार हेतु आया।
	2–	रामा पुत्र भैरू नि. चंदेला जिला सिरोही	25	15–2–70	ए. डी. एम. सिरोही	–	302	–	जेल सिरोही से उपचार हेतु आया।

3–रतना पुत्र गव्वा नि. पालोद चित्तौड़गढ़	30	23–12–77	डी. जे. प्रतापगढ़ कम्प चित्तौड़गढ़	–	335 (1) एक्ट	–	जेल चित्ताड़गढ़ से उपचार हेतु आया।
4–बालूराम पुत्र मानाराम नि. चिताना; नोखा	40	6–4–81	डी. जे. बीकानेर	–	302	–	जेल बीकानेर से उपचार हेतु आया।
5–रामलाल पुत्र नानिया	25	8–6–80	डी. जे. डूंगरपुर	–	302	–	जेल डूंगरपुर से उपचार हेतु आया।
6–लड्डू गोपाल पुत्र सरदारमल लाखन कोटडी, अजमेर	35	4–12–80	एस. डी. एम. अजमेर	–	24 सी आर. पी. सी.	–	जेल अजमेर से उपचार हेतु आया।
7–रामसिंह पुत्र रामस्वरूप नि. उडलभिवानी	38	7–7–80	एम. जे. एम. राजगढ़	–	435		जेल राजगढ़ से उपचार हेतु आया।
8–गुलाम मोहम्मद पुत्र जान मोहम्मद नि. चक–15–16 भावलनगर, पाक.	27	13–7–81	एम. डी. एम. रायसिंह नगर	–	316, 3114, फोरेन एक्ट	–	जेल रायसिंह नगर से उपचार हेतु आया।
9–रामजीलाल पुत्र हरचंद	30	19–9–81	डी. जे. गंगापुर सिटी	–	302	–	जेल गंगापुर सिटी से उपचार हेतु आया।
10–रमजान पुत्र जल्लुराम, जयसिंह शरलन	25	21–9–81	डी. जे. चूरू	–	302	–	जेल चूरू से उपचार हेतु आया
11–अल्लादान पुत्र नजीर खां, भावनगर (पाक.)	23	1–10–81	जे. एम. बीकानेर	–	316 आइ पी पी 314 फोरेन एक्ट	–	,, बीकानेर ,,
12–नामालूम पुत्र नामालूम, रामगंजमंडी	27	5–10–81	एम. एम. जे. एम. रामगंजमंडी	–	302	–	,, रामगंजमण्डी ,,
13–दिनेश पुत्र विश्वनाथ प्रसाद, भीलवाडा	28	13–12–81	सा. एम. भीलवाड़ा	–	13 ल्यूनेसा एक्ट	–	,, भीलवाडा ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14–	जोराराम पुत्र भैरूराम, बडागांव, सीकर	68	18-12-81	डी. जे. सीकर	–	302	– जेल सीकर	से उपचार हेतु आया
	15–	प्रभू प्रसाद पुत्र गंगा प्रसाद गंगानगर	32	2-1-82	एम. एण्ड जे. एम. करणपुर	–	316 आई पी पी	– ,, करणपुर	,,
	16–	फेलू पुत्र रामा, भादलवाडा सवाईमाधोपुर	40	14-1-82	एम. एण्ड जे. एम सवाईमाधोपुर	–	–	– ,, सवाईमाधोपुर	,,
	17–	रतना पुत्र गजानन्द, मीनाय, अजमेर	32	1-7-82	ए. डी. जे. अजमेर	–	302	– ,, अजमेर	,,
	18–	हनुमान पुत्र लिखमाराम, हरित वालों की ढाणी, सीकर	45	5-7-82	सेशन जज, सीकर	–	302	– ,, सीकर	,,
	19–	पीर मोहम्मद पुत्र नन्ने खां, नि. रामपुरा, चित्तौड़गढ	40	10-7-82	,, ,, चित्तौड़गढ़	–	302	– ,, चित्तौड़गढ़	,,
	20–	चूहडमल पुत्र ढालूमल, केसरगंज, अजमेर	40	10-7-82	एस. डी. एम., अजमेर	–	–	– ,, अजमेर	,,
	21–	किशन गोपाल पुत्र मोहन लाल, दिल्ली गेट, अजमेर	32	10-7-82	,, ,,	–	–	– ,, ,,	,,
	22–	के. बी. उस्मान पुत्र नामालूम, नि. केरल	27	22-9-82	जे. एम. नं. 2, अजमेर	193/82	–	– ,, ,,	,,
	23.	नन्दा पुत्र श्रीकिशन, खातीखेड़ा, बून्दी	28	27-9-82	डी. जे. बून्दी	–	302 –	जेल बून्दी से उपचार हेतु आया	
	24.	लादूराम पुत्र रामदेव, चावरिया, गंगानगर	27	12-10-82	,, गंगानगर	80/82	–	– ,, गंगानगर	,,

	25.	[redacted] पुत्र महताब, पटना	20	18-10-82	ए. एम. झालावाड़	–	109 सीआर. पीसी		जेल झालावाड़	से उपचार हेतु आया
	26.	प्रहाद पुत्र वहाद झालावाड़	22	18-10-82	„	–	107, 151	„	„	„
	27.	प्रेमचंद पुत्र सूरजमल, गीजगढ़	41	10-11-82	ए. एम. एम., वांदीकुई	–	457, 380	– „	वांदीकुई	„
	28.	बाला पुत्र नामालूम (पाक)	50	25-12-82	डी. जे. बीकानेर	–	–	–	बीकानेर	„
जोधपुर	29.	पदमाराम पुत्र आसाराम नागौर	32	13-10-81	पेंशन कोर्ट, जोधपुर	153/181	302	– „	पागल है	
	30.	वल्लू पुत्र सुथार, बाड़मेर	25	26-10-81	जे. एम. एफ. सा. बाड़मेर	89/81	302	–	„	
	31.	गोरधन पुत्र पूराराम, बाड़मेर	25	29-8-82	डी. एस. जे. „	14/80	395	–	„	
	32.	हनुमानराम पुत्र दामाराम, जोधपुर	32	3-8-82	एम. जे. एम. फलौदी	32/82	302, 323 341, 142	–	„	
	33.	गुमनाराम पुत्र चिमनाराम, जोधपुर	55	11-10-82	जे.एम.एफ.सी. जोधपुर	20/82	302, 307		„	
	34.	छोगी पत्नी दौलाराम, बालोतरा	30	8-10-82	एम. एण्ड जे. एम. बालोतरा	20/82	302, 301	–	„	
कोटा	35.	कैलाशचन्द पुत्र रामनाथ महा. नि. माथना, कोटा	33	1-9-82	सा. एम. कोटा	–/82	109 सी. आर. पी. सी.		जमानती नहीं	
	36.	रमेशचन्द्र पुत्र मथुरालाल ब्राह्मण, नि. रेतवाली, कोटा	31	11-10-82	„	–/82	107, 131	„	„	
	37.	गोप्या पुत्र दूंदिया मीना, नि. पाटन जिला बूंदी	35	3-11-82	„	–/82	109	„	„	
	38.	मुरलीधर पुत्र कल्लूमल सिन्धी नि. रेतवाला, कोटा	22	20-9-82	ए. एम. जे. एम. नं. 2. एस. कोटा	219/82	307	„	„	